28 मार्च, 1980

लोक सभा वाद–विवाद

का

हिन्दी संस्करण

[दूसरा सत्र]

सत्यमेव जयते

(खंड 3 में अंक 11 से 14 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय–सूची

अंक 14, शुक्रवार, 28 मार्च, 1980/8 चैत्र, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 243 से 249	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 250 से 262	21—169
अतारांकित प्रश्न संख्या 2079 से 2278	
सभा–पटल पर रखे गये पत्र	169—196, 296
राज्य सभा से संदेश	196—202
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	202—211
अवैध मिज़ो नेशनल फ्रंट के विद्रोहियों की हिंसात्मक गतिविधियों में वृद्धि के समाचार	
श्री विक्रम महाजन	
श्री योगेन्द्र मकवाना	
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	
श्री जनार्दन पुजारी	
रक्षा उत्पादन संस्थाओं के कर्मचारियों को उत्पादिता-आधारित बोनस देने के बारे में वक्तव्य	212
श्री सी० पी० एन० सिंह	
कम्पनी सचिव विधेयक-पुरःस्थापित	212
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित	213—220
नियम 377 के अधीन मामले	220—229
(एक) जे० के० रेयन, कानपुर के बन्द होने के समाचार	220
श्री सोमनाथ चटर्जी	
(दो) अफगानिस्तान की घटनाओं के संदर्भ में पाकिस्तान की स्थिति के बारे में	221
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था

	विषय	पृष्ठ
(तीन)	बिहार में पीने के पानी की विकट समस्या का समाचार श्री डी० पी० यादव	222
(चार)	बिनौले की खली के निर्यात पर प्रतिबंध के बारे में श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियान	222 222
(पांच)	पारादीप पत्तन तक लौह अयस्क ले जाने के लिये रेल डिब्बों के उपलब्ध न होने के समाचार श्री अर्जुन सेठी	222—223
(छः)	आम के बागों को बचाने के लिये अमरीका से एक नये कीटनाशी के आयात की आवश्यकता के बारे में श्री उत्तमभाई एच० पटेल	223
(सात)	समुद्र में व्यर्थ गिरने वाली नदियों के जल का तमिलनाडु के सूखाग्रस्त जिलों में उपयोग करने के बारे में श्री के० टी० कोसलराम	224
(आठ)	कीटनाशियों की कमी के कारण मलेरिया का प्रकोप बढ़ जाने के बारे में श्री प्रताप भानु शर्मा	224—225
(नौ)	आरालम सेन्ट्रल फार्म, केरल द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट को लागू न करने के बारे में श्री के० कुन्हम्बू	225—226
(दस)	हरिजनों पर हो रहे अत्याचार रोकने के लिये एक राष्ट्रीय नीति बनाये जाने के बारे में श्री राम विलास पासवान	227
(ग्यारह)	अशोक लोलैण्ड कम्पनी द्वारा अलवर में ट्रक-इंजन निर्माण कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में श्री राम सिंह यादव	227
(बारह)	मध्य प्रदेश में अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिए जाने वाले उपायों के बारे में डा० वसन्त कुमार पंडित	227
(तेरह)	हल्दी पर निर्यात शुल्क के बारे में श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी	228

विषय	पृष्ठ
(चौदह) बिहार के कुछ जिलों में पीने के पानी की कमी के समाचार श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	228
(पंद्रह) पटना जिले के मनेर खड में गंगा भूमि के कटाव को रोकने के लिये कार्यवाही करने के बारे में श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा	228—229
(सोलह) शराब विक्रेताओं द्वारा अपने विज्ञापनों में प्रधानमंत्री के नाम का दुरुपयोग करने के बारे में श्री रत्न सिंह राजदा	229
महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि के बारे में प्रस्ताव-जारी श्रीमती सुशीला गोपालन श्री मगनभाई बरोट श्री धनिक लाल मंडल श्रीमती विद्या चेन्नु पति श्रीमती कृष्णा साही	229—243
विधेयक पुरःस्थापित :	244—246
(1) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) (विधेयक) (धारा 17 और दूसरी अनुसूची का संशोधन) प्रो० मधु दंडवते द्वारा	244
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन) प्रो० मधु दंडवते द्वारा	244
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 19 और 326 का संशोधन) प्रो० मधु दंडवते द्वारा	244
(4) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन) डा० कर्ण सिंह द्वारा	245
(5) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक श्री पी० जे० कुरियन द्वारा	245
(6) मृत्यु दंड उत्सादन विधेयक श्री एडुआर्डो फैलीरो द्वारा	245—246
(7) जमाखोरी और मुनाफाखोरी निवारण विधेयक श्री एडुआर्डो फैलीरो द्वारा	246

विषय	पृष्ठ
(8) निःशुल्क विधिक सेवा विधेयक श्री एडुआर्डो फैलीरो द्वारा	246
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 102 और 103 का संशोधन) प्रो० मधु दंडवते द्वारा	247—282
विचार किये जाने का प्रस्ताव प्रो० मधु दंडवते श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत श्री गिवराज वी० पाटिल श्री झारखंडे राय डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी श्री सोमनाथ चटर्जी श्री एम० रामगोपाल रेड्डी श्री ए० टी० पाटिल श्री पी० शिव शंकर	
संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन) श्री चित्त बसु द्वारा	283
विचार किये जाने का प्रस्ताव श्री चित्त वसु	
आधे घंटे की चर्चा हल्दिया में पिपयार्ड के बारे में श्री ज्योतिर्मय बसु श्री ए० पी० शर्मा श्री रामावतार शास्त्री श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर श्री सोमनाथ चटर्जी श्री नीरेन घोष	284—295
सदस्य की गिरफ्तारी के समाचार के बारे में	295—296

लोक सभा

शुक्रवार, 28 मार्च, 1980/8 चैत्र, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बजट में पारित कुल परिव्यय में सरकारी प्रशासन पर हुए खर्च की प्रतिशतता

*243. श्री मूलचन्द्र डागा : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 से आज तक प्रति वर्ष बजट में पारित कुल परिव्यय का कितना प्रतिशत धन सरकारी प्रशासन पर खर्च किया जा रहा है और कितना प्रतिशत विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है ।

(ख) इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया है कि क्या जनशक्ति का उपयोग प्रशासन पर किए गए व्यय के अनुकूल रहा है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ङ) (1) 1975-76 से 1979-80 (बजट अनुमान) तक सरकारी प्रशासन तथा विकास सम्बन्धी कार्यों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए व्यय का प्रतिशत विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	विकास व्यय	सरकारी शासन का व्यय
1975--76	53.8	5.8
1976--77	54.6	5 5
1977--78	56.3	4.7

1978--79	58.9	3.9
(संशोधित अनुमान)		
1979--80	58.8	4.3
(बजट अनुमान)		

(2) 1975--76 से लेकर 1978--79 के बीच जो कि सब से हाल का वर्ष है जिस तक आंकड़े उपलब्ध है, राष्ट्रीय आय में चालू कीमतों पर 29.9 प्रतिशत की और 1970--71 की कीमतों पर 14.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(3) प्रशासन पर होने वाले व्यय का काफी बड़ा भाग विभिन्न सरकारी अभिकरणों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद पर खर्च होता है । जहां तक मजूरी तथा वेतन व्यय का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या निश्चित करने के प्रश्न की समीक्षा बराबर होती रहती है, ताकि इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था हो सके कि कार्य के भार के अनुरूप तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता को कायम रखते हुए कर्मचारियों का इष्टतम उपयोग हो सके । वित्त मंत्रालय का कर्मचारी निरीक्षण एकक, कार्मिक विभाग का प्रशासनिक सुधार-रकक्ष तथा आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक सभी इसी काम में लगे हुए हैं और इन अभिकरणो द्वारा की गई समीक्षाएं फलदायक सिद्ध हुई हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आपने आखिरी इवेल्युएशन कब करवाया है? जितनी मैन--पावर आपके पास है, उसका ठीक तरह से युटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ? यदि हो रहा है, तो उसके क्या परिणाम निकले है और किस मशीनरी के द्वारा आपने करवाया है ? मैं देख रहा हूं कि आफिस में तो बाबू या बड़े आदमी भी छः घण्टे में से सिर्फ डेढ़ घण्टे काम करते हैं. यह आपका क्या उत्तर है । मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा है, उसमें सी, डी और ई के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं है ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं अभी उत्तर दूंगा ।

श्री मूलचन्द डागा : वह उत्तर क्या है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिरी बार मूल्यांकन कब करवाया गया था, किस वर्ष करवाया गया था, किस तंत्र के माध्यम से करवाया गया था तथा उसके परिणाम क्या निकले ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं सम्पूर्ण जानकारी दे रहा हूं । श्रीमान जी, कर्मचारियों की कार्यकुशलता तथा प्रत्येक विभाग के लिए अपेक्षित लोगों की संख्या का मूल्यांकन 3 संस्थाओं द्वारा किया जाता है । इनमें से एक है कर्मचारी निरीक्षण एकक जो कि सीधे वित्त मंत्रालय के अधीन हैं, प्रशासनिक सुधार कक्ष जो कि कार्मिक विभाग के अन्तर्गत आता है तथा तीसरा तंत्र है आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक जिसका कार्य प्रत्येक मंत्रालय के अन्तर्गत किये जा रहे कार्य का मूल्यांकन करना होता है ।

जहां तक कर्मचारी निरीक्षण एकक का सम्बन्ध है, इसने अप्रैल, 1964 तथा मार्च 1979 के बीच के समय का व्यापक पुनर्निरीक्षण प्रस्तुत किया है । वास्तव में जिन मंत्रालयों

के अन्तर्गत यह कार्य किया गया है, मैं उसके आंकड़े दे सकता हूं। मैं सबसे पहले वित्त मंत्रालय के आंकड़ों को ही लूंगा ताकि हमें यह मालूम हो सके कि जो मंत्रालय इसका कार्यभार संभाले हुये हैं, उसी ने इनका उपभोग कैसे किया है ?

वित्त मंत्रालय : 30,565 पदों का अध्ययन किया गया। इनमें से 5,011 पदों को फालतू पाया गया और उससे 343.57 लाख रुपये की बचत हुई है।

कृषि मंत्रालय : 21,183 पदों का अध्ययन किया गया। इनमें से 3,313 पद फालतू पाये गये और उससे 210.99 लाख रुपये की बचत हुई।

श्री मूलचन्द डागा : जो परिणाम निकले हैं, वह कौन से साल का एवैल्यूशन है और आखिरी बार आपने कब करवाया है ?

श्री आर० वेंकटरामन : श्रीमान जी, यह मूल्यांकन कार्य निरन्तर चलता रहता है। यह किसी समय विशेष पर किया गया मूल्यांकन नहीं है। इसे वर्ष वार किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कौन से वर्ष तक ?

श्री मूलचन्द डागा : आप नान-प्लान एक्सपैंडीचर कम करने के बारे में क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : श्रीमान जी, गैर-योजना व्यय के बारे में किये गये सामान्य वर्गीकरण के बारे में एक भ्रम फैला हुआ है। गैर योजना व्यय के अन्तर्गत रक्षा कर्मचारियों पर होने वाला व्यय, सार्वजनिक धन पर दिया गया ब्याज तथा वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न राज्यों को किये गये भुगतान आते हैं। अतः गैर-योजना व्यय के अन्तर्गत केवल व्यर्थ किया गया व्यय ही नहीं आता है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : वित्त आयोग द्वारा इन सभी पहलुओं का अध्ययन किया गया और बताया गया कि गैर-योजना व्यय योजनाबद्ध व्यय से अधिक होता है। अतः उनका यह उत्तर उनके इन निष्कर्षों से कैसे मेल खाता है।

दूसरे वर्ष 1979–80 में विकास व्यय 58.8 प्रतिशत था और प्रशासन पर हुआ व्यय 4.3 प्रतिशत था। शेष धनराशि का व्यय किन मदों पर किया जाता है ?

श्री आर० वेंकटरामन : यह बिल्कुल वही बात है जिसकी मैंने व्याख्या की थी। गैर-योजना व्यय के अन्तर्गत रक्षा-कर्मचारियों पर होने वाला व्यय सार्वजनिक ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज तथा वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को दिया जाने वाला अंशदान भी आता है। प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत विभागीय कर्मचारियों पर किया गया व्यय, कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले कागज, स्याही आदि पर होने वाला व्यय आदि आते हैं और शेष व्यय के बारे में मैंने विवरण में जानकारी दे दी है। माननीय सदस्य ने कहा कि गैर-योजना व्यय योजना व्यय से अधिक है। मुझे किसी विवरण की जानकारी नहीं है। दूसरी ओर वास्तविकता यह है कि प्रत्येक वर्ष विकास व्यय में वृद्धि हो रहे हैं। वर्ष 1975-76 में यह व्यय 53.80 प्रतिशत था जब कि वर्ष 1979–80 के प्राक्कलनों में यह 58.8 प्रतिशत हो गया है।

श्री जगन्नाथ राव : क्या गैर विकासीय तथा विकासीय दोनो व्ययों को कम करने के बारे में सरकार द्वारा कोई गंभीर प्रयत्न किया जा रहा है और यदि हां, तो प्रशासन के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन पर किये जाने वाले व्यय में की जा रही कमी की प्रतिशतता क्या है ?

श्री आर० वेंकटरामन : गैर-विकासीय तथा विकासीय दोनों प्रकार के व्यय को कम करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं और जहां तक गैर-विकासीय व्यय का संबंध है, जैसा कि मैंने बताया कुछ पहलू ऐसी है जहां कि इसे कम नहीं किया जा सकता । जैसे कि मैंने बताया तीनों एककों द्वारा कर्मचारियों, कार्यालय तथा स्टेशनरी आदि पर होने वाले व्यय को कम करने का प्रयास किया जा रहा है । इस दृष्टि से मितव्ययता बरती जा रही है ।

श्री त्रिदिब चौधरी : माननीय मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि दो मंत्रालयों में हजारों रुपया फालतू हो गया है । सभी मंत्रालयों का फालतू रुपया मिलाकर 15 या 20 हजार हो जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों को फालतू करार दे दिया गया है, उनका क्या हो रहा है ? क्या सीधे उनकी छटनी कर दी जाती है या उन्हें अन्य विभागों में नौकरी दे दी जाती है ?

श्री आर० वेंकटरामन : केवल उनके पदों को कम कर दिया गया था, व्यक्तियों को नहीं जिससे कि भविष्य में भर्ती किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या को कम किया जा सके ।

श्री एम०एम० गोपाल रेड्डी : व्याख्या की दृष्टि से इन्होंने केवल दो मन्त्रालयों के आंकड़े दिए हैं । यह आंकड़े 5 करोड़ रुपये के हैं । इस धन राशि का उपयोग छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है । यदि सभी मंत्रालयों पर विचार किया जाये तो मैं समझता हूं कि बड़ी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध करवाई जा सकती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के व्यय को कम करने के लिए, जिससे कि निर्माण कार्यों के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध करवाई जा सके, सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने केवल दो विभागों के व्याख्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं । यदि माननीय मन्त्री महोदय चाहें तो मैं सभी विभागों सम्बंधी ब्यौरा प्रस्तुत कर सकता हूं । मेरे पास सभी आँकड़ें हैं । इस सम्पूर्ण कार्यवाही के परिणाम स्वरूप कुल मिलाकर 36,74,00,000 रुपया बचाया जा सकता है ।

श्री एस०बी० चौव्हाण : मंत्री महोदय द्वारा वित्त मन्त्रालय के बारे में यह उत्तर दिया गया है और इसका पता लगा पाना कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा ही सम्भव हो सका है ।

अब केन्द्र द्वारा प्रायोजित अनेक योजनाओं को राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया है । कर्मचारियों की संख्या कम करने के बारे क्या किया जा रहा है और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसके बारे में क्या कुछ कार्यवाही की गई है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री आर० वेंकटराम : इसे तरीकों से किया जा रहा है । जब किसी विभाग विशेष द्वारा किसी विशेष पद्धति पर स्टाफ प्राप्त करने का प्रस्ताव किया जाता है तो कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा उस प्रश्न पर विचार किया जाता है और यदि वह एकक यह परामर्श देता है कि

इतनी संख्या अपेक्षित नहीं है तो उसमें कटौती कर दी जाती है। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि उनकी नियुक्ति के बाद, पदों में कमी की जाती हो, उनकी नियुक्ति में पहले कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा उनके द्वारा प्रस्तावित कर्मचारियों की संख्या की आवश्यकता पर विचार कर लिया जाता है और उसे कम कर दिया जाता हैं। जिन पदों को इस प्रकार से कम कर दिया गया है, वह सभी पद भी इन आंकड़ों में शामिल हैं।

जहां तक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का सम्बंध है, उनका हस्तांतरण राज्य सरकारों को केवल गत वर्ष ही किया गया था और इसके अध्ययन से पता चलेगा कि हस्तांतरण के बाद कर्मचारियों में कमी की जा सकती है।

गुजरात में चिट-फण्डों और वित्तीय संस्थाओं का कार्यकरण

* 244. श्री मगन भाई बरोट क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में चिट-फण्डों और इसी प्रकार की अन्य वित्तीय सस्थाओं के कार्यकरण ने हजारों जमाकर्ताओं की जीवन भर की कमाई, जो करोड़ों रुपयों की है, धोखे से हडप ली है,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी वित्तीय सस्थाओं को बन्द करने अथवा अपने अधिकार में लेने तथा जमाकर्ताओं को उनकी जीवन भर की कमाई की धनराशि वापस करने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों और इस प्रकार के लेन-देन में लगे हुए अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) :

(क) से (ग) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गुजरात में इनामी चिट योजना का कारोबार करने वाली कम्पनियों के बारे में कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें कि कम्पनियों द्वारा परिचालित अपनी योजनाओं के अन्तर्गत इनाम तथा चंदे आदि की अदायगी न किये जाने का आरोप लगाया है।

इनामी चिट योजनाओं के परिचालन पर, 12 दिसम्बर, 1978 से इनामी चिट और धन परिचालन योजनाएं (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद से, अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर कोई कार्रवाई करने का अधिकार, अब राज्य सरकारों में निहित है।

जहां तक परम्परागत चिट फंडों को शासित करने का प्रश्न है, यह मामला अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

श्री मगन भाई बरोट : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन चिट फंड कम्पनियों में से कुछ तथा विशेष रूप से रजनीकांत शराफ एण्ड कम्पनी का नाम उन कम्पनियों की सूची में है जिन्होंने अपने लेनदेन के सम्बन्ध में आयकर नहीं दिया है और इस कम्पनी तथा अन्य ऐसी ही कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जो जमा के नाम पर लोगों से रुपया

ले लेती है। उसका अपने ढंग से उपयोग करती हैं। आयकर नहीं देती हैं और इस प्रकार लोगों के साथ धोखा करती हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : किसी एक कम्पनी या किसी कम्पनी विशेष के बारे में सूचना देने के लिए मुझे नोटिस चाहिये। जहां तक ग्राम नीति का सवाल है, उसके बारे में मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। यदि यह इनामी चिट कम्पनी है तो 1978 में पारित किया गया अधिनियम उस पर लागू होगा और उसे अपना कारोबार बन्द करना होगा। यह अधिनियम दिसम्बर, 1978 से लागू हो गया है और राज्य सरकारों से इस अधिनियम के अनुसार कार्यवाही करने के लिए कहा गया हैं। इसलिए यदि यह परम्परागत चिट कम्पनी है तो उसके चिट फंड को विनियमित करने वाला कोई कानून नहीं है परन्तु सरकार का विचार परम्परागत चिटस को नियन्त्रण में लाने सम्बन्धी विधान प्रस्तुत करने का है।

श्री मगन भाई बरोट: मंत्री महोदय के अनुसार नियम चाहे कुछ भी क्यों न हो तथा राज्य सरकार द्वारा उसके बारे में चाहे कुछ भी निदेश क्यों न दिये गये हो, यह कम्पनियां न केवल अपने ही तरीकों से कार्य करती रहती है परन्तु हर रोज अखबारों में उनके विज्ञापन आते रहते है जिनमें कि धन जमा करवाने के लिए कहा जाता है। ब, बड़े समारोहों का आयोजन किया जाता है और यह सारा कुछ सरकार की जानकारी से हो रहा है। चूंकि इस समय गुजरात में केन्द्रीय सरकार का शासन है, अतः क्या मंत्री महोदय से शीघ्र कार्यवाही करने की आशा की जा सकती है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं फिर यह जानना चाहता हूं कि वह इनामी चिट फंड का उल्लेख कर रहे है या परम्परागत चिट फंड का उल्लेख कर रहे हैं। यदि वह इनामी चिट फंड का उल्लेख कर रहे हैं तो इस पर तो 1978 में बनाये गये कानून के अन्तर्गत प्रतिबंध लगा दिया गया था। यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी दें जो इस अधिनियम का उल्लघन कर रहा हो तो उसके विरुद्ध एक कार्यवाही करेंगे। यदि वह परम्परागत चिट फंड की बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो विधान तैयार करना पड़ेगा।

श्री मगन भाई बरोट: मेरा प्रश्न इनामी चिट फंड के बारे में नहीं, अपितु परम्परागत चिट फंड के बारे में था। वह लोगों को धोखा दे रहे है और आये दिन समाचार-पत्रों में उनके विज्ञापन आते रहते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए काफी कठिन होगा क्यों कि माननीय सदस्य का प्रश्न परम्परागत चिट फंड से सम्बद्ध नहीं था। हमें रात को काफी देर तक इसके लिए काम करना पड़ा। यदि इन्होंने स्पष्ट रूप से परम्परागत चिट फंडों के बारे में उत्तर पूछा होता, तो निश्चय ही हमें उत्तर देने में इतनी कठिनाई न होती।

श्री ई० बालानन्दन : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको मालूम है कि सुदर्शन चिट फंड द्वारा अपने ग्राहकों को समय पर धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है जिसके कारण उन्हें संकट का सामना करना पड़ता है और क्या मंत्री महोदय जानते है कि आज कल वहां कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और अन्य बातों के

अलावा वह यह मांग भी कर रहे हैं कि ग्राहकों को भुगतान समय पर कर दिया जाये और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं समझता हूं कि इनका प्रश्न फिर परम्परागत चिटफंड से सम्बद्ध हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह परम्परागत चिटफंड के बारे में है या इनामी चिटफंड के बारे में।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : उन्होंने आपसे प्रश्न पूछा है और आप उनसे उल्टे प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : दोनों फंडों के लिए कानून भिन्न हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि यह परम्परागत चिटफंड के बारे में पूछ रहे हैं या इनामी चिटफंड के बारे में। यदि यह परम्परागत चिटफंड के बारे में है तो उसके बारे में तो कानून बनाना होगा।

प्रो० नारायणचन्द पाराशर: मैं इनामी चिटफंडों के बारे में विशेष रूप से एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने बताया है कि राज्य सरकारों को उस कानून के अनुसार कार्यवाही करने के लिए कहा गया था जो इनामी चिटफंड कम्पनियों के कार्यकरण पर प्रतिबन्ध लगाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को इसके बारे में कब लिखा गया था और किसी राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही की है। यदि की है तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं माननीय मंत्री को इस प्रश्न को पूछने के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं सही स्थिति दे सकता हूं। अनेक कम्पनियों ने संसद द्वारा पारित इनामी चिटफंड अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए अनेक उच्च न्यायालयों में रिट याचिकायें दायर की हैं। सरकार इन सभी अपीलों के सम्बन्ध में पुष्टिकरण हेतु उच्चतम न्यायालय में मामला दायर कर रही है जिससे हमेशा के लिए मामले पर सुनवाई होकर अन्तिम निर्णय हो सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विभिन्न उच्च न्यायालयों में की गई कार्यवाही के बारे में माननीय मंत्री ने बताया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि उन रिट याचिकाओं में किस तरह की शिकायतें की गयीं हैं, क्या कानून की वैधता को चुनौती दी गयी है अथवा क्या अनेक कम्पनियों ने यह तर्क दिया है कि वे इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं परन्तु अधिनियम को उन पर लागू करने का प्रयास किया गया है ? क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या उनके पास आंकड़े हैं, अर्थात् यदि यह प्रतिबन्ध लागू किया जाएगा तो इन कम्पनियों से सम्बन्धित कितने कर्मचारी या व्यक्ति प्रभावित होंगे, क्योंकि एक सुप्रसिद्ध संस्था "पीयरलेस" में 2 लाख व्यक्ति हैं और वहां एक गम्भीर मानवीय समस्या खड़ी हो जाएगी तथा बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। क्या सरकार ने इस पहलू की ओर ध्यान दिया है और यदि दिया है तो, सरकार इस बारे में क्या सोच रही है ?

श्री आर० वेंकटरामन : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, वैधता को अनेक कारणों के आधार पर चुनौती दी गयी है। कुछ ने कानून की वैधता को चुनौती दी है और अन्य ने कानून को उनके विशेष मामले पर लागू करने पर आपत्ति की है। उन्होंने और भी अन्य बातें उठायीं हैं।

जहां तक रोजगार में लगे अनेक लोगों का सम्बन्ध है, इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए। इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। परन्तु मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इनामी चिटफंडों के नाम पर एक बड़ी धनराशि की धोखाधड़ी की जा रही है जिससे समूची सभा यह चाहती है कि इसके लिए कुछ ऐसा विनियम आवश्यक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की बजाय इसे विनियमित करिए।

श्री आर० वेंकटरामन : वास्तव में इनामी चिटफंड एक लाटरी है और इसलिए यह निर्णय किया गया कि इस तरह की लाटरी प्रणाली जारी रखने देना उचित नहीं होगा।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश भर में कार्यरत ऐसी कम्पनियां लोगों को धोखा दे रही हैं क्या सरकार इन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने सम्बन्धी विधान को लाने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

श्री आर वेंकटरामन : मैं फिर कठिनाई में पड़ गया। क्या उनका मतलब परम्परागत ऐसी संस्थाओं से या इनामी चिटफंडो से है। परम्परागत चिटफंडों के बारे में मैंने कहा था कि मैं समुचित विधान लाऊंगा।

प्रत्येक इस्पात संयंत्र में कोयले तथा लोह अयस्क की स्टाक स्थिति

*245 **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या इस्पात और खान मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा--पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में सरकारी अथवा गैर--सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक इस्पात संयंत्र में कोयले तथा लोह-अयस्क की, पृथक-पृथक नवीनतम स्टाक स्थिति क्या है, और

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में कोककर कोयले तथा लौह-अयस्क के उपलब्ध स्टाक की नवीनतम स्थिति नीचे दी गई है :

(हजार टन)

	कोककर कोयला (25.3. 1980 को)	लौह--अयस्क (15.3.1980 को)	
		डले	चूरा
भिलाई इस्पात कारखाना	49.4	235	154
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	16.9	44	23
राउरकेला इस्पात कारखाना	14.2	55	58
बोकारो इस्पात कारखाना	39.3	25	81
टिस्को	8.8	61	–

जहां तक टिस्को का सम्बन्ध है स्थिति इस प्रकार है --

(हजार टन)

कोककर कोयला (25.3.1980 को)	लौह--अयस्क (18.3.1980 को)
24.2	65

(ख) : जहां तक लौह--अयस्क की स्टाक की स्थिति का सम्बन्ध है यह सामान्यतः सन्तोषजनक है तथा इसके लिए कोई विशेष कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक कोककर कोयले का सम्बन्ध है, इसके स्टाक में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं :—

1. कोककर कोयले की अधिकाधिक सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोयला उत्पादकों (कोल इंडिया लि०, भारत कोकिंग कोल लि० आदि) और ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत उत्पादन करने वाली इकाइयों जैसे दामोदर घाटी निगम तथा राज्य विद्युत बोर्ड भी शामिल है) के साथ निकट तथा सतत् सम्पर्क रखा जा रहा है,

2. एक समन्वय कक्ष, जिसमें सेल का प्रतिनिधि भी है, कोयला सप्लाई करने वाले अभिकरणों तथा रेलवे के साथ दिन-प्रतिदिन आधार पर सतत् सम्पर्क बनाए हुए है ताकि डिब्बे पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर उपलब्ध हो और माल से भरी गाड़ियों का परिवहन शीघ्र हो सके,

3. औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल की एक समिति कोयला तथा बिजली की सप्लाई और रेल--यातायात की स्थिति का प्रत्येक सप्ताह जायजा लेती है,

4. कोयला खानों को तदर्थ आधार पर उच्च प्राथमिकता देकर बिजली की सप्लाई बढ़ाई जा रही है ताकि बिहार-पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, जो देश में कोककर कोयले के उत्पादन का मुख्य स्रोत है, कोककर कोयले के उत्पादन में वृद्धि की जा सके,

5. देशीय सप्लाई में वृद्धि करने और धमन-भट्ठियों में इस्तेमाल किए जाने वाले कोक की क्वालिटी में सुधार करने के लिए 12 लाख टन अच्छी किस्म का कम राख वाला कोककर कोयला आयात करने के लिए समय पर कदम उठाए गए। सरकार वर्ष 1980--81 की अवधि में भी कोककर कोयले का और आयात करने की नीति पर विचार कर रही है ताकि इस प्रकार की सप्लाई लगातार बनी रहे।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कच्चे माल की समन्वित इस्पात संयंत्रों को सप्लाई के सुधार के बारे में 5 बातें उठायी हैं। महोदय, आप जानते हैं कि इन्डियन आयरन स्टील कम्पनी की अपनी रक्षित कोयला खानें हैं और भिलाई की भी अपनी रक्षित कोयला खानें हैं। (व्यवधान) मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के सुधार के लिए सरकार इस संयंत्र के लिए रक्षित कोयला खानों और लौह अयस्क खानों पर विचार कर रही है।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक कोककर कोयला नियतन का सम्बन्ध है, पहले हमने तीन प्रकार के कोककर कोयला—चूना, मझोले और मिश्रित के लिए एजेन्सियों का पता लगाया है। प्रत्येक क्षेत्र और संगठन का पता लगाया जाता है और उसे विभिन्न इस्पात मिलों के साथ संबद्ध कर दिया जाता है। जहां तक इस्पात मिलों, जिनकी अपनी रक्षित खानें हैं, का सम्बन्ध है, वे

इन रक्षित खानों का उपयोग करती है। अन्यथा, ये संगठन उस किस्म का कोककर कोयला जुटाते हैं, जिसकी मांग की जाती है। इस श्रेणी में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र भी आता है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में इस बात का जिक्र किया है कि कच्चे माल की स्टाक स्थिति 'संतोषजनक' मानी जा सकती है। परन्तु दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं, मेरी समझ में वे 'संतोषजनक' नहीं हैं। दुर्गापुर इस्पात, ए० एम० पी० संयंत्र और इंडियन आयरन स्टील कम्पनी के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या सरकार के पास इन इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव है।

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक 'संतोषजनक' शब्द का सम्बन्ध है, यह पूरी तरह संगत है। वास्तव में पहले की और आज की स्थिति की तुलना करते हुए मैंने इस 'संतोषजनक' शब्द का प्रयोग किया। परन्तु जहां तक सुरक्षा सीमा का सम्बन्ध है, हमें सन्तोष नहीं है, क्योंकि सुरक्षा सम्बन्धी सीमा के लिए 3.5 लाख टन की जरूरत है और 'संतोषजनक' स्थिति के लिए 5 लाख टन की जरूरत है जबकि 26 मार्च को हमारे पास 1.5 लाख टन था। अतः सापेक्ष रूप से इसमें सुधार हो गया है, क्योंकि यह कम होकर 1.5 लाख टन रह गया और उससे यह बढ़कर 1.69 लाख टन हो गया है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के विस्तार और आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में मैंने इस सभा में पहले ही बता दिया था कि एक ब्रिटिश इस्पात कम्पनी को एक तकनीकी सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कहा गया है। वह एक दो महीने में प्रतिवेदन देने वाले हैं। इसके पश्चात् आधुनिकीकरण कार्यक्रम को हाथ में लिया जाएगा।

प्रो मधु दंडवते : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि खानों से पर्याप्त कोयला उपलब्ध है और इस्पात संयंत्रों को कोयला समुचित रूप से जा रहा है, क्योंकि धोवनशालायें भलीभांति रूप से काम नहीं कर रही हैं। इसके फलस्वरूप इस्पात संयंत्रों के लिए कोयले की कारगर ढंग से उपलब्धि कम है और यदि यह सही है तो दोष का उपचार करने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री प्रणब मुखर्जी : यही एक कारण है जिसकी वजह से हम उपलब्ध कोयले के स्टाक का उपयोग नहीं कर सकते। उस कोककर कोयले की मात्रा और किस्म के बारे में भी जिसका उपयोग हम अपने इस्पात संयंत्रों में कर रहे हैं, यह धोवनशालाओं के पूर्ण उपयोग पर निर्भर करता है। इनकी जरूरतें पूरी करने में एक कठिनाई बिजली की है जिसमें हम सुधार नहीं कर सकते। इसी कारण कोयला क्षेत्र को बिजली की सप्लाई में प्राथमिकता देने के लिए एक निर्णय लिया गया है जिससे वे तापीय विद्युत केन्द्रों की जरूरतें पूरी कर सकें और वे धोवनशालाओं के कार्यकरण में भी सुधार ला सकें।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आपने धोवनशालाओं में सुधार लाने की आशा छोड़ दी है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : हां।

प्रो० मधु दंडवते : वह कहते हैं कि उन्होंने आशा छोड़ दी है।

श्री प्रणब मुखर्जी : नहीं, नहीं, हम आशा क्यों छोड़ दें ?

प्रो० मधु दंडवते : परन्तु आपने अनमने ढंग से हां कहा है।

श्री निरेन घोष : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि इस विशेष इस्पात संयंत्र की क्षमता कितनी है और लौह-अयस्क तथा कोककर कोयला, आदि की उपलब्धि कितनी है ? तुलनात्मक अनुपात क्या है और इस अनुपात के अनुसार कमी कितनी है ?

दूसरे, जहां तक कोककर कोयले का सम्बन्ध है क्या धोवनशालाओं की समस्याओं के कारण इसकी भारी कमी है ? यद्यपि हमारे देश में प्रचुर मात्रा में कोयला है, फिर भी क्या आप कोयले का आयात करने वाले हैं और यदि यह सही है तो आप इस पर कितनी विदेशी मुद्रा नष्ट करने जा रहे हैं ?

श्री प्रणब मुखर्जी : सदस्य महोदय जिस अनुपात के बारे में जानना चाहते हैं, उसके आंकड़े मैं देता हूं। जहां तक कोकिंग कोयले का सम्बन्ध है, 1979-80 में 16,423 लाख टन का कार्यक्रम था; वास्तव में 12,900 लाख टन कोयला उपलब्ध हुआ और 21.5 प्रतिशत की कमी रही। कोकिंग कोयले की उपलब्धता और आयात के विषय में माननीय सदस्य भली भांति जानते हैं कि 12 लाख टन कोकिंग कोयला आयात करने का निर्णय लिया गया था। 10 लाख टन तो पहले ही पहुंच चुका है और 2 लाख टन इस महीने के अन्त तक पहुंच जाने की आशा है। परन्तु भविष्य में कोकिंग कोयले के आयात का जहां तक संबंध है, मामला विचाराधीन है। इस संबंध में दो दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा रहे हैं— एक तो यह कि हमें कोकिंग कोयले का देश में ही मात्रावार और गुणवार उत्पादन बढ़ाना चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए और यह भी कि हमें आयात नहीं करना चाहिए। सरकार ने इस संबंध में कोई पक्का निर्णय नहीं किया है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, देश में अच्छे किस्म के कोकिंग कोल और इस्पात की इतनी कमी हो रही है कि सरकार को इन दोनों चीज़ों को बाहर से मंगाना पड़ रहा है, और मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि कोकिंग कोल पिट हैड पर काफ़ी जमा है और स्टील प्लान्ट्स पर आयरन और काफ़ी जमा है। तो बिहार में हजारों बाग में जहां आधा दर्जन कम से कम अच्छे कोकिंग कोल की माइन्स हैं जिनका अभी भी प्राइवेट लोग चला रहे हैं सरकार को न उस बारे में कोई जानकारी देते हैं और न सरकार ही कुछ कर पा रही है। तो इस दिशा में भी वह कुछ करने का प्रयास करेंगे ?

श्री प्रणब मुखर्जी : इसमें सन्देह नहीं है कि निजी खनन एक समस्या है। मैं यह तो नहीं जानता कि यह कहां हो रहा है परन्तु सरकार गैर-कानूनी निजी खनन रोकने का प्रयास कर रही है। जहां तक लौह अयस्क और कोकिंग कोयले के स्टाक का 'पिट हैड' पर जमा होने का सम्बन्ध है, यह सच है कि परिवहन भी एक समस्या है जिसके कारण हम इस्पात संयन्त्रों को इन्हें उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। मैं पहले ही इसका उल्लेख कर चुका हूं। हम बार-बार बिजली और परिवहन के प्रश्न की ओर आ रहे हैं।

कच्चे कानू की कमी

*246 **पी० पी० के कोडियन** : क्या वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे काजू की कमी के कारण काजू उद्योग लगभग ठप्प हो गया है ;

(ख) इस कमी के कारण क्या है ;

(ग) क्या कच्चे काजू का आयात बढ़ाकर यह कमी दूर करने के लिए कोई विशेष प्रयास किये जा रहे है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री(श्री जियाउर रहमान अंसारी) :

(क) से(ग) भारतीय काजू उद्योग प्रोसेसिंग के लिए अपनी आवश्यकता की आंशिक पूर्ति के लिए परम्परागत रूप से कच्चे काजू के आयात पर निर्भर करता रहा है । कुछ समय से पूर्व अफ्रीकी देशों अर्थात् तंजानिया, मोजम्बिक और केन्या में, जो हमारे परम्परागत सप्लायर रहे हैं, निर्यात योग्य अधिशेष काफी घटा है क्योंकि उनकी अपनी प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हुई है और साथ ही उनके उत्पादन में काफी गिरावट आई है । इसके अलावा, जबकि पहले भारत विदेशों में उपलब्ध परिपूर्ण कच्चे काजू का एकमात्र खरीदार रहा करता था, अब उपलब्ध कच्चे काजू की खरीद के लिए चीन, ब्राजील और हांगकांग जैसे देशों के साथ तीव्र प्रतियोगिता है । परिणामस्वरूप भारतीय काजू निगम द्वारा, जिसकी मार्फत कच्चे काजू का आयात मार्गीकृत है, उसका आयात काफी घट गया है जिससे प्रोसेसिंग के लिए कच्चे काजू की कमी के कारण काजू प्रोसेसिंग उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं ।

भारतीय काजू निगम कच्चे काजू की सप्लाई के लिए मेडागास्कर, सेनेगल, नाईजीरिया और गिनी जैसे गैर-परम्परागत स्रोतों को विकसित करने की कोशिश करता रहा है । जुलाई, 1979 में आयातों को बढ़ावा देने के लिए वास्तविक उपयोगकर्ताओं को अधिकांशतः पश्चिम अफ्रीकी तट पर स्थित गैर-परम्परागत स्रोतों से कच्चे काजू का आयात करने की अनुमति दी गई । 1980 के लिए काजू निगम केन्या के कच्चे काजू के समस्त निर्यात योग्य अधिशेष को खरीदने के लिए उस देश के साथ संविदा करने में सफल हुआ है ।

श्री पी० के० कोडियन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य में कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से परम्परागत स्रोतों से किए जाने वाले आयात में गिरावट आई है । क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि देश के दूसरे बड़े विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले उद्योग के रूप में तथा उद्योग को जिन संकटों से गुजरना पड़ा है उसे देखते हुए क्या सरकार परम्परागत और गैर-परम्परागत दोनों स्रोतों से उच्चतम स्तर पर, सरकारी स्तर पर आयात करने के प्रश्न पर विचार करेगी बजाए इसके कि आयात को भारतीय काजू निगम पर छोड़ा जाए जो इसमें असफल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका निश्चित प्रश्न क्या है ।

श्री पी० के० कोडियन : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार भारतीय काजू निगम पर आयात छोड़ने की बजाए इस प्रश्न को उच्चतम स्तर पर, सरकारी स्तर पर उठाएगी ?

श्री जियाउर रहमान अन्सारी : भारतीय काजू निगम कच्चे काजुओं की सप्लाई हेतु गैर-परम्परावादी स्रोतों को विकसित करने का प्रयत्न कर रही है जैसे कि मैडगास्कर और

अन्य देश तथा इस तथ्य को देखते हुए कि कच्चे काजू की काजू उद्योग के लिए सप्लाई कम है इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

श्री पी० के० कोडियन : इस उद्योग को कच्चे काजू के आयात में कमी के अतिरिक्त एक अन्य गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। केरल राज्य में इसका जितना उत्पादन होता था वह राज्य सरकार द्वारा खरीदने का प्रयास किया जाता था परन्तु निजी काजू परिष्करणकर्त्ता कच्चे काजू की तस्करी करके पड़ौसी राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु में ले जाने का प्रयत्न करते हैं। वे उनको वहां सस्ते श्रम पर प्रोसेसिंग करते हैं क्योंकि वहां मजदूरी दर अपेक्षाकृत कम है। इस संकट को देखते हुए राज्य सरकार केन्द्र से अनुरोध करती रही है कि वह दक्षिणी राज्यों को समान मजदूरी नीति अपनाने पर बल दे ताकि राज्य से काजू की तस्करी को रोका जाए। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : एक क्षेत्रीय मजदूरी नीति बनाना संभव नहीं है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को पड़ौसी राज्यों की सरकारों जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार से उठाएं। एक क्षेत्र के लिए मजदूरी नीति बनाना संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक राज्य को मजदूरों और श्रमिकों की मजदूरी नियत करने का अधिकार है।

श्री वी० के० नायर : माननीय मंत्री महोदय ने इस बात से इन्कार नहीं किया है कि व्यापार में गम्भीर संकट उठ खड़ा हुआ है। संकट तो है ही। कच्चे काजू के आयात से संबंधित नीति के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि किस सीमा तक आयात किया गया है-निजी एजेन्सियों और सरकार द्वारा। यह कहा गया है कि वे जांच पड़ताल कर रहे हैं और स्रोतों का पता लगा रहे हैं? अब तक किस सीमा तक आयात किया गया है? मैं वर्तमान वर्ष में अब तक किए गए आयात के आंकड़े चाहता हूं।

श्री जियाउर रहमान अन्सारी : यह 5000 टन है।

श्री दिग्विजय सिंह : क्या मंत्री महोदय हमें बता सकते हैं कि आयातित कच्चा काजू देश के उत्पादन का कितने प्रतिशत है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री जियाउर रहमान अन्सारी : आयात प्रतिवर्ष कम हो रहा है। वर्ष 1971-72 में 1,57,300 मीट्रिक टन कच्चे काजू का आयात किया गया जबकि उत्पादन 66,000 मीटरी टन था। अब स्थिति यह है। वर्ष 1978-79 में हमारा कच्चे काजू का उत्पादन लगभग 1,20,000 टन था जबकि आयात 24,200 टन था।

वास्तव में इस समस्या का सही समाधान यह है कि देश में कच्चे काजू का उत्पादन बढ़ाया जाये। इस प्रयोजनार्थ भारतीय काजू निगम ने देश में काजू के उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य सरकारों की सहायता करने का कार्य आरम्भ किया है। इस योजना के अधीन भारतीय काजू निगम ने काजू की खेती के लिए राज्यों द्वारा प्रायोजित निर्यातोन्मुख पर्यावरण

योजना के लिए 4 से 5 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। यह कृषि मंत्रालय द्वारा काजू की खेती के विकास के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त है।

महोदय, काजू के उत्पादन में वृद्धि के लिए विश्व बैंक से भी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री अर्जुन सेठी

निम्न और मध्यम आय वर्ग को रिहायशी मकान बनाने के लिए इस्पात का आबंटन

247. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाजार में इस्पात के बढ़ते हुए मूल्य को ध्यान में रखते हुए निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को रिहायशीमकान बनाने के लिये स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी के माध्यम से इस्पात आबंटित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का क्या ब्यौरा है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा इस्पात और खान मंत्री : श्री प्रणब मुखर्जी : (क) और (ख) : छोटे मकान बनाने वालों को प्रत्येक मामले में अधिकाधिक 5 टन इस्पात स्टाकयार्ड मूल्यों पर सप्लाई करने के लिए संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा बनाई गई एक योजना पहले से ही चल रही है। इस योजना के अधीन आवेदन-पत्रों पर बड़े-बड़े केन्द्रों में इस प्रयोजन के लिए बनाई गई तदर्थ समितियों द्वारा विचार किया जाता है बशर्ते कि आवेदन-पत्र के साथ नगर निगम अथवा स्थानीय निकाए द्वारा मंजूर किया गया मकान का नक्शा और भवन निर्माण विशारद् का प्रमाण-पत्र भेजा गया हो। आपूर्ति की व्यवस्था उपलब्धि के अनुसार की जाती है। इस प्रयोजन के लिए 6 मि० मी० से 20 मि० मी० के साईजों में प्लेन और टार-स्टील दोनों प्रकार की छड़ों और गोल छड़ों की कुछ मात्रा अलग रख दी जाती है।

श्री अर्जुन सेठी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि आपूर्ति की व्यवस्था उपलब्धि के अनुसार की जाती हैं। हम जानते हैं कि मांग की अपेक्षा पूर्ति बहुत कम है। अतः क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि निम्न और मध्यम आय वर्गों के लोगों को इस्पात उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या विशिष्ट कदम उठाने का विचार रखती है ताकि उनकी मांग या आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैंने जैसा कि पहले कहा है यह उपलब्धि पर निर्भर करता है। जब तक हम इस का उत्पादन नहीं करेंगे तब तक इसकी सप्लाई में वृद्धि करना संभव नहीं होगा। जहां तक मौजूदा वर्ष में इस्पात आपूर्ति का संबंध है, हम मकान बनाने वालों को 21,000 टन उपलब्ध करा सके हैं।

श्री अर्जुन सेठी : आप जानते हैं कि इस्पात की कीमतें आकाश को छू रही हैं और आम व्यक्ति के लिए या मध्यम आय वर्ग के लिए इसे खरीदना संभव नहीं है। सरकार इस्पात की

कीमतों को एक उचित स्तर तक नीचे लाने के लिए क्या कदम उठाना चाहती है ताकि कीमतें गिर जाएं और संबंधित व्यक्तियों को लाभ मिल सके ?

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक स्टाकयार्ड से पूर्ति का संबंध है, मैंने अपने मुख्य उत्तर में यह पहले ही बता दिया है कि सप्लाई स्टाकयार्ड कीमतों पर की जाती है। परन्तु जहां तक सम्पूर्ण मूल्यों को नीचे लाने का प्रश्न हैं, उपभोक्ताओं की एक श्रेणी विशेष के लिए ऐसा करना संभव नहीं है।

श्री एम०एम० लारेंस : इस्पात की चीजों के मूल्य में वृद्धि के कारण देश की जनता विशेष रूप से छोटे और मध्यम किसान अत्यधिक कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, विशेष रूप से तब जब कि कृषि औजारों के मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि कीमतों को कम करने के लिए तथा कृषि औजारों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ताकि किसान इन्हें घटी दरों पर प्राप्त कर सके।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, प्रश्न का संबन्ध मकान बनाने के लिए इस्पात की सप्लाई से संबंधित है।

श्री छोटूभाई गामित : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को पता है कि इस्पात की काला बाजारी होती है और क्या सरकार इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाई करना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : निश्चित ही ऐसा करते हैं।

अगला प्रश्न श्री लक्कप्पा।

बैंकिंग संस्थाओं के प्रमुखों की बैठक

*248. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी-क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए बैंकिंग संस्थाओं के प्रमुखों की एक बैठक बुलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो समाज के कमजोर वर्गों की दशा सुधारने के लिए बैंकिंग संस्थाओं को क्या-क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गये हैं ;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों तथा नगरों के निर्धन लोगों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या अन्य कार्यवाही की गई है ; और

(घ) 20-सूत्री कार्यक्रम को पूर्णरूपेण क्रियान्वित करने के लिए उनके मंत्रालय का विचार क्या विशेष कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) :

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) से (घ) :— सरकारी क्षेत्र के बैंक, जिन उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण देते हैं उनमें से 20 सूत्री कार्यक्रम से लाभान्वित होने वालों का अधिकांश आ जाता है। उपर्युक्त बैठक में, 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बैंकों की भागीदारी को पुनः सशक्त बनाने के उद्देश्य से मोटे तौर पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकले :—

(1) बैंक अगले पाँच वर्षों में अपने कुल ऋण में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के हिस्से को 33.3 प्रतिशत के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रयास करेंगे । इस कुल लक्ष्य के भीतर एक महत्वपूर्ण भाग, 20-सूत्री कार्यक्रम के लाभान्वितों को प्रदान किया जायेगा ।

(2) बैंक अपनी जिला ऋण आयोजनाओं के एक अंग के रूप में 20–सूत्री कार्यक्रम के लाभान्वितों की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष योजनाएं तैयार करेंगे ।

(3) विभेदी ब्याज दर योजना तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने के कार्यक्रम को जोरदार तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा ।

(4) रिजर्व बैंक 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विभिन्न बैंकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए सूचना प्राप्त करने को एक प्रणाली तैयार करेगा ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने उपयुक्त निर्णयों के अनुसरण में दो कार्यकारी दल नियुक्त किये हैं । एक कार्यकारी दल, बैंकों द्वारा 20–सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के तरीकों के बारे में जांच करके रिपोर्ट करेगा । दूसरा कार्यकारी दल, 20–सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य वाले (टारगेट) समूहों को सहायता देने में बैंकों द्वारा की गई प्रगति को सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में आंकड़े इकट्ठे करने की प्रणाली का पुनरीक्षण करेगा ।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 20 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित है । अर्थात् बैंकिंग संस्थाओं के प्रमुखों की बैठक बुलाने के संबंध में है। मैंने वक्तव्य पढ़ लिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप को कोई आपत्ति है ?

श्री के० लकप्पा : मैंने माननीय मन्त्री महोदय द्वारा रखे गए वक्तव्य को बड़े ध्यान से पढ़ा है । मेरा प्रश्न 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने से संबंधित है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई निश्चित प्रश्न पूछिए ।

श्री के० लकप्पा : मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि 20 सूत्री कार्यक्रम को पूर्णतया लागू करने के लिए न तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और न ही निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कोई कार्य किया गया है और पिछले ढाई वर्षों में कई राज्य सरकारों ने इसकी बिल्कुल उपेक्षा की है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री के० लकप्पा : मैं जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों के इन प्रमुखों के नाम क्या हैं जिनकी बैठक हुई और 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या निर्णय लिए गए ।

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, आप दो ट्राफियां देनी शुरु करें, एक लघुतम प्रश्न के लिए और दूसरी लघुतम उत्तर के लिए ।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, पिछली सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया गया । 20 सूत्री कार्यक्रम 1977 से पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा आरम्भ किया गया

था । अब सत्ता में वापस आने के पश्चात् हम 20 सूत्री कार्यक्रम को पुन. आरम्भ कर रहे हैं और बैंकों से कह रहे है कि उन सभी शीर्षों के लिए बैंक सहायता उपलब्ध कराएं जिनमें इसकी आवश्यकता हो । मैंने राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई और फिर उनसे अग्रता क्षेत्र के लिए ऋण की राशि को 33.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 40% करने को कहा । रिजर्व बैंक ने दो समितियां नियुक्त की है –एक समिति तो इन विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी कि बैंक सहायता से 20-सूत्री कार्यक्रम को कैसे कार्यान्वित किया जाए और उनका कहना था कि वे यह देखेंगे कि क्या यह सहायता अपेक्षित और जरूरतमन्द लोगों तक पहुंचती भी है । अतः इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति है और इस बात से श्री लकप्पा के प्रश्न का पूरा उत्तर मिल जाता है ।

श्री ह० लकप्पा (तुमकुर) : वित्त मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से उठने वाला मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने 20-सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए अत्यन्त ही गम्भीर दृष्टिकोण अपनाया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस सच्चाई का पता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्रबन्ध—इन विभिन्न बैंकों से सम्बद्ध अफसर शाही—निजी बैंकों सहित कमजोर वर्ग के लोगों की ऋण लेने की आवश्यकता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहे हैं और प्रक्रियागत उलझनें और विलम्ब सामने आये हैं । वे ही लोग वहां घुसे बैठे हैं जो इस 20-सूत्री कार्यक्रम में और समाज के कमजोर वर्ग की उन्नति में विश्वास नहीं रखते । क्या मंत्री महोदय इस मामले को दो उन वर्गों को भेजेंगे जो वह इस पहलू पर विचार करने के लिए बनाना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंकों के प्रशासन में आमूल सुधार किया जाये ताकि स्थिति से आसानी से निपटा जा सके । बीस-सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये देश के कमजोर वर्गों के लिए सरकार गारन्टी का भी काम कर सकती है ।

श्री आर० वेंकटरामन : जिस ढंग से बैंक बीस-सूत्री कार्यक्रम को लागू करते रहे हैं उसके विरुद्ध माननीय सदस्य को अनेक शिकायतें थीं । महोदय, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो कि आलोचना को पूर्णरूप से न्यायसंगत नहीं ठहराते, यद्यपि सुधार की भी गुंजाइश है । मैंने जो कुछ कहा है वह यह है कि हमने इस देश की इन भावनाओं को नोट कर लिया है कि समाज के संवेदनशील वर्गों और कमजोर वर्गों को अधिक सहायता दी जानी चाहिये । इसलिये इस समिति का गठन हमने केवल यह देखने के लिये नहीं किया है कि इन वर्गों को सहायता दी जाती है अपितु यह भी देखने के लिये किया है कि क्या यह हमारे निर्देशों के अनुसार दी जाती है । अतः मैं माननीय सदस्यों से 3 या 4 मास तक प्रतीक्षा करने और बैंकों के कार्य करने के ढंग को परखने का निवेदन करूंगा । और यदि फिर भी वे कोई विशिष्ट सुझाव लेकर आते हैं और कोई त्रुटि बताते हैं तो हम उन त्रुटियों को सुधार लेंगे ।

श्री सतीश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, देहाती क्षेत्रों मे बहुत से ऐसे गांव हैं जहां से बैंकों की दूरी बहुत काफी है और बैंक उन गांवों को अपने आपरेशन एरिया में लेना नहीं चाहते हैं । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या सभी देहाती इलाकों को बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों के आपरेशन एरिया में लेने का आदेश दिया जायेगा ?

श्री आर० वेंकटरामन : इस प्रकार के गांवों में सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों की स्थापना करने का इरादा है। यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि विशेष या विशिष्ट क्षेत्र सम्मिलित किया जाए तो तब सरकार इस पर विचार करेगी और फिर रिज़र्व बैंक को अपनी सिफारिशें भेजेगी।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : अध्यक्ष महोदय, बैंकों से गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए लोन लेने के सिलसिले में जो प्रोसीजर है वह इतना लम्बा और थका देने वाला है कि लोग परेशान होकर बैठ जाते है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो मौजूदा प्रोसीजर है क्या उसको इतना आसान बनाने की कोशिश करेंगे कि जो गरीब आदमी अपनी तरक्की के लिए लोन लेना चाहें उनको जल्दी से जल्दी लोन मिल जाए ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है तो ठीक है।

श्री आर० वेंकटरामन : हमने प्रक्रिया को सुप्रवाही और दोषविहीन बनाने के उपाय किये गये हैं। असल में आवेदन पत्रों को दोषविहीन बना दिया गया है। आवेदन-पत्र की पिछली ओर हमने उन सबका ब्यौरा दिया है जिनके लिए उनको ऋण तथा अन्य सभी सुविधाएं मिल सकेंगी।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जो बैंकें देहाती क्षेत्रों में खोली गई हैं उनका लाभ गांवों में रहने वाले बड़े किसान ट्रैक्टर, मिनी बस इत्यादि खरीदने में उठा लेते हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या वे यह निर्णय लेंगे कि बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक लोन गरीब तथा पिछड़े हुए तबके के लोगों को देने की व्यवस्था की जाए।

श्री आर० वेंकटरामन : एक प्रतिशत ऋण राशि उन लोगों को उधार देने के लिए आरक्षित रखी जाती है जिनके पास सीमांत और उप सीमांत कृषि-फार्म है। वह 4 प्रतिशत की रियायती दर पर दिया जाता है जिसे डी० आर० आई० कहते हैं। हमने यह भी कहा है कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से मिलने वाली जमा राशि को उसी क्षेत्र को उधार दे दिया जाना चाहिये। इससे यह निश्चित हो जायेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमा धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के उपयोग में ही लाई जायेगी।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि केवल अमीर किसानों को ही लाभ मिल पाता है तो मैं बता देना चाहता हूं कि हमने प्रक्रिया को इस प्रकार दोषमुक्त बना दिया है कि जिन लोगों को एक हजार रुपये तक का ऋण चाहिये उनको किसी प्रकार की गारन्टी, किसी प्रकार का मुचलका या प्रतिभूति देने की आवश्यकता नहीं है और जिन लोगों को कृषि तथा सम्बद्ध कामों के लिये पांच हजार रुपये तक का ऋण चाहिये तो वे अपनी फसल आदि की प्रतिभूति या गारन्टी दें तो इसे पर्याप्त समझा जायेगा। अतः कमजोर वर्ग के लोगों के लिए हमने सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं।

श्री सुनील मैत्रा : केन्द्रीय सरकार के पास जबकि बीस-सूत्री कार्यक्रम है, पश्चिमी बंगाल सरकार के पास 36 सूत्री कार्यक्रम है। 36-सूत्री कार्यक्रम के अधीन, पश्चिमी

बंगाल सरकार ने पचास हजार बटाई पर खेती करने वालों तथा गरीब किसानों को बैंकों से ऋण देने को कहा है । क्या केन्द्रीय सरकार उन नौ राज्यों को भी जो कि प्रत्यक्षतः उसके नियंत्रण में हैं राज्यों के लोगों पर इस योजना को लागू करने के लिये--प्रेरित करेगी ?

श्री आर० वेंकटरामन : 20–सूत्री कार्यक्रम के अधीन भी, हिस्सेदारी पर खेती करने वालों अर्थात उन लोगों को जिनके पास जमीन नहीं हैं, ऋण मिल सकता है । यदि कहीं यह सुविधा उपलब्ध नहीं की गई है तो हमें सूचित किया जाये और हम रिजर्व बैंक से उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये कहेंगे ।

श्री आर० एल० भाटिया : बैंक प्रबन्धकों का रवैया आमतौर कृषि के क्षेत्र में धन निवेश की उपेक्षा करने का है, क्योंकि उनमें से अधिकाश लोग नगरों से आते हैं और वे कृषि क्षेत्र में रुचि नहीं रखते । क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि क्या विभिन्न बैंकिंग संस्थानों के अध्यक्षों के साथ उनकी बैठकों में बैंक प्रबन्धकों के रवैये पर कभी चर्चा हुई और क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन कृषि क्षेत्र में निवेश करने का कोई प्रतिशत निर्धारित किया गया है ?

श्री आर० वेंकटरामन : बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋण में से चालीस प्रतिशत 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन आने वाले क्षेत्रों को मिलाकर अग्रता वाले क्षेत्रों के लिये आरक्षित रखा जाता है । मैं राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि के लिये किये गये निवेश के आंकड़े आपको दूंगा । वर्ष 1976 में, अर्थात जून, 1976 में समाप्त होने वाले वर्ष में प्रत्यक्ष रूप में तो 726 करोड़ रुपये और अप्रत्यक्ष रूप में 277 करोड रुपये दिये गये थे । अगले वर्ष 1977 में 950 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष रूप में और 324 करोड़ रुपये अप्रत्यक्षरूप में दिये गये थे । 1978 में 1234 करोड़ रुपये प्रत्यक्षरूप में और 424 करोड़ रुपये अप्रत्यक्ष रूप में दिये गये थे । वर्ष 1979 में 1686 करोड़ रुपये प्रत्यक्षरूप में और 557 करोड़ रुपये अप्रत्यक्षरूप में दिये गये थे । यह तो राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में है इसके अतिरिक्त 1440 करोड़ रुपये का सहकारी ऋण भी दिया जाता है । इसके अलावा, गैर–राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी ऋण मिलता है ।

उत्पादन संबंधी प्रयोजनों के लिये कृषकों को ऋण

*749. श्री के० राममूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश दिये गये हैं कि वे उत्पादन कार्यों के लिये कृषकों को 4,500 रुपये तक के ऋण मंजूर करने के लिए कोई गारन्टी लेने पर आग्रह न करें; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख): जी, हां । रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह परामर्श दिया है कि वे जमानत के संबंध में कुछ ऐसे मानदण्ड अपनायें जिनके अनुसार कृषि और सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए 5000 रुपये तक के ऋणों के सम्बन्ध में किसी तीसरे पक्ष

(थर्ड पार्टी) की गारन्टी की जरूरत न हो। इस प्रकार के ऋण फसलों को अथवा जिन मामलों में ऋण राशि से कोई चल परिसम्पत्ति निर्मित की गई हो उनमें उस चल परिसम्पत्ति को दृष्टबंधक रखकर ऋण दिये जाते हैं। एक हजार रुपए तक के छोटे ऋणों के मामले में एक और रियायत दी जाती है, इस तरह के मामलों में माँग वचन पत्र (डिमांड प्रामिसरी नोट) अथवा एक ऋण समझौते को पर्याप्त जमानत माना जाता है।

श्री के० रामामूर्ति : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों को मिलाकर वाणिज्यिक बैंकों को केवल यह सलाह दी है कि बिना किसी प्रकार की तीसरे व्यक्ति की गारन्टी के 5000/– रुपये तक का ऋण दिया जाये। सबसे पहले तो मैं इस निर्णय के लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं। परन्तु क्या सरकार इस महत्वपूर्ण मामले पर बैंकों को सलाह देने के बजाय, उनको इस नीति को लागू करने के निर्देश देगी ?

श्री आर० वेंकटरामन : रिजर्व बैंक को सरकार की सलाह सदैव मान्य होती है। किसी प्रकार के निर्देश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्देश तब दिये जाते है जब सलाह को स्वीकार नहीं किया जाता या उस पर अमल नहीं किया जाता।

श्री के० रामामूर्ति : इन ऋणों के सम्बन्ध में जो किसानों को बिना किसी तीसरे व्यक्ति की गारन्टी या प्रतिभूति के दिये जाने हैं, क्या सरकार उन्हें डी० आर० आई० योजनाओं के अधीन और ब्याजमुक्त ऋण मानेगी ? दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के उच्च स्तरीय प्रबन्धकों को इस 20-सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में कोई विश्वास ही नहीं है। उन लोगों के मामले में जिन्हें पिछली सरकार ने राजनैतिक स्तर पर नियुक्त किया था, क्या यह सरकार उन्हें बदलने का हौसला रखती है और क्या 5000/– रुपये और 1000/– रुपये की ऋण योजना को डी० आर० आई० के अधीन माना जायेगा ?

श्री आर० वेंकटरामन : यह तो परिकल्पित प्रश्न है। यदि बैंकों के प्रबंधक या मुख्य कार्यकारी सरकार की सलाह पर ध्यान नहीं देते तो तब रिजर्व बैंक अनिश्चितरूप से उसे लागू करने के लिये उचित कार्यवाही करेगा।

श्री के० रामामूर्ति : पहले प्रश्न का उत्तर देते समय मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि भूतपूर्व सरकार द्वारा उच्च स्तर पर नियुक्त किये गये प्रबन्धकों ने 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू नहीं किया है। वे ही प्रबन्धक लोग इस कार्यक्रम को अब कैसे लागू करेंगे ? मंत्री ने स्वयं ही कहा है कि गत सरकार ने 20-सूत्री कार्यक्रम को लागू नहीं किया।

श्री आर० वेंकटरामन उस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। कुछ भी हो सरकारी कर्मचारियों को तो सरकार के निर्देश मानने ही पड़ते हैं और रिजर्व बैंक सरकार के निर्देशों का पालन करता है। और बैंक भी रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन करते हैं। यदि सरकार ने अपनी नीति बदल ली है और इन लोगों के प्रति उनकी नीति कहीं अधिक उदार है तो स्वाभाविक है कि उस नीति को लागू किया जायेगा। सिर्फ इसलिये कि इसे विगत में लागू नहीं किया गया था, आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि इसे हमारे द्वारा आवश्यक निर्देश दिये जाने के बाद भी लागू नहीं किया जायेगा।

श्री भगवत झा आज़ाद : मन्त्री महोदय से यह सुनकर प्रसन्नता हुई है कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी । क्या मन्त्री महोदय को पता है कि बैंकिंग क्षेत्र में इस बात का बहुत प्रचलन है कि लोगों को पहले 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत राशि बैंकों के कर्मचारियों को देने के लिए बाध्य किया जाता है और उसके बाद ही उनको ऋण मिलता है । यदि ऐसा होता है, तो क्या मन्त्री महोदय हमें आश्वस्त कर सकते हैं कि उन लोगों को पाठ पढ़ाने और जनता के सामने लाने के लिये वे कुछ कार्यवाही करेंगे जो किसानों और कमजोर वर्गों को ऋण नहीं देते और सारे मामले को प्रक्रियागत उलझनों से जकड़ देते हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : यदि सामान्य प्रश्न यह है कि निम्न स्तरों पर भ्रष्टाचार हैं तो हम इसे समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे । हम यह नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार है ही नहीं । परन्तु हम भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास करेंगे ।

श्री विलास मुत्तेमवकर : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि 20 सूत्री कार्यक्रम में सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में ऋण देने और लेने की क्या पालिसी है ?

.....व्यवधान.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना

*250. डा० फारूक अब्दुल्ला : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये तत्काल कोई कदम उठाये जा रहे है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी)

(क) तथा (ख) : जी हाँ । कुछ अधिक महत्वपूर्ण उपाय हैं : व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियां आयोजित करना, माल के उत्पादन के लिए आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधन प्राप्त करने में निर्यातकों को सहायता देना और परिवहन तथा जहाजरानी सम्बन्धी कठिनाइयों पर काबू पाने में उनकी सहायता करना ।

सरकारी क्षेत्र में इस्पात पिण्डों के उत्पादन के लिए योजना लक्ष्य निर्धारित करना

* 251. श्री के० प्रधानी : क्या इस्पात और खान मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शानेवाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1980 के लिये सरकारी क्षेत्र में इस्पात पिण्डों का उत्पादन करने के लिए योजना लक्ष्य तैयार कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) चालू वर्ष के दौरान विद्युत तथा कोयले की सप्लाई में काफी वृद्धि करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) और (ख) जी हां, वर्ष 1979-80 में सार्वजनिक क्षेत्र के पांच सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में इस्पात पिण्ड का प्रत्याशित उत्पादन तथा इसकी तुलना में सेल द्वारा निर्धारित उत्पादन-लक्ष्य नीचे दिया गया है :—

(हजार टन)

संयंत्र	लक्ष्य, 1980—81	उत्पादन, 1979—80*
भिलाई	2200	2123
दुर्गापुर	1070	892
राउरकेला	1460	1271
बोकारो	1820	1424
इस्को	670	580
	7220	6290

*अप्रैल, 1979 से फरवरी, 1980 के वास्तविक उत्पादन तथा मार्च, 1980 के अनुमानित उत्पादन पर आधारित ।

अतः वर्ष 1979–80 के मुकाबले में वर्ष 1980–81 के लिए निश्चित किए गए लक्ष्य में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गई है ।

(ग) चालू वर्ष में इस्पात कारखानों को कोककर कोयले तथा बिजली की सप्लाई में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में से मुख्य-मुख्य उपाय नीचे दिए गए हैं :—

1. औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल की एक समिति कोयला तथा बिजली की सप्लाई और रेल-यातायात की स्थिति का प्रत्येक सप्ताह जायजा लेती है,
2. कोयला उत्पादकों (कोल इंडिया लि०, भारत कोकिंग कोल लि० आदि) तथा ऊर्जा-मंत्रालय (विद्युत उत्पादन करने वाली इकाइयों जैसे दामोदर घाटी निगम तथा राज्य विद्युत बोर्ड भी शामिल हैं) के साथ निकट तथा सतत् सम्पर्क रखा जा रहा है ताकि कोककर कोयले तथा इस्पात का अधिकाधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए बिजली की अधिकाधिक सप्लाई सुनिश्चित की जा सके,
3. कलकत्ता में एक समन्वय कक्ष, जिसमें सेल का प्रतिनिधि भी है, कोयला सप्लाई करने वाले अभिकरणों तथा रेलवे के साथ दिन-प्रतिदिन के आधार पर सतत् सम्पर्क बनाए

हुए है ताकि डिब्बे पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर उपलब्ध हों और माल से भरी गाड़ियों का परिवहन शीघ्र हो सके,

4. कोयला खानों को उच्च-प्राथमिकता के आधार पर बिजली की सप्लाई बढ़ाई जा रही है ताकि बिहार–पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में, जो देश में कोककर कोयले के उत्पादन का मुख्य स्त्रोत है, कोककर कोयले के उत्पादन में वृद्धि की जा सके ।

5. देशीय सप्लाई में वृद्धि करने और धमन-भट्ठियों में इस्तेमाल किए जाने वाले कोक की क्वालिटी में सुधार करने के लिए 12 लाख टन अच्छी किस्म का कम राख वाला कोककर कोयला आयात करने के लिए समय पर कदम उठाए गए । वर्ष 1979-80 की अवधि में भी कोककर कोयले का और आयात करने की नीति पर भी विचार किया जा रहा हैं ताकि इस प्रकार की सप्लाई लगातार बनी रही, और

6. दुर्गापुर तथा बोकारो के इस्पात कारखानों की रक्षित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट तक बढ़ाने की योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है ।

कन्याकुमारी की पर्यटन-क्षमता का विकास

* 252. श्री के० टी० कोसल राम : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र के दक्षिण में भूमि के अंतिम छोर पर स्थित कन्याकुमारी में देशी तथा विदेशी पर्यटकों के लिए न्यूनतम मूल सुविधाओं के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ख) कन्याकुमारी की पर्यटन क्षमता का विकास करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने केप होटल के लिए धन–राशि प्रदान की थी और कन्याकुमारी में पर्यटक बंगले के निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत खर्च वहन किया था । कन्याकुमारी और विवेक शिला के बीच नौका द्वारा यात्रियों के आवागमन के लिये विवेकानन्द रॉक मेमोरियल को एक मोटर लांच भी दी गई है । चूंकि त्रिवेन्द्रम/कोवलम तट–विहार की यात्रा करने वाले पर्यटक कन्याकुमारी का आधे दिन के लिए भ्रमण करते हैं, इसलिए उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं को पर्याप्त समझा गया है । बड़ी संख्या में स्वदेशी पर्यटकों तथा तीर्थ यात्रियों के लिए कन्याकुमारी में विश्राम–गृहों और प्राइवेट लाजों में सस्ता आवास उपलब्ध है । कन्याकुमारी में केन्द्रीय सेक्टर में सुविधाओं का और अधिक विकास धन-राशि की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

एयर इण्डिया के जम्बो विमान में महाराजा लौंज समाप्त करना

* 253. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इन्डिया के जम्बो विमान में महाराजा लौंज को धीरे-धीरे समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मन्त्री (श्री जानकी बल्लभ पटनायक) : (क) सरकार ने 747 विमानों के ऊपरी डेक का, जिसका कि फिलहाल प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए एक लौंज के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, परिवर्तन करके उस पर तीस इकानामी क्लास सीटों की व्यवस्था करने के एयर इंडिया के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है ।

(ख) ऊपरी डेक वाले लौंज के परिवर्तन का मूल उद्देश्य विमान के ऊपरी डेक पर उपलब्ध स्थान को और अधिक लाभदायक रूप से उपयोगी बनाने के लिए और ज्यादह इकानामी क्लास सीटों की व्यवस्था करना है । 747 विमानों के परिचालकों ने ऐसा करने का फैसला कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने तथा कम दरों के किराये लागू किये जाने के कारण किया है । इससे एयर इंडिया के पास इस बात की गुंजाइश हो जायेगी कि वे विशेषतः भारत आने वाली तथा भारत से बाहर जाने वाली विमान सेवाओं के सेक्टरों पर दिशा विशेष एवं मौसम विशेष में व्यस्ततम समय के यातायात की मांग की पूर्ति कर सकें ।

कोटा-परमिट प्रणाली

* 254. **श्री कृष्णचन्द्र पांडे** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा-परमिट प्रणाली मूल्यों में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है और इससे आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं क्योंकि ठेकेदार समय पर माल नहीं उठाते हैं और इनकी सुगम उपलब्धता में बाधा पहुंचाते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार कोटा-परमिट प्रणाली समाप्त करने और खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने का है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं ।

(ख) वर्तमान सभी नियंत्रणों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । तथापि, सरकार उत्पादन तथा आपूर्ति बढ़ाकर, आधार-ढांचे संबंधी बाधाओं को दूर करके और आवश्यक वस्तुओं के वितरण को सुप्रवाही बनाकर उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिये प्रयत्नशील है । राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसी प्रकार के कानूनों के अंतर्गत जारी किये गये आदेशों को सख्ती से लागू करें ।

इन्डियन एयरलाइन्स के वरिष्ठ अधिकारियों का अधिक्रमण

* 255. **श्रीमती मोहसिना किदवई**
श्री शिवकुमार सिंह } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि किस तरह सुनियोजित ढंग से इन्डियन एयरलाइन्स के कुछ वरिष्ठतम अधिकारियों को या तो छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया है या उनसे बहुत कनिष्ठ सहकर्मियों द्वारा उनका अधिक्रमण किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो इस समाचार के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है : और

(ग) क्या उपर्युक्त संदर्भ में इन्डियन एयरलाइन्स तथा उसकी सहयोगी एयरलाइन अर्थात् एयर इन्डिया के कर्मचारियों में समय-पूर्व-सेवानिवृत्ति तथा अधिक्रमण के विरुद्ध फिर से विश्वास जगाने के लिए कुछ कदम उठाये जा रहे है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी वल्लभ पट्टनायक) :

(क) से (ग) : ऐसी प्रेस रिपोर्टें तथ्यों पर आधारित नहीं हैं ।

व्यय कर

* 256. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यय कर लागू करने की संभाव्यता की जांच की है ताकि अनावश्यक उपभोग को कम किया जा सके और बचत को काफी हद तक बढ़ाया जा सके और इस तरह देश की कराधान प्रणाली मे मौलिक परिवर्तन किए जा सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में शीघ्र ही कोई निर्णय लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का वर्तमान कराधान प्रणाली में क्या सुधार करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) : पिछली सरकार ने आयकर के स्थान पर व्यय कर लगाने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का एक अध्ययन दल नियुक्त किया था । उक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट पेश की जा चुकी है और वह सरकार के विचाराधीन है । वित्तीय नीतियों में, बजट के एक भाग के रूप में, समय-समय पर सुधार किए जाते हैं ।

प्याज का निर्यात

* 257. **श्री रामकृष्ण सदाशिव मोरे:** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत से प्याज के निर्यात की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात लाइसेंस गैर-सरकारी निर्यातकर्ताओं को दिये गये हैं अथवा क्या इसका केवल नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन लिमिटेड द्वारा निर्यात किया जायेगा; और

(ग) यदि नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन द्वारा प्याज का निर्यात किया जाता है तो उसके भंडारण के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) :

(क) जी हां।

(ख) प्याज का निर्यात नैफेड की मार्फत भागीकृत है। नैफेड की मार्फत निजी निर्यातकों को भी निर्यात करने की अनुमति है।

(ग) नैफेड अपने भंडारण स्थान के अलावा भंडारण के लिए प्याज पैदा करने वाले क्षेत्रों में परम्परागत किस्म की भंडारण क्षमता किराये पर लेता है।

चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान नये हवाई अड्डों का निर्माण

*258. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या पर्यटन और नगर विमानन मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में (राज्यवार) अविकसित हवाई अड्डों की संख्या कितनी है और वे कब से अविकसित हैं;

(ख) इनके विकास के लिए सरकार ने क्या विशिष्ट योजनायें बनाई हैं; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का विचार कितने नये हवाई अड्डों का निर्माण करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में मन्त्री (श्री जानकी बल्लभ पट्नायक) :

(क) और (ख) विमान क्षेत्रों के विकास का कार्य एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और उसकी योजना परिचालनात्मक आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत योजनागत प्राथमिकताओं के अनुसार बनाई जाती है। नागर विमानन विभाग के नियंत्रण में 85 विमानक्षेत्र हैं, जिनमें से सभी को परिचालन के लिए उपयुक्त स्थिति में रखा जाता है। विकास के कार्यों में ऐसे विमानक्षेत्रों को जिनके लिए इंडियन एयरलाइंस द्वारा अनुसूचित सेवाएं चलायी जा रही है या चलाने का प्रस्ताव है, परिचालित किए जा रहे अथवा परिचालन के लिये प्रस्तावित प्रकार के विमानों के लिए अपेक्षित जरूरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) केरल में कालीकट में एक नये विमानक्षेत्रों का निर्माण आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

पाकिस्तान के समीप गुजरात–राजस्थान सीमा पर से आवश्यक वस्तुओं की तस्करी

*259. श्री आर० पी० गायकवाड़
श्री चन्द्रपाल शैलानी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान के समीप गुजरात–राजस्थान सीमा से चीनी, मिट्टी का तेल, डीजल आदि आवश्यक वस्तुओं की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं की तस्करी की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) क्या इस मामले से सम्बद्ध कोई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(घ) क्या गुजरात सरकार को सीमा पर निगरानी रखने के लिए सतर्क कर दिया गया है ।

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) सरकार को प्राप्त रिपोर्टों से ऐसा नहीं लगता कि गुजरात–राजस्थान सीमा से पाकिस्तान को चीनी, मिट्टी का तेल, डीजल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर तस्कर–निर्यात हो रहा है ।

(ख) और (घ) केन्द्र सरकार तथा गुजरात सरकार ने इन वस्तुओं को चोरी-छिपे सीमा पर भेजने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए, संबंधित सीमाशुल्क अधिकारियों, सीमा सुरक्षा बल और पुलिस अधिकारियों को चौकस कर दिया है ।

(ग) जी नहीं ।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत नेपाली तंत्र

*260. **श्री एन० ई० होरो** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त भारत–नेपाली तंत्र की स्थापना करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक) : (क) और (ख) : विश्व पर्यटन संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.) और साथ ही दक्षिण एशिया संबंधी इसके आयोग के दोनों देश सदस्य हैं, अतः इस नाते पर्यटन संवर्धन के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ सहयोग पहले से ही विद्यमान है । इस क्षेत्र की ओर इसके अन्तर्गत पर्यटन के संयुक्त संवर्धन के लिए आयोग द्वारा एक मार्केटिंग प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है, जिससे भारत तथा नेपाल दोनों और साथ ही 5 अन्य देशों, अर्थात पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान ईरान तथा श्री लंका, को लाभ पहुंचेगा । इसे देखते हुए, पर्यटन के संवर्धन के लिए अलग से भारत नेपाल तंत्र स्थापित करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा स्वीकृत नई परियोजनाएं

*261 **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या वित्त मंत्री एक वक्तव्य सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी गई हो :

(क) क्या यह सच है कि भारत में तकनीकी विकास के प्रोत्साहन के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अनेक नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं किस प्रकार की हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से इनके लिए कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी और स्वीकृत परियोजनाएं किस-किस स्थान से सम्बन्धित हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां ।

(ख) पहली जनवरी 1979 से 25 मार्च 1980 तक अनुमोदित परियोजनाओं के स्वरूप, उनके स्थल और उनके लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से मिली वित्तीय सहायता का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

पहली जनवरी 1979 से 25 मार्च, 1980 तक की अवधि में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

क्रम	संख्या परियोजना का स्वरूप	परियोजना स्थल	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निवेश राशि (मिलियन डालर)
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान को सुदृढ़ करना	पुणे (महाराष्ट्र)	0.852
2.	इंजीनियरिंग डिजाइन और परामर्शदात्री सेवाओं का आधुनिकीकरण	इंजीनियर्स इंडिया लि० नई दिल्ली	0.739
3.	ताजे पानी में मत्स्य पालन और प्रशिक्षण का गहनीकरण	केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर (पश्चिम बंगाल)	0.582
4	मलेरिया निरोधक औषधियों के उत्पादन की प्रौद्योगिकी का अन्तरण	इंडियन ड्रग्स ऐंड फार्मास्यूटिकल्स लि० हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	0.373
5.	प्रबंध विकास संस्थान-होटल प्रबंध कार्यक्रम के लिए सहायता	प्रबंध विकास संस्थान, नई दिल्ली	0.186
6.	बाढ़-पूर्व सूचना कार्यक्रम में सुधार	केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	1.454
7.	केंद्रीय चमड़ा अनुसधान संस्थान, मद्रास में चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रदर्शन केंद्र में सुधार	केंद्रीय चमड़ा अनुसधान संस्थान मद्रास (तमिलनाडु)	0 558
8.	ताड़ में सुधार के लिए अनुसंधान	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली	0.456
9.	दुग्ध विपणन और डेयरी विकास आप्रेशन फलड II के संवधन के लिए तकनीकी सहायता	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद (गुजरात)	2.073
10.	स्नातकोत्तर कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए उच्च अध्ययन केंद्र को सहायता	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	4.57)
11.	कृषि और ग्राम विकास संचार केंद्र के लिए सहायता	गोविंद वल्लभ पंत विश्व विद्यालय पंतनगर (उत्तर प्रदेश)	0.103

1	2	3	4
12.	भूमि और जल योजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए परामर्श सेवा	सिंचाई विभाग, नई दिल्ली	0.361
13.	तेल अन्वेषण और उत्पादन में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों का प्रशिक्षण	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून (उत्तर प्रदेश)	0.236
14.	भूभौतिकीय अंक संकलन की सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना	— तदैव —	0.785
15.	दाबक मापक उपकरणों के कैलीबटेशन के लिए प्राथमिक और अंतरणदाब प्रतिमानों की स्थापना	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली	0.282
16.	वैक्यूम गाज के कैलीबटेशन वैक्यूम पंपों और वैक्यूम उपस्करों की जांच के लिए प्राथमिक और अंतरण प्रतियान सुविधाओं की स्थापना	— तदैव —	0.281
17.	भारतीय मूल के विदेशों के विशेषज्ञों के माध्यम से जानकारी का अंतरण	केंद्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	0.100
18.	साउथ इंडिया टैक्सटाइल एसोशियेशन में नये तंतुओं का विविधकरण और विकास	साउथ इंडिया टैक्सटाइल्स रिसर्च एसोशियेशन, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	0.259
19.	स्तरीय दूर संचार प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना-डाक तार महानिदेशक	गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	2.17
20.	दूर संचार अनुसंधान केंद्र का आधुनिकीकरण, डाक तार महानिदेशक	दूर संचार अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली	0.403
21.	संचार मंत्रालय के अनुश्रवण संगठन/वितंतु आयोजन और समन्वय स्कंध के लिए संगठन के ही अंक संकलन की सुविधाएं	नई दिल्ली	0.021
22.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत चुने हुए विश्वविद्यालयों/विभागों को विशेष सहायता	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	2.491

अरुणाचल प्रदेश के स्थलों के लिये विमान सेवायें

* 262. **श्री पी० के० थुंगोन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि आई०ए०सी० की उड़ानें अरुणाचल प्रदेश के किसी स्थान को नहीं छूती हैं;

(ख) यदि हां, तो अरुणाचल प्रदेश में विमान सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कई बार अनुरोध किया है कि अरुणाचल प्रदेश में आई० ए० सी० की सेवाओं को उपलब्ध कराया जाये;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या यह सच है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने रोगियों की आपातकालीन निकासी के बारे में प्रदेश की दयनीय स्थिति को सुधारने, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने, दूर-दराज क्षेत्रों से जनता के आवागमन आदि के लिये 6 विमानों, अर्थात् दो चेतक हेलीकोप्टर, दो एम०आई०-8 हैलीकोप्टर और दोहरे इंजन वाले दो विमान, की खरीद के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पट्नायक) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) से (घ) : क्षमता के सीमित होने के कारण इंडियन एयरलाइन्स किसी भी नये स्थान के लिये विमान सेवा आरम्भ करने की स्थिति में नहीं है । तथापि अरुणाचल प्रदेश के निम्नलिखित 6 स्थान उन पर 50 स्टेशनों की सूची में हैं जिनको विमान सेवा से जोड़ने के लिये तीसरी वायु सेवा की समिति ने सिफारिश की है ।

1. इटानगर
2. अलौंग
3. जीरो
4. पासीघाट
5. तेजू
6. डाबोरीजो

समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

(ङ) और (च) : स्थिति की जांच की जा रही है तथा आवश्यक सूचना सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन लक्ष्य

2079. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : वर्ष 1980--81 के लिए बिक्री योग्य इस्पात का निर्धारित उत्पादन लक्ष्य क्या है , और

(ख) : इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) वर्ष 1980-81 के लिए सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का विक्रेय इस्पात के

उत्पादन का लक्ष्य 73.2 लाख टन निश्चित किया गया है जो 1979-80 के प्रत्याशित उत्पादन में 21.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ख) उपर्युक्त लक्ष्य इस्पात कारखानों की तकनीकी सक्षमता को देखते हुए और यह मानकर रखा गया है कि आवश्यक आदानों (कोककर कोयला और बिजली भी शामिल है) की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी। मुख्य आदानों तथा रेल परिवहन की आवश्यकताओं के बारे में संबंधित अभिकरणों से बातचीत की गई है। इन आदानों की पर्याप्त मात्रा में तथा लगातार सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अभिकरणों के साथ निकट सम्पर्क जारी रखा जायेगा।

इंडियन आइरन एण्ड स्टील कं० बर्नपुर में सिंटरिंग तथा आक्सीजन संयंत्र

2080. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आइरन एण्ड स्टील कं० बर्नपुर में सिंटरिंग तथा आक्सीजन संयंत्र कार्य करना कब आरम्भ कर देगा; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : "इस्को" की गुआ स्थित खान में उपलब्ध लौह--अयस्क के चूरे के उपयोग को आर्थिक दृष्टि से लाभकारी बनाने तथा बर्नपुर इस्पात कारखाने में तप्त—धातु की उत्पादन--लागत में कमी करने के लिए इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने बर्नपुर में एक सिन्टरिंग संयंत्र लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस समय यह प्रस्ताव स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के विचाराधीन है आक्सीजन की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आक्सीजन का एक रक्षित संयंत्र लगाने का प्रश्न अभी इस्को के विचाराधीन है।

आयकर निरीक्षकों की संवर्ग संख्या की समीक्षा

2081. श्री के० ए० राजन : क्या वित्त मंत्री इंस्पेक्टरों की संख्या में वृद्धि के बारे में 6 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6354 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर विभाग में आयकर निरीक्षकों के संवर्ग में निरीक्षकों की संख्या की समीक्षा की है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) तथा (ख) निरीक्षकों के संबंध में कार्य अध्ययन आरंभ किया गया था किन्तु यह पाया गया कि निरीक्षक की कार्य सम्बन्धी वर्तमान सूची में संशोधन की आवश्यकता है। अब एक नई कार्य सूची तैयार की गई है और उसकी जांच की जा रही है। इसे अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद कार्य सम्बन्धी अध्ययन पुनः चालू किया जायगा।

केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों को आयकर में मानक कटौती

2082. एफ० एच० मोहसिन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों को आयकर में उस मानक कटौती की अनुमति नहीं है जो कार्यरत कर्मचारियों को मिली हुई हैं,

(ख) क्या प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी समिति ने 1968 में प्रस्तुत किये गये अपने प्रतिवेदन में इसकी सिफारिश की थी ;

(ग) क्या पेंशनरों को भी उस समय यह राहत देने के लिये समय-समय पर सरकार को अभ्यावेदन दिये गये हैं जब बहुत अधिक निर्वाह लागत के कारण वे बुरी तरह से प्रभावित होते है; और

(घ) यदि हां, तो सेवा-निवृत कर्मचारियों को यह राहत देने में सरकार के मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं और काफी समय से की जा रही इस रियायत को दूर करने के मामले में वर्तमान सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) पेंशन पाने वाले लोग, जिनमें केन्द्र सरकार से पेंशन पाने वाले व्यक्ति शामिल हैं, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16 (i) के अन्तर्गत, पेंशन के रूप में प्राप्त रकम पर, मानक-कटौतियों के हकदार नहीं हैं।

(ख) प्रत्यक्ष कर कानून समिति (चोकसी समिति) ने सितम्बर 1978 में पेश की गयी अपनी अन्तिम रिपोर्ट में सिफारिश की है कि उस व्यक्ति को भी 10 प्रतिशत की दर से मानक कटौती का लाभ दिया जाना चाहिए जो अपने भूतपूर्व नियोजक से पेंशन प्राप्त करता हो परन्तु इसकी अधिकतम सीमा 1000 रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए ।

(ग) जी, हां ।

(घ) पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की इस मांग के संबंध में सरकार को अभी अपना दृष्टिकोण निश्चित करना है ।

राज्य सरकारों तथा गैर–सरकारी क्षेत्रों द्वारा अतिरिक्त होटलों का निर्माण

2083. श्री जय नारायण : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश में अधिक होटलों का निर्माण करने के लिये राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पटनायक) : (क) और (ख) जी, हां । सरकार, होटलों के विकास के बारे में अपनी नीति का निर्माण कर रही है । इस सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

अहमदाबाद असैनिक हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में बदलना

2084. श्री डी० पी० जदेजा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद असैनिक हवाई अड्डे को, जो वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में बदलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पट्टनायक) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विमान परिचारिकाओं के विवाह पर इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा रोक

2085. **श्री मधु दंडवते** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से देशों में इस बात पर कोई रोक नहीं है कि विमान परिचारिकाओं को अपनी सेवा अवधि के दौरान अविवाहित रहना होगा ;

(ख) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इन्डिया में इस संबंध में विमान परिचारिकाओं पर कुछ रोक है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया का विचार ऐसी रोक जारी रखने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पटनायक) : (क) से (ग) यद्यपि कुछ एयरलाइनें अपनी विमान परिचारिकाओं को विवाह के उपरान्त उड़ानें जारी रखने की अनुमति देती है, परन्तु अन्य एयरलाइनें गर्भधारण के पश्चात उनकी सेवायें समाप्त कर देती है : जहां तक एयर-इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स का संबंध है विमान परिचारिकाओं को चार वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात विवाह करने की अनुमति दे दी जाती है और उन्हें प्रथम गर्भधारण अथवा सेवा-निवृति की आयु पूरी करने पर, जो भी पहले हो, सेवा से निवृत्त कर दिया जाता है । फिलहाल इस पाबंदी को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बिहार से लीचि, आम तथा केलों का निर्यात

2086. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में आम, लीचि तथा केलों की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करती है ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इसके निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने इन फलों की खेती के विकास के लिए कोई योजना नहीं तैयार की है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) :

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) पूरे देश के निर्यात आंकड़े नीचे दिए गये हैं :

मात्रा मे० टन में
मूल्य लाख रु०

	1976–77		1977–78		1978-79	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आम	3443.0	197.59	3369.4	309.61	4505.3	371.92
केला	666.6	12.89	4.5	0.17	105.2	5.30
लीची	..... नगण्य					

(घ) तथा (ङ) : इन फलों की खेती के विकास के लिए कोई केन्द्री प्रायोजित योजना नहीं हैं ।

"टिस्को" द्वारा हजारीबाग, बिहार में अपनाई गई गैर–कानून श्रमिक प्रक्रियाएं

2087. **श्री ए० के० राय** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "टिस्को" द्वारा अपने ठेकेदार, इंजीनियरिंग कन्सट्रक्शन कारपोरेशन द्वारा हजारीबाग, बिहार में अपने अन्तर्गत वेस्ट बोकारो कोयला खान में अपनाई जा रही गैर–कानूनी श्रमिक प्रक्रियाओं का पता है,

(ख) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग कसन्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा कोई रिकार्ड रजिस्टर नहीं रखा जाता और मुख्य नियोजक के रूप में "टिस्को" द्वारा आदायगियों के जाली रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये जाते हैं जिससे काला धन पैदा होता है,

(ग) क्या हाल ही में इस कारण से बहुत अधिक अशांति उत्पन्न हुई थी, और

(घ) क्या सरकार का विचार मामले की पूरी तरह से जांच करने का है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) और (ख) इस प्रकार की कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में नहीं आई है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

वनस्पति घी के मूल्यों का तुलनात्मक विवरण

2088. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1978 से फरवरी, 1980 तक की अवधि के दौरान प्रचलित वनस्पति घी के मूल्यों का, महीनेवार, तुलनात्मक विवरण क्या है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वनस्पति उत्पादन संयंत्रों को आयातित तेल किस दर पर सप्लाई किया गया था और उनकी कुल मांग कितने प्रतिशत पूरी की गई ; और

(ग) जनवरी, 1978 के बाद वनस्पति के मूल्य निर्धारित करने में क्या नीति अपनाई गई ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) जनवरी, 1978 से फरवरी, 1980 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित वनस्पति के करखाना मूल्यों का महावार विवरण –1 में दिया गया है ।

(ख) उसी अवधि के दौरान वनस्पति उत्पादक संयंत्रों को सप्लाई किये गये आयातित तेलों की दरों का ब्योरा विवरण–2 में दिया गया है ।

उसी अवधि के दौरान इस उद्योग द्वारा वनस्पति–उत्पादन के लिए वास्तव में प्रयुक्त किए गये कुल खाद्य तेलों में आयातित तेलों का प्रतिशत विवरण—3 में दिया गया है ।

(ग) जनवरी, 1978 से फरवरी, 1979 के दौरान वनस्पति उद्योग ने स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण लागू किया था और इस प्रकार इस अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में वनस्पति के 16.5 कि० ग्राम के प्रति मानक टिन का कारखाना-मूल्य कमोवेश 140 रु० ही बनाये रखा गया। विभिन्न आदानों की लागत बढ़ जाने से मार्च, 1979 से उद्योग द्वारा इस नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया । सितम्बर–अक्तूबर, 1979 से लगभग छः सप्ताह की संक्षिप्त अवधि के अलवा, जबकि त्यौहारों के मौसम के दौरान उद्योग उसी प्रकार के नियंत्रण का पालन करने को सहमत हो गया था, वनस्पति के मूल्य सबंधित मंडियों में विद्यमान स्थितियों के अनुसार ही निर्धारित होते रहे है । सरकार के प्रयासों के बावजूद, उद्योग अब किसी भी प्रकार के स्वैच्छिक मूल्य–नियंत्रण को फिर से स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है ।

विवरण--१

विभिन्न क्षेत्रों में जनवरी, 1978 से फरवरी, 1980 तक वनस्पति के प्रति मानक टिन (16.5 कि० ग्राम) के मासान्त कारखाना मूल्य

समाप्त होने वाला माह	1978	1979	1980
1	2	3	4
जनवरी	140.00	140.00	168.75-190.00
फरवरी	140.00	140.00	168.00-189.00

1	2	3	4
मार्च	140,00	140.00-170.00	
अप्रैल	140.00	151.00-161.00	
मई	140.00	150.00-166.00	
जून	140.00	151.00-162.00	
जुलाई	140.00	157.00-170.00	
अगस्त	140.00	153.00-179.00	
सितंबर	140.00	160.00-181.00	
अक्तूबर	140.00	160.00-181.00	
नवम्बर	140.00	163.00-190.00	
दिसंबर	140.00	178.00-190.00	

टिप्पणी : जनवरी, 1978 से फरवरी, 1979 के दौरान प्रचलित वनस्पति का प्रति मानक टिन (16.5 कि० ग्राम)140 रु० का कारखाना मूल्य, वनस्पति उद्योग द्वारा स्वीकार किये गये स्वैच्छिक मूल्य-नियंत्रण के कारण रहा था। विभिन्न आदानों की लागत बढ़ जाने के कारण उद्योग ने इस समझौते को मार्च, 1979 से समाप्त कर दिया।

विवरण–२

राज्य व्यापार निगम द्वारा वनस्पति उद्योग को सप्लाई किये गये आयातित तेलों का निर्गम मूल्य (रुपये प्रति मीटरी टन)

अवधि	कच्चा सोयाबीन का तेल	कच्चा ताड़ का तेल	कच्चा रेपसीड तेल
1	2	3	4
1-1-78 से 31-7-78	5,950	5,500	5,950
1-8-78 से 13-3-79	6,100	5,650	6,100
14-3-79 से 25-4-79	7,250		7,250
26-4-79 से 14-9-79	7,110		7,110
3-5-79 (अब तक)		6,960	
15-9-79 (अब तक)	7,210	7,060	7,210

विवरण–३

वर्ष 1978 के दौरान वनस्पति के उत्पादन में उपयोग किये गये कुल तेल की तुलना में आयातित तेल की प्रतिशतता को दर्शाने वाला माह-वार विवरण

	1978	1979	1980
जनवरी	75.2	56.2	74.1
फरवरी	74.4	49.9	80.4 (अन्तिम)
मार्च	74.9	51.5	
अप्रैल	74.6	46.8	
मई	74.9	50.0	
जून	74.6	61.5	
जुलाई	73.2	75.1	
अगस्त	78.1	85.2	
सितंबर	77.7	88.9	
अक्टूबर	78.9	90.8	
नवंबर	73.1	85.6	
दिसंबर	63.9	78.7	
औसत	74.5	68.1	

जबलपुर में असैनिक हवाई अड्डे का निर्माण

2089. श्री सुन्दर शर्मा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर में असैनिक हवाई अड्डे का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए कुछ स्थलों का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) क्या स्थल का इस बीच चयन कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या असैनिक हवाई अड्डे के निर्माण के प्रस्ताव पर अब विचार किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पटनायक) : (क) जबलपुर में एक सिविल हवाई अड्डा पहले ही से मौजूद है । जबलपुर में निकट-

भविष्य में एक नया हवाई अड्डा बनाने की कोई योजना नहीं है, हालांकि नये हवाई अड्डे के लिए तीन स्थानों का सर्वेक्षण किया जा चुका है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) धन उपलब्ध न होने के कारण चालू पंचवर्षीय योजना में एक और हवाई अड्डे का निर्माण करना संभव नहीं है ।

विदेशों में पूंजी निवेश करने के लिए अनुमति प्राप्त कम्पनियों के नाम

2090. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में पूंजी निवेश करने के लिए अनुमति प्राप्त कम्पनियों के नाम, उनका कारोबार का क्षेत्र और उनके कार्य के स्थल क्या है ;

(ख) इन उद्यमों में से कितने और कौन-कौन से उद्यम इस समय चल रहे हैं और कितने उद्यमों के भविष्य में परिचालनात्मक बनने की संभावना है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन विदेशी उद्यमों में पूंजी निवेश से लाभ के रूप में देश में कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

अजमेर के लिए विमान सेवा

2091. **श्री भगवान देव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अजमेर में ख्वाजा साहिब की दरगाह और अजमेर के निकट पुष्कर तीर्थ के महत्व तथा इन स्थानों पर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में आने वाले भारतीय और विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए, अजमेर में एक हवाई अड्डे का निर्माण करके विमान सेवा को चालू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो विमान सेवा कब तक चालू किये जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में अनुभव की जा रही कठिनाइयां क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पटटनायक) : (क) से (ग) : इन्डियन एयरलाइन्स की अजमेर के लिए विमान सेवा चालू करने की कोई योजनाएं नहीं हैं । तथापि, तीसरी वायु सेवाएं चालू हो जाने पर अजमेर को विमान सेवा से जोड़ने पर विचार किया जा सकता है ।

भुवनेश्वर, रूरकेला, गोपालपुर, उत्केला और सम्बलपुर के लिए दैनिक विमान सेवा सम्पर्क

2092. **श्री रास बिहारी बेहरा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भुवनेश्वर, रूरकेला, गोपालपुर, उत्केला, सम्बलपुर को दैनिक विमान सेवा से जोड़ने के लिए योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब से शुरू की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पटनायक) :

(क) से (ग) : विमानों की तंगी के कारण, इंडियन एयरलाइन्स का भुवनेश्वर/रूरकेला/गोपालपुर/उत्केला/सम्बलपुर जैसी नयी विमान सेवाएं परिचालित करने का कोई विचार नहीं है। तथापि, भुवनेश्वर के एक प्राइवेट परिचालक, ईस्ट एयर को भुवनेश्वर/रूरकेला/रांची/जमशेदपुर मार्ग पर सप्ताह में तीन दिन की गैर-अनुसूचित वापसी उड़ानें परिचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है ।

ग्राम अगुचा, राजस्थान में जस्ता-भंडार

2093. श्री गिरधारी लाल व्यास : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के हुर्दा तहसील के अगुचा ग्राम में जस्ते का विशाल भंडार पाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में ऊंची प्रतिशतता वाले जस्ते का यह सब से विशाल भंडार है ;और

(ग) क्या यहां पाये गये जस्ते के विशाल भंडार को देखते हुए यहां जनता कारखाना लगाने का विचार है और पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे कारखाने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) : अब तक की गई खोजों से यह संकेत मिलता है कि इस निक्षेप में जस्ता-सीसा अयस्क के लगभग 26 मिलियन टन महत्वपूर्ण भण्डार हैं जिसमें औसतन लगभग 10 से 12 प्रतिशत जस्ता और 1 से 3 प्रतिशत सीसा है ।

इस निक्षेप की और आगे गहन खोज की जा रही है और निक्षेप की क्षमता का पूरी तरह आकलन कर लेने के बाद ही उसके समुचित दोहन के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा ।

पश्चिम बंगाल द्वारा ओवरड्राफ्ट लेने के बारे में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया का आदेश

2094. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की ओवरड्राफ्ट नीति के कारण राज्यों तथा विशेषकर पश्चिम बंगाल को नुकसान उठाना पड़ता है ; और

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा ओवरड्राफ्ट लिए जाने के संबंध में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया का नवीनतम आदेश क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाडिया) :

(क) और (ख) इन राज्यों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गये ओवरड्राफ्ट संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के उल्लंघन में होते हैं और राज्य सरकारों को इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 21 (क) के अन्तर्गत आवश्यक करार करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक और योजना आयोग के परामर्श से तैयार की गई और 1 अक्तूबर, 1979 से लागू की गई राज्यों के ओवरड्राफ्टों का विनियमन करने सम्बन्धी यह स्कीम संविधान के उपबंधों को और भारतीय रिजर्व बैंक तथा राज्य सरकारों के आपसी ठीक संबंधों के अनुरूप भी इन स्कीम के अन्तर्गत किसी भी राज्य सरकार को लगातार 7 कार्य-दिवसों से अधिक अवधि के लिए ओवरड्राफ्ट से रहने की अनुमति नहीं है। यह स्कीम सभी राज्य सरकारों पर समान रूप से लागू और किसी भी राज्य को उचित राजकोषीय और वित्तीय प्रबंध में इस में इस योजना के अन्तर्गत कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिए गये रुग्ण चाय बागान

2095. श्री आनन्द पाठक
श्री सुबोध सेन } : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने बन्द और रुग्ण चाय बागान अपने अधिकार में लिये गये हैं और उनके नाम क्या हैं,

(ख) उन यूनिटों में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं ; और

(ग) क्या उन कर्मचारियों को विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत उपबंधित संवैधानिक लाभ मिलते हैं ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) चाय अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जिन संकटग्रस्त चाय बागानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया गया है, उनके नाम नीचे दिये जाते हैं :

1. पैशोक टी एस्टेट।
2. लुकसान टी एस्टेट।
3. वाह-तुकवार टी एस्टेट।
4. चारगोला टी एस्टेट।
5. पोटांग टी एस्टेट।
6. कुसाई टी एस्टेट (यह इस बीच मालिक को वापस कर दिया है)।

(ख) इन बागानों में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या 3198 है, इनमें वे कर्मचारी शामिल नहीं हैं जो कुमाई टी एस्टेट में काम कर रहें हैं।

(ग) जी हां, बशर्ते कि निधियाँ, सेवाएं तथा सामग्री उपलब्ध हो।

जीवन बीमा निगम के अधिकारियों द्वारा विमान-यात्रा पर किया गया खर्च

2096. **श्री बापू साहिब पुस्लेकर :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के अधिकारियों ने गत तीन वर्षों के दौरान विमान-यात्राओं पर प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ अधिकारियों ने टिकटें खरीदने के बाद भी यात्रा नहीं की और रुपया भी वापस नहीं किया ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम अधिकारियों ने कुल कितनी राशि के टिकट खरीदे और यात्रा नहीं की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही हैं तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इस्पात का उत्पादन और मांग

2097. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाठशाला भवनों, चिकित्सालयों और होटलों जैसे सार्वजनिक संस्थानों के निर्माण के लिये उचित मूल्य पर इस्पात उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : पाठशाला भवनों, चिकित्सालयों, होस्टलों आदि सार्वजनिक संस्थाओं के निर्माण के लिए इस्पात की सप्लाई के लिए संयुक्त समिति द्वारा बनाई गई एक योजना पहले से चल रही है । सप्लाई इस योजना के अनुसार की जाती है बशर्ते कि माल उपलब्ध हो ।

राज्यों में नागरिक पूर्ति निगमों की स्थापना

2098. **श्री एस० आर० ए० एस० अप्पाला नायडू :** क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को नियंत्रित मूल्यों पर वितरित करने के लिए विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए नागरिक पूर्ति निगमों को स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य; तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) नागरिक पूर्ति निगमों की स्थापना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । इस प्रकार के निगम आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल के राज्यों में विद्यमान हैं । मणिपुर तथा सिक्किम के राज्य और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली भी ऐसे निगमों की स्थापना करने पर विचार कर रहे है । नागरिक पूर्ति निगम, जहां भी विद्यमान है, को राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक वस्तुओं के बारे में कार्रवाई करने का कार्य सौंपा गया है ।

जीवन बीमा निगम का उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा

2099. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा करने की कोई योजना है ;

(ख) क्या सरकार इसे बन्द कर देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या योजना को बन्द कर देने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की इच्छा के विरुद्ध है, और

(ङ) क्या सरकार उत्तर-प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लाभ के लिए योजना को जारी कर रखने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से पुलिस कार्मिकों सहित अपने कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजनाएं आरंभ की थीं । इन योजनाओं में अन्य बातों के साथ साथ यह भी व्यवस्था थी कि सेवाकाल के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृतक के परिवार को 12000 रुपये की राशि दी जाएगी । विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को और अधिक राशि का मृत्यु कवच प्रदान करने के विचार से उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, जीवन बीमा निगम की इस योजना को समाप्त करके जीवन बीमा निगम अधिनियम में परिकल्पित व्यवस्था के अनुसार पहली मार्च, 1980 से अपनी योजनाएं आरंभ कर दी हैं ।

(घ) इस संबंध में भारत सरकार को किसी प्रकार की कोई शिकायतें नहीं मिली हैं ।

(ङ) इस मामले का संबंध उत्तर प्रदेश सरकार से है ।

भरतपुर में शुष्क पतन

2100. **श्री राजेश पयलट्** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरतपुर में एक शुष्क पतन बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में हुई प्रगति क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : सरकार अभी ऐसी किसी योजना पर सक्रिय रूप से विचार नहीं कर रही है ।

कोरापुट उड़ीसा में एल्यूमिनियम संयंत्र के लिए परिवहन और बिजली

2101. **श्री गिरिधर गोगांगो** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में दामाणजोदी में प्रस्तावित एल्यूमिनियम संयंत्र के लिए परिवहन और बिजली के लिए रेलवे और ऊर्जा मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) उड़ीसा एल्यूमिना/एल्यूमिनियम कॅम्पलेक्स की साध्यता रिपोर्ट की इस समय सरकारी मूल्यांकन एजेन्सियों द्वारा समीक्षा की जा रही है। मामले को सार्वजनिक निवेश बोर्ड के सम्मुख पेश करने से पूर्व, परियोजना के लिए रेलवे सुविधाओं और बिजली सप्लाई की व्यवस्था करने के प्रस्ताव सम्बन्धित एजेंसियों के परामर्श से तैयार किए जाएंगे।

दिल्ली और राज्य-मुख्यालयों के बीच सीधी विमान सेवा

2102. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन राज्य-मुख्यालयों से दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा नहीं है ;

(ख) क्या सरकार इन मुख्यालयों से भी दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा आरम्भ करने के बारे में कदम उठायेगी ; और

(ग) क्या सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम से दिल्ली तक सीधी विमान सेवा तत्काल आरंभ करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पट्टनायक) :

(क) और (ख) : इन्डियन एयरलाइंस निम्नलिखित राज्यों की राजधानियों के लिए किसी विमान सेवा का परिचालन नहीं करती:—

राज्य	राजधानी
हिमाचल	शिमला
सिक्किम	गंगटोक
मेघालय	शिलांग
नागालैंड	कोहिमा

निम्नलिखित राज्यों की राजधानियों की, जो विमान सेवाओं से जुड़ी हुई हैं, दिल्ली के लिए तथा से कोई सीधी उड़ान नहीं है:—

केरल	त्रिवेन्द्रम
मणिपुर	इम्फाल
त्रिपुरा	अगरतला

तथापि, वे उसी दिन को संयोजी सेवाओं से जुड़ी हुई हैं, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

त्रिवेन्द्रम से दिल्ली बरास्ता बम्बई आई० सी०-168/185

(आगमन आई० सी० 168 1200/प्रस्थान आई० सी० 185 1445 बजे)

इम्फाल से दिल्ली बरास्ता कलकत्ता आई० सी-218/410

(आगमन आई० सी० 218 1200/प्रस्थान आई० सी० 410 1235 बजे)

अगरतला से दिल्ली बरास्ता कलकत्ता आई० सी-236/402

(आगमन आई० सी० 236 1340/प्रस्थान आई० सी० 402 2020 बजे)

यातायात की मांग के वर्तमान स्तर तथा विमानों की कमी को ध्यान में रखते हुए, इन्डियन एयरलाइंस की उपरोक्त राज्य-मुख्यालयों से दिल्ली के लिए सीधी उड़ानें चालू करने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

(ग) जी नहीं।

एम० सी० एण्ड पी० सी० द्वारा क्लोरमफैनिकाल के लिये दिये गये ठेके

2103. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम की सहायक कम्पनी "स्टेट कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन आफ इन्डिया लि०" ने गत तीन वर्षों के दौरान एल-वेस तथा क्लोरमफेनिकाल के लिये कितने ठेके लिये हैं ;

(ख) क्या हर बार पहले से अधिक मूल्य अदा किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के और न केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन ने एल-बेस के लिये 10 संविधाएं और क्लोरमफेनिकल पाउडर के लिये 8 संविधाएं की थीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) लागू नहीं होता।

विदेशी ऋण

2104. **श्री ए० नीललोहितदासन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1980 को भारत पर कुल कितना ऋण था ; और

(ख) उस ऋण में से कितना-कितना ऋण संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी संघीय गणतंत्र और अन्य देशों का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) पहली जनवरी, 1980 को भारत की कुल वैदेशिक देनदारी 12,339,31 करोड़ रुपए की थी।

(ख) इस प्रकार की देनदारी का देश और संस्थावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पहली जनवरी, 1980 तक की भारत की वैदेशिक देनदारी का देश तथा संस्थावार ब्यौरा

देश संस्था	(करोड़ रुपए) बकाया ऋण
1. संयुक्त राज्य अमेरिका	2640·92
2. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	179.00
3. ब्रिटेन	890.15
4. जापान	826.78
5. फ्रांस	328.06
6. जर्मन संघीय गणराज्य	1508.62
7. आस्ट्रिया	28. 95
8. बेल्जियम	65.81
9. कनाडा	366.23
10. डेनमार्क	25. 35
11. इटली	25.19
12. स्विट्जरलैण्ड	22.84
13. नीदरलैण्ड	407.27
14. संयुक्त अरब अमीरात	57.61
15. कुवैत निधि	45.54
16. आबूधाबी निधि	12.31
17. साऊदी निधि	31. 94
18. इराक	132.33
19. ईरान	781.39
20. चेकोस्लोवाकिया	31.74
21. हंगरी	10.87
22. पौलेण्ड	7.85
23. युगोस्लाविया	0.01
24. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	570.11
25. अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण	3313.98
26. तेल उत्पादक और निर्यातक देश निधि	29.46
जोड़ :	12339.31

विदेशी व्यापार चिह्नों का इस्तेमाल

2105 **श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी** : क्या वित्त मंत्री विदेशी व्यापार चिह्नों के इस्तेमाल के बारे में 14 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 481 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह निश्चित करते समय कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रतिफल शामिल है या नहीं, केवल पंजीकृत प्रयोक्ता करार की शर्तों पर ही निर्भर करती है;

(ख) क्या सरकार ने यह जांच की है कि "ओल्ड स्पाइस" के मामले में व्यापार चिह्न के भारतीय प्रयोक्ता को विदेशी लाइसेंसधारी से कोई माल खरीदना पड़ता है या नहीं; और

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक उस कंपनी के लिए, जिसने किसी विदेशी कंपनी के साथ पंजीकृत प्रयोक्ता करार किया हुआ है, धारा 28 (1) (ग) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक से मंजूरी लेना अनिवार्य नहीं बना दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) रिजर्व बैंक, पंजीकृत प्रयोक्ता करार की जांच के अलावा, और भी पूछताछ करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या इस व्यवस्था के अन्तर्गत कोई प्रतिफल है अथवा नहीं ।

(ख) ट्रेड मार्क लाइसेन्स करार के अनुसार ट्रेड मार्क के विदेशी मालिकों से सामान खरीदना अनिवार्य नहीं है ।

(ग) केवल उन्हीं व्यवस्थाओं पर धारा 28 (1) (ग) के उपबन्ध लागू होते हैं जिनमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रतिफल होता है । किन्तु इस धारा के उपबन्ध कानूनी किस्म इस धारा के उपबन्ध कानूनी किस्म के हैं और इनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है ।

दिल्ली निर्यातक एसोसिएशन के साथ बातचीत

2106. **श्री उत्तमराव पाटिल** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में बहुत पहले से उपलब्ध (विशेषत: राजस्थान और गुजरात में) पुराने हाथीदांत से पुन: बनाई गई वस्तुओं को संयुक्त राज्य अमरीका आदि को निर्यात करने के लिए निर्यातकों को "छूट संबंधी प्रमाणपत्र" जारी किये जाने से मना करने के बारे में 18 फरवरी, 1980 को दिल्ली निर्यातक संघ से बात-चीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) :

(क) तथा (ख) : दिल्ली निर्यातक संघ के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्रालय में विचार-विमर्श किया था और 4 फरवरी, 1977 से पहले भारत में आयातित हाथीदांत के स्टाक की घोषणा

करने के लिए समय बढ़ाने का निवेदन किया । चूंकि निर्माताओं/व्यापारियों को स्टाक की घोषणा करने के लिए पहले ही काफी समय दिया जा चुका है, इसलिए तारीख को और बढ़ाना वांछनीय नहीं समझा गया ।

दिल्ली निर्यातक संघ से पुराने हाथीदांत से पुनः बनाई गई वस्तुओं के निर्यात के लिए भी सरकार को अभ्यावेदन मिला था । चूंकि यह सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं था कि पुराने हाथी दांत से पुनः बनाई गई वस्तुएं अफ्रीकी उत्पत्ति की हैं, इसलिए उनके निर्यात की अनुमति नहीं दी जा सकी ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अनन्नास के टुकड़ों के निर्यात में वृद्धि करना

2107. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम पश्चिम एशियाई बाजारों में अनन्नास के टुकड़ों तथा साथ ही आम के गूदे और रस के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य व्यापार निगम का इन वस्तुओं पर जापानी वस्तुओं के नामों का प्रयोग करके व्यापार करने का विचार है ;

(ग) भारतीय नामों का प्रयोग न किये जाने के क्या कारण है ; और

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा जिन जापानी फर्मों के नामों को प्रयुक्त किये जाने का विचार है, उन्हें किसी प्रकार की रायल्टी देना आवश्यक होगा और यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शियाउर रहमान अंसारी) :

(क) राज्य व्यापार निगम अपने सामान्य बिक्री प्रयासों के ही एक भाग के रूप में अनन्नास की फाँकों, आम का गूदा आदि सहित संसाधित खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है ।

(ख) इस मामले में राज्य व्यापार निगम का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) संसाधित खाद्य पदार्थों का निर्यात राज्य व्यापार निगम के अपने निजी ब्रांड नाम के अन्तर्गत और साथ ही अन्य विनिर्माताओं के ब्रांड नामों के अन्तगत किया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों का अधिक समय तक रहना

2108. डा० सुब्रमण्यम स्वामी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के इन आदेशों के विपरीत कि संवर्ग-बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति को प्रतिशत तथा अवधि दोनों के हिसाब से सीमित कर दिया गया है, उनके मंत्रालय ने प्रतिनियुक्त लेखा अधिकारियों को 6 वर्षों के बाद भी पदों पर रखा हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि काफी वर्ष पूर्व इन अधिकारियों को उनके पुराने पदों पर वापस भेज दिए जाने का निर्णय लिया गया था और यदि हां, तो उन अधिकारियों को उसके बाद भी पदों पर रखे रहने की परिस्थितियां क्या थीं ; और

(ग) क्या सरकार के उपरोक्त निर्णय के बाद भी उन अधिकारियों को रु० 1100–1600 वाले वेतनमान के वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पट्टनायक) : (क) एक लेखा अधिकारी जिसे प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर 12-6-73 से नियुक्त किया गया था वह 17-3-80 (पूर्वाह्ण) तक प्रतिनियुक्ति पर रहा। प्रतिनियुक्ति के चौथे वर्ष के बाद, अर्थात 12-6-77 से उसे कोई प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता नहीं दिया गया क्योंकि नियमों के अनुसार चार वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति भत्ता देने की अनुमति नहीं है।

(ख) उस अधिकारी को उसके अपने मूल संवर्ग में वापस भेजने के बारे में जून, 1978 में निर्णय लिया गया था। तदनुसार उसके स्थान पर एक अधिकारी नियुक्त करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गयी थी। परन्तु निम्नलिखित कारणों से उस अधिकारी को वापस नहीं भेजा जा सका:—

(i) उन अधिकारियों में से, जिन्होंने प्रसारित परिपत्रों के आधार पर इस पद के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तुत की थी, कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया ; तथा

(ii) निदेशक (वित्त) के पद का पदधारी अधिकारी मार्च, 1979 में अपने मूल संवर्ग में वापस चला गया था। इसलिए यह निर्णय किया गया कि वित्त पक्ष में कार्य को अव्यवस्थित होने से रोकने के लिए इस लेखा अधिकारी की सेवाओं का और एक वर्ष उपयोग किया जाए।

(ग) उक्त लेखा अधिकारी ने भारत पर्यटन विकास निगम में निगम के समाचार पत्र में दिये गये खुले विज्ञापन के आधार पर 1800–2000 के वेतनमान में मुख्य लेखाकार (दक्षिणी क्षेत्र) के पद के लिए आवेदन पत्र भेजा था तथा उसका आवेदन पत्र उसके मूल विभाग अर्थात्, महा लेखाकार, वाणिज्य, निर्माण एवं विविध (अब निदेशक लेखा–परीक्षा, वाणिज्य, निर्माण एवं विविध) के माध्यम से भेजा गया था। उसे उसके पुराने कार्यालय की सलाह पर भारत पर्यटन विकास निगम में 1100-1600 के वेतन मान में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में कार्यभार सम्भालने के लिए 17-3-1980 से इस मंत्रालय से भारमुक्त कर दिया गया था।

आयकर विभाग द्वारा अपराधों के लिए मुकदमा चलाये गये आयकर निर्धारिती

2109. **श्री नवीन रवानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1977 से दिसम्बर, 1979 (वर्ष-वार) के दौरान आयकर विभाग द्वारा 50,000 रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले कितने और किन-किन कर निर्धारितियों पर मुकदमा चलाया गया था और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनके अपराधों का स्वरूप क्या है ;

(ग) उनमें से प्रत्येक अपराधी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (घ) अप्रैल, 1977 से दिसम्बर 1979 तक की अवधि के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

होटल उद्योग के विकास के लिए कार्यवाही

2110. **श्री आरिफ मोहम्मद खान** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम के माध्यम से होटल उद्योग को विकसित करने के सम्बन्ध में सरकार की नवीनतम नीति क्या है ;

(ख) सम्पूर्ण देश में फोर तथा फाइव स्टार होटलों के लिए वर्ष 1978-79 में और 1979-80 में फरवरी 1980 तक कुल कितने उद्यमों ने आवेदन किया है ; और

(ग) इस देश में निकट भविष्य में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु होटल उद्योग को विकसित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पटनायक) :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम प्रत्येक पर्यटक केन्द्र की आवश्यकताओं के अनुसार आवास सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करता है । तथापि, बढ़ती हुई संख्या में विदेशी बजट-पर्यटकों और स्वदेशी यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से कम और मध्यम कीमत वाले होटल आवास के निर्माण पर बल दिया जाता है ।

(ख) कार्यरत होटलों को स्टार श्रेणियां होटल और रेस्तरां अनुमोदन एवं वर्गीकरण समिति द्वारा वर्गीकरण के उद्देश्य से उनका निरीक्षण किए जाने के बाद प्रदान की जाती हैं । अप्रैल 1978–फरवरी 1980 की अवधि के दौरान, केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा 64 होटल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

(ग) पर्यटन के आवास सैक्टर के विस्तार को और अधिक प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, सरकार होटलों के विकास के बारे में अपनी नीति तैयार कर रही है ।

उत्तर पूर्वी राज्यों को इस्पात के सामान की आपूर्ति न किया जाना

2111. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों को इस्पात का सामान वितरित किये जाने के लिए एक विशेष योजना के बनाये जाने के बावजूद, उन्हें इस्पात का सामान नहीं मिल रहा है, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि गौहाटी मालगोदाम द्वारा राज्य सरकारों के नामजद व्यक्तियों को केवल जी० सी० चादरों की थोड़ी मात्रा दे दी जाती है और उन्हें दूसरे इस्पात का सामान दिये जाने के लिए इन्कार किया जा रहा है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उन्हें दूसरा सामान सप्लाई किया जायेगा तथा कब तक ; और

(घ) मेघालय राज्य और विशेष रूप से गारो हिल्स जिलों के लिए अब तक सप्लाई किये गये इस्पात के सामान की कुल मात्रा कितनी है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को इस्पात सामग्री की सप्लाई उच्च-प्राथमिकता के आधार पर करने के बावजूद वास्तविक सप्लाई निर्धारित कार्यक्रम की तुलना में कम रही है। यह कमी रेलवे के सम्मुख डिब्बों की समस्या, यातायात तथा एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में माल लादने की समस्याओं के कारण हुई है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को पिछले वर्ष 62,000 टन इस्पात सामग्री सप्लाई की गई थी। इसके मुकाबले में अप्रैल, 1979–फरवरी, 1980 की अवधि में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को सेल के इस्पात कारखानों से कुल 44,500 टन इस्पात सामग्री की सप्लाई की गई जबकि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 87 000 टन इस्पात सामग्री सप्लाई की जानी थी। इसके अतिरिक्त उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न बिजली-बोर्डों तथा सरकारी विभागों को बफर आयात में से 10,000 टन इस्पात सामग्री देने की पेश-कश की गई है। उन्हें यह सामग्री बन्दरगाहों से भेजी जाएगी। 44,500 टन इस्पात सामग्री की सप्लाई में से सेल ने 8500 टन सामग्री सड़क द्वारा भेजी थी और इसकी ढुलाई पर सेल को अधिक खर्च करना पड़ा परन्तु उसने यह अतिरिक्त लागत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के उपभोक्ताओं से नहीं ली।

(ख) तथा (ग) सामग्री का आवंटन उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के 'नोडल' प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई मांग के आधार पर किया जाता है। समस्त सामग्री, जिसमें जाती नालीदार चादरें भी शामिल हैं इस प्रकार की मांगों पर दी जाती है।

(घ) जिला-वार सप्लाई के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि गारो के पहाड़ी जिलों को कितनी इस्पात सामग्री सप्लाई की गई थी। चूंकि इस्पात सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, अतः यह भी सम्भव है कि गोहाटी या उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बेचा गया माल मेघालय पहुंच गया है और इस प्रकार की सामग्री की मात्रा के बारे में बताना कठिन है।

काले धन के प्रचलन के सम्बन्ध में वक्तव्य

2112. **श्री आर० एल० पी० वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रेस में यह वक्तव्य दिया है कि देश में काले धन के रूप में बीस हजार करोड़ रुपये प्रचलन में हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह वक्तव्य किस आधार पर दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) तथा (ख) सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने बम्बई में एक फिल्म-उद्योग समारोह को सम्बोधित करते हुए, पहले वांचू समिति द्वारा लगाये गये अनुमानों के आधार पर, श्री एन० पी० के० साल्वे की अध्यक्षता में गठित उस समिति के, जिसके वे सदस्य थे, इस अनुमान का उल्लेख किया था कि देश में हिसाब में नहीं दिखाये गये धन की रकम कोई बीस हजार करोड़ रुपये होगी।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 (1) (ग) कार्यान्वयन हेतु मार्ग दर्शी सिद्धान्त

2113. **श्री धर्मवीर सिन्हा**
श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा
श्री दयाराम शाक्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 (I) (ग) के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या है और उनके अंतर्गत क्या अधिसूचनाएं जारी की गई हैं और मंजूरियां दी गई हैं ; और

(ख) 'प्रत्यक्ष' प्रतिफल एवं 'अप्रत्यक्ष' प्रतिफल के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या है और इन्हें एक दूसरे से अलग किस प्रकार किया जाता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान लोक सभा के 14-3-1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 477 की ओर दिलाया जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है ।

(ख) प्रत्यक्ष प्रतिफल उपयोग अधिकारों के लिए ट्रेड मार्क के मालिक को भेजी जाने वाली नकद रकम का दृष्टांत होगा । 'अप्रत्यक्ष' प्रतिफल के तत्वों के बारे में कोई सामान्य सिद्धान्त बनाना व्यावहार्य नहीं है । प्रत्येक मामले में ट्रेड मार्क के इस्तेमाल के लिए की गई व्यवस्था से संबंधित सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई दृष्टिकोण बनाना होगा ।

राष्ट्रीकृत बैंक के कुछ अधिकारियों और एक ट्रेवल एजेंसी द्वारा कर्जा लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की हुई हानि

2114. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक के कुछ अधिकारियों और एक ट्रेवल एजेंसी द्वारा फर्जी लेन–देन के कारण देश को हुई विदेशी मुद्रा की भारी हानि का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध व्यक्तियों के कार्य करने की पद्धति क्या थी और इससे देश को अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई ;

(ग) क्या सम्बद्ध व्यक्तियों का पता लगाया गया है और गिरफ्तारियां की गई हैं ; और

(घ) सम्बद्ध राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च 1979 में एक ऐसे मामले का पता लगाया था जिसमें कुछ व्यक्तियों ने ट्रैवल एजेंसी और बैंक के कर्मचारियों की सांठ गांठ से विदेशी मुद्रा को गैरकानूनी ढग से अन्तरण करके विदेशी मुद्रा की हानि की थी ये अन्तरण जाली पासपोर्ट नम्बर देकर पर्यटकों और मार्गस्थ यात्रियों के जाली नामों में और जाली अथवा अस्तित्वहीन करेंसी घोषणा प्रपत्रों के आधार पर किये गये थे ।

गैर कानूनी ढग से भेजी गयी अनुमानित रकमों में 1,69 990/– स्टर्लिंग पाउंड 9,18 739 अमरीकी डालर और 1000/– कनाडा के डालर हैं, जो एक करोड़ रुपये से ऊपर की रकम के बराबर हैं ।

(ग) अब तक इस धंधे में सक्रिय रूप से लगे 10 व्यक्तियों की शिनाख्त कर ली गयी है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है ।

(घ) अब तक प्रवर्तन निदेशालय 82,477 अमरीकी डालर और 1,000 कनाडा के डालर भारत में लौट सका है ।

दिल्ली के लोगों को कन्ट्रोल का कपड़ा देना

2115. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 500 00 रुपये प्रतिमाह से कम आय वाले दिल्ली के लोगों को त्रैमासिक दिया गया 10 मीटर कन्ट्रोल का कपड़ा इन परिवारों के सभी सदस्यों की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए पर्याप्त है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या प्रति माह 10 मीटर कपड़ा देने के लिए प्रबंध किये जाने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) व (ख) : दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार की गई नीति के अनुसार ऐसे प्रत्येक खाद्य कार्डधारक को, जिसकी पारिवारिक मासिक आय 800/– रु० से कम है, त्रैमासिक आधार पर दस मीटर कन्ट्रोल का कपड़ा दिया जा रहा है । यह नीति वस्त्र आयुक्त द्वारा दिल्ली की जनसंख्या के आधार पर प्रतिमास आवंटित की जा रही 165 गांठों के कोटे के आधार पर निश्चित की गयी है । नियंत्रित कपड़े के राष्ट्रीय उत्पादन के वर्तमान स्तर को देखते हुये इसमें वृद्धि करना सम्भव नहीं है ।

बम्बई में होटलों द्वारा कथित धमकी

2116. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बृहत्तर बम्बई में होटल और रेस्तरां मालिकों ने यह निर्णय किया है कि यदि कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम से कम 25 प्रतिशत नीचे नहीं लाए गये तो वे मार्च, 1980 से कुछ लोकप्रिय चीजें बनाना बन्द कर देंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय का बड़ी संख्या में उन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिये पूरी तरह से होटलों पर ही निर्भर करना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो मूल्य वृद्धि का जिन उपभोक्ताओं पर असर पड़ने की संभावना है उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने, आधार ढांचे संबंधी बाधाओं को दूर करने और आपूर्ति प्रबंधों में सुधार लाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं । राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसी प्रकार के कानूनों के अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों को सख्ती से लागू करें । महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, बम्बई में होटल मालिकों के लिए मिट्टी के तेल का कोटा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये गये हैं ।

केन्द्र सरकार के उपक्रमों में रोजगार केन्द्रों के माध्यम से रोजगार के अवसर

2117. श्री मुकुन्द मण्डल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के उपक्रमों में रोजगार-केन्द्रों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान न करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और ऐसे रोजगार के लिए अन्यथा क्या मानदण्ड होते ; और

(ग) क्या यह नीति सभी राज्यों के लिए लागू है अथवा यह केवल कुछ चुने गए राज्यों के लिए लागू है और उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) सरकार ने सरकारी उद्योगों को यह सलाह दी है कि वे अधिकतम 800 रुपये मासिक वेतन पाने वाले पदों पर भर्ती केवल राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से ही करें और भर्ती के अन्य साधनों को केवल तभी अपनाया जाय जबकि रोजगार कार्यालय "अनुपलब्धतता प्रमाण-पत्र" जारी कर दे। सरकारी उद्यमों को परियोजना के लिए अधिग्रहीत क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अर्थात् आदि-वासियों) के उम्मीदवारों को ऐसी भर्ती में अधिमान्यता देने के लिए हर सम्भव प्रयास करना चाहिए। अन्य दूरवर्ती सरकारी उपक्रमों के छटनी किए गए या छटनी किए जाने वाले उम्मीद-वारों को भी अधिमान्यता दी जाए। उद्यमों द्वारा बोर्ड स्तर से नीचे अन्य सभी पदों के लिए भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है।

सरकारी उद्यमों की उपर्युक्त भर्ती और प्रबन्ध नीति इस प्रकार निरूपित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये संगठन वाणिज्यिक आधार पर चालू रहें और साथ ही स्थानीय उम्मीदवारों, अर्थात् जहां उद्यम की स्थापना की गई है, उस राज्य के निवासियों की रोजगार संबंधी न्यायोचित आशा-आकांक्षाएं भी पूरी की जा सकें।

(ग) भारत संघ के सभी राज्यों में स्थित सरकारी उद्यमों में उपर्युक्त नीति का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

विदेशी और गैर सरकारी पूंजी निवेश के प्रति नीति

2118. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीकी संयुक्त व्यापार परिषद के चेयरमैन श्री ओविले फ्रीमेन ने हाल ही में, नई दिल्ली में भारत द्वारा विदेशी-गैर-सरकारी पूंजी निवेश के लिए एक अधिक-फलमूलक तथा लचीली नीति अपनाये जाने की सिफारिश की है ;

(ख) इस अपील पर सरकार क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करने का विचार रखती है ; और

(ग) क्या यह अंतिम निर्णय कर लिया गया है कि भारत तथा अमरीका की प्राइवेट फर्में तीसरे देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने में परस्पर सहयोग करेंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी सहयोग के बारे में सरकार का दृष्टिकोण चयनात्मक है और उसका उद्देश्य ऐसे सहयोग से प्राप्त सहायता को राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के उन क्षेत्रों में पहुंचाना है जिनमें प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन की काफी ज्यादा कमी है ।

(ग) भारत-अमेरिका संयुक्त व्यापार परिषद् ने एक परियोजना को हाथ में लिया है जिसका उद्देश्य तीसरे देशों में भारत-अमेरिकी सहयोग के उपर्युक्त क्षेत्रों का पता लगाना तथा उन्हें बढ़ावा देना है ।

मेसर्स हिन्दुस्तान जनरल इण्डस्ट्रीज, नांगलोई द्वारा आयकर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप

2119. कुमारी कमला कुमारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि मैसर्स हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज, नांगलोई, दिल्ली द्वारा आयकर नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) हां, सरकार जानती है कि कम्पनी कुछ वर्षों से आयकर नियमों का उल्लंघन करती आ रही है ।

(ख) कानून में की गई व्यवस्था के अनुसार मुकदमे दायर किये जा चुके हैं ।

मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों का रिक्त पड़े रहना

2120. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 फरवरी, 1980 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद उनके मंत्रालय में रिक्त थे ; और

(ख) इन पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है और इन रिक्त पदों के किस तारीख तक भरे जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी वल्लभ पट्टनायक) :

(क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बांदे डाइंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा सेकण्ड डी० एम० टी० प्लांट का आयात

2121. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बांम्बे डाइंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी ने 'सेकण्ड हैण्ड डी० एम० टी० प्लांट' के आयात के लिये आवेदन भेजा है; य द हां, तो सरकार का विचार उस पर क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ख) क्या कम्पनी का चेयरमैन एक भारतीय नागरिक है; यदि नहीं, तो उसकी राष्ट्रीयता क्या है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) जी हां । सेकण्ड-हैंड प्लांट और मशीनरी के आयात के लिये उनका आवेदन परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था । चूंकि कम्पनी के पक्ष में 30-12-78 को पहले जारी किया गया आशयपत्र अभी तक औद्योगिक लाइसेंस में बदला नहीं गया इस लिये अभी तक उनके पक्ष में कोई आयात लाइसेंस जारी नहीं किया गया है ।

(ख) कम्पनी के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक 21-2-1980 के अनुसार ब्रिटिश नागरिक हैं ।

गुजरात के पिछड़े जिलों को सहायता

2122. श्री अमरसिंह वी० राठवा
श्री डी० पी० जडेजा
श्री अहमद एम० पटेल } : क्या वित्त मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दर्शाया गया हो कि :

(क) गुजरात राज्य में उन जिलों के नाम क्या हैं ; जिन्हें पिछड़े जिले घोषित किया गया है ।

(ख) उनमें से ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जो केन्द्रीय नकद राज-सहायता योजना के अधीन सहायता प्राप्त करने की अर्हता रखते हैं ;

(ग) इन जिलों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने की इच्छुक नई संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की नीति क्या है ; और

(घ) ब्याज की वसूली किस दर से होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (घ) गुजरात राज्य में निम्नलिखित जिलों को पिछड़े इलाकों के रूप में घोषित किया गया है.---

अपरेली
बनासकंठ
भावनगर
बड़ौच
जूनागढ़
कच्छ
मेहसाना
पंचमहलस
पाटरकठा और
सुरेन्द्र नगर

इन जिलों में से पंचमहलस, बड़ौच और सुरेन्द्र नगर औद्योगिक यूनिट स्थापित करने के लिए राजसहायता की मंजूरी के पात्र हैं ।

नई औद्योगिक यूनिटें, यूनिट द्वारा निर्मित नियत परिसंपतियों पर 15 प्रतिशत निवेश राज-सहायता, किन्तु अधिक से अधिक 15 लाख रुपए, पाने के पात्र है, कोई भी विद्यमान यूनिटें, जो कि नियत परिसंपतियों के 10 प्रतिशत या इससे अधिक विस्तार करें, अतिरिक्त नियत परिसंपति पर, 15 प्रतिशत राज-सहायता किन्तु अधिक से अधिक 15 लाख रुपए पाने का पात्र है ।

उपर्युक्त के अलावा, पिछड़े इलाकों में उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित राज-कोषीय और अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध हैं:--

1. बीज/सांमति धन के लिए सहायता
2. आयकर राहत
3. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा रियायती शर्तों पर मशीनरी की पूर्ति,
4. तकनीकी सेवाओं के लिए मुफ्त परामर्शी सहायता
5. ब्याज संबंधी राज-सहायता
6. कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं
7. उद्योग परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता
8. ग्रामीण शिल्पकार कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता
9. जिला उद्योग केन्द्र योजना के अंतर्गत सहायता

चूंकि केन्द्रीय निवेश राज-सहायता, निर्दिष्ट पिछड़े इलाकों में स्थापित औद्योगिक यूनिटों को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष अनुदान है, इसलिए इस पर ब्याज लगाने का प्रश्न नहीं उठता । वर्तमान 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की सामान्य दर के मुकाबले में, वित्तीय संस्थानों से 9½ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर रियायती धन उपलब्ध है । उद्यम-कर्ताओं को ऋण के रूप में दिए गए बीज धन पर साधारण ब्याज किन्तु यह अधिक से अधिक 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष होता है । राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने लघु स्तर की यूनिटों द्वारा मशीनरी की किराया खरीद के मामले में, घोषित पिछड़े इलाकों के तकनीकी विशेषज्ञों तथा उद्यम-कर्ताओं द्वारा देय बयाना जसा, अन्य इलाकों में 15 प्रतिशत के मुकाबले में 10 प्रतिशत है । पिछड़े इलाकों से आगे वाले तकनीकी विशेषज्ञों और उद्यम-कर्ताओं के संबंध में ब्याज की दर, अन्यों के मामले में 13⅓ प्रतिशत के मुकाबले में 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष है । समय पर की गई अदायगी के लिए 2 प्रतिशत की छूट दी जाती है ।

तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्शी सहायता मुफ्त दी जाती है । पिछड़े इलाकों में स्थित यूनिटों के मामले में परामर्श फीस की संपूर्ण राशि की अदायगी सरकार द्वारा की जाती है, जबकि अन्य इलाकों में स्थित यूनिटों के मामले में सरकार द्वारा परामर्शी फीस के केवल 25 प्रतिशत की ही अदायगी की जाती है ।

ब्याज संबंधी राज-सहायता का उद्देश्य ऐसे इंजीनियर उद्यमकर्ताओं को सहायता देना है जो स्वयं-नियोजित उद्यम स्थापित करें। इस योजना में यह परिकल्पना की गई है कि सरकार इंजीनियर उद्यमकर्ताओं को, उनके द्वारा वित्तीय संस्थानों से 7 प्रतिशत पर लिए गए ऋण पर देय ब्याज की दरों में अंतर की अदाएगी करेगी बशर्ते कि यह राशि अधिक से अधिक 20,000 रु० प्रतिवर्ष हो।

भारत और हंगरी के बीच व्यापार में गतिरोध

2123. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और हंगरी के बीच व्यापार पिछले कुछ समय से रुक सा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारणों का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) हंगरी के साथ 1976 में और उसके बाद व्यापार का समग्र परिमाण 33-37 करोड़ रु० के आसपास रहा है और निर्यात तथा आयात लगभग सन्तुलित रहे हैं। 1 जनवरी, 1978 से द्विपक्षीय से बहुपक्षीय व्यापार के परिवर्तन से हंगरी के साथ हमारे स्थिर व्यापार पर कुछ प्रभाव पड़ा। तथापि, हंगरी को हमारे निर्यातों में क्वालिटी सम्बन्धी परिवर्तन आया है, यहां तक कि अब हम काफी, मसालों आदि जैसे परम्परागत माल की अपेक्षा डिब्बाबन्द फलों तथा रसों, अंगराग सामग्री तथा प्रसाधन सामग्री, चमड़े के सामान, मोटरगाड़ी के पुर्जों तथा अन्य इंजीनियरी माल जैसी गैरपरम्परागत मदों की अधिक सप्लाई कर रहे हैं।

हम हंगरी के साथ व्यापार परिमाण में वृद्धि करने के लिये मार्गोपाय ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं।

श्री हून के विरुद्ध विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारक अधिनियम के अधीन कार्यवाही

2124. **श्री राम जेठमलानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसे मार्ग निदेशक सिद्धान्त हैं जिनके आधार पर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारें तथा अन्य अधिकारी विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारक अधिनियम के अधीन नजरबन्द करने संबंधी शक्तियों का प्रयोग करते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि देश में अथवा देश के बाहर बड़े पैमाने पर तस्करी करते पाए गए प्रत्येक व्यक्ति को विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारक अधिनियम के अंतर्गत नजरबन्द किया गया है ;

(ग) क्या हाल ही में श्री हून नामक एक व्यक्ति को बड़े विशाल पैमाने पर तस्करी करने के संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा बम्बई में गिरफ्तार किया गया था।

(घ) क्या उक्त श्री हून को न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया था और सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने उसकी जमानत की मंजूरी पर आपत्ति नहीं की थी, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

(ङ) क्या श्री हून के विरुद्ध विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारक अधिनियम के अधीन कार्यवाही शुरू की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(च) जांच का काम किस दौर में है और मुकदमा कब तक चलाये जाने की संभावना है ; और

(छ) वर्तमान स्थिति में मामले का प्रथम-दृष्ट्या ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) संगठित तस्करों और विदेशी मुद्रा के जालसाजों को उनके क्रियाकलाप जारी रखने से रोकने तथा आदतन अपराधियों के लिए निवारक उपायों की व्यवस्था करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें अथवा उनके विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 3 (1) के अंतर्गत नजरबंदी के आदेश जारी करते हैं ।

(ग), (घ), (च) और (छ) बम्बई के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई 3.21 लाख रुपये मूल्य की 100.5 किलोग्राम चान्दी के मामले के संबंध में 5-2-1980 को बम्बई के सीमा शुल्क अधिकारियों ने किन्हीं मिस्टर प्रीतम नाथ हून को गिरफ्तार किया था । मिस्टर हून को 15-2-1980 तक न्यायिक हिरासत में रखा गया और बाद में उसे अदालत द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया । लेकिन सीमा शुल्क अधिकारियों ने जमानत की उस अर्जी का विशेष विरोध किया था । इस मामले में जांच-पड़ताल चल रही है और उसके खिलाफ कानून-सम्मत उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी ।

(ङ) मिस्टर हून के खिलाफ, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के प्रश्न पर उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली में पता लग या गया विदेशी मुद्रा अवैध धन्धा

2125. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1980 के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में भारी राशि के विदेशी मुद्रा के अवैध धन्धे का पता चला था ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किन लोगों का हाथ था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी नहीं ।

(ख) इसका प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र केरल और गोआ में पर्यटन सुविधाएं

2126 श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या पर्यटन और सागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र और विशेषरूप से केरल और गोआ में पर्यटन की काफी सम्भावनाएं हैं, जिनका पूरी तरह से लाभ नहीं उठाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस तटवर्ती क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का विकास करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मन्त्री (श्री जानकी बल्लभ पटनायक) : (क) और (ख) देश के पश्चिमी तट पर, विशेषकर केरल और गोआ में, पर्यटन संभावानों को स्वीकार करते हुए, केन्द्रीय सैक्टर में त्रिवेन्द्रम के निकट कोवलम में एक समुन्द्र-तट विहार स्थल का विकास किया गया है। सरकारी सैक्टर के अन्तर्गत गोआ में एक समुन्द्र–तट पर एक होटल के निर्माण का भी प्रस्ताव है। गोआ में प्राइवेट सैक्टर के अन्तर्गत होटलों के निर्माण के लिए 80 लाख रुपये के ऋण दिये गए हैं। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पणजी और त्रिवेन्द्रम में एक–एक युवा होस्टल का निर्माण किया है ताकि इन क्षेत्रों में यूथ ट्रेवल को प्रोत्साहित किया जा सके। इन क्षेत्रों का और अधिक विकास धन–राशि की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

ग्वालियर में हवाई जहाजों का रात को उतरना

2127. श्री एन० के० शेजवलकर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर हवाई–अड्डे पर जहाजों के रात को उतरने की व्यवस्था कब तक किए जाने का विचार है;

(ख) उसी हवाई–अड्डे पर बोईंग और अन्य हवाई जहाजो के उतरने की व्यवस्था कब तक हो जाएगी और कब तक इस हवाई-सेवा के शुरू हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या सरकार का ग्वालियर जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल होकर खजुराहो के लिए हवाई-सेवा की कोई व्यवस्था करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री जानकी बल्लभ पट्नायक) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) निकट भविष्य में ग्वालियर से होते हुए बोइंग सेवायें परिचालित करने अथवा खजुराहो को ग्वालियर से जोड़ने की इंडियन एयरलाइन्स की कोई योजना नहीं है।

भीलवाड़ा (राजस्थान) में चांदी आदि के भण्डारों का पता लगाना

2128. श्री विजय एन० पाटिल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में चांदी आदि के भारी भण्डारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आजकल किन–किन अन्य स्थानों पर खोज कार्य चल रहा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) भीलवाड़ा जिला के अगुचा गाँव में एक जस्ता और सीसा निक्षेप में चांदी होने के संकेत मिले हैं।

(ख) राज्य के खनन और भूतत्व विभाग द्वारा अब तक की गई खोजों से लगभग 26 मिलियन टन जस्ता और सीसा अयस्क के अस्थायी भण्डारों का पता चला है, जिसमें औसतन 10 से 12 प्रतिशत जस्ता और । से 2 प्रतिशत सीसा तथा लगभग 50 ग्राम प्रति टन के हिसाब से चांदी की मामूली मात्रा का पता चला है ।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का अपने 1979-80 के वार्षिक कार्यक्रम के दौरान भीलवाड़ा-जिले में रामपुरा-अगुचा क्षेत्र में जस्ता-सीसा, सालमपुरा क्षेत्र में बहुधातु खनिजीकरण, लादपुरा-मेनाली-मेघनीवास क्षेत्र में चूनापत्थर और शाहपुरा क्षेत्र में अभ्रक के लिए खोज करने का प्रस्ताव है ।

सुधा वनस्पति के निर्माता जैन घराने द्वारा कदाचार

2129. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुधा वनस्पति के निर्माता, जैन घराने पर कदाचारों के कथित आरोप है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) सम्भवतः प्रश्न का आशय 18 अगस्त 1979 से 20 अगस्त 1979 के मध्य मैसर्स जैन शुद्ध वनस्पति प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद के परिसरों और अन्य सम्बद्ध परिसरों से पकड़े गए स्टेनलैस स्टील के 15674 ड्रम और इसी प्रकार के ड्रमों से बनी स्टेनलैस स्टील की 2721 चादरों से है । इस मामले में की गयी जांच से पता चला था कि इस फर्म ने स्वयं द्वारा आयातित आर0बी0डी0 खजूर–तेल के कनस्तरों के रूप में इस प्रकार के 19590 ड्रम आयात किए थे । इस किस्म के कनस्तरों को आयातित आर0बी0डी0 खजूर-तेल के लिए सामान्य व्यापारिक पैकिंग के रूप में नहीं माना जा सकता था अतः सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत उनके इस प्रकार आयात किए जाने के विरुद्ध कार्रवाई की जानी थी । सीमा शुल्क समाहर्त्ता बम्बई ने इस मामले में सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत न्याय निर्णय की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है । लेकिन फर्म ने दिल्ली उच्च न्यायालय में 11 फरवरी 1980 को रिट याचिका दायर करके सरकार द्वारा इस मामले में आगे कार्रवाई करने से रोकने के लिए अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिए हैं ।

मैसर्स जैन शुद्ध वनस्पति नामक फर्म से सम्बद्ध कुछ अन्य कथित कदाचारों की भी सीमा शुल्क अधिकारियों और केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है ।

राजस्थान में खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

2130. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1978 तथा 1979 के दौरान राजस्थान में खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण के परिणामों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप तांबे के निक्षेपों का पता चला है और यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ये निक्षेप पाए गए हैं और उपरोक्त सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप अन्य किन खनिज संसाधनों का पता चला है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) वर्ष 1978 और 1979 के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राज्य के खनन तथा भूतत्व विभाग ने राजस्थान के विभिन्न भागों में खनिजों की खोज का काम जारी रखा।

(ख) कुछ सर्वेक्षण परियोजनाओं के परिणामों को अन्तिम रूप दे दिया गया हैं।

(ग) खोज के फलस्वरूप सिरोही जिले के वसंतगढ़ में 3.5 मिलियन टन ताँबा अयस्क, जिसमें 1.6 प्रतिशत तांबा है; और डूंगरपुर जिले के पडारकीपाल में 1 मिलियन टन तांबा अयस्क, जिसमें 1 प्रतिशत तांबा है, के भण्डारों का पता चला है। झुन्झुनू, सीकर, चित्तौड़-गढ़ और जयपुर जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में तांबे के लिए की गई खोज के भी महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं।

सर्वेक्षण के दौरान पाए गए अन्य खनिज हैं—उदयपुर जिले के डेल पटलिया में बैराइट, बाड़मेर और झालावाड़ जिलों में बैन्टोनाइट, भीलवाड़ा जिले के अगुचा क्षेत्र में जस्ता-सीसा अयस्क, सवाईमाधोपुर जिले में चूना-पत्थर तथा सिरोही जिले में टिन और टंग्स्टन अयस्क।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निम्न तथा उच्च आय वर्गों को ऋण

2131. श्री कालीचरण शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों से पिछले दो वर्षों के दौरान निम्न तथा उच्च आय वर्गों में अलग-अलग उपलब्ध कराये गये ऋण की राशि कितनी थी;

(ख) निम्न आय वर्ग को उचित ऋण सुविधा उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या निम्न आय वर्ग को आसान ऋण सुविधायें प्रदान करने की योजना को शीघ्र ही कार्यान्वित करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) बैंक, आंकड़े सूचित करने की वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत, ऋणकर्त्ता की आय के आधार पर सांख्यिकीय आंकड़े नहीं रखते हैं। इसलिए, जिस रूप में यह सूचना मांगी गई हैं, उपलब्ध नहीं है।

विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत जो कि समाज के कमजोर से कमजोर वर्गों के लिए तैयार की गई है, बैंकों द्वारा 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की रियायती दरों पर ऋण प्रदान किया जाता है। जून, 1979 के अंत तक, इस योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बकाया राशि 113.73 करोड़ रुपये थी जिसमें कि 18 लाख ऋणकर्त्ताओं के खाते व्याप्त थे।

इसके अलावा, बैंक, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को जिनमें छोटे तथा सीमांतिक किसान, कुटीर, ग्रामीण तथा छोटे पैमाने के उद्योग, छोटे सड़क तथा जल परिवहन चालक, खुदरा व्यापार तथा छोटे व्यापारी, शिक्षित बेरोजगार तथा अन्य स्वनियोजित व्यक्ति शामिल हैं, अधिकाधिक मात्रा में ऋण प्रदान कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए निर्धारित ऋणों को अपने कुल ऋणों के कम से कम 33.3 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत कर दिया गया है जो कि अगले पांच वर्षों में पूरा करना है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले बढ़े हुए ऋणों का एक महत्वपूर्ण भाग 20 सूत्री कार्यक्रम के लाभान्वितों को मिलेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के कार्यक्रम में भी तेजी लाई जायेगी। जून, 1979 के अंत की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋणों की बकाया राशि 5229 करोड़ रुपये थी जिसमें 97.23 लाख ऋणकर्त्ता खाते व्याप्त थे।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशियां

2132. **श्री के० मालन्ना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1978-79 के दौरान राज्यवार, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्राप्त जमा राशियों के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक बैंक ने इस अवधि में राज्यवार किसानों और गैर सरकारी क्षेत्र के उद्यमियों को ऋण के रूप में कितनी राशि दी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) दिसम्बर 1978 के अंत में उपलब्ध आंकड़े अनुबंध में दिये जा रहे हैं।

हालांकि मोटे तौर पर गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमियों की परिभाषा में गैर-सरकारी क्षेत्रों के सभी प्रकार के आर्थिक उद्यम आ जाते हैं, फिर भी, समझा जाता है कि प्रश्न का आशय छोटे पैमाने के उद्योगों से है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में डकैती और लूटपाट की घटनाओं के परिणामस्वरूप बैंकों को हुई हानि

2133. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दिनांक 31 मई, 1979 से अब तक विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में डकैती और लूट-पाट की घटनाओं के परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और कितने व्यक्तियों को सजा मिली तथा उनसे कितनी धन राशि की वसूली हुई ; और

(ग) डकैतियों और लूट-पाट की घटनाओं से बचने के लिए बैंकों ने क्या सुरक्षात्मक उपाएं किए हैं अथवा करने का विचार है ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) यथा सम्भव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) हालांकि सरकार बैंक-डकैतियों को पुनरावृत्ति की गम्भीर घटना मानती है, फिर भी राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करने के समुचित उपाय करें कि ऐसी डकैतियों को रोका जाय अथवा जब ऐसा हो जाय तो अपराधियों को सजा दिलाने के लिये

प्रभावी कदम उठाये जा सकें। सभी बैंकों को अपनी अपनी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्थायें हैं और बैंकों द्वारा उनको अपने-अपने अनुभवों के आधार पर और आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय पुलिस से परामर्श करके, समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

केरल को चीनी की उचित मूल्य पर सप्लाई

2134. **श्री एस० करोड़ा थौमस** : क्या वाणिज्य नागरिक तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के अनेक भागों में चीनी की अब भी कमी है और यह नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केरल राज्य को चीनी की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा; और

(ग) वहां उचित मूल्य पर चीनी कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटों का निर्धारण राज्यों के उन कोटों के आधार पर किया गया है जो 16 अगस्त, 1978 को चीनी पर से कन्ट्रोल हटाने के तुरन्त पहले की आंशिक कन्ट्रोल की अवधि के दौरान उनके लिए निर्धारित थे। इन कोटों की गणना इस प्रकार की गई है कि 1977-78 के चीनी मौसम के मध्य वर्ष अर्थात् पहली अप्रैल, 1978 की अनुमानित जनसंख्या को आधार मानते हुए प्रति व्यक्ति प्रति माह 425 ग्राम चीनी दी जा सके। इस प्रकार, केरल राज्य को 10.495 मी० टन लेवी चीनी का मासिक कोटा आबंटित किया जा रहा है।

केरल सरकार, राज्य में लेवी चीनी के थोक तथा खुदरा वितरण का कार्य कर रही है। केरल सरकार के अनुसार मार्च, 1980 के दौरान 10.495 मी० टन लेवी चीनी के मासिक आबंटन में से 25 मार्च, 1980 तक 7130 मी० टन मात्रा उठाई गई थी, जिसमें से 3809 मी० टन मात्रा सार्वजनिक वितरण के लिये उपलब्ध की गई और बाकी मात्रा मार्ग में थी। राज्य सरकार के अनुसार वर्तमान आबंटित मात्रा मार्च, 1980 के समाप्त होने से पहले उठा ली जायेगी।

केरल सरकार ने सूचित किया है कि खुले बाजार में चीनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने भारत सरकार से राज्य को अतिरिक्त लेवी चीनी आबंटित करने का अनुरोध किया है।

घड़ियों की तस्करी

2135. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान घड़ियों की तस्करी में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ,

(ग) उपर्युक्त अवधि में कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया ; और

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों तथा सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा माल पकड़ने के मामलों से, पिछले तीन वर्षों में, देश में घड़ियों के तस्कर-आयात में वृद्धि होने का पता चलता है । सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा वर्ष 1979 में कुल 3.36 करोड़ रुपये मूल्य की तस्करी की घड़ियां पकड़ी गयीं, जबकि वर्ष 1977 में 1.63 करोड़ रुपये की और वर्ष 1978 में 3.11 करोड़ रुपये की घड़ियां पकड़ी गयी थीं ।

(ग) देश में घड़ियों का तस्कर आयात करने के सिलसिले में, कैलेन्डर वर्ष 1977 में 151 व्यक्ति, 1978 में 283 व्यक्ति और 1979 में 342 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ।

(घ) : सीमा शुल्क निवारक और गुप्त सूचना तंत्र को इस सम्बन्ध में कड़ी निगरानी रखने के लिए चौकस कर दिया गया है जिससे देश में घड़ियों के तस्कर-आयात के किसी भी प्रयास को रोका जा सके । देश में घड़ियों की माँग पूरी करने के लिए स्वदेशी घड़ियों का उत्पादन बढ़ाने के प्रायस भी किये जा रहे हैं ।

मुजफ्फरपुर को अन्य नगरों से जोड़ने के लिये इण्डियन एयर लाइन्स सेवा

2136. श्रीमती कृष्णा साही : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग पाँच वर्ष पहले बिहार के औद्योगिक नगर, मुजफ्फरपुर से देश के अन्य प्रमुख नगरों को आने-जाने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स की विमान सेवा उपलब्ध थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स से मुजफ्फरपुर और पटना के बीच विमान सेवा बन्द नहीं की है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार मुजफ्फरपुर को अन्य नगरों से जोड़ने के लिए वहाँ इण्डियन एयरलाइन्स की विमान सेवा आरम्भ करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी वल्लभ पट्नायक) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) इण्डियन एयरलाइन्स की मुजफ्फरपुर के लिए विमान सेवा पुनः चालू करने की कोई योजना नहीं है ।

इस्पात के मूल्य का समान होना

2137. श्री नीरेन घोष : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य कोई ऐसा देश है, जहां भारत की तरह इस्पात का समान मूल्य होता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो भारत में इस्पात का समान मूल्य होने के विशेष कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत इस देश में इस्पात के मुख्य उत्पादकों के लोहे और इस्पात के उत्पादों के लिए भाड़ा समकरण योजना के कार्यान्वयन से है। ऐसा मुख्यतः इसलिए किया गया था ताकि देश के विभिन्न भागों का संतुलित औद्योगिक विकास हो सके। इस प्रकार की भाड़ा समकरण योजनाएं न केवल कच्चे लोहे एवम् इस्पात के लिए अपितु सीमेंट, पेट्रोलियम के उत्पादों और नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक जैसे कुछ अन्य उत्पादों के लिए भी चलाई जा रही है। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या किसी अन्य देश में भी इस प्रकार की योजना चलाई जा रही है।

यह भी बता दिया जाये कि कुछ प्रकार के आयातित तथा देशीय इस्पात के जिसकी अधिकांश आवश्यकता देशीय उत्पादन से पूरी की जाती है लेकिन कहीं-कहीं कुछ मात्रा में आयात भी करना पड़ता है, मूल्य-समकरण के लिए एक दूसरी योजना भी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आयातित सामग्री के उपभोक्ताओं को उसी प्रकार की स्थानीय उत्पादित सामग्री इस्तेमाल करने वालों के मुकाबले में घाटा न होने पाये।

पर्यटन का उद्योग के रूप में विकास

2138. श्री चित्त महाटा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पर्यटन का उद्योग के रूप में विकास करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पटनायक) : (क) और (ख) पर्यटन की महत्ता को एक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलाप के रूप में स्वीकार करते हुए सरकार पर्यटन और (इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग) होटल व्यवसाय को एक उद्योग के रूप में विकसित करने संबंधी विविध प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखानों का आधुनिकीकरण करने की योजना

2139 श्री दयाराम शाक्य : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखानों का आधुनिकीकरण करने के लिए कुछ मार्गदर्शी योजनाएं बनाई गई हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं को कब क्रियान्वित किया जायेगा और उनके क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने में बाटम ब्लोन आक्सीजन कन्वर्टर प्रक्रिया से इस्पात तैयार करने के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र

की स्थापना करने की योजना बनाई थी। यह योजना इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम का ही एक भाग थी। दुर्गापुर इस्पात कारखाने की विकास योजना के, जो यू० के० के ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन (ओवरसिज़ सर्विसिज) लिमिटेड द्वारा तैयार की जा रही है, प्राप्त होने और उस पर विचार किये जाने तक इस योजना पर आगे विचार करने का काम आस्थगित रखा गया है। जहां तक राउरकेला इस्पात कारखाने का सम्बन्ध है, इस कारखाने का आधुनिकीकरण करने के लिए एक प्रारम्भिक शक्यता प्रतिवेदन तैयार किया गया है। पश्चिम जर्मनी के निर्माताओं, रूपांकनकारों और परामर्शदाताओं की फर्मों के एक समूह ने इस इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण के बारे में अध्ययन करने हेतु अभिरुचि दिखाई है। इस अध्ययन के लिए पश्चिम जर्मनी के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत धन की व्यवस्था करने की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशों को भेजा गया धन

2140. **श्री रामविलास पासवान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973 में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का संशोधन होने के बाद रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा तैयार किये गये आंकड़ों के आधार पर पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों और शाखाओं ने अलग-अलग रायल्टी, लाभ, लाभांश, तकनीकी शुल्क, ब्याज आदि जैसे विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत विदेशों को जो धन भेजा है उसका देश-वार, कम्पनी-वार और औद्योगिक- वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : माननीय सदस्य द्वारा जो सूचना पूछी गई है वह बहुत व्यापक स्वरूप की है। फिर भी इसे यथासंभव अधिक से अधिक सीमा तक इकट्ठी करके सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

राउरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव

2141. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र का प्रसार करने और उसमें कोई आनुषंगिक उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है और उसमें रोजगार की क्या सम्भावनाएं हैं और उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यरूप दिया जायेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) राउरकेला इस्पात कारखाने का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं। इस्पात कारखानों के निकट आनुषंगिक इकाइयां केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं लगाई जाती हैं। ये इकाइयां उद्यमियों द्वारा लगाई जाती हैं, यद्यपि इन इकाइयों की स्थापना तथा विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा प्रोत्साहन अवश्य दिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मत्स्य-चूर्ण पर निर्यात शुल्क लगाया जाना

2142. **श्री जी०एम० बनातवाला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपीलीय समाहर्ता बम्बई ने मत्स्य चूर्ण के निर्यात के एक मामले में स्पष्ट आदेश दिए थे कि मत्स्य चूर्ण पर 125/- रु० प्रति टन का निर्यात शुल्क नहीं लगाया जा सकता है;

(ख) क्या इन स्पष्ट आदेशों के बावजूद सीमा शुल्क समाहर्ता उपर्युक्त निर्यात शुल्क वसूल कर रहे हैं जिसके कारण निर्यातों में वित्तीय अवरोध आ रहा है तथा अनावश्यक अपीलें की जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीमा शुल्क समाहर्ता, अपीलीय समाहर्ता के आदेशों के अनुसार ही चलें, सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) अपीलीय समाहर्ता के उक्त निर्णय को कानून के संगत उपबंध के अन्तर्गत रद्द करने अथवा उसमें संशोधन करने संबंधी प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दुकानदारों का चयन

2143. **श्री के०एम० मधुकर :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पूर्व चम्पारन जिले में कितनी पंचायतें हैं और प्रत्येक पंचायत के अन्तर्गत कितनी जनसंख्या हैं;

(ख) क्या दो हजार की जनसंख्या वाली पंचायतों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दुकानदारों की सूची तैयार की गई है;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दुकानदारों के नामों का चयन करने में कोई अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उन पुराने दूकानदारों के नाम छोड़ दिए गए हैं जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में स्थानों का विकास

2144. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में पिपलीकानन, अरेराज, चांदीस्थान, लोरिया, केसरिया जैसे तथा अन्य कितने स्थानों का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जा सकता है क्योंकि वहां पर अनेक प्राचीन ऐतिहासिक खण्डर हैं जो उपेक्षित अवस्था में हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों की सड़क निर्माण, होटल निर्माण तथा अन्य सुविधाए प्रदान करने की दृष्टि से उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में पर्यटन की दृष्टि से इन स्थानों के विकास की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराने और उनके उचित विकास के लिये एक योजना क्रियान्वित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पट्नायक) : (क) और (ख) भारत में बड़ी संख्या में पर्यटक अभिरुचि के प्रचुर स्थल हैं और इसमें सन्देह नहीं कि पूर्वी चम्पारन जिले में पिपलीकानन, अरेराज, चांदीस्थान, लोरिया, केसरिया और अन्य स्थान उनमें से कुछ स्थल हैं। तथापि, संसाधनों पर नियंत्रण के कारण पर्यटन आयोजना के प्रति एक चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य हो जाता है, अतः प्राथमिक रूप से केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत उन केन्द्रों में पर्यटक सुविधाओं के विकास पर जोर दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बीच पहले से ही लोकप्रिय होते हैं अथवा उन्हें आकर्षित करने की संभाव्यता रखते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, बिहार में बोधगया, राजगीर और नालंदा में, जहां भारत और विदेशों से बौद्ध तीर्थयात्री आकर्षित होते हैं, पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

(ग) बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में पिपलीकानन, अरेराज, चांदीस्थान, लोरिया, केसरिया और अन्य स्थानों पर विकास हेतु अपेक्षित सुविधाओं का निर्धारण करने के लिए सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा की खनिज क्षमता की विस्तृत खोज के लिए योजना

2145. **श्री कृपा सिंधु भोई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार विभिन्न प्रकार के बहुतायत में पाए जाने वाले खनिजों के राज्य उड़ीसा की खनिज क्षमता की विस्तृत खोज करने के लिए किसी विशेष योजना पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : उड़ीसा में खनिजों की खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अपने वार्षिक खोज कार्यक्रम के अन्तर्गत लगातार की जाती है तथा बाक्साइट, क्रोमाइट, मैंगनीज अयस्क, तांबा अयस्क, आदि विभिन्न खनिजों का विस्तृत खोज कार्य पहले से ही किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश को सप्लाई की गई चीनी और खाद्यान्न

2146. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1979 से जनवरी, 1980 तक की अवधि में मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अधीन उपभोक्ताओं को सप्लाई करने के लिये चीनी और खाद्यान्न का कितना कोटा दिया गया है ; और

(ख) इसी अवधि में सप्लाई की गई चीनी और खाद्यान्न के कोटे में से कोटे की कितनी मात्रा अप्रयुक्त पड़ी है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जनवरी, 1979 से जनवरी, 1980 तक के 13 महीनों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने 340 हजार मीटरी टन चावल और 670 हजार मीटरी टन गेहूं की मांग की थी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को देने के लिए इस सारी मात्रा का आबंटन उन्हें कर दिया गया था। इस आबंटन में से राज्य सरकार ने 180.2 हजार मीटरी टन चावल और 399.5 हजार मीटरी टन गेहूं उठाया है। जहां तक लेवी चीनी का संबंध है, 17-12-79 से लगाये गये आंशिक कंट्रोल के बाद से मध्य प्रदेश को जनवरी; 1980 तक 28,503 मीटरी टन चीनी का आबंटन किया गया था। इसमें से, 31-1-80 तक 9,344 मीटरी टन चीनी भारतीय खाद्य निगम द्वारा भेजी जा चुकी थी ।

"सोवियत–इंडियन कोआपरेशन इन फेरस मेटालुर्जी" शीर्षक समाचार

2147. **श्री सूरज भान** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 फरवरी, 1980 के "द पेट्रियोट" में "सोवियत–इण्डियन कोआपरेशन इन फेरस मेटालुर्जी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है । जिसमें सोवियत संघ के फेरस मेटालुर्जी मंत्री श्री आई० कजानेटंस का भाषण प्रकाशित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भिलाई इस्पात संयंत्र तथा बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये आवश्यक फालतू पुर्जों का आयात किया जाता है और उन में से कोई भी पुर्जा भारत में नहीं बनता है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भिलाई तथा बोकारो संयंत्र के लिये गत पांच वर्षों के दौरान फालतू पुर्जों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ; और

(घ) इन फालतू पुर्जों के निर्माण के लिये भारत में ही एक कारखाना न स्थापित करने के क्या कारण है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यह सच नहीं है कि भिलाई इस्पात कारखाने और बोकारो इस्पात कारखाने में इस्तेमाल होने वाले फालतू पुर्जों में से कोई भी पुर्जा भारत में नहीं बनता है। सच तो यह है कि सोवियत रूस से केवल ऐसे फालतू पुर्जों का ही आयात किया जाता है जो

भारत में नहीं बनाये जा सकते हैं और जिनको बनाने के लिए विस्तृत रेखाचित्र उपलब्ध नहीं हैं । पिछले पांच वर्षों में इन दो इस्पात कारखानों के लिए किये गये आयात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	बोकारो	(करोड़ रुपये) भिलाई
1975-76	6.59	2.10
1976-77	4.70	1.65
1977-78	3.90	1.85
1978-79	8.77	1.36
1979-80 (20-3-80 तक)	4.36	1.73

(घ) भिलाई और बोकारो दोनों इस्पात कारखानों की सामान्य फालतू पुर्जों की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनकी अपनी वर्कशाप हैं । कुछ भारी-भारी फालतू पुर्जे रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग निगम सहित विभिन्न देशीय निर्माताओं से प्राप्त किये जाते हैं । फिर भी, कुछ फालतू पूर्जे आयात किये जाते हैं क्योंकि उनको देश में तैयार करने पर बहुत अधिक लागत आती है ।

बिहार में अभ्रक की खानें

2148. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार में अभ्रक की खानों पर राज्य व्यापार निगम का नियंत्रण है; और

(ख) क्या सरकार बिहार में स्थित सभी अभ्रक खानों को अपने नियंत्रण में लेने पर विचार कर रही है जिससे उनका रख-रखाव और उनकी अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जा सके ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) बिहार में अधिकांश अभ्रक खानों के खनन पट्टे राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट पार्टियों को दिए गए हैं । परन्तु सापाही क्षेत्र में कुछेक अभ्रक खानें मैसर्स बिहार राज्य खनिज विकास निगम (राज्य सरकार का उपलब्ध) द्वारा चलायी जा रही हैं ।

(ख) बिहार की अभ्रक खानों के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

सरकारी कर्मचारियों के पुत्रों/पुत्रियों को मकान किराया भत्ता

2149. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को सरकारी मकान मिले हुए हैं उनके पुत्रों/पुत्रियों को, जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, मकान किराया भत्ता नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे बहुत से सरकारी कर्मचारी जिनके माता-पिता को सरकारी मकान मिले हुए हैं गलत पाते देकर मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार मकान किराया भत्ता संबंधी नियमों में इस तरह का परिवर्तन करने का है कि मकान किराया भत्ता देने के मामले में सभी सरकारी कर्मचारियों को एक-समान समझा जाए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क)केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जो अपने माता-पिता को आवंटित सरकारी आवास में रहते हैं, मकान किराया भत्ता पाने के पात्र नहीं हैं।

(ख) संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों का स्वयं को संतुष्ट करना होता है कि मकान किराए भत्ते के संबंध में दावे विद्यमान आदेशों के अनुसार हैं और ऐसे मामलों में जहां उन्हें दावे की यथार्थता में शंका होती है वहां उनके द्वारा अलग से जांच किए जाने और यदि दावे में दिए गए विवरण गलत पाए जाएं तो उचित कार्यवाही किए जाने की आशा की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

आवश्यक पदार्थों की वसूली और सप्लाई

2150. **श्री गदाधर साहा** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी आवश्यक पदार्थों के मूल्यों में तेजी से हुई वृद्धि और उनकी कमी तथा अनुपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए सरकार द्वारा उनकी वसूली करने और उचित दर दुकानों के माध्यम से उनका वितरण करने हेतु राज्यों को राज-सहायता प्राप्त और समान दरों पर सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जैसा कि इस्पात और चीनी के मामले में किया जाता है, जबकि इनका निर्यात किया जाता है; और

(ख) यदि नहीं तो क्या कारण है और देश की जनता की दिक्कतों को दूर करने के लिए उनकी वसूली और वितरण संबंधी वैकल्पिक योजना क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) सरकार ने कुछेक आवश्यक वस्तुओं की वसूली और वितरण करने के विचार को बहुत पहले से ही स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा आवश्यक वस्तुओं की वसूली और आपूर्ति से संबंधित क्षेत्रीय मंत्रालयों के परामर्श से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निरंतर पुनरीक्षा कर रही है। इसके परिणामस्वरूप, गेहूँ और चावल जैसे खाद्यान्न कमी वाले राज्यों को एक समान निर्गम मूल्यों पर सप्लाई करने के लिए आधिक्य वाले राज्यों से खरीदे जाते हैं। इसी प्रकार, देश में खाद्य तेलों की कमी को दूर करने के लिए इनका आयात किया जा रहा है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केंद्रों के माध्यम से वितरण करने के लिए राज्यों को इनकी सप्लाई की जाती है। देश में सभी राज्यों को दोहरी मूल्य नीति के अंतर्गत लेवी चीनी की सप्लाई करने के लिए भी प्रबंध किए गये हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिट्टी के तेल और साफ्ट कोक की आपूर्ति करने के प्रबंध भी किये गये हैं। यद्यपि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी 2·85 रु० प्रति कि० ग्रा० के एक समान मूल्य पर दी जा रही है, तथापि चावल, गेहूं, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल तथा साफ्ट कोक का वितरण प्रणाली के माध्यम से केंद्रीय निर्गम मूल्यों जमा कुछ स्थानीय प्रासांगिक प्रभारों पर किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चाय, काफी, नहाने के साबुन, दियासलाइयों और कापियों की सप्लाई करने के प्रबंध भी किये गये हैं और बहुत से राज्यों ने इन प्रबंधों का लाभ उठाया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राउरकेला इस्पात कारखाना/संयंत्र द्वारा बहुत अधिक कीमत पर ट्रनियनरिंग की खरीद

2151. **श्री रुद्र प्रताप षाडंगी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राउरकेला इस्पात कारखाना संयंत्र द्वारा बहुत अधिक कीमत पर ट्रेनियनरिंग खरीदे जाने के संबंध में जांच पड़ताल करने के लिए उनके मंत्रालय से स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो यह स्वीकृति कब प्रदान की गयी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सेल के उच्च अधिकारी और एक उच्च राजनैतिक नेता इस मामले में सम्मिलित है; और

(घ) इस बारे में स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) जी, नहीं

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

एल-बेस के आयात के लिये औषध एककों के लिये वैकल्पिक व्यवस्था

2152. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी एजेंसी, दि स्टेट केमिकल एण्ड फार्मेस्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड के बजाय अपने आयात लाइसेंसों के माध्यम से स्वयं एल-बेस का आयात करने के इच्छुक औषध एककों के लिये सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है; और

(ख) क्या उनके औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 1979 के अधीन कलोरमफेनिकोल के लिये सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से आयात के बाद उचित लाभ प्राप्त होता है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकारी एजेंसी के साथ व्यवस्था के अतिरिक्त सरकार ने और क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) 'एल-वेस' का आयात मार्गीकृत नहीं है । यह मद आयात नीति 1979-80 में प्रतिबन्धित मदों की सूची में शामिल है । अतः वास्तविक प्रयोक्ता (औद्योगिक) नीति के अनुसार सीधे लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं ।

(ख) क्लोर ऐम्फेनिकाल पाउडर की पूल की हुई कीमत 460 रु० प्रति कि०ग्रा० है। यह कीमत एल-बेस की 475 रु0 प्रति किग्रा0 कीमत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है तथा इसमें एल-बेस को क्लोर ऐम्फेनिकल में बदलने वालों के लिये समुचित मार्जिन शामिल है । एक योजना भी आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत वास्तविक प्रयोक्ता, जिनके पास एल-बेस के वैध आयात लाइसेंस हैं, वे राज्य रसायन तथा भेषजीय निगम को अपने लाइसेंस लौटा कर उसके आधार पर 475 रु0 प्रति किग्रा0 के हिसाब से एल-बेस प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे वास्तविक प्रयोक्ताओं को, राज्य रसायन तथा भेषजीय निगम द्वारा जारी किए गए आवंटन क्रयादेशों के आधार प 460 रु0 प्रति किग्रा0 की दर पर क्लोर ऐमफेनिकाल पाउडर बेचना पड़ता है ।

झाबुआ मध्य प्रदेश में फास्फेट की उपलब्धता

2153. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ स्थान पर 1975 से अब तक कितना फास्फेट मिला है ।

(ख) 1975 से अब तक अन्य राज्यों को कितना फास्फेट भेजा गया;

(ग) क्या झाबुआ में उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर सुपर फास्फेट उद्योग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के झबुआ क्षेत्र में लगभग 4.35 मिलियन टन राक फास्फेट भंडारों की सूचना दी है जिसमें 28 प्रतिशत फास्फोरस पेन्टाआक्साइड है ।

(ख) विभिन्न राज्यों को (मध्य प्रदेश को छोड़कर) वर्ष 1975 से 1978 तक लगभग 1.31 लाख टन झबुआ राक फास्फेट का प्रेषण किया गया है ।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश के झबुआ स्थान पर प्रतिवर्ष 1,40,000 टन एल्फयूरिक अम्ल, 50,000 टन फास्फोरस अम्ल तथा 93,000 टन मोनो-एसोनियम फास्फेट के निर्माण हेतु वर्ष 1978 के आरम्भ में मैसर्स एम०पी०एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर्स लि० (संयुक्त क्षेत्र की एक परियोजना) को एक आशय-पत्र जारी किया गया था ।

मध्य प्रदेश राज्य में एक सिंगल सुपर फास्फेट कारखाने के लिए भी कुछ पार्टियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर इस समय भारत सरकार विचार कर रही है । इनमें से

कुछ आवेदक, औद्योगिक लाइसेंस मिलने पर झबुआ में उपलब्ध राक-फास्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं ।

आसाम में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता

2154. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में आवश्यक वस्तुएं, विशेष रूप से नमक; चावल, मिट्टी का तेल, चीनी उपलब्ध कराने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं । उठाने का विचार है और आसाम में समुचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) आसाम को जनवरी तथा फरवरी, 1980 में कितनी लेवी चीनी नियत की गई हैं और कछार जिले में कितनी नियत और कितनी वितरित की गई ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) चूंकि रेलों द्वारा असम को आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने के कार्य की पुनरीक्षा तथा परिवीक्षा करने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की गयी है ।

असम राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ लि०, जो कि राज्य में नमक मंगवाने वाला असम सरकार का एकमात्र मनोनीत संघ है, द्वारा की गई माँग के अनुरूप असम को विभिन्न स्रोतों से नमक का कोटा आवंटित किया गया है । अगले चार से छः सप्ताहों के भीतर नमक को ब्लाक रेकों में भेजने का प्रस्ताव है, ताकि पर्याप्त मात्रा में नमक उपलब्ध हो सके ।

मार्च, 1980 के लिए असम को सार्वजनिक वितरण हेतु 20,000 मीटरी टन गेहूं और 30,000 मीटरी टन चावल का आबंटन किया गया है । रेलवे द्वारा असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों को खाद्यान्नों की ढुलाई के कार्य में तेजी लाकर इसे लगभग 3,500 मीटरी टन प्रतिदिन (एक लाख मीटरी टन प्रतिमास) तक पहुंचाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं । 18 मार्च से 21 मार्च, 1980 की अवधि के दौरान, इन राज्यों को किया गया औसत दैनिक लदान 3000 मीटरी टन तक पहुंच चुका है ।

17 दिसम्बर, 1979 और 31 मार्च, 1980 की अवधि के लिए असम को 24,300 मीटरी टन लेवी चीनी आवंटित की गयी है । 20 मार्च, 1980 तक 10,841 मीटरी टन लेवी चीनी असम को भेजी जा चुकी थी और प्रेषण कार्य प्रगति पर है ।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान डिगबोई और गौहाटी स्थित तेल शोधक कारखानों के बंद रहने के कारण मिट्टी के तेल की काफी कमी रही । तेल शोधक कारखानों में उत्पादन शुरू होने के पश्चात अब स्थिति में सुधार हुआ है ।

राज्य सरकार के अनुसार सारे असम राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ला दिया गया है और इस प्रणाली में ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां तथा उनके फुटकर बिक्री केन्द्र और शहरी क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें और सहकारी समितियां शामिल हैं ।

(ख) असम को जनवरी तथा फरवरी, 1980 में 7,541 मी० टन लेवी चीनी प्रति माह आवंटित की गई। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जनवरी तथा फरवरी, 1980 में कछार जिले को 835.4 मी० टन प्रति माह के हिसाब से लेवी चीनी आवंटित की गई।

श्रेणी I अधिकारियों के फैडरेशन द्वारा दिया गया ज्ञापन

2155. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के श्रेणी I अधिकारियों के फैडरेशन ने सरकार को दिनांक 14 जनवरी 1980 का एक ज्ञापन दिया है जिसमें श्रेणी I तथा श्रेणी III के वेतनमानों, महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्तों में विषमताओं का उल्लेख है ;

(ख) क्या यह सच है कि श्रेणी I कर्मचारियों ने कहा है कि उनकी पदावनति की जाये;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम में जोनल मैनेजर के व्यक्तिगत सहायक को जोनल अधिकारी से अधिक वेतन प्राप्त होता है ; और

(घ) यदि हां, तो विषमता को दूर करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) जी, हां। लेकिन पहली श्रेणी के अधिकारियों ने ज्ञापन में यह मांग नहीं की है कि उन्हें पदावनत कर दिया जाए।

(ग) और (घ) जी, नहीं। जीवन बीमा निगम में क्षेत्रीय अधिकारी का कोई पद नहीं है। सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद से है लेकिन क्षेत्रीय प्रबंधक के वैयक्तिक सहायक को उससे ज्यादा वेतन नहीं मिलता।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण

2156. **अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल नियमों के वर्तमान सामान्य नियमों के अनुसार अराजपत्रित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी का एक विशेष पद पर एक बार निर्धारित किया गया वेतन घटाया अथवा संशोधित किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर;

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा किसी अराजपत्रित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी के किसी मामले में मूल नियमों के वर्तमान सामान्य नियमों के अन्तर्गत एक विशेष पद पर एक बार निर्धारित किया गया वेतन घटाया गया हो और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरायन : (क) जी, हां।

(ख) फिर भी सरकारी कर्मचारी की वेतन, जिसमें अराजपत्रित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी भी शामिल है, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के अन्तर्गत दण्ड के परिणामस्वरूप अथवा उसके अपने विकल्प के अनुसार घटाया जा सकता है। उसके वेतनमान का संशोधन वेतनमानों के सामान्य संशोधन के परिणामस्वरूप अथवा कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों में परिवर्तन होने के कारण उसके पद के वेतनमान में जब कभी संशोधन हो किया जा सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहां पर अराजपत्रित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का वेतन या तो दंड के रूप में अथवा उनके अपने विकल्प के अनुसार घटाया गया हो। तथापि ऐसे मामलों का रिकार्ड सरकार में किसी केन्द्रीय स्थान पर नहीं रखा जाता।

देश में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजार तथा जमाखोरी करने वाले गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

2157. श्री उत्तम भाई पटेल : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनता--लोकदल शासन के दौरान अर्थात् 1 अप्रैल, 1977 से 10 जनवरी, 1980 के दौरान कालाबाजारी तथा जमाखोरी के लिये कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ख) कितना एवं कितने मूल्य का सामान जब्त किया गया और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में चोर-बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 का कार्यान्वयन

2158. श्री अहमद एम० पटेल
श्रीमती मोहसिना किदवई
श्री वी० एस० विजय राघवन } : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में चोर-बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 अपने यहां लागू कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने इसे अपने यहां लागू नहीं किया है;

(ग) इस कानून के अन्तर्गत अब तक कितने व्यक्ति नजरबन्द किए गए हैं; और

(घ) सरकार ने इस कानून को पूरे देश में अनिवार्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) से (घ) राज्य सरकारों को संसद द्वारा बनाये गये कानून के उपबन्धों को लागू करना होता है और सभी राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्रों को तदनुसार सलाह दी गई है । पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल की राज्य सरकारों ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में कुछ शंकाएं (रिज़र्वेशन्स) व्यक्त की हैं । राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध की गई नवीनतम सूचना के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत 52 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है ।

इस्पात संयंत्र श्रमिकों के संशोधित वेतन ढांचे

2159. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात संयंत्र श्रमिकों के संशोधित वेतन–ढांचे से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ।

(ख) क्या उसमें कोई वृद्धि की गई है और यदि हां, तो उसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) तथा (ख) इस्पात उद्योग के लिये बनाई गई राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार समिति के साथ नई दिल्ली में 19 जून, 1979 को हुए करार के ज्ञापन के अनुसार सेल के अधीन इस्पात कारखानों के श्रमिकों के वेतन में 1-9-1978 से लेकर चार वर्षों के लिए वृद्धि की गई थी । कुल वेतन में तीन चीजें होती हैं अर्थात मूल वेतन, नियत मंहगाई भत्ता तथा परिवर्तनशील(समंजनीय)मंहगाई भत्ता । इस वेतन-वृद्धि के परिणामस्वरूप 1–9–1979 से इस्पात उद्योग में निम्नतम वेतन पाने वाले श्रमिक का वेतन 437.40 रुपये से बढ़ कर 505.00 रुपये हो गया था । यह वेतन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 327 (आधार 1960=100) पर आधारित था । 1.9.1974 से 31.8.1978 की पहले की अवधि के दौरान इस्पात श्रमिकों को वेतन 30 जुलाई, 1975 को हुए करार की शर्तों के अनुसार दिया जाता था । वेतन-वृद्धि से पहले और बाद इस्पात कारखानों के श्रमिकों के वेतनमान और मंहगाई भत्ते निम्न-सारणी मे दिखाये गये हैं :—

अवधि–1.9.74 से 31.8.78 तक		अवधि–1.9.78 से 31.8.82 तक	
कोड नं०	वेतनमान (रुपये प्रतिमास)	कोड नं०	वेतनमान (रुपये प्रतिमास)
1	2	3	4
1. मूल वेतन ढांचा			
	क– कारखाना कर्मचारी वर्ग		
पी 1	300-6-348	एस 1	400-8-488
पी 2	310-7-352-8-400	एस 2	410-9-473-10-543
पी 3	330-9-420-10-440	एस 3	430-12-514-13-605

1	2	3	4
पी 4	355-11-487	एस 4	455-14-553-15-658
पी 5	390-15-570	एस 5	490-20-630-21-777
पी 6	430-20-670	एस 6	530-26-894
पी 7	490-21-595-24-763	एस 7	590-27-779-30-989
पी 8	550-28-718-32-910	एस 8	650-33-881-37-1140
पी 9	650-35-1000	एस 9	750-40-990-42-1158
	ख– कार्यालय कर्मचारी वर्ग		
01	340-15-445-20–625	एम 1	440-20-580-26-814
02	440-20-600-24-792	एम 2	540-26-748-30-988
03	550-28-718-32-910	एम 3	650-33-881-37-1140
04	550–35–935	एम 4	650–40–890–42–1142

2. मंहगाई भत्ता :

वेतनमान	नियत मंहगाई भत्ता (उ०मू०सू० 269)	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	वेतनमान	नियत मंहगाई भत्ता (उ०मू०सू० 312)	अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
369 तक	62.00	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 269 (आधार 1960 = 100) से ऊपर एक प्वाइंट बढ़ने पर 1.30 रुपये की दर से	469 तक	85.00	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 312 (आधार 1960 = 100) से ऊपर एक प्वाइंट बढ़ने पर 1.30 रुपये की दर से
370–519	67.00		470-619	90.00	
520-619	72.00		620-719	95.00	
620 से अधिक	77.00		720 तक	100.00	

विदेशों को भारतीय माल का निर्यात करने वाले भारतीय व्यापारियों की ओर से ज्ञापन

2160. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

उ० मू० सू०=उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(क) क्या सरकार को विदेशों को भारतीय माल का निर्यात करने वाले भारतीय व्यापारियों की ओर से विकसित देशों के व्यापारियों के साथ मुकाबला करने के संबंध में उनको हो रही कठिनाइयों के बारे में अनेक ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार भारतीय व्यापारियों की किस प्रकार सहायता करने का है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) भारतीय निर्यातक अपने निर्यात व्यापार में आने वाली कठिनाइयों के बारे में समय समय पर वाणिज्य विभाग तथा सरकार के अन्य संबंधित विभागों को अभ्यावेदन देते रहते हैं। भारत के निर्यातों को अन्य देशों के निर्यातों से प्रतियोगी बनाने के लिए निर्यात सहायता संबंधी कई उपाय पहले ही प्रचलित हैं। इनमें ये शामिल हैं ; निर्यातों के आधार पर निर्यातकों को आयात सुविधाएं देना, चुनिंदा उत्पादों पर मुआवजा सहायता, शुल्क वापसी आदि। निर्यात सदनों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है ताकि वे विदेशों में विभिन्न मेलों में भाग ले सकें अथवा निर्यात व्यवसाय प्राप्त करने के लिए अपने बिक्री दल भेज सकें। विदेशों में कार्यालय खोलने के लिए निर्यात सदनों को भी सहायता दी जाती है ।

इन्डियन एयरलाइन्स के पास विमान

2161. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1979 को इन्डियन एयरलाइन्स के पास कुल कितने विमान थे और उनका ब्योरा क्या है ;

(ख) गत दशाब्दी के दौरान कितने विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए ;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने बेड़े में और विमान जोड़ने का है; और

(घ) वर्ष 1980–81 के दौरान कितने विमान जोड़े जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पट्टनायक) : (क) उस समय इन्डियन एयरलाइन्स के विमान-बेड़े में निम्नलिखित विमान थे :—

ए300 बी2	– 6
बोइंग 737	– 13
एच० एस० – 748	– 15 (इनमें नागर विमानन के महानिदेशक से पट्टे पर लिया गया एक विमान भी सम्मिलित है)
फोकर एफ–27	– 8
कुल	42

(ख) 1970 से इन्डियन एयरलाइन्स के 12 विमान दुर्घटनाओं में नष्ट हुए हैं ।

(ग) और (ख) सरकार ने इन्डियन एयरलाइन्स के विमान-बेड़े की वृद्धि के लिए दो ए300 बी2 एयरबसों तथा आठ बोइंग 737 विमानों की खरीद का अनुमोदन कर दिया है। ये विमान 1980 तथा 1981 में ले लिये जायेंगे ।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर और कुल्टी में ठेका श्रमिकों की संख्या

2162. **श्री समर मुखर्जी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर और कुल्टी में, युनिटवार और संयंत्र-वार, कितने ठेका श्रमिक कार्यरत है ; और

(ख) इन श्रमिकों को रिक्त हुये स्थाई पदों पर नियमित करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) ठेका-श्रमिकों की संख्या हमेशा एक समान नहीं रहती है। वर्ष 1979 की अन्तिम तिमाही में "इस्को" के बर्नपुर तथा कुल्टी स्थित कारखानों के उत्पादन तथा रख-रखाव और सेवा विभागों में ठेका-मजदूरों की औसत संख्या नीचे दी गई है :—

	बर्नपुर कारखाना	कुल्टी कारखाना
उत्पादन विभाग	1041	162
रख-रखाव तथा सेवा विभाग	2381	893
कुल :	3422	1055

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार ने दिनांक 9 फरवरी, 1980 को ठेका-श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अधीन एक अधिसूचना संख्या 134—एल० डब्ल्यू० एल० डब्ल्यू०/41—17/79 जारी करके "इस्को" के बर्नपुर स्थित कारखाने में कुछ कार्यों के लिए 1 अप्रैल, 1980 से ठेका-मजदूर लगाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। "इस्को" के प्रबन्धक इन कार्यों का विभागीयकरण करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए वे औद्योगिक इंजीनियरी अध्ययन द्वारा इस बात का पता लगा रहे हैं कि कितने नये पदों का सृजन करना होगा और इसके साथ-साथ इस प्रकार के विभागीयकरण की रूपरेखा और ब्यौरों के बारे में बातचीत की वर्तमान प्रथा के अनुसार पांच यूनियनों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

जहां तक कुल्टी के कारखाने का सम्बन्ध है, पश्चिमी बंगाल सरकार का श्रम निदेशालय ठेका कार्यों के विनियमन तथा उत्पादन के मामले पर विचार कर रहा है।

इस्पात और अलाय का उत्पादन

2163. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष--वार और संयंत्र—वार इस्पात और अलाय का कितना उत्पादन हुआ हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) वर्ष 1976-77 से 1978-79 तथा अप्रैल, 1979 से फरवरी, 1980 की अवधि में छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों और मिश्र-इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर और विश्वेश्वरैया आयरन

एण्ड स्टील लि0, भद्रावती के कारखानों का इस्पात पिण्ड और विक्रेय इस्पात का उत्पादन निम्न सारणी में दिखाया गया है:-

(हजार टन)

कारखाना	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80 (अप्रैल, 79 से फरवरी, 80)
		इस्पात पिण्ड		
भिलाई	2302	2371	2200	1925
दुर्गापुर	1091	1092	945	804
राउरकेला	1503	1409	1319	1145
बोकारो	956	933	1195	1300
इस्को	667	651	628	514
टिस्को	1908	1968	1866	1613
कुल	8428	8424	8153	7302
मिश्र-इस्पात कारखाना, दुर्गापुर	94.8	97.2	97.3	71.7
विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि0, भद्रावती	137.3	102.9	113.4	108.1
		विक्रेय इस्पात		
भिलाई	2019	1930	1846	1536
दुर्गापुर	901	865	776	570
राउरकेला	1174	1178	1042	940
बोकारो	736	815	931	800
इस्को	542	506	481	380
टिस्को	1550	1601	1516	1288
कुल	6922	6894	6592	5472
मिश्र-इस्पात कारखाना, दुर्गापुर	51.9	48.8	48.8	41.0
विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि0, भद्रावती	80.6	72.7	83.7	81.3

आयकर निरीक्षकों को चयन ग्रेडों की मंजूरी

2164. **श्री के० ए० राजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी संवर्ग में चयन ग्रेड बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या आयकर विभाग में सहायक आयकर आयुक्तों के संवर्ग में 'चयन ग्रेड' बनाते समय सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड का दृढ़तापूर्वक पालन किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान आदेशों से अलग हटने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सहायक आयकर आयुक्तों के मामले में अपनाये जाने वाले मानदण्डों को आयकर निरीक्षकों को 'चयन ग्रेड' देते समय भी लागू करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो आयकर निरीक्षकों को 'चयन ग्रेड' कब तक मंजूर किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): (क) व्यय विभाग के 10 जनवरी 1977 के का० ज्ञा० सं० फा० 7 (21) संस्था–111 (क) 174 की एक प्रति संलग्न है, जिसमें प्रवरण ग्रेड के सृजन के मानदण्डों के बारे में प्रभावी व्यवस्था का उल्लेख है ।

(ख) सहायक आयकर आयुक्तों के ग्रेड में 'प्रवरण ग्रेड' का सृजन, संवर्ग समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया गया था । इस प्रकार, सहायक आयकर आयुक्तों के ग्रेड में 'प्रवरण ग्रेड' का सृजन करने के मामले में अपनाया गया मानदण्ड भिन्न था ।

(ग), (घ) तथा (ङ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते ।

आवश्यक वस्तुओं की वितरण प्रणाली के प्रभावी कार्यकरण हेतु तंत्र

2165. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी, मिट्टी के तेल, खाद्य तेल, सीमेंट आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की वितरण प्रणाली के प्रभावी कार्यकरण हेतु कोई उपयुक्त तंत्र स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के तत्वावधान में ऐसा तंत्र स्थापित करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) व (ख) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकेन्द्रीत है और इस प्रणाली को चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों को भारतीय खाद्य निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल निगमों, राज्य व्यापार निगम आदि जैसे विभिन्न केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा सप्लाई की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था शहरी और ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से करनी होती है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की वसूली तथा सप्लाई के लिये जिम्मेदार केन्द्रीय मंत्रालयों के परामर्श से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समय-समय पर पुनरीक्षा कर रही है। केन्द्रीय सरकार ने इस प्रणाली के कार्य का पुनर्विलोकन करने तथा इसे मजबूत करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिये एक सलाहकार परिषद् भी गठित की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलना और उनका कार्यकरण

2166. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलने तथा उनके कार्यकरण के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या संसद सदस्यों, विधायकों, पंचायत समितियों/जिला परिषदों के प्रधानों जैसे लोगों की प्रतिनिधियों को इस प्रक्रिया में, विशेष रूप से ऋण देने में सहबद्ध किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये राज्य/जिला स्तर पर कोई उपयुक्त तंत्र तैयार किया गया है और उसका स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान लाइसैंसिंग नीति के अन्तर्गत, यह आवश्यक है कि 1979-81 की अवधि में वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकारों के परामर्श से बैंकिंग सुविधाओं की दृष्टि से कमी वाले विभिन्न जिलों के बैंक रहित ऐसे ग्रामीण और अर्ध-नगरीय/केन्द्रों में बैंकिंग सुविधायें प्रदान करने की दिशा में अपनी शाखाओं का विस्तार करने का प्रयास करेंगे जहां व्याप्ति प्रति 20,000 ग्रामीण/अर्ध नगरीय लोगों के लिए एक शाखा से कम हो।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि वे अपनी ग्रामीण और अर्ध-नगरीय शाखाओं के माध्यम से जमा के लिए अपेक्षाकृत अधिक रकमें प्राप्त करें और कुल अखिल भारतीय आधार पर इन शाखाओं में ऋण: जमा का 60 प्रतिशत के अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करें।

(ख) और (ग) अन्तर-संस्थागत कार्यक्रमों की समीक्षा करने तथा समन्वय सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के लिए सामान्य मंच की व्यवस्था करने के उद्देश्य से राज्य तथा जिला स्तरों पर समन्वय/परामर्श मंचों का निर्माण किया गया है।

राज्य स्तरीय समन्वय समिति के गठन के बारे में निर्णय, मुख्यत: राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। परन्तु, उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे इन समितियों में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मिलित करें।

राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे जिला स्तर पर भी प्रत्येक जिले में बैंकों को ऋण योजनाओं से लाभान्वित होने वाले विशिष्ट समूहों का पता लगायें और जिला

सलाहकार समितियों की बैठकों में गैर सरकारी अधिकारियों सहित इस प्रकार के लभान्वितों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करें ।

बॉक्साइट के भारी निक्षेपों का पता लगाना

2167. श्री जय नारायण : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन स्थानों पर हाल ही में बॉक्साइट के भारी निक्षेपों का पता लगा है; और

(ख) इन स्थानों से बॉक्साइट निकालने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में पूर्वी घाट पर बॉक्साइट के प्रचुर भण्डार हैं । इनमें उड़ीसा के कारलापत, पोटंगी, बल्लाड, पंचपटमाली, कोडिंगमाली, बपलीमाली, माली पर्वत, कर्णपाड़ीकोण्डा, लांजीगढ़, सिजीमाली, कुटरुमाली, सासबहूमाली, पसोंगमाली और आन्ध्र प्रदेश के गालीकोंडा राकताकोण्डा, कटुकी, चित्तमगुण्डी, कोटवलारा और दुमकोण्डा पर्वत शामिल हैं ।

(ख) इन भंडारों के दोहन के लिये उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में पूर्वी घाट पर एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है । उड़ीसा में एल्यूमिना-एवं-एल्यूमिनियम संयंत्र के लिए साध्यता अध्ययन फ्रांस की मैसर्स एल्यूमिनियम पैचीनी द्वारा और आन्ध्र प्रदेश में एल्यूमिना संयंत्र के लिए साध्यता अध्ययन मैसर्स स्वेतमेसप्रोमेन्सपोर्त द्वारा किए गए थे । अध्ययन पूरे हो गए हैं और इन संयंत्रों के बारे में साध्यता रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन हैं ।

समृद्ध राष्ट्रों द्वारा उनकी मंडियों में विकासशील देशों की पहुंच पर रोक लगाये जाने हेतु समेकित प्रयास

2168. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि समृद्ध राष्ट्रों द्वारा उनकी मंडियों में विकासशील देशों की पहुंच पर रोक लगाये जाने हेतु समेकित प्रयास जारी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) व्यक्तिगत रूप से तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से किस प्रकार की कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) जी हां । अनेक विकसित देश संरक्षणवादी नीतियां अपना रहे हैं जो हमारे लिए गंभीर चिन्ता का विषय है । भारत सरकार द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर प्रयासों के माध्यम से इन प्रवृत्तियों को रोकने की कोशिश कर रही है ।

राजगीर का विश्व पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

2169. श्री रामावतार शास्त्री : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में राजगृह को विश्व पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके विकास के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पटनायक) :

(क) से (ग) सरकार, बिहार स्थित राजगीर में सुविधाओं का विकास करने पर विचार कर रही है क्योंकि यह बौद्ध तीर्थयात्रा का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है । शुरुआत करने के लिये केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने सुविधाओं का नियमित विकास सुनिश्चित करने और राजगीर की पर्यावरण संबंधी विशेषताओं को सुरक्षित रखने के लिए एक महायोजना (भूमि-प्रयोग योजना) तैयार करने का कार्य चालू किया है । महायोजना में इस बात का भी संकेत किया गया है कि विभिन्न सुविधाएं कहां-कहां पर अवस्थित होंगी । राज्य सरकार द्वारा महायोजना को अधिसूचित किए जाने पर, केन्द्रीय सेक्टर में सुविधाओं का विकास शुरू किया जाएगा । इनमें पर्यटक काम्पलेक्स पर विभिन्न श्रेणियों के आवास की व्यवस्था, कैम्पिंग स्थल/ट्रेलर पार्क, पार्किंग क्षेत्र और भूदृश्य-निर्माण शामिल होंगे ।

सातवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को विशेष अनुदान देने की सिफारिश किया जाना

2170. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवें वित्त आयोग ने पिछड़ी हुई अर्थ–व्यवस्था और अपर्याप्त आर्थिक विकास के ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सहित पर्वतीय राज्यों को विशेष अनुदान देने की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विकास के संबंध में नई रेल लाइनें, पर्यटन के विकास के लिए योजनाएं और दूर संचार तथा डाक सुविधाएं आरंभ करने तथा सुदृढ़ करने जैसी नई परियोजनाएं आरंभ करने के लिए इन राज्यों के साथ विशेष बर्ताव करने की संभावना की जांच करना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) सातवें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम और त्रिपुरा को सहायता अनुदान देने की सिफारिश की है जो कि आयोग द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार, आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय कर तथा शुल्कों की राशि के अन्तरण को हिसाब में लेने के बाद भी राजस्व खाते घाटे में थे ; ये अनुदान 1979-80 से 1983-84 की पांच वर्ष की अवधि के लिए लगभग कुल 1173 करोड़ रुपए के होंगे ।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय सरकार की नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना और पिछड़े राज्यों/क्षेत्रों का विकास करना है । इस नीति के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं; (i) केन्द्र में राज्यों को संसाधनों के अन्तरण के लिए एक पहलू के रुप में पिछड़ेपन को मान्यता देना ; (ii) विशेष कार्यक्रम जैसे आदिम जाति उप-आयोजनाएं, पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और विशिष्ट आर्थिक समस्याओं वाले पिछड़े राज्यो के विकास के लिए सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम (iii) अन्य बातों के समान रहते हुए, केन्द्रीय परियोजनाओं के स्थान के लिए पिछड़े राज्यों/क्षेत्रों को तरजीह देना; और (iv) विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में निजी निवेश के लिए वित्तीय और मुद्रा सम्बन्धी प्रोत्साहन देना ।

बोकारो स्टील लिमिटैड में रोजगारों का विभागीकरण

2171. **श्री ए० के० राय:** क्या इस्पात और खान मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता शासन के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि0 ने ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे बारहमासी प्रकार के रोजगार का पता लगाने तथा बोकारो स्टील लि० में उसका विभागीकरण करने हेतु कोई समिति गठित की थी ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का क्या परिणाम निकला तथा उसके बाद बोकारो स्टील लि० में किन-किन रोजगारों का विभागीकरण किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि बोकारो स्टील लि० के सप्लाई श्रमिक बारहमासी प्रकार का रोजगार कर रहे है परन्तु अभी तक उनका विभागीकरण नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):

(क) जी, हां ।

(ख) समिति के ठेका-श्रमिकों द्वारा किये जा रहे कुछ कार्यों को बारहमासी प्रकार के कार्य बताया है । इसमें एक कार्य (स्ट्रक्चरल शापों में स्प्लैश प्लेटें काटना) का विभागीकरण किया जा चुका है । शेष कार्यों का विभागीकरण करने का प्रश्न प्रबन्धकों के विचाराधीन है ।

(घ) इस समय बोकारो इस्पात कारखाने में श्रमिकों की सप्लाई का कोई ठेका नहीं है ,

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बोकारो स्टील लिमिटेड में गैर कानूनी छंटनी

2172. **श्री ए० के राय :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि बोकारो स्टील लिमिटेड से कुछ ठेकेदारों के कहने पर कारखाने के अन्दर काम कर रहें 135 कैंटीन कर्मचारियों के गेट पास छीन लिये थे और वर्ष 1979 के दौरान उनकी छंटनी कर दी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि बोकारो स्टील सिटी के उपश्रमायुक्त ने इस छंटनी को गैर-कानूनी ठहराया है और बोकारो स्टील लिमिटेड के प्रबंधको को अपने निष्कर्षों की एक प्रति लिखित रूप में दी थी; यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इसके बावजूद भी छंटनी किये गये कैंटीन कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया है ;

(घ) क्या बोकारो स्टील लिमिटेड के प्रबंधकों की ठेकेदारों से सांठ-गांठ है जो श्रम विभाग की भी अवहेलना करते हुए श्रम संबंधी कदाचार कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) यह सच नहीं है कि बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों ने 135 कैन्टीन कर्मचारियों के गेट-पास छीने थे। लेकिन 101 कैन्टीन कर्मचारियों के गेट पास रद्द किये गये थे क्योंकि कैन्टीन के ठेकेदारों ने बताया था कि कदाचार तथा/अथवा नोटिस दिये जाने के बावजूद ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण उनको नौकरी से हटा दिया गया है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग), (घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठते ।

बोकारो स्टील लि० के आस-पास के गावों का विकास

2173. **श्री ए० के० राय :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जनता सरकार के वचन की जानकारी है कि बोकारो स्टील लि० के प्रबन्धकों द्वारा बोकारो स्टील लि० से 15 किलो मीटर तक की दूरी वाले आसपास के गांवों का विकास किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो बोकारो के आस-पास के गांवों के उत्थान के लिये अब तक क्या विकास कार्य आरम्भ किया गया है, ब्यौरे-वार तथ्य क्या है; और

(ग) क्या वर्तमान सरकार वह वचन निभायेगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) और (ग) यह कहना ठीक नहीं है कि जनता सरकार ने बोकारो स्टील लि० के प्रबन्धकों द्वारा बोकारो इस्पात कारखाने से 15 किलोमीटर तक की दूरी वाले आस-पास के गांवों का विकास करने का वचन दिया था । समय-समय पर जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों में इस बात पर बल दिया गया है कि यद्यपि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का मुख्य कार्य उन उद्देश्यों की प्राप्ति करना है जिनके लिये उनकी स्थापना की गयी है तथापि उनको अपने कार्यक्षेत्र के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सक्रिय रूप से अर्थोपाय करने चाहिएं । तदनुसार उनसे कहा गया है कि आस पास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन-

स्तर में सुधार लाने के सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में वृक्ष लगाने अथवा ग्रामीण शिक्षा जैसे अपेक्षाकृत छोटे-छोटे कार्य हाथ में लें जिन पर कम रुपया खर्च होता है बशर्ते कि धन और दूसरे संसाधन उपलब्ध हों और किसी ग्रामीण विकास योजना के आवर्ती व्यय अथवा देनदारी के बारे में जिम्मेदारी न लें । इसी प्रकार वे आस-पास के ग्रामीण विकास के लिए अपने कर्मचारियों के तकनीकी और अन्य कौशल का उपयोग करने पर भी विचार कर सकते हैं बशर्ते कि इससे उनके मुख्य कार्य में बाधा न आए । यह मार्गदर्शी सिद्धान्त मोटे तौर पर वर्तमान सरकार की विचारधारा से मेल खाते हैं ।

(ख) वर्ष 1979 में बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा अपने आस-पास के गांवों में शुरू किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

		खर्च की गई धनराशि (रुपए)
1.	**प्रौढ़ शिक्षा** जितने प्रौढ़ों को शिक्षा दी गई—1129	14,800
2.	**चिकित्सा सुविधाएं** रोगियों की संख्या—1170 (दवाइयां बाँटी गई)	1,170
3.	**पशु-चिकित्सा** जितने पशुओं की चिकित्सा की गई—331 (दवाइयाँ दी गई)	250
4.	**जन-स्वास्थ्य** 7 कुओं में कीड़े मारने की दवाइयां डाली गयीं और 4 तालाबों में मच्छरों और मच्छर के अंडों को मारने के लिए दवाइयां छिड़की गई ।	अलग हिसाब नहीं रखा गया है ।
5.	**नदी पर पुल** गंगा नदी पर 165 फुट लम्बा और 4 फुट चौड़ा एक पुल बनाया गया है ताकि ग्रामवासी इस्पात नगरी तक जा सके ।	1,00,000

चालू वर्ष (जनवरी–मार्च, 1980) में प्रौढ़–शिक्षा, चिकित्सा, पशु–चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य उपाय जारी रखे जा रहे हैं । इसके अलावा 20 हैंड-पम्प लगाने का काम चल रहा है । इन पर 35,035 रुपये खर्च आयेंगे । इनके अलावा कान्द्रा, कान्तिदी, सातनपुर, अम्डीहा और सिन्बनडीह के गांवों में 5 स्कूलों की इमारतों पर छत डालने और उनकी मरम्मत करने का काम भी शुरू किया गया है । इस काम पर लगभग 1.25 लाख रुपये खर्च आने का अनुमान है । घास श्मशान-भूमि को जाने वाली सड़क की मरम्मत करने का काम भी शुरु किया गया है । इस पर लगभग 63,000 रुपये खर्च होंगे ।

खाद्य तेलों की अनुमानित कमी

2174. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के दौरान कुल मांग की तुलना में खाद्य तेलों की अनुमानित कमी कितनी है ;

(ख) अनुमानित उत्पादन और मांग की अलग-अलग मात्रा क्या है;

(ग) इस वर्ष के प्रारम्भ में राज्य व्यापार निगम के पास इसका कितना स्टाक था ;

(घ) इन कमी को पूरा करने के लिये कितनी मात्रा में तेल का आयात किया जा रहा है और इस दिशा में किये जा रहे अन्य उपाय क्या हैं ;

(ङ) बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिये आयातित तेल का उपयोग करने का प्रस्तावित तरीका क्या है ; और

(च) क्या तेल का आयात करने के लिये प्राइवेट पार्टियों को अनुमति दी जा रही है अथवा अनुमति देने का विचार है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) व (ख) खाद्य तेलों के लिये योजना पहली नवम्बर से आरम्भ होने वाले तेल वर्ष के आधार पर बनाई जाती है ।

तेल वर्ष 1979-80 के दौरान खाद्य तेलों की मांग तथा देश में उनकी उपलभ्यता में इस समय लगभग 10 लाख मीटरी टन का अन्तर होने का अनुमान है । खाद्य तेलों का उत्पादन लगभग 27 लाख मी० टन तथा मांग के लगभग 37 लाख मी० टन होने का अनुमान है ;

(ग) पहली नवम्बर, 1979 को जब चालू तेल वर्ष आरम्भ हुआ, लगभग 2.19 लाख मीटरी टन ;

(घ) मांग तथा देश में खाद्य तेलों की उपलभ्यता के बीच के अन्तर को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिये खाद्य तेलों की पर्याप्त मात्रा का आयात जारी रखने का प्रस्ताव है, ताकि विभिन्न उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा किया जा सकें । तेल वर्ष 1979-80 के दौरान आयात की ठीक-ठीक मात्रा इन बातों पर निर्भर करेगी—देश में तेलों का उत्पादन स्तर, देश में तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य रुख, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता तथा अन्य संगत बातें । इसके अलावा, देश में खाद्य तिलहनों और तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कदम भी उठाये गये हैं ;

(ङ) राज्य व्यापार निगम वनस्पति उद्योग जैसे उपभोक्ताओं को आयातित तेल उपलब्ध करता रहा है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को लाइसेन्सशुदा उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिये आयातित तेल अधिक मात्रा में दिये जा रहे हैं । राज्य व्यापार निगम समय-समय पर कुछ चुने केन्द्रों में आवश्यकतानुसार बाजार दखल के उपाय के रूप में खाद्य तेलों की वाणिज्यिक बिक्री भी करता रहा है, ताकि मूल्यों के बढ़ते रुख को रोका जा सके;

(च) जी नहीं । नीति के तौर पर खाद्य तेलों का आयात 2 दिसम्बर, 1978 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जा रहा है । तथापि, प्राइवेट पार्टियों को कुछ लाइसेन्स दिए गए हैं, ये लाइसेन्स कुछ उच्च न्यायालयों के आदेशों के कार्यान्वयन के रूप में और उन प्राइवेट

पार्टियों द्वारा दायर की गई अपीलों पर दिए गए अंतिम आदेशों के परिणामस्वरूप दिए गए, जिनके लाइसेन्स के आवेदन मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात द्वारा अस्वीकार कर दिए गये थे।

चाय बागानों द्वारा चाय की बिक्री

2175. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चाय बागानों द्वारा चाय की बिक्री के लिये अपनाई जा रही प्रक्रिया से संतुष्ट है;

(ख) क्या इस मामले की जांच करने के लिये कोई समिति गठित की गई थी, यदि हां, तो उस समिति का नाम क्या है और उसका प्रतिवेदन किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था; और

(ग) समिति के प्रतिवेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) तथा (ख) चाय बागानों द्वारा बिक्री के वर्तमान तरीके, जिनमें भारत या लन्दन में मुख्य रूप से नीलामी करके बिक्री करने और विदेशी खरीदारों या घरेलू खरीदारों को सीधे बिक्री करने के तरीके शामिल हैं, एक शताब्दी से भी अधिक समय से चल रहे हैं और कुल मिलाकर समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं । तथापि, अन्य चाय निर्यातक देशों के साथ प्रतियोगिता बढ़ जाने, आन्तरिक खपत बढ़ जाने और विश्व चाय उद्योग तथा व्यापार के ढांचे में अन्य परिवर्तनों के आ जाने से सरकार ने इस प्रणाली की समीक्षा करना वांछनीय समझा ताकि ऐसे उपचारात्मक उपाय किये जा सकें जो नये परिवर्तनों को देखते हुए आवश्यक हों ।

चाय बागानों द्वारा चाय की बिक्री सहित चाय की विपणन प्रणाली की जाँच करने के लिये फरवरी, 1978 ने श्री पी० एल० टंडन के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की गई थी ।

(ग) समिति की सिफारिशों पर सरकार इस समय विचार कर रही है ।

जबलपुर में मेडाघाट का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

2176. **श्री सुन्दर शर्मा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर में मेडाघाट का पर्यटन केन्द्र के विकास करने की कोई योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) क्या कोई अन्य प्रस्ताव भी विचाराधीन है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान कितने पर्यटकों ने मेडाघाट की यात्रा की और उनमें से कितने विदेशी पर्यटक थे ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पट्नायक) : (क) केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत जबलपुर में मेडाघाट का एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने की कोई योजना नहीं है । तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों को मेडाघाट, कान्हा नेशनल पार्क और पर्यटक रुचि वाले आस-पास के अन्य स्थानों पर ले जाने के लिए एक परिवहन यूनिट की जबलपुर में स्थापना की है, जिसमें दो कारें और एक कोच शामिल हैं ।

(ख) राज्य सरकार से यह पता चला है कि उन्होंने मेडाघाट के लिए एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया है, जिसने मेडाघाट के लिए 29 लाख रुपए की राशि की एक व्यापक विकास योजना तैयार की है । यह स्कीम राज्य सरकार के विचाराधीन है । इस बीच; 1979-80 के दौरान, राज्य सरकार ने मेडाघाट पर पुंज-प्रकाश के लिए 2 लाख रुपए और पहुंच-मार्ग के लिए 75,000 रुपए का प्रावधान किया था । 1980-81 के दौरान, मेडाघाट के सामान्य विकास और पुंज-प्रकाश के लिए 3.50 लाख रुपए की धन-राशि का प्रस्ताव किया गया है । मेडाघाट में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत सुविधाओं के विकास के लिए पंच वर्षीय योजना 1978-83 में 9 लाख रुपए का आवंटन किया गया है ।

(ग) चूंकि पर्यटकों से संबंधित आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर तैयार किये जाते हैं, इसलिए ऐसे पर्यटकों की संख्या, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान मेडाघाट की यात्रा की और उनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

उड़ीसा में हवाई पट्टी बनाने के बारे में उड़ीसा सरकार का अनुरोध

2177. श्री रास बिहारी बेहरा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में विभिन्न स्थानों पर हवाई पट्टियां बनाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो वे स्थान कौन-कौन से हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो हवाई पट्टियों को स्वीकृति देने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ।

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मन्त्री (श्री जानकी बल्लभ पट्नायक) :

(क) नागर विमानन विभाग को ऐसा कोई आवेदन-प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) विमान क्षेत्रों का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता एवं योजनागत प्राथमिकताओं के आधार पर इण्डियन एयरलाइन्स तथा गैर-अनुसूचित परिचालकों की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है ।

कालाहांडी जिले (उड़ीसा) में पर्यटन केन्द्रों का प्रस्ताव

2178. श्री रास बिहारी बेहरा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कालाहांडी जिले में पर्यटन केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि "गौहंडी", "डोकरीचंचारा", "फुर्लीशरण", "रावनधर", "बीरीपुर", "मुरादीगुडा" आदि जैसे पर्यटकों की रुचि के कई महत्वपूर्ण स्थान जिले में हैं ;

(ग) क्या पर्यटन महत्व वाले स्थानों की क्षमता का पता लगाने के लिए मंत्रालय ने कोई दल या कोई अधिकारी नियुक्त किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त जानकारी सभा पटल पर रखी जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पट्नायक) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) ये स्थान स्थानीय रुचि के हैं और संभवतः इसीलिए स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की संभाव्यता रखते हैं ।

(ग) जी, नहीं । तथापि, कालाहांडी जिला प्रशासन ने राज्य सरकार से डोकरीचंचारा फुर्लीशरण और गुडाहांडी को पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित करने की दृष्टि से उनकी पर्यटन संभाव्यताओं का सर्वेक्षण कराने के लिए अनुरोध किया है । अतः यह मामला राज्य सरकार से संबंधित है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जैन शुद्ध वनस्पति गाजियाबाद द्वारा आयातित खाद्य तेल

2179. श्री चन्द्र पाल शैलानी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजियाबाद की 'जैन शुद्ध वनस्पति' नामक कम्पनी द्वारा पिछले वर्ष आयात किये गये रेप-सीड तथा दूसरे खाद्य तेलों की मात्रा कितनी थी ;

(ख) क्या सरकार को इस आयात में किये गये घोटाले की जानकारी है ;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस सम्बन्ध में उक्त कम्पनी के विरुद्ध एक जांच कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो जांच की कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) विदेश व्यापार के आंकड़े फर्मवार नहीं रखे जाते । तथापि, इस फर्म को 1979

में 17.21 करोड़ रु० मूल्य के 27252 मि० टन आर बी डी ताड़ के तेल के आयात के लिए 2 लाइसेन्स दिए गए थे ।

(ख) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सरकारी अफीम तथा अल्कोलायड कारखाना नीमच (मध्य प्रदेश) में तालाबन्दी

2180. **श्री आनन्द पाठक** : (क) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि मध्य प्रदेश में नीमच स्थित सरकारी अफीम तथा अल्कोलायड कारखाने के प्रबन्धकों ने गत वर्ष गैर-कानूनी ढंग से तालाबन्दी की घोषणा की और कर्मचारियों की मांगों एवम् शिकायतों के बारे में लिखित आश्वासन का उल्लंघन किया , और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सारे मामले की जांच करने और विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चला है कि नीमच स्थित सरकारी अफीम और अल्कालायड कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा पिछले वर्ष कोई तालाबन्दी घोषित नहीं की गई थी । इसके विपरीत, सरकारी अफीम और अल्कालायड कर्मचारी संघ, नीमच के कुछ कामगारों ने 25-10-79 से 28-10-79 तक काम रोको हड़ताल की थी और दुबारा 3-12-79 से 11-1-80 तक भी हड़ताल पर रहे । तथापि, कारखाने को उन कामगारों की सहायता से, जो हड़ताल पर नहीं थे, चालू रखा गया । प्रबन्धकों ने कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों सम्बन्धी किसी भी लिखित आश्वासन का उल्लंघन नहीं किया ।

(ख) सरकार ने सरकारी अफीम और अल्कालायड कर्मचारी संघ, नीमच द्वारा की गयी माँगों की जांच की है तथा वर्ष 1978-79 के लिए उत्पादन पुरस्कार की अदायगी, जैसी कुछ मांगें पूरी की जा चुकी हैं ।

चाय पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क तथा निगम कर की वसूली

2181 . **श्री आनन्द पाठक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय से 1977-78 और 1978-79 के दौरान केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के रूप में कितनी धन-राशि प्राप्त हुई थी ;

(ख) 1977-78 और 1978-79 के दौरान चाय पर लगने वाले निर्यात शुल्क की कितनी धन-राशि वसूल हुई थी ; और

(ग) चाय उद्योग से निगम कर के रूप में उक्त अवधि के दौरान कितनी धन-राशि वसूल हुई थी और कितनी बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाडिया) : (क) वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान, चाय से मिली केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम नीचे दिए अनुसार है :–

1977-78	6063 लाख रुपये
1978-79	6478 लाख रुपये

(ख) 1977-78 और 1978-79 के दौरान, चाय से हुई निर्यात शुल्क की वसूली निम्नानुसार है :–

1977-78	9843 लाख रुपये
1978-79	3959 लाख रुपये

(ग) सरकार के पास चाय उद्योग से प्राप्त निगम कर तथा कर की बकाया रकम के सम्बन्ध में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी वित्तीय वर्ष 1977-78 में चाय कम्पनियों के पूरे किये गये कर निर्धारणों की संख्या तथा इनके सम्बन्ध में जारी की गयी कर की मांग निम्नानुसार है :-

चाय कम्पनियों के पूरे किये गये कर निर्धारणों की संख्या	338
इन मम्पनियों की ओर जारी की गई निगम कर की मांग	14.04 करोड़ रुपये ।

जीवन बीमा निगम के पास पड़े हुए उचंत खातों की धनराशि

2182. **श्री बापू साहिब पसलेकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालिसी-धारकों द्वारा प्रीमियम के रूप में दी गई बहुत बड़ी धन-राशि भारतीय जीवन बीमा निगम के सेंड्री उचन्त खातों में पड़ी हुई है ;

(ख) 1 जनवरी, 1980 को ऐसी धनराशि कुल कितनी थी और ये राशियां वर्ष-वार कितनी अवधि से पड़ी हुई है और इसके क्या कारण हैं , और

(ग) क्या इन राशियों को ब्याज सहित पालिसी-धारकों को लौटा दिया जायेगा और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया : (क) और (ख) : पालिसी धारकों द्वारा प्रीमियम के रूप में दी गई राशि जमा खाते में रखी जाती है, यदि :

(i) यह राशि प्रीमियम की पूरी राशि से कम हो; अथवा

(ii) यह राशि पालिसी का गलत नम्बर देकर या पालिसी का नम्बर दिये बिना दे दी गई हो ;अथवा

(iii) यह राशि रियायती दिनों की समाप्ति के बाद दी गई हो और अपेक्षित विलम्ब शुल्क न दिया गया हो; अथवा

(iv) यह शशि किसी व्यक्तिगत पालिसी के अन्तर्गत दी गई हो और पालिसी के पुनःप्रवर्तन सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी न की गई हो ।

जमा खाते में पहली जनवरी, 1980 को कुल 69.86 करोड़ रुपये की रकम पड़ी थी। यह जीवन बीमा निगम को पहली अप्रैल, 1974 से 31 दिसम्बर, 1979 तक की अवधि के दौरान प्राप्त हुई थी।

(ग) चूंकि ये रकमें प्रीमियम के लिये दी गई होती हैं इसलिए पहले तो पालिसी धारक से बाकी रकमों को पूरा करने तथा अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने का अनुरोध करके इन्हें प्रीमियमों में समायोजित करने का प्रयत्न किया जाता है। लेकिन जहाँ पालिसी-धारकों द्वारा अपेक्षाएं पूरी नहीं की जातीं अथवा किसी अन्य कारण से समायोजन सम्भव न हो तो इस राशि को पालिसी धारक को लौटाने के लिए कदम उठाए जाते है। लौटाई जाने वाली राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता।

पाकिस्तान को खाद्य तेल की सप्लाई

2183. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार–पत्रों में प्रकाशित यह समाचार सही है कि भारत पाकिस्तान को 3 लाख टन खाद्य तेल सप्लाई करेगा ;

(ख) पाकिस्तान को खाद्य तेल सप्लाई करने के क्या कारण हैं जबकि देश में ही इसकी कमी है ;

(ग) वर्ष 1979-80 में विदेशों से कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का खाद्य तेल आयात किया गया था और देश में यह तेल किस दर पर बेचा गया है और वर्ष के दौरान इससे सरकार को कितनी हानि होने की संभावना है ; और

(घ) वर्ष 1980-81 में कितनी मात्रा में खाद्य तेल आयात किया जायेगा और यह किस दर पर उपलब्ध कराया जायेगा और इससे अनुमानतः कितनी हानि उठानी पड़ेगी और देशवार आयात की जाने वाली तेल की मात्रा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

(क) जी नहीं ; समाचार सही नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा 1979-80 के दौरान (29 फरवरी, 1980 तक) आयात किये गये खाद्य तेलों की मात्रा तथा कीमत नीचे दी गई हैं :—

मात्रा (लाख मीटरी टनों में)	कीमत (करोड़ रुपयों में)
8.86	519.80

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किए जाने वाले खाद्य तेलों के निर्गम मूल्य विभिन्न बातों की समीक्षा करने के पश्चात समय-समय पर निर्धारित किये जाते हैं और ये मूल्य आम

तौर पर लाभ-अलाभ लागत पर होते हैं। वर्ष 1979-80 के दौरान इन तेलों के आयात तथा इनकी कुल बिक्री से सरकार को कोई हानि होने की संभावना नहीं है ।

(घ) मांग तथा देशीय सप्लाई की खाई को प्रभावी ढंग से पाटने के लिए खाद्य तेलों की पर्याप्त मात्रा के आयात को जारी रखने का प्रस्ताव है, ताकि विभिन्न उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा किया जा सके। वर्ष 1980-81 के दौरान आयात की ठीक-ठीक मात्रा इन बातों पर निर्भर करेगी—देशीय तेलों का उत्पादन स्तर, देश में तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य रुख, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता तथा अन्य दूसरे संगत कारण। इस समय यह कहना भी संभव नहीं है कि विभिन्न देशों से कितनी-कितनी मात्रा आयात की जायेगी अथवा उपभोक्ताओं को समय-समय पर आयातित तेल किन भावों पर बेचे जायेंगे, क्योंकि ये विभिन्न बातों पर निर्भर करेंगे, जिनमें ऊपर दी गई बातें भी शामिल हैं ।

अम्बोजी का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

2184. श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अम्बोजी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तथा पर्वतीय सैरगाह हैं, उसे एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा तथा वहां पर एक प्रसिद्ध वैधशाला की स्थापना की जा रही है; और

(ख) गुजरात में ऐसे अन्य स्थानों के नाम क्या हैं जिनके पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किये जाने का विचार है और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी वल्लभ पट्टनायक) :

(क) चूंकि स्वदेशी पर्यटकों/तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का विकास मुख्यतया राज्य सरकार का दायित्व है, इसलिए अम्बोजी का विकास राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आयेगा । ऐसा समझा जाता है कि पंचवर्षीय योजना 1978–83 के दौरान अम्बोजी में पर्यटकों के लिए आवास का निर्माण करने के प्रश्न पर राज्य सरकार विचार कर रही है, बशर्ते कि धन-राशि उपलब्ध हो ।

(ख) केन्द्रीय सेक्टर में विकास के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित योजनाओं का सुझाव दिया है :—

(1) अहमदपुर—माण्डवी (जिला जूनागढ़) का विकास ।

(2) उकई जलाशय क्षेत्र का एक पर्यटक काम्पलैक्स के रूप में विकास ; और

(3) अहमदाबाद में एक जनता होटल का निर्माण ।

देश में पर्यटन के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर उपर्युक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रश्न पर विचार किया जाएगा, बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो ।

विजाग इस्पात संयंत्र की प्रगति

2185. श्री एस० आर० ए० एस० अप्पाला नायडू : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विजाग इस्पात संयंत्र के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति की गई है;

(ख) क्या सोवियत अधिकारियों के हाल के दौरे को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य में कोई सुधार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है और इसके पूर्ण होने में अनुमानतः कितना समय लग जायेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पुर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) विशाखापत्तनम में इस्पात का एक कारखाना लगाने के लिये सरकार द्वारा पूंजी-निवेश के बारे में निर्णय लेने के पश्चात् इस कारखाने के रूपांकन और निर्माण कार्यों में भारत और रूस के बीच सहयोग के लिये 12-6-1979 को दोनों सरकारों के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस करार में अन्य बातों के साथन्साथ इस बात की भी व्यवस्था हैं कि कारखाने की बड़ी-बड़ी उत्पादन इकाइयों में आधुनिक सोवियत प्रौद्योगिकी का समावेश किया जायेगा। इसलिये पहले बनाये गये विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन में संशोधन करना होगा। आशा है विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन 1980 के मध्य तक तैयार हो जाएगा।

इस बीच कारखाना-स्थल पर विभिन्न निर्माण-पूर्व कार्य शुरू कर दिये गये हैं। संयंत्र विशेष के लिये आवश्यक भूमि में से अधिकांश भूमि प्राप्त कर ली गई है। कारखाने के समस्त क्षेत्र को समतल करने का काम आरम्भ कर दिया गया है और 2.5 लाख घनमीटर से अधिक मिट्टी का काम पूरा हो चुका हैं। मिट्टी की विस्तृत जांच करने का काम पूरा होने वाला हैं। गाजूवाका-बालचूरुबू पहुंच-पथ को चौड़ा करने और उसे पक्का करने का काम लगभग पूरा हो गया है। निर्माण कार्य की तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये संयंत्र-स्थल पर 6 ट्रांस-फार्मर लगा दिये गये हैं। निर्माण की आवश्यकताओं के लिये प्रतिदिन 10 लाख गैलन पानी की सप्लाई के लिए एक पाइप लाइन का कार्य पूरा होने वाला है। दक्षिण-पूर्वी रेलवे ने संयंत्र स्थल पर साईडिंग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। पानी को फिल्टर करने के संयंत्र, स्थायी निर्माण कार्यालय आदि के निर्माण के लिये टेंडरों को अन्तिम रूप दे दिया गया है

(ख) और (ग) सोवियत अधिकारियों के दौरे से पहले ही विभिन्न निर्माण-पूर्व कार्यों की समयावलि तैयार कर ली गई थी और ये कार्य ठीक तरह चल रहे हैं।

(घ) अभी तक संयंत्र-स्थल पर केवल निमांण-पूर्व कार्य ही शुरू किये गये हैं। विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने का प्रथम चरण का निर्माण-कार्य वास्तव में शुरू होने की तारीख से चार वर्षों में पूरा किया जाना है। इस चरण में कारखाने की इस्पात-पिण्ड की क्षमता 16.25 लाख टन होगी। दूसरा चरण, जिसमें कारखाने की क्षमता 33 लाख टन होगी, पहले चरण के पूरा होने के 2 वर्ष में पूरा होगा।

बैंक क्षेत्र की ऋण नीति में परिवर्तन

2186. श्री एस० आर० ए० एस० अप्पाला नायडू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 20-सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के विचार से बैंक उद्योग की ऋण नीति में परिवर्तन लाने का विचार है; और

(ख) प्रस्तावित परिवर्तन में उद्योगों, कृषि कार्यों और स्वयं रोजगार योजना के लिये ऋण का अनुपात क्या होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की 6 मार्च 1980 की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि बैंक अगले पाँच वर्षों में अपने कुल ऋण में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अग्रिमों के हिस्से को 33.3 प्रतिशत के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रयास करेंगे। इस कुल लक्ष्य के भीतर, एक महत्वपूर्ण भाग, 20-सूत्री कार्यक्रम के लाभान्वितों को प्रादन किया जाएगा। बैंक इस कार्यक्रम के लाभान्वितों की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष योजनाएं तैयार करेंगे।

उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में, रिजर्व बैंक ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के तरीकों की जांच करने तथा उसके बारे में रिपोर्ट देने के लिये एक कार्यकारी दल का गठन किया है।

भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

2187. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रांच बैंकों पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए स्टेट बैंक के पुनर्गठन के एक भाग के रूप में उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में भारतीय स्टेट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय में विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के कोरापुट जिले में कब तक क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की संभावना है;

(ग) क्या प्रस्ताव में प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्यालय का स्थान भी दिया गया हैं; और

(घ) यदि हां, तो मुख्यालय का स्थान चुनने में क्या मानदण्ड अपनाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने यह सूचित किया है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोको का आयात

2188. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कोको की कितनी मात्रा का आयात किया गया है; और

(ख) क्या सरकार देश में उत्पादन में हुई वृद्धि को देखते हुए कोको का आयात रोकने के लिए कदम उठायेगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) आयात नीति बनाते समय स्वदेशी उत्पादन को बराबर ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

1976-77 से 1978-79 तक के वर्षों के दौरान कोको का आयात दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	मदों का ब्यौरा	(मात्रा हजार किग्रा० में)		
		1976-77	1977-78	1978-79
1.	कोको की फलियां, कच्ची या भुनी हुई	609	782	613
2.	कोको पाउडर, बिना मीठे वाला	27	7	80
3.	कोको पेस्ट (बल्क अथवा ब्लाक में) डिफ्लेट किया हुआ अथवा न किया हुआ	7	—	—
	योग :	643	789	693

स्रोत . (1) 1976-77 तथा 1977-78

वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टेटिसटिक्स-आफ फारेन ट्रेड आफ इंडिया (वाल्यूम-2) इम्पोर्टस।

(2) 1978-79

वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशक, कलकत्ता से वाणिज्य विभाग के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में प्राप्त अग्रिम आंकड़े।

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं और इनमें परिवर्तन हो सकता है।

चयन सूची में प्रथम श्रेणी के वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में अनुदेश

2189 : श्री जय नारायण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा भारतीय आयकर सेवा, सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा और भारतीय रक्षा लेखा सेवा में अधिकारियों को "उत्कृष्ट", 'अति उत्तम' और 'उत्तम' तथा 'अयोग्य' का ग्रेड देने के बाद उनको अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत करते समय श्रेणी एक के अधिकारियों के नाम चयन सूची में रखने के बारे में क्या अनुदेश दिए गए हैं ;

(ख) गत 5 वर्षों में प्रत्येक सेवा में अलग-अलग पदोन्नति हेतु कितने रिक्त पद निर्धारित किए गए और अलग-अलग सेवा में कितने अधिकारियों के मामले विचाराधीन थे ;

(ग) विभागीय पदोन्नति समिति ने प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सेवा में कितने अधिकारियों को 'उत्कृष्ट', 'अति उत्तम', 'उत्तम' और 'अयोग्य' का ग्रेड दिया और सरकार द्वारा घोषित उनकी प्रत्येक चयन सूची में उनकी स्थिति क्या है ; और

(घ) 'क्या पारी बाहर' पदोन्नति होने के परिणाम-स्वरूप बडे पैमाने पर अधिलंघन होने के कारण सेवाओं में असंतोष फैला है और ऐसे अधिलंघन पर रोक लगाने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति ने क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) भारतीय आय-कर सेवा, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा और भारतीय रक्षा लेखा सेवा के लिए लागू पदोन्नति से संबंधित विद्यमान आदेशों के अधीन, वरिष्ठ श्रेणी-1 के अधिकारियों की चयन द्वारा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए, विभागीय पदोन्नति समितियों को वरिष्ठ श्रेणी-1 में पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा कर रहे पात्र अधिकारियों में से चुनाव के क्षेत्र का निर्णय करना होता है। चुनाव का क्षेत्र आम तौर पर एक वर्ष के भीतर होने वाली रिक्तियों की संख्या के इस क्षेत्र के भीतर आने वाले अधिकारियों में से, 5 से 6 गुने तक सीमित की जानी है, ऐसे अधिकारियों को जिन्हें पदोन्नति के लिए "अयोग्य" समझा जाए, निकाल दिया जाता है। शेष अधिकारियों को उनके अलग-अलग सेवा के रिकार्डों द्वारा यथा निर्धारित योग्यता क्रम के आधार पर "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा" तथा "अच्छा" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद, विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा रिक्तियों की संख्या के अनुसार चयन सूचियां तैयार की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले ऐसे अधिकारियों को चुना जाता है जिन्हे "उत्कृष्ट" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसके बाद उसी क्रम में "बहुत अच्छा" तथा "अच्छा" ग्रेड के अधिकारियों को वर्गीकृत किया जाता है। किन्तु, इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के भीतर आने वाले अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी-1 ग्रेड में उनकी सामान्य वरिष्ठता के अनुसार रखा जाता है ?

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के मामले में, ऐसी पदोन्नतियां नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की अध्यक्षता में विधिवत गठित विभागीय पदोन्नति समितियों की सिफारिशों पर चयन के आधार पर की जाती है। विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा पदोन्नति के लिए योग्य पाए गये सभी अधिकारियों को वरिष्ठ समय-मान वेतन में उनकी वरिष्ठता के क्रम में चयन-सूचियों में रखा जाता है और पदोन्नतियां पूर्णतया उस क्रम में की जाती है जिस क्रम में प्रवर सूची में उनके नाम रखे जाते हैं।

प्रवर सूची में ये क्रम भी सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार मंजूर की गई रियायतों के अधीन होती हैं।

(ख) तथा (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे यथासंभव शीघ्र सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) चूंकि विचार का क्षेत्र (जोन) सामान्यत : रिक्तियों की संख्या के 5 अथवा 6 गुने तक सीमित है, इसलिए इससे अधिक्रमण की मात्रा घट जाती है। इसके अतिरिक्त, चूंकि अनुदेशों के अनुसार एक ही "ग्रेडिंग" के अधिकारियों के नाम संवर्ग पात्रता सूची में उनकी परस्पर वरिष्ठता के क्रम में प्रवर सूची में रखे जाने होते हैं, इसलिए इससे अधिक्रमण का प्रभाव कम हो जाता है ?

हाथी दांत से पुन: तैयार की गई पुरानी वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाने का प्रस्ताव

2190. **श्री उत्तमराव पाटिल : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी दांत से पुन: तैयार की गई पुरानी वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार को 'दिल्ली निर्यातक एसोसिएशन' से कोई ऐसा अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि हाथी दांत से पुन: तैयार की गई पुरानी वस्तुओं का संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य देशों को निर्यात करने के लिए निर्यातकों को 'छूट संबंधी प्रमाणपत्र' जारी करने के लिए अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड को प्राधिकृत कर दिया जाये ; और

(ग) यदि उपयुक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी): (क) से (ग) भारत से हाथी दांत से बने उत्पादों के निर्यात पर इस समय रोक है।

तथापि उन अफ्रीकी हाथी दांत की वस्तुओं के निर्यात के लिए छूट संबंधी प्रेमाणपत्र जारी किये जा सकते हैं जो सार्वजनिक सूचना सं० 7-ई० टी० सी० (पी०एल०) 180, दिनांक 1-2-80 के उपबन्धों के अन्तर्गत 4 फरवरी, 1977 से पूर्व आयातित अफ्रीकी हाथी दांत से बनाये जाते हैं। सरकार को दिल्ली निर्यातक संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि छूट संबंधी प्रमाणपत्र अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा जारी किया जाए। यह प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया क्योंकि वन्य जीव-जंतुओं तथा वनस्पतियों की संकटग्रस्त किस्मों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कन्वेन्शन के अन्तर्गत ऐसे प्रमाण पत्र/परमिट पक्षकार राज्य द्वारा नामित प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा जारी किये जाने होते हैं। भारत के मामले में कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में वन्य जीव संरक्षण निदेशक को प्रमाणपत्रा/परमिट जारी करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। प्रबन्ध प्राधिकरण में निहित शक्तियां किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती।

हाथी दांत की पुरानी वस्तुओं के निर्यात कठिनाइयां

2191. श्री उत्तमराव पाटिल : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पुर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हाथी दांत से बनी पुरानी वस्तुओं के निर्यात में संबंधित विभागों के कारण (दस्तकारों, निर्यातकों/व्यापारियों को) बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप मजदूरों/निर्यातकों को सामान्य रूप से और देश को विदेशी मुद्रा के मामले में गंभीर कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संबंधित पार्टियों तथा मजदूरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ती मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) (क) तथा (ख) हाथी दांत के उत्पादों के निर्यात में कठिदाइयों के बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिये गए है । 4 फरवरी, 1977 से पूर्व भारत में आयातित हाथी दाँत के स्टाकों की घोषणा के लिए समयावधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया था । चूंकि विनिर्माताओं/ व्यापारियों को पहले ही स्टाकों की घोषणा के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका था अतः आगे समयावधि बढ़ाना वांछनीय नहीं समझा गया । यह भी अभ्यावेदन किया गया कि अफ्रीकी उदभव वाले पुराने हाथी दांत की पुनः नक्काशीकृत वस्तुओं के निर्यात में कठिनाइयां आ रही हैं । चूंकि यह सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं था कि पुराने हाथी दांत की पुनः नक्काशीकृत वस्तुएं अफ्रीकी उद्भव की थी, अतः इसके निर्यातों की अनुमति देना संभव नहीं था ।

दिल्ली निर्यातक एसोसिएशन दिल्ली का अभ्यावेदन

2192. श्री उत्तमराव पाटिल : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अफ्रीकी उत्पत्ति वाले हाथी दांत से बनी पुरानी तथा पुनः तैयार की गई वस्तुओं के निर्यात के बारे में दिल्ली निर्यातक एसोसिएशन, दिल्ली से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) पुराने हाथी दांत की वस्तुओं से कितनी वार्षिक आय होती है और अफ्रीकी उत्पत्ति वाले पुराने हाथी दांत पर नक्काशी करने और उसे दोबारा तैयार करने के कार्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के कितने व्यक्ति लगे हुए हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी)

(क) तथा (ख) जी हां । पुराने हाथी दांत के निर्यात के लिए दिल्ली निर्यातक संघ से सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । चूंकि यह सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं था कि निर्यात

किये जाने वाले पुराने हाथी दांत की पुनः नक्काशीकृत वस्तुएं अफ्रीकी उद्भव की थी, सरकार ने अपने को निर्यात की अनुमति देने की स्थिति में नहीं पाया ।

(ग) इस प्रकार के पुराने हाथी दांत के उत्पादों के लिए पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते । 1978-79 के दौरान कुल मिलाकर हाथी दांत के उत्पादों के निर्यात 209.25 लाख रु० के थे । लगभग 15,000 नक्काश इस व्यापार में लगे हुए हैं ।

इन्डियन एयरलाइन्स और एयर इन्डिया में अप्रैल, 1977 से दिसम्बर 1979 तक हड़ताल

2193. **श्री नवीन रवानी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन एयरलाइन्स और एयर इन्डिया के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों और चालकदलों ने अप्रैल, 1977 से दिसम्बर, 1979 के दौरान हड़तालें की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की हड़तालों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनकी मांगें क्या-क्या थीं ;

(घ) उस हड़ताल के क्या परिणाम रहे और किये गये समझौतों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक हड़ताल के अवसर पर क्या-क्या आश्वासन किए गये थे ; और

(ङ) हड़तालों के कारण प्रबन्ध व्यवस्था और कर्मचारियों तथा साथ ही सरकार तथा राजकोष को हुई हानियों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पट्टनायक) ;

(क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) इन्डियन एयरलाइन्स के बारे में अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । एयर इन्डिया से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

धातु और खनिज व्यापार निगम द्वारा निर्यात

2194. **श्री आरिफ मोहम्मद खान** : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धातु और खनिज व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1978-79 और वर्ष 1979-80 के दौरान फरवरी, 1980 तक कुल कितनी राशि का निर्यात किया गया है ;

(ख) निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थीं और कम्पनियों के नाम क्या थे ; और

(ग) निकट भविष्य में निर्यात को बढ़ावा देने के विषय में सरकार की नवीनतम नीति क्या है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) 1978-79 और 1979-80 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किए गए निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं:—

	(मूल्य करोड़ रु० में)
1978–79	195.42
1979–80	187.99
(फरवरी, 1980 तक)	(अनन्तिम)

(ख) निगम के निर्यात की मुख्य मदें ये हैं :—

[1] लोह अयस्क, [2] मैंगनीज अयस्क, [3] कोयला, [4] क्रोम अयस्क, [5] वैराइट्स, [6] सिल्ली मनाइट, [7] अभ्रक, एम एम टी सी के एक अनुषंगी निगम मिटको के माध्यम से निर्यातित ।

(ग) सरकार [1] आन्तरिक कीमतों को कम करने के उद्देश्य से अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करके तथा [2] निर्यात बाजारों का विविधिकरण करके खनिजों के निर्यातों को बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है ।

पोलैण्ड से कोकिंग कोल का आयात

2195. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कोकिंग कोल का अभाव है और इसलिये पोलैण्ड से उसके फालतू कोयले में से कुछ कोयले भारत को निर्यात करने का अनुरोध किया गया है ,

(ख) यदि हां, तो आयात किये जाने वाले कोयले की मात्रा कितनी है और उसकी कीमत कितनी होगी ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कोकिंग कोल की कीमतों में पांच बार वृद्धि की गई है और अब कीमतें कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किये जाने के समय से 50 प्रतिशत ऊंची हो गई हैं ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार कोककर कोयले की देशीय उपलब्धि में वृद्धि करने के लिए आयात सहित कई सम्भावनाओं पर विचार कर रही है । इस बारे में अन्तिम रूप से निर्णय अभी लिया जाना बाकी है । यद्यपि कुछ समय पहले पोलैण्ड के साथ समन्वेशी प्रकार की कुछ आरंभिक बातचीत की गई थी तथापि अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव तैयार नहीं हुए हैं ।

(ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में सुझाव

2196. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं कि अंतकालीन विनियोग और तीसरे विश्व के देशों के भीतर प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में तीसरे विश्व के देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियां स्थापित की जानी चाहिए ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां। विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग के कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ इस प्रकार के सुझाव प्राप्त हुए हैं कि विकासशील देश पूर्ण रूप से औद्योगिक देशों के उद्यमों पर ही आश्रित न रहते हुए आपस में प्रौद्योगिकी का अन्तरण कर सकते हैं। कई विकासशील देश उस स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां कि वे तकनीकी जानकारी, विशेषज्ञता और सेवा प्रदान कर सकते हैं और ये विकासशील देशों की जरूरतों के लिए अधिक उपयुक्त हैं।

(ख) सरकार इस सुझाव का समर्थन करती है और विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों को प्रोत्साहित करेगी।

फिल्म उद्योग में काले धन का प्रचलन

2197. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय फिल्म निर्माता परिषद् के अध्यक्ष ने यह कहा है कि फिल्म उद्योग में काले धन के रूप में 20,000 करोड़ रुपये से भी अधिक धन है ; और

(ख) इस धन का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि अखिल भारतीय फिल्म-निर्माता परिषद् के मानद अध्यक्ष ने एक वक्तव्य में यह स्पष्ट किया है कि केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने, परिषद् द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक स्वागत समारोह में बोलते हुए यह कहा था कि काले धन की 200 अरब रु० की रकम सारे देश में, अर्थात केवल फिल्म उद्योग में नहीं, प्रचलन में है। देश में, सामान्यतः 'काला धन' नाम से ज्ञात गैर-हिसाबी आय अथवा धन का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं है। काले धन की समस्या से निपटने के लिए, सरकार, कर-कानूनों के प्रवर्तन को तीवतर बनाने जा रही है, और जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के खिलाफ अभियान, चालू करने की बहुविध कार्यवाही करने का भी विचार रखती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हथकरघा बुनकरों को ऋण दिया जाना

2198. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उन हथकरघा बुनकरों को कुल कितना ऋण दिया गया जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये बैंक ऋणों के बारे में आंकड़े एकत्र करने की वर्तमान प्रणाली में, हथकरघा बुनकरों के लिए अलग से सूचना इकट्ठी करने की व्यवस्था नहीं है। इस श्रेणी के ऋणकर्ताओं को कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों आदि की श्रेणी में शामिल किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अनन्तिम आंकड़ों के मुताबिक जून, 1979 के अंत की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कारोगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों को दिये गये ऋणों की बकाया राशि 270491 ऋण खातों में 40 करोड़ रुपये बैठती है।

विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यम

2199. श्री आर० के० महालगी : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में अनेक भारतीय संयुक्त उद्यमों को घाटा हो रहा है ;

(ख) क्या किसी संयुक्त उद्यम को लाभ भी हुआ है ; और

(ग) जिन संयुक्त उद्यमों को वर्ष 1979 में लाभ हुआ है उनका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) उत्पादन/प्रचालन में रत 109 एककों में से केवल 53 एककों के सम्बन्ध में विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ तथा हानियों के संबंध में जिस अद्यतन वर्ष के लिए आंकड़ें उपलब्ध हैं वह 1977-78 है। चूंकि संयुक्त उद्यम की बड़ी संख्या का परिचालन केवल 1977, 1978 तथा 1979 में हुआ है, इसलिए शेष 56 एककों के बारे में परिचालन परिणाम संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन भारतीय पार्टियों द्वारा, जिन्होने विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित किए है, दी गई जानकारी के आधार पर 53 एककों द्वारा अर्जित लाभों तथा हानियों की स्थिति निम्नोक्त प्रकार है :-

	1977-78
1. उन उद्यमों की संख्या जिनके संबंध में जानकारी उपलब्ध है	53
2. लाभ अर्जित करने वाले संयुक्त उद्यमों की संख्या	27
3. हानि उठाने वाले संयुक्त उद्यमों की संख्या	26

(ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ग) उन संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा जिन्होंने 1977-78 के दौरान लाभ अर्जित किए

क्रमांक	भारतीय पार्टी का नाम	सहयोग का क्षेत्र	संयुक्त उद्यम का स्थान
1	2	3	4
1.	मैसर्ज डेवलेपमेन कंसल्टेन्ट्स (प्रा०) लि० कलकत्ता	इन्जीनियरी परामर्शी सेवा	हांकांग
2.	मै० दि सैन्चरी स्पी० एंड मैन्यू० क० लि० बम्बई	टैक्टाइल यार्न	इन्डोनेशिया
3.	मै० भारत कार्मस एंड इन्डस्ट्रीज लि० नई दिल्ली	टैक्टाइल यार्न	इन्डोनेशिया
4.	मै० शाहीबाग एन्टरप्रीनियोर्स (प्रा०) लि० अहमदाबाद	पोलियस्टर ब्लंडैड यार्न	इन्डोनेशिया
5.	मै० रेमन्ड वूलन मिल्स लि० बम्बई	इन्जीनियर्स स्टील पाइल्स रेस्प्स आदि	इन्डोनेशिया
6.	मै० विशाल मैलियेबलस प्रा० लि० अहमदाबाद	मेलियेबिल आयरन पाइप फिटिंग्स	इन्डोनेशिया
7.	श्री आर० एम० गोकुल दास बम्बई	टैक्सटाइल मिल	कीनिया
8.	मै० दि रेमन्ड वूलन मिल्स लि० कलकत्ता	ऊनी वस्त्र	कीनिया
9.	मै० गोदरेज एंड बायेस मैन्यू० क० प्रा० लि० बम्बई	स्टील फर्नीचर	मलेशिया
10.	मै० ओरियन्ट पेपर मिल्स लि० कलकत्ता	कागज	कीनिया
11.	मै० किर्लोस्कर इलैक्ट्रिक क० लि० बंगलोर	इलैक्ट्रिक मोटरें; पम्प आदि	मलेशिया
12.	मै० एल० जी० बालकृष्णन एंड ब्रदर्स लि० कोयम्बटूर	साइकिल की चेनें आदि	मलेशिया
13.	मै० टाटा आयल्स मिल्स लि० बम्बई	न्यूट्रलाइज्ड आयल पाम आलिन आदि	मलेशिया

1	2	3	4
14.	मै० क्वालिटी टैक्सटाइल एसोसियेट्स प्रा० लि० पोलाची	सूती धागा तथा ब्लैन्ड्ड धागा	मलेशिया
15.	मै० बिरला ब्रदर्स प्रा० लि० कलकत्ता	हलका इन्जीनियरी माल	नाइजीरिया
16.	मै० बिरला ब्रदर्स प्रा० लि० कलकत्ता	परामर्शी सेवा	नाइजीरिया
17.	मै० ईस्ट्रन स्पिनिंग मिल्स लि० पिरगच्चा	यार्न	फिलिपाइन्स
18.	मै० टाटा इन्जीनियरिंग एंड लोको-मोटिव क० लि० बम्बई	हाई प्रिशैशन टूलिंग्स	सिंगापुर
19.	मे० जै० इन्जीनियरिंग वर्क्स लि० कलकत्ता	सिलाई मशीनें तथा बिजली के पंखे	श्री लंका
20.	मै० बिरला ब्रदर्स प्रा० लि० कलकत्ता	सिंथेटिक तथा सूती धागा	थाइलैन्ड
21.	मै० ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यू०(वीव०) क० लि० बिरलाग्राम	विस्कोस स्टैपल रेशा	थाइलैन्ड
22.	मै० बिरला जूट मैन्यू० क० लि० कलकत्ता	पटसन माल	युगांडा
23.	मै० अजीत इन्डिया प्रा० लि० बम्बई	एल्मीनियम के वस्तुकला उत्पाद	यू०ए०ई०
54.	श्री सी०पी० कुकरेजा नई दिल्ली	इंजी० तथा वस्तुकला परामर्शी सेवाएं	यू०ए०ई०
25.	मै० घईलॉबा कैटरिंग कंसल्टैन्ट्स प्रा० लि० नई दिल्ली	भारतीय ढंग के जलपान गृह	ब्रिटेन
26.	मै० पार्क होटल कलकत्ता	वही	ब्रिटेन
27.	मै० किर्लोस्कर आयल इंजन्स लि० पुणे	डीजल इंजनों का संयोजन	प० जर्मनी

चुंगी की अदायगी

2200. श्री मूलचन्द डागा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में माल का परिवहन करने वालों को चुंगी की अदायगी से छूट किए जाने का विचार हैं ; यदि हां तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि माल परिवहन गाड़ियों को चुंगी की अदायगी के लिए बार-बार विभिन्न स्थानो पर रुकना पड़ता है और इस प्रकार के भ्रष्टाचार के शिकार बन जाते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) सरकार को माल परिवहन कर्ताओं द्वारा चुंगी की अदायगी किए जाने के संबंध में होने वाली असुविधा की जानकारी है । चुंगी से उन्मूलन राज्यों के क्षेत्राधिकार में एक राजकोषीय सुधार है तथा इसके लिए अनुसंध और धैर्य की आवश्यकता है ।

खेतड़ी तांबा उद्योग समूह (राजस्थान) में किया गया पूंजी निवेश

2201. श्री मूलचन्द डागा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी तांबा उद्योग समूह (राजस्थान) में अब तक कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है और क्या वहाँ पर कार्य की प्रगति परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन-कौन से व्यक्ति जिम्मेदार हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि इस उद्योग समूह के कारण हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को अब तक बहुत भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी है और यदि हाँ, तो कितनी हानि हुई है और इस हानि को और अपने लक्ष्यों को यह उद्योग समूह किस तारीख अथवा वर्ष तक पूरा कर लेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) खेतड़ी कापर कम्पलैक्स में 138.36 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत की तुलना में जनवरी, 1980 तक कुल 131 करोड़ रुपए का पूंजी-निवेश हुआ है । समग्र खेतड़ी कापर कम्पलैक्स के लिए कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी । मई, 1974 में परियोजना के संशोधित लागत अनुमानों को स्वीकृति देते समय प्रद्रावक की स्थापना के लिए जो अवधि बताई गई थी, उसमें मात्रा कुछ महीनों का समय ही अधिक लगा । प्रौद्योगिक और परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण वर्ष 1979 तक प्रद्रावक की क्षमता का काफी कम उपयोग हुआ । खानों में भी उत्पादन काफी कम रहा । यद्यपि वर्ष 1973-74 में खान में नियमित उत्पादन शुरू हो गया था तथापि अभी तक अयस्क का उत्पादन निर्धारित क्षमता तक नहीं पहुंच पाया है । ट्रिपल सुपर-फास्फेट संयंत्र को चालू करने में लगभग 2½ वर्ष और फास्फोरस अम्ल संयंत्र को चालू करने में लगभग 5 वर्ष की देरी हुई है ।

खानों की धीमी गति से विकास और उसके फलस्वरूप अयस्क उत्पादन की दर-क्षमता की प्राप्ति में विलम्ब, कठोर चट्टानों के खनन के लिए अपेक्षित तकनीकी विशेषज्ञता न होने के कारण

हुआ । प्रद्रावक की स्थापना में देरी मुख्यतः बिजली पूर्ति की असंतोषजनक स्थिति और निर्माण-सामग्री की कमी के कारण हुई है । जहां तक प्रद्रावक के तार-छड़ ढलाई संयंत्र और अम्ल-एवं-उर्वरक संयंत्र का संबंध है इनके निर्माण में विलम्ब इनके लिए नियुक्त ठेकेदारों के कारण हुआ ।

तार-छड़ गढ़ाई यूनिट और अम्ल-एवं-उर्वरक संयंत्र की स्थापना में विलम्ब के लिए ठेकेदार जिम्मेदार पाए गए और इस संबंध में कंपनी द्वारा समुचित कार्रवाई की गई हैं । कठोर चट्टानों के खनन में विशेषज्ञता के अभाव, तांबा प्रौद् योगिकी के विशिष्ट स्वरूप और विलम्ब की अवधि को देखते हुए इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने का सवाल नहीं उठता ।

(ख) हिन्दुस्तान कापर लि० को 31-3-1979 तक लगभग 38 करोड़ रुपए का संचित घाटा हुआ और खेतड़ी कापर कम्पलैक्स को उपर्युक्त तारीख तक लगभग 66 करोड़ रुपए का घाटा हुआ । खानों में घटिया अयस्क की प्राप्ति, कारखानों की संरचना और संचालन से प्रौद्योगिक समस्याओं, क्षमता के कम उपयोग, असंतोषजनक औद्योगिक संबंधों और बिजली सप्लाई की समस्याओं के कारण खेतडी उच्च उत्पादन लागत वाली इकाई है । हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा खान, प्रद्रावक और अन्य संयंत्रों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु संयंत्र और उपकरणों के डिजाइन में सुधार, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, विदेशी विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं से सहायता प्राप्त करने जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं । इन उपायों के फलस्वरूप खानों और कारखानों के उत्पादन में सुधार हुआ है । लेकिन लाभप्रदता तांबा धातु के विक्रय-मूल्य पर भी निर्भर करती है, जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है, जिनमें समय-समय पर काफी घट-बढ़ होती रहती है । इस सब को देखते हुए इस समय यह बताना संभव नहीं है कि पिछले घाटे को किस तारीख अथवा किस वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा । जहां तक उत्पादन-लक्ष्यों का संबंध है खानों की कम उत्पादन क्षमता बिजली की भारी कटौतियों के कारण है, जो दिसम्बर, 1979 से 50-80% तक है । यदि बिजली सामान्य रूप से मिलती रहें तो 1984-85 तक खानों में अधिकतम उत्पादन होने की संभावना है । प्रद्रावक की क्षमता का उपयोग पिछले तीन महीनों में लगभग 70 प्रतिशत हो गया है । चूंकि खेतड़ी में अयस्क उत्पादन खेतड़ी प्रद्रावक की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी नहीं है अतः प्रद्रावक की पूरी क्षमता का उपयोग केवल वर्ष 1982-83 में मालंजखंड तांबा परियोजना (मध्य प्रदेश) के चालू होने के बाद ही किया जा सकता है ।

कालाबाजारी और मुनाफाखोरी समाप्त करने के लिये राज्यों को अधिक शक्तियो के प्रेन्यायोजन के लिए मांग

2201. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या कुछ राज्य सरकारों ने राज्यों को अधिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए मांग की है ताकि वे कालाबाजारी और मुनाफाखोरी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर सके ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : कुछ राज्य सरकारों से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए प्रस्ताव मिले थे, जिन्हे व्यवहार्य नहीं समझा गया । कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए वर्तमान शक्तियां पर्याप्त समझी जाती हैं ।

विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा कथित तस्करी

2203. **श्री अर्जुन सेठी** :क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न हवाई अड्डों पर हवाई अड्डा प्राधिकारियों द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा तस्करी के मामले सरकार के नोटिस में लाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, उनसे जब्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) तथा (ख) सरकार को प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में बम्बई तथा दिल्ली के हवाई अड्डों पर ऐसे 10 मामले पकड़े गये जिनमें 10 अति महत्वपूर्ण व्यक्ति (अर्थात् ऐसे व्यक्ति जिनके पास राजनैतिक पासपोर्ट थे) ग्रस्त थे । इन व्यक्तियों के नाम जाहिर करना जनहित में नहीं होगा । इन व्यक्तियों से जो माल पकड़ा गया उस में घड़ियां, सोना, हीरे, चांदी आदि शामिल थे । इन सभी व्यक्तियों के खिलाफ कानून के तहत समुचित कार्यवाही शुरू की गई थी ।

क्योंझर (उड़ीसा) में लौह अयस्क खानों का बन्द होना

2204. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च 1979 में उड़ीसा के क्योंझर जिले में भारतीय धातु तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा इस क्षेत्र से अयस्क लेने से इन्कार किये जाने के कारण लौह-अयस्क खाने बन्द हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन की हानि का ब्यौरा क्या है और कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ग) इस क्षेत्र के श्रमिकों को संकट से बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम निर्यात के लिए तथा सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को सप्लाई करने के लिए क्योंझर स्थित गैर-सरकारी/सरकारी क्षेत्र की खानों से लौह अयस्क खरीदता है । 8 मार्च, 1979 से लगभग एक महीने की अवधि के लिए पारादीप पत्तन को रेलों के अपर्याप्त संचलन के कारण बानस्पानी, बारबिल तथा बोलानी पर एक्स-प्लाट आधार पर लौह अयस्क की सप्लाइयां स्वीकार नहीं की जा सकी और उसके फलस्वरूप स्टाक यार्डों में परिपूर्ण स्तर तक स्टाक जमा हो गये । इस अस्थाई स्थगन से इस क्षेत्र में उत्पादन तथा रोजगार की स्थिति पर कुछ प्रभाव पड़ा । अप्रैल, 1979 के पहले सप्ताह से रेलों के संचलन में सुधार आने के बाद बारबिल, बानस्पानी तथा बोलानी क्षेत्रों से एक्स-प्लाट सप्लाइयों का ग्रहण किया जाना आरम्भ हुआ ।

मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल ग्रुप के विरुद्ध शिकायतें

2205. **श्री के लकप्पा :**
श्री सतीश प्रसाद सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल ग्रुप के विरुद्ध शिकायतों के बारे में 11 अगस्त, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3780 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके विरुद्ध सीमा-शुल्क अधिनियम तथा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न मामलों को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किये जाने/न्याय निर्णय किये जाने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि कोई विलम्ब हुआ है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) तथा (ख) पता चला है कि अमीचन्द प्यारेलाल समूह के विरुद्ध आवश्यक जांच पूरी कर लेने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने इस समूह की फर्मों/व्यक्तियों के विरुद्ध अगस्त 1978, मार्च 1979 और जनवरी 1980 में तीन और मामलों में न्याय निर्णय की कार्यवाही आरम्भ कर दी है । 11 अगस्त 1978 को न्याय निर्णयाधीन पड़े दस मामलों में से एक मामले में तो पहले ही अन्तिम रूप से न्यायनिर्णय हो चुका है । 9 मामलों में न्यायनिर्णय की कार्यवाही न्यायालय की निषेधाज्ञाओं के कारण रुकी पड़ी है ।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन कोई भी मामला जांच/न्यायनिर्णय के लिए विचाराधीन नहीं है ।

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले मामलों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

किसानों को बीमा सुविधा

2206. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आग लग जाने, चोरी हो जाने और अन्य कोई विपदा आ पड़ने के विरुद्ध किसानों को अपने पम्प सैट के लिए दी जाने वाली बीमा सुविधा की योजना का विवरण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : भारतीय साधारण बीमा निगम को सभी चारों सहायक कंपनियों ; अर्थात्: (1) नेशनल इंश्योरेंस कं० लि०, (2) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कं० लि० (3) ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कं० लि० तथा (4) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कं० लि० द्वारा किसानों को उनके पम्प-सेटों के लिए दी जाने वाली बीमा सम्बन्धी सुविधाओं की योजना का विवरण इस प्रकार है :-

1. जोखिम :	(i) आग/बिजली (आकाशी)	
	(ii) चोरी/सेंध	
	(iii) मशीन/बिजली सम्बन्धी खराबी	
2. बीमाकृत राशि :	सुरक्षा कवच जारी करने के समय बाजार मूल्य का शत प्रतिशत	
3. वार्षिक प्रीमियम:	बिजली सेट: 25 रुपए से लेकर 95 रुपए तक निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार	

हार्स पावर के आधार पर

हार्स पावर	वार्षिक प्रीमियम (रुपए)
3.0	25
5.0	30
7.5	45
10.0	50
15.0	65
17.5	75
20.0	85
25.0	95

डीजल/तेल सेट : 35 रुपए से लेकर 115 रुपए तक निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार सेट की हार्स पावर के आधार पर :-

हार्स पावर	वार्षिक प्रीमियम (रुपए)
5.0	35
7.5	40
10.0	60
15.0	80
17.5	90
20.0	100
25.0	115

4. घटाया जाने वाला मुक्तांश फ्रैंचाइज मशीन की खराबी के दावे के सम्बन्ध में बीमा कराने वाले को दावे का कुछ राशि वहन करनी पड़ती है । जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

बिजली मोटर सेट

हार्स पावर	घटाया जाने वाला मुक्तांश (रुपए)
3.0	50
5.0	50
7.5	60

10.0	75
15.0	100
17.5	100
20.0	125
25.0	125

डीजल/तेल सेट

5.0	75
7.5	90
10.0	100
15.0	100
17.5	125
20.0	150
25.0	175

यू० के० को चाय के निर्यात में गिरावट

2207. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० के० को चाय के निर्यात के मामले में भारत केनिया से पिछड़ गया है ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ? और

(ग) चाय के निर्यात का बढ़ावा देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी नहीं। 1979 के दौरान केनिया द्वारा ब्रिटेन को किये गये चाय के निर्यातों की तुलना में भारत द्वारा अधिक निर्यात किये गये।

(ग) भारतीय चाय के निर्यात और अधिक बढ़ाने के विचार से सरकार ने वर्तमान संवर्धनात्मक उपायों के अलावा चाय पर निर्यात शुल्क हटा दिया है, पैकेट चाय निर्यातों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की वापसी की अनुमति दे दी है, चाय वैगिंग मशीनरी पर आयात शुल्क कम कर दिया है और पैकेट चाय और चाय बैग निर्यातों के लिए नकद मुआवजा इमदाद की दर बढ़ा दी है।

जब्त किये गये माल का निपटान

2208. **श्री० के० प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जब्त किये गये माल के निपटान के मूल्य का वर्षवार और श्रेणी-वार ब्योरा क्या है ;

(ख) निपटान किस प्रकार किया गया ; और

(ग) क्या सरकार का विचार सुपर बाजारों के माध्यम से भी इसका निपटान करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1977, 1978 और 1979 में जब्दशुदा जिस माल का निपटान किया गया, उसका विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विभिन्न वर्गों के माल के निपटान का तरीका संक्षेप में विवरण-II में बताया गया है।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार, संश्लिष्ट टेक्सटाइल और अन्य फुटकर वस्तुओं की बिक्री, उपभोक्ता सहकारी समितियों, सुपर बाजारों, सहकारी भण्डारों आदि के माध्यम से वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ को की जाती है।

विवरण

पिछले वर्षों में जब्तशुदा माल के वर्गवार और वर्षवार निपटान का विवरण।

(करोड़ रुपयों में)

जिन्स	1977	1978	1979
1. सोना, चांदी और उसके बने जवाहिरात	4.18	2.48	3.09
2. करन्सी	.24	.33	.42
3. रत्न तथा उपरत्न	.54	.19	.11
4. टेक्सटाइल	2.52	.16	2.37
5. घड़ियां	1.66	.19	.25
6. अन्य (जैसे असबाब की मदें, उपभोक्ता और फुटकर सामान जैसे इलैक्ट्रानिकीय वस्तुएं, जलपोत, वाहन तथा व्यापारिक माल जैसे औद्योगिक कच्चा माल, मशीनों के पुर्जे आदि)	4.53	2.69	5.23
जोड़	13.67	6.04	11.47

विवरण

विभिन्न वर्गों के माल के निपटान का तरीका

विवरण	निपटान का तरीका
1. व्यापारिक माल	रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक कच्चा माल, मशीनों के पुर्जे, मोटर गाड़ियों के पुर्जे आदि जैसे व्यापारिक माल का निपटान नीलामी द्वारा किया जाता है।
2. यान	जलपोत और वाहन जैसे यान सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचे जाते हैं। सरकारी विभागों के लिये उपयुक्त जलपोतों और भारतीय गाड़ियों को विभागीय इस्तेमाल के लिये रख लिया जाता है।
3. सोना और चाँदी	सरकारी टकसाल में जमा कर दिया जाता है।
4. भारतीय और विदेशी मुद्रा	रिजर्व बैंक में सरकार के खाते में जमा कर दी जाती है :
5. बन्दूकें, पिस्तौलें आदि और गोला बारूद	0.38 और 0.32 बोर रिवाल्वरों/पिस्तौलों और उनके गोला बारूद से भिन्न बंदूकों/पिस्तौलों आदि का और गोला बारूद का निपटान नीचे दिये गये तरीके के अनुसार किया जाता है :—
	(क) स्टेनगनें गृह मंत्रालय को लेने के लिए कहा जाता है और जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, वे रक्षा मंत्रालय को बेची जाती हैं।
	(ख) निषिद्ध बोर के सभी हथियारों और उनके गोला बारूद का आयुध निर्माण कारखानों (रक्षा मंत्रालय) को किया जाता है।
	(ग) देशी मेक के कुछ हथियार केन्द्रीय जांच ब्यूरो को, उनके संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए दिये जाते हैं।
	(घ) अन्य सभी हथियारों का निपटान, जिनके लायसेंस जनता को जारी किये जाते हैं, सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाता है। .38 और .32 बोर के रिवाल्वर/पिस्तौलें और उनके गोला बारूद विभागीय उपयोग के लिए रख लिये जाते हैं।
6. प्राचीन वस्तुएं	प्राचीन वस्तुएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को मुफ्त दे दी जाती है, जिससे वह उनको विभिन्न संग्रहालयों अथवा संस्थाओं को उपहार के रूप में दे दें अथवा यदि आवश्यक समझे तो उनका अन्य तरीके से निपटान कर दे।
7. अन्य जीव-उत्पाद	शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं, संग्रहालयों आदि को नाममात्र मूल्य पर बेचे जाते होते है।

8. संश्लिष्ट और धातु सूत	बुनकर सहकारी समितियों/संघों को और वास्तविक प्रयोक्ताओं को बेचे जाते हैं ।
9. शराब	भारत पर्यटन विकास निगम को, उनके आयात कोटे के प्रति अथवा अन्य हकदार होटलों के कोटे के प्रति, सामान्य शर्तों पर बेची जाती हैं और कंटीन स्टोर विभाग (भारत) को राज्य व्यापार निगम के जरिये बेची जाती हैं ।
10. हीरे	बिना पालिश किए और बिना तराशे हीरे आयात लाइसेंसधारियों को नीलामी अथवा निविदा द्वारा बेचे जाते हैं और उनके लाइसेंसों में मुजरे किए जाते हैं । तराशे हुए और पालिश किए हीरे केवल निर्यात के लिए बेचे जाते हैं ।
11. हीरों से भिन्न रत्न और उपरत्न	बिना पालिश किए और बिना तराशे रत्नों और उपरत्नों की बिक्री देशी बाजार में आयात लाइसेंसधारियों को नीलामी अथवा निविदा द्वारा उनके लाइसेंसों में मुजरे करके की जाती है । हीरों से भिन्न तराशे और पालिश किए रत्न और उपरत्न नीलामी अथवा निविदा द्वारा देश में ही बेचे जाते हैं ।
12. घड़ियां	एच० एम० टी० को सौंपी जानी होती हैं । यदि एच०एम०टी० उन्हें उठाने में अपनी अनिच्छा प्रकट करे अथवा उसे तीन माह की अवधि में नहीं उठा सके तो उनकी बिक्री हेतु निम्नलिखित को पेश-कश की जा सकती है :— (क) सैनिक और अर्ध-सैनिक संगठनों को उनके कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए; और (ख) उपभोक्ता सहकारी समितियों, सुपरबाजारों, सहकारी भण्डारों आदि के जरिए वास्तविक उपभोक्ताओं के बेचने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघों को ।
13. इलैक्ट्रानिकी का माल	गणित्रों और टेपरिकार्डरों आदि जैसी इलैक्ट्रानिकी की वस्तुएं और टाइपराइटर तथा फोटोग्राफी का सामान सरकारी प्रयोग के लिए और शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को लेने के लिए कहा जाता है । दूरदर्शन सेट अस्पतालों को बेचे जाने होते हैं ।
14. संश्लिष्ट टैक्सटाइल	निर्यात किया जाना होता है ।

अतिरिक्त उपाय

संश्लिष्ट टैक्सटाइल और इलैक्ट्रानिकी का सामान जैसी अन्य

उपभोक्ता वस्तुओं का निपटान जिनमें अन्य फुटकर चीजें भी शामिल हैं, नीचे दिए अनुसार किया जाता है :—

(1) उन वस्तुओं का निपटान जो यात्री असबाब में छोटी-छोटी मात्रा में पकड़ी जाती हैं, सीमाशुल्क गृहों द्वारा खुदरा बिक्री के जरिए किया जाता है ।

(2) सैनिक और अर्ध–सैनिक संगठनों को, उनके कर्मचारियों के प्रयोग के लिए, बेची जाती है,

(3) उपभोक्ता सहकारी समितियों, सुपर बाजारों, सहकारी भण्डारों आदि के माध्यम से वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचने के लिए राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ को बेची जाती हैं ।

कृषि ऋण पर ब्याज की दरें

2309. **श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार सभी प्रकार के कृषि ऋणों पर ब्याज की दरें कम करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) कृषि ऋणों की ब्याज दरें पहले दिसम्बर, 1977 में और फिर 1979 में कम कर दी गई थी । बैंकों के नाम रिजर्व बैंक के निदेश में विनिर्दिष्ट 12-1/2 प्रतिशत को न्यूनतम ऋण दर के मुकाबले कृषि अग्रिमों पर ब्याज की दरें नीचे लिखे अनुसार है :—

(I) कृषि विकास के लिए निम्नलिखित मदों के वास्ते उन सावधिक ऋणों पर जिनकी परिपक्वता की अवधि तीन वर्षों से कम न हो :—

(क) लघु सिंचाई/भूमि विकास 9-1/2 प्रतिशत वार्षिक से अनधिक ।

(ख) विविधीकृत प्रयोजनों के लिये :—

(I) छोटे किसानों को 9-1/2 प्रतिशत वार्षिक ।

(II) अन्य किसानों को 10-1/2 प्रतिशत वार्षिक ।

(2) 2500 रुपये तक के ऋणों के लिए, चाहे वे अल्पावधिक, मध्यमावधिक अथवा दीर्घावधिक ऋण के रूप में दिए गए हों, अंतिम ऋणकर्ता से लिये जाने वाले ब्याज की दर 11% से अधिक नहीं होगी ।

कमजोर से कमजोर वर्ग के लिए तैयार की गई विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत ब्याज की दर 4 प्रतिशत वार्षिक है ।

स्वीट आयल की आयात बन्द किया जाना

2210. **श्री के० प्रधानी** :क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वीट आयल का आयात बन्द कर दिया हैं ;

(ख) क्या देश में स्वीट आयल का पर्याप्त भंडार है ; और

(ग) स्वीट आयल के आयात और वितरण में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) यदि 'स्वीट आयल' का तात्पर्य खाद्य तेल से है, तो खाद्य तेलों का आयात बन्द नहीं किया गया है। तथापि, 2 दिसम्बर, 1978 से खाद्य तेलों के आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जा रहा है। खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करेने के लिए समय-समय पर पर्याप्त मात्रा में आयात किया जाता रहा है। देश में कुल मिलाकर इसके स्टाक की स्थिति संतोषजनक है । जहां तक वितरण का संबंध है, वनस्पति उद्योग की आयातित खाद्य तेलों की मांग पहले ही राज्य व्यापार निगम के माध्यम से पूरी की जा रही है । इसके अतिरिक्त, उचित दर दुकानों से बिक्री के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से काफी मात्रा में आयातित तेल दिया जा रहा है। राज्य व्यापार निगम देश में कुछ चुने केन्द्रों में समय-समय पर मण्डियों में प्रवेश के जरिए आयातित तेलों की वाणिज्यिक बिक्री भी करता रहा है, ताकि मूल्यों में वृद्धि के रख को रोका जा सके ।

मदुरै हवाई अड्डे के काम के पूरा होने में विलम्ब

2211. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदुरै हवाई अड्डे पर बोइंग तथा ऐसे ही अन्य बड़े विमान उतरने के लिये कार्य पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या मदुरै और कोटीलम को हेलीकाप्टर "फीडर" सेवा से मिलाने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मन्त्री (श्री जानकी बल्लभ पट्नायक) : (क) इंडियन एयरलाइन्स ने बोइंग-737 विमानों के परिचालन के लिये मदुरै विमानक्षेत्र का विकास करने की मांग नहीं की है ।

(ख) जी, नहीं ।

भारत से सोने की तस्करी

2212. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से चोरी छिपे सोना ले जाने का काम करने वाले व्यावसायिक व तस्करों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) क्या कुछ भारतीय तस्कर विदेशों में रंगे हाथों पकड़े गये हैं और यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) सरकार को प्राप्त रिपोर्टों से ऐसा संकेत नहीं मिलता कि सोना बड़े पैमाने पर अथवा सुसंगठित तरीके से चोरी-छिपे भारत से बाहर भेजा जा रहा है । तथापि, स्थिति पर सावधानी पूर्वक नजर रखी जाती है और सोने को चोरी-छिपे भारत से बाहर भेजने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए, सीमाशुल्क अधिकारियों को पूरी तरह चौकस कर दिया गया है ।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत से सोने की तस्करी के सिलसिले में किन्हीं व्यक्तियों को विदेशों में गिरफ्तार किया गया है ।

हथकरघा और विद्युत चालित करघा कपडों के निर्यात में गिरावट

2213. श्री कृष्णचन्द्र पाण्डे : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विदेशों में मिल में कपड़ें की तुलना में हथकरघे और विद्युत चालित करघे के कपडों की अत्यधिक खपत होने के बावजूद जनता पार्टी और लोक दल के शासन काल में हथकरघा और विद्युत चालित करघे से बने कपड़ों के निर्यात में गिरावट आई थी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शियाउडर रहमान अंसारी): सूती मिल-निर्मित, विद्युत चालित करघे और हथकरघे कपड़े (फैब्रिक्स) के निर्यातों के आंकड़ों की स्वत: स्पष्ट तालिका नीचे दी गई है :—

सूती फैब्रिक्स के निर्यात

(मूल्य करोड़ रु० में)

सूती फैब्रिक्स (कपड़ा)	1976-77	1977-1978	1978-79	1979 (अप्रैल-अक्तूबर)
मिल निर्मित	202.28	139.08	139.96	102.98
विद्युत चालित करघा	19.18	15.09	20.29	10.02
हथकरघा	53.17	81.59	54.60	30.81

घाटे की बजट योजना

2214. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली सरकार द्वारा की गई घाटे की बजट योजना से हर तरफ मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हुई है जिसके फलस्वरूप आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत ऊंचे चले गए और उत्पादन में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त घाटे को कम से कम करने के लिए अब कोई कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) 1979-80 के बजट में हुआ बहुत ज्यादा घाटा, चालू वर्ष में होने वाली कीमतों की वृद्धि का एक मुख्य कारण रहा है । इसके अलावा दूसरे कारण ये हैं: व्यापक रूप से पड़ा सूखा, कतिपय वस्तुओं की प्रशासित कीमतों में वृद्धिगत समायोजन; आयातित पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों की कीमतों में तेजी से हुई वृद्धि तथा विद्युत की कमी, परिवहन सम्बन्धी अड़चनों तथा बिगड़े हुए औद्योगिक सम्बन्धों के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में करीब करीब गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होना ।

(ख) तथा (ग) जी हां । आगामी राजकोषीय वर्ष 1980-81 के लेखानुदान सम्बन्धी बजट में, बजट विषय के घाटे को कम करके 1235 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि इसकी तुलना में चालू राजकोषीय वर्ष अर्थात् 1979-80 के संशोधित अनुमानों में 2700 करोड़ रुपए का बजट घाटा रहा है । यह सफलता कर संग्रह की राशि को बढ़ाकर आन्तरिक तथा बाह्य दोनों साधनों से पहले ज्यादा उधार लेकर अल्प बचतों तथा भविष्य निधियों में अधिक रकमें जुटाकर प्राप्त की गई है । विकास भिन्न व्यय में वृद्धि को कम से कम मात्रा तक सीमित रखने के प्रयास भी किए गए हैं ।

राष्ट्रीयकृत और गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिए मानदण्ड

2215. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्रमशः नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में (एक) राष्ट्रीयकृत (दो) गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिए क्या मानदण्ड है, और

(ख) क्या उन पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी शाखाएं खोलने के इस मानदण्डों में कोई छूट दी जाती है, जहां जनसंख्या छितराई हुई होती हैं और भौगोलिक स्थितियों के अधीन बैंकों की शाखाओं का कम दूरी पर होना अपेक्षित होता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, यह आवश्यक हैं कि 1979-81 की अवधि में वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकारों के परामर्श से बैंकिंग सुविधाओं की दृष्टि से कमी वाले विभिन्न जिलों के बैंक रहित ऐसे ग्रामीण और अर्ध नागरीय केन्द्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में अपनी शाखाओं का विस्तार करें जहां व्याप्ति प्रति 20,000 ग्रामीण/अर्ध नगरीय लोगों के लिए एक शाखा से कम हो । नगरीय और महानगरीय केन्द्रों में नई शाखाएं खोलने की अनुमति केवल आवश्यकता पर आधारित चयनात्मक आधार पर दी जाती है ।

(ख) लाइसेंसिंग नीति के कार्यान्वयन में पहाड़ी इलाकों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है । रिजर्व बैंक ने पहाड़ी क्षेत्रों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे उन जिलों में भी जो बैंकिंग सुविधाओं की दृष्टि से कमी वाले जिले नहीं हैं, ग्रामीण तथा अर्ध नगरीय खानों में शाखाएं खोलने के लिए केन्द्रों का सुझाव दें ।

कर की चोरी को रोकने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन

2216. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करों की चोरी को रोकने के लिये उपाय सुझाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति को गठित किये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) फिलहाल, सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

(ख) इसका प्रश्न नहीं उठता ।

बड़े औद्योगिक घरानों पर बकाया आयकर

2217. **श्री एन० ई० होरो :** क्या वित्त मंत्री एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी गई है ;

(क) दिनांक 31 मार्च, 1979 को 70 बड़े औद्योगिक घरानों में से प्रत्येक पर आयकर की कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) आयकर की बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) एकाधिकार तथा अवरोध व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26(2) के अधीन पंजीकृत किये गये जो उपक्रम उक्त अधिनियम की धारा 20(क) (i) तथा 20(क) (ii) के अन्तर्गत आते हैं उन्हें बड़े औद्योगिक घराने माना जाता हैं । ऐसी सभी कम्पनियों के बारे में मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, जिन कर-निर्धारितियों की तरफ प्रत्येक तिमाही के अन्त में आयकर की सकल बकाया मांग 10 लाख रुपये से अधिक है उनके बारे में सूचना उपलब्ध है । ऐसी कम्पनियों (जिन्हें 30 जून 1978 की स्थिति के अनुसार एकाधिकार तथा अवरोध व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत किये गये पंजीकरणों के आधार पर विनिर्दिष्ट और समूहित किया गया है) के संबंध में औद्योगिक घराने-वार सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई हैं ।

(ख) अनिर्णीत पड़ी अपीलों, न्यायालयों द्वारा जारी किए गये स्थगन-आदेशों, सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई प्रबंध व्यवस्था, विचाराधीन संशोधनों तथा पुनरीक्षण याचिकाओं आदि जैसे अनेक कारणों से बहुत से मामलों में मांगे बकाया पड़ी रहती हैं । जहां कहीं मांगे विवाद ग्रस्त हैं और अपीलें विचाराधीन हैं वहां सम्बन्धित अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए उपाय किये गये हैं । अन्य मामलों में प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार, बकाया रकमों की वसूली के लिये समय समय पर उचित उपाय किये जाते हैं ।

विवरण

31 मार्च 1979 की स्थिति के अनुसार बडे औद्योगिक गृहों से प्राप्त आयकर की रकम का ब्यौरा

(लाख रु० में)

क्रम सं०	बड़े औद्योगिक गृह का नाम	31-3-79 की स्थिति के अनुसार बकाया आय कर की रकम		
		बकाया कर	देय नहीं बना कर	जोड़
1.	2.	3.	4.	5.
1.	बांगुर	—	34.77	34.77
2.	बिड़ला	38.83	184.70	223.53
3.	जी० बी० नायडू	97.71	124.58	222.29
4.	जयपुरिया	0.43	84.67	85.10
5.	जे०के० सिंघानिया	24.85	214.25	239.10
6.	कमानी	125.38	21.00	146.38
7.	कपाड़िया किलिक	67.73	41.96	109.69
8.	कस्तूर भाई लाल भाई	—	26.45	26.45
9.	किर्लोस्कर	—	10.61	10.61
10.	मफतलाल	—	11.49	11.49
11.	मोदी	24.15	430.26	454.41
12.	एम० एस० ओवेराय	—	12.48	12.48
13.	रोनक सिंह	234.51	169.70	404.21
14.	आर० एन० गोयन्का	17.58	56.49	74.07
15.	साराभाई	—	11.78	11.78
16.	श्रीराम	2.06	35.98	38.04
17.	एस० पी० जैन	20.69	—	20.69
18.	सूरजमल नागरमल	—	336.08	336.08
19.	त्यागराज	15.39	22.95	38.34
20.	टी० वी० एस० आयंगर	25.68	38.40	64.08
21.	यूनाइटेड ब्रीवरीज	16.15	30.26	46.41
22.	यूनियन कारबाइड	—	49.69	49.69

कोटा, बीकानेर, अजमेर, जैसलमैर आदि को विमान सेवा से जोड़ा जाना

2218. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भूतपूर्व नागर विमानन मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि राजस्थान के कोटा, बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर आदि नगरों को वर्ष 1980 में विमान सेवा से जोड़ा जायेगा, यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पट्नायक) : आश्वासन के ब्यौरों तथा उस तारीख के अभाव में जब वह आश्वासन दिया गया था, उक्त आश्वासन को ढूढ़ना संभव नहीं हो सका है। तथापि कोटा, बीकानेर, अजमेर तथा जैसलमेर के लिए विमान सेवायें चालू करने की इन्डियन एयरलाइन्स की कोई योजना नहीं है। परन्तु उक्त स्टेशन उन 50 स्थानों में से हैं, जिनकी तीसरी विमान सेवाओं के परिचालन कार्यक्रम में सम्मिलित करने की सिफारिश की गई है। सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

व्यर्थ के खर्चों और गलत उपकरण की खरीद संबंधी मामलों की जांच

2219. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1980 के "ब्लिट्ज" में "मल्टी करोर वेस्ट इन इन्डियन एयरलाइन्स" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन्डियन एयरलाइन्स में ग्राउंड सपोर्ट तथा वेगेज हैन्डलिंग उपकरणों की खरीद तथा उनके कार्यकरण के बारे में कोई जांच की है ;

(ग) क्या यह सच है कि भूतपूर्व चेयरमैन ने इण्डियन एयरलाइन्स में व्यर्थ के खर्चों के बारे में की जा रही कतिपय जांच पड़तालों को रुकवा दिया है उनकी खानापूरी करवा दी है ; और

(घ) क्या सरकार सभी व्यर्थ के खर्चों और गलत उपकरणों की खरीद के बारे में जांच के लिये कोई विशेष समिति नियुक्त करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पट्नायक) : (क) जी, हां।

(ख) ग्राउंड सपोर्ट उपस्कर की खरीद के मामले में फिजूल खर्ची का कोई विशेष मामला इन्डियन एयरलाइन्स की जानकारी में नहीं आया है। तथापि, प्राप्त हुए आइटमों में से कुछ आइटम घटिया थे। दोषों को निर्माताओं से दूर करा लिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इन्डियन एयरलाइन्स मामले की पहले ही छानबीन कर रही है।

कोरबा (मध्य प्रदेश) में एल्यूमिनियम पन्नी संयंत्र की स्थापना

2220. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में कोरबा में एल्यूमिनियम पन्नी संयंत्र की स्थापना के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड अब इस उद्योग को किसी अन्य राज्य में ले जाने पर विचार कर रहा है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) एल्यूमिनियम पन्नी संयंत्र की स्थापना हेतु साध्यता रिपोर्ट तैयार हो गई है और इस समय भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० द्वारा इसकी जांच की जा रही है । पूंजी-निवेश संबंधी निर्णय लेते समय संयंत्र स्थल के बारे में भी निर्णय किया जाएगा ।

घाटे पर चल रहे सरकारी क्षेत्र के एककों को बंद करना

2221. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उद्यम ब्यूरो ने अपने प्रतिवेदन में लगातार घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के अनेक एककों को बन्द करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन एककों को बन्द करने के लिए अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के नीलाम करने के लिए सुझाव दिया गया है ;

(ग) वर्ष 1978 और 1979 (जून के अन्त तक) के दौरान सरकारी क्षेत्र के एककों को हुए घाटे के कारण राजकोष को कितनी गैर-योजना राजसहायता वहन करनी पड़ी है ; और

(ङ) सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा जांच किये गये 28 एककों की तुलनात्मक स्थिति क्या है और सरकार का विचार इस अध्ययन दल की सिफारिशों पर आधारित क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाडिया) : (क), (ख) और (घ) सरकारी उद्यम कार्यालय विभिन्न सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन की निरन्तर समीक्षा करता है और यह अध्ययन करता है कि उन उद्यमों ने कितना मुनाफा कमाया और सार्वजनिक प्रयोजन कहां तक सिद्ध किया । किन्तु, इस मंत्रालय में घाटे पर चल रहे सरकारी क्षेत्र के एककों को बन्द करने अथवा ऐसे उद्यमों को गैर-सरकारी क्षेत्र को नीलाम करने का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है ।

(ङ) 1978-79 के वित्तीय वर्ष की अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभापटल पर रख दिया जायेगा ।

बर्मिघम (इंगलैंड) में औद्योगिक प्रदर्शनी

2222. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने मार्च, 1980 में बर्मिघम (इंगलैंड) में अपनी सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदर्शनी की है ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर प्रदर्शित की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) भारतीय सामान की ब्रिटिश सामान की तुलना में क्या स्थिति रही है ;

(घ) प्राप्त हुए निर्यात आदेशो का ब्यौरा क्या है और वे किन-किन देशों से प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) उनके फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) व्यापार विकास प्राधिकरण एक ऐसा संगठन है जिसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया था। यह संगठन वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसने 2 मार्च से 6 मार्च 1980 तक बर्मिघम (इंगलैंड) में एक क्रेता-विक्रेता संगम का आयोजन किया था। यह क्रेता-विक्रेता संगम इंगलैंड में अब तक व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा संगम था। इस संगम में भारत के बहुत से औद्योगिक उत्पाद प्रदर्शित किए गए थे जिसमें अन्य वस्तुओं के साथ-साथ आटो अनुषंगी सामान, बिल्डिर्स हार्डवेयर, फोर्जिंग तथा कास्टिंग, डीजल इंजन और उसके हिस्से इलैक्ट्रानिक उपस्कर तथा संघटक दस्ती, छोटे तथा कटाई औजार; बागान औजार औद्योगिक फास्टनर, मशीनी औजार तथा सहायक सामान, वैज्ञानिक तथा नापने के यंत्र, बाथरूम फिटिंग्स, वाइसिकल के हिस्से, बिजली की मोटर, मत्स्य उपस्कर, औद्योगिक दस्ताने तथा प्रोसेस कन्ट्रोल वाल्व शामिल थे। इस संगम के प्रति ब्रिटेन के खरीदारों की ओर से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रही और भाग लेने वालों से प्राप्त पहली जानकारी के अनुसार संगम के दौरान मौके पर ही लगभग 3.50 करोड़ रु० के क्रयादेश बुक किए गए। इस संगम के दौरान महत्वपूर्ण पूछताछ भी की गई।

तांबा और कलई (टीन) के मूल्यों में वृद्धि करना

2223. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में तांबा और कलई के मूल्यों में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) लघु उद्योगों जैसे देश में बर्तन बनाने वाले उद्योग और विदेश व्यापार पर इन दो धातुओं से मूल्य में वृद्धि होने वे किस हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) देश में लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी हां। मार्च, 1980 के दौरान बिक्रियों के लिए खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा आयातित तांबा तथा कलई की कीमतें क्रमश: 34000 रु० तथा 2 लाख रु० प्रति टन से बढ़ाकर 38000 रु० तथा 2.02 लाख रु० प्रति मे० टन की गई।

(ग) तथा (घ) इन कीमतों को निर्धारित करते समय अन्य आसंगिक खर्चों आदि के अतिरिक्त, चल रही अन्तर्राष्ट्रीय कीमत, उन वस्तुओं के लिए जो पहले से ही स्टाक में हैं भुगतान की गई कीमत तथा वह कीमत जिस पर नए स्टाक आयात किये जाने की संभावना है, ध्यान में रखा जाता है। कीमत में वृद्धि से इस उद्योग के किसी खास क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है निर्यात उत्पादों के मामले में, सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के जरिए मार्गीकृत अन्य मदों की तरह प्रतिपूर्ति के रूप में इन मदों के सीधे आयात करने की अनुमति है।

अगुचा (भीलवाड़ा) के निकट अलौह जस्ता और सीसे का भारी भंडार पाया जाना

2224. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री विजय एन० पाटिल :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भीलवाड़ा के अगुचा रामपुरा गांव के निकट अलौह जस्ता और सीसे का भारी भंडार पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी कितनी मात्रा मिली है और इस भंडार का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। अब तक की गई खोजों से जस्ता-सीसा अयस्क के लगभग 26 मिलियन टन भण्डार होने का संकेत मिला है जिसमें लगभग10 से 12 प्रतिशत जस्ता और 1 से 2 प्रतिशत सीसा है।

भण्डार की क्षमताओं के आकलन के लिए गहन खोज की जा रही है। मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि० (भारत सरकार का उपक्रम) ने इस क्षेत्र में खनन पट्टे के लिए आवेदन किया है।

इस्पात उद्योग के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव

2225. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री मगन भाई वरोट :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) वर्तमान इस्पात कारखानों को तकनीकी तथा भौतिक दृष्टि से ठीक हालत में रखने के लिए प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने, नई प्रक्रियाएं आरम्भ करने तथा उपस्करों को बदलने सम्बन्धी प्रस्तावों पर सरकार द्वारा लगातार आधार पर विचार किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले 25 वर्षों में विश्व में प्रौद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ है, कुछ प्रस्ताव विचार/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। ये हैं :–

1. भिलाई में न्यूनतम लागत से वर्तमान सुविधाओं द्वारा अतिरिक्त उत्पादन करने के के लिए प्रौद्योगिक सुधार/नई प्रक्रियाएं आरम्भ करने, प्रौद्योगिकी, उपस्करों और प्रक्रियाओं को अद्यतन करने के बारे में नए कार्यक्रम तैयार करना। इस प्रयोजन के लिए शक्यता प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

2. राउरकेला इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए प्रारम्भिक शक्यता प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इस समय कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के बारे में पश्चिमी जर्मनी की फर्मों के एक समूह से बातचीत चल रही है।

3. दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए एक व्यापक विकास योजना तैयार करने के बारे में इस समय बातचीत चल रही है।

4. भिलाई इस्पात कारखाने की तरह बोकारो इस्पात कारखाने में भी प्रौद्योगिक सुधार करने के बारे में कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव है ताकि न्यूनतम पूंजी-निवेश से इसकी उत्पादिता बढ़ाई जाये।

5. राउरकेला इस्पात कारखाने में वर्ष 1961 में लगाई गई हॉट स्ट्रिप मिल के उत्पादन को बनाए रखने के उद्देश्य से 31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस मिल का आधुनिकीकरण करने के लिए योजना बनाई गयी है।

ऊपर दी गई मद संख्या (5) को छोड़कर अन्य प्रस्ताव तैयार करने तथा उन पर विचार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है।

कोकिंग कोल का आयात

2226. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में इस्पात उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1980-81 के दौरान कोकिंग कोल का आयात करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस्पात उद्योग को वर्ष 1980-81 का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिये कुल कितने कोकिंग कोयले की आवश्यकता होगी; और

(ग) आयात किये जाने वाले कोयले का मूल्य क्या होगा और किन-किन देशों से आयात किया जायेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) वर्ष 1980-81 का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की कोककर कोयले की कुल आवश्यकता 170 लाख टन होगी । देशीय सप्लाई बढ़ाने के लिए कोककर कोयला आयात करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

भारतीय संयुक्त उपक्रमों को क्रियान्वित किया जाना

2227. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 180 भारतीय संयुक्त उपक्रमों को क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) ऐसी सूचना मिली है कि विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित 373 प्रस्थापनाओं में से 179 संयुक्त उद्यम परियोजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई । इस असफलता के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ वित्त प्राप्त करने, उत्पादित माल के विपणन व प्रबंध व्यवस्था से सम्बन्धित समस्याओं का न्यून आकलन करना और जागरूकता का अभाव आदि शामिल है । पूर्व निवेश सर्वेक्षण, परियोजना रिपोर्टों तथा फर्म सहयोग व्यवस्थाओं की अपर्याप्तता के साथ-साथ, कुछ ऐसे तथ्यों के कारण भी कुछ परियोजनाएं कार्यान्वित नहीं की जा सकीं, जिन पर भारतीय प्रोमोटरों का वश नहीं था, जैसे कि मेजवान देशों में राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन, टैरिफ संरक्षण प्रदान न किया जाना तथा निवेश नीतियों मे परिवर्तन ।

अधिकांश हवाई अड्डों पर अपर्याप्त सुविधाएं

2228. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए देश के अधिकांश हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पटनायक) : (क) और (ख) बिमानक्षेत्रों पर दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करना एक निरंतर चलने

वाली प्रक्रिया है तथा बढ़ते हुए विमान यातायात, परिचालन संबंधी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए इसका लगातार नुनरीक्षण किया जाता है। विमानक्षेत्रों को एयरबस एवं बोइंग 737 विमानों के परिचालनों के उपयुक्त बनाने के लिए इन पर रन-वे काम्पलेक्सों, टर्मिनल सुविधाओं संचार व्यवस्था, रेडियो एवं राडार उपकरणों, अवतरण उपकरणों तथा सुरक्षा सेवाओं में सुधार करने की इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा आयोजित योजनाओं को चालू पंचवर्षीय योजना (1978-83) में कुछ विमान क्षेत्रों पर या तो पहले ही प्रारंभ किया जा चुका है अथवा प्रारंभ कर देने का प्रस्ताव है।

पश्चिम बंगाल में उचित दर दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण

2229. **श्री मुकुन्द मंडल :**

श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछली सरकार से उचित दर की दुकानों के जरिए कुछ आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के किए प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या वर्तमान सरकार का विचार पश्चिम बंगाल सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उस समय वितरित की जा रही गेंहूं, चावल, कन्ट्रोल का कपड़ा, खाद्य तेल आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं के संबंध में तात्कालीन वाणिज्य मंत्री के नाम अपने 16 जून, 1979 के पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया था कि चीनी को भी पहले की तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये। दोहरी मूल्य नीति पिछली सरकार द्वारा 17 दिसम्बर, 1979 से लागू की गई थी और वर्तमान सरकार द्वारा वही नीति जारी रखी जा रही है।

(घ) (व) (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में खनिजों की संभावनाओं का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण

2230. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों, यथा ग्वालियर, भिण्ड, मोरेना, शिवपुरी, गुना और दतिया में खनिजों के पाये जाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया

गया है और यदि हां, तो सर्वेक्षण कब किया गया था और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) क्या ग्वालियर-शिवपुरी के निकट उपलब्ध हुए पत्थर में लौह तत्वों की प्रचुर मात्रा पाई गई है और यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी है तथा क्या लौह तत्वों की प्रचुर मात्रा को देखते हुए वहां पर एक लोहे का कारखाना स्थापित किये जाने की कोई योजना है और क्या जिला और तहसील ग्वालियर के 'धुवन गांव' तथा जिला शिवपुरी, तहसील नाखार के नगरौनी में लौह उद्योग मौजूद थे।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) इन जिलों में खनिजों की खोज के लिये सर्वेक्षण किया गया हैं और हाल ही के वर्षों में ग्वालियर और शिवपुरी जिलों में खनिज मिट्टी, गेरु, आधार-धातु और लौह अयस्क, गुना जिले में गेरू, बाक्साइट और खनिज मिट्टी, मुरेना जिले में कांच-रेत और कोरंडम (एक स्फटिक खनिज) तथा मुरेना, शिवपुरी और गुना जिलों में चूना-पत्थर आदि खनिजों का पता चला है।

(ख) ग्वालियर और शिवपुरी जिलों में लौह-अयस्क के छोटे-छोटे भण्डारों का पता चला है, इनमें से एक भण्डार, जिसके लगभग 0.13 मिलियन टन होने का अनुमान है, ग्वालियर जिले के 'धुवन गांव' के समीप है। इन भण्डारों पर आधारित इस्पात कारखाने की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पता चला है कि प्राचीन काल में इन क्षेत्रों से कुछ लौह-अयस्क निकाला जाता था।

बम्बई-जलगॉव-नागपुर के लिए नई विमान सेवा

2331. श्री विजय एन० पाटिल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अजंता की गुफॉएं देखने जाने वाले पर्यटकों तथा जलगॉव एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में जाने वाले अन्य यात्रियों के लिये दिल्ली और बम्बई के बीच वाया जयपुर-औरगांबाद तथा वाया जयपुर-जलगॉव वैकल्पिक एयरलाइन की सेवा आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का बम्बई-जलगांव-नागपुर के बीच सप्ताह में दो बार विमान सेवा आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पट्टनायक) : (क) और (ख) इस वर्ष चार अतिरिक्त बी-737 विमान अपने बेडे में सम्मिलित कर लेने के पश्चात् इंडियन एयरलाइन्स की दिल्ली/जयपुर/उदयपुर/औरंगाबाद/बम्बई मार्ग पर चल रही बोइंग सेवा के अतिरिक्त दिल्ली/जयपुर/बम्बई मार्ग पर बोइंग-737 की एक दैनिक सेवा प्रारम्भ करने की योजना है। तथापि दिल्ली/जयपुर/जलगांव अथवा बम्बई/जलगांव/नागपुर मार्ग पर विमान सेवा प्रारम्भ करने की कार्पोरेशन की कोई योजना नहीं हैं।

राजस्थान राज्य को सीमेंट, चीनी, मिट्टी के तेल और डीजल की सप्लाई

2232. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को चीनी, सीमेंट, मिट्टी का तेल और डीजल की वस्तुवार कितनी मात्रा में सप्लाई किये गये :

(ख) क्या राज्य को इन वस्तुओं की यह सप्लाई राज्य की समूची आवश्यकता के लिये पर्याप्त थी और यदि नहीं, तो इनमें से प्रत्येक वस्तु के बारे में कितनी कमी रही है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को प्रतिदिन की आवश्यकता वाली वस्तुओं की सप्लाई किस आधार पर करती है और उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित सप्लाई की मात्रा पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पड़ोसी राज्यों की तुलना में कितनी न्यूनाधिक है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जनवरी–मार्च, 1980 के दौरान राजस्थान को आवंटित चीनी, सीमेंट, मिट्टी के तेल तथा डीज़ल का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

(ख) राजस्थान सरकार से मिली सूचना के अनुसार अनुबंध 'क' में दर्शायी गई वस्तुओं की सप्लाई मांग की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं थी । राजस्थान सरकार द्वारा सप्लाई में जो कमी बताई गई है वह इस प्रकार है :—

वस्तु	कमी की मात्रा
चीनी	लगभग 4000 मीटरी टन प्रति मास
मिट्टी का तेल	लगभग 15000 कि०ली० प्रति मास
हाई स्पीड डीज़ल	लगभग 20000 कि०ली० प्रति मास
सीमेन्ट	लगभग 2,00,000 मीटरी टन प्रति मास

(ग) राज्यों को सीमेन्ट का आबंटन तिमाही आधार पर किया जाता है । तिमाही III/1978 (जुलाई-सितम्बर) से राज्यों के लिए आबंटनों का निर्धारण नीचे दी गई मात्राओं में से सबसे अधिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए, एक समान आधार पर किया गया है :—

1) 1973 से 1977 तक के पांच वर्षों की अवधि के दौरान त्रैमासिक औसत प्रेषण ।

2) जनवरी–मार्च, 1977 से जनवरी–मार्च, 1978 तक की पांच तिमाहियों के दौरान त्रैमासिक औसत प्रेषण ।

3) तिमाही 11/78 (अप्रैल–जून) में किया गया आवंटन । सीमेन्ट की वास्तविक उपलभ्यता को ध्यान में रखते हुए इन आबंटनों में समुचित रूप से फेर-बदल किया जाता है ।

लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटों का निर्धारण राज्यों के उन कोटों के आधार पर किया गया है, जो 16 अगस्त, 1978 को चीनी पर से कंट्रोल हटाने के तुरन्त पहले की आंशिक

कंट्रोल की अवधि के दौरान उनके लिये निर्धारित थे । इन कोटों की गणना इस प्रकार की गई है कि 1977-78 के चीनी मौसम के मध्य वर्ष अर्थात् पहली अप्रैल, 1978 की अनुमानित जनसंख्या को आधार मानते हुये प्रति व्यक्ति प्रति माह 425 ग्राम चीनी दी जा सके ।

हाई स्पीड डीज़ल तेल के सम्बन्ध में आवंटन, 5 प्रतिशत वृद्धि दर रख कर पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की खपत के आधार पर किया गया है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मिट्टी के तेल का आवंटन गत वर्ष के इन्हीं महीनों में हुई इसकी वास्तविक बिक्री के स्तर पर किया गया है। तथापि, जनवरी, 1980 के दौरान 4 तेल शोधक कारखानों के बंद होने से मिट्टी के तेल तथा डीजल दोनों की उपलब्धता में तेजी से कमी हुई । इसलिये जनवरी, 1980 के दौरान उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के लिये डीज़ल तथा मिट्टी के तेल के कोटे में कटौती करनी पड़ी । मार्च 1980 के लिये आवंटन बढ़ा दिया गया है ।

पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के राज्यों को चीनी, सीमेन्ट, मिट्टी के तेल तथा डीज़ल के किए गए आबंटनों के सम्बन्ध में सूचना अनुबंध में दी गई है ।

विवरण

जनवरी, 1980 से मार्च, 1980 तक राजस्थान, पंजाब, उत्तरप्रदेश और हरियाणा को चीनी, सीमेन्ट, मिट्टी के तेल और डीजल का आबंटन

वस्तु तथा महीने	राज्यवार आबंटन			
	राजस्थान	पंजाब	उत्तरप्रदेश	हरियाणा
लेवी चीनी (मीटरी टन)				
जनवरी, 1980	12,757	6,564	41,761	4,916
फरवरी, 1980	12,757	6,564	41,761	4,916
मार्च, 1980	12,757	6,564	41,761	4,916
सीमेन्ट (मीटरी टन)				
1980 की प्रथम तिमाही के लिए (जनवरी-मार्च)	1,53,300	2,38,900	4,98,600	1,59,100
मिट्टी का तेल (मीटरी टन)				
जनवरी, 1980	10,200	10,000	26,000	5,300
फरवरी, 1980	9,596	7,906	29,596	3,297
मार्च, 1980	11,128	9,299	30,140	5,482
डीजल (मीटरी टन)				
जनवरी, 1980	32,300	37,800	60,000	19,000
फरवरी, 1980	36,770	39,822	75,488	19,312
मार्च, 1980	40,000	38,000	86,000	21,000

मध्य प्रदेश में ग्वालियर और चम्बल डिविजन का आर्थिक विकास

2233. **श्री लालीचरण शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ग्वालियर और चम्बल डिविजन के आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यवस्था योजनाएं मंजूर की गई हैं ;

(ख) क्या इनमें से कुछ योजनाएं भिण्ड और दातिया को डाकू-ग्रस्त क्षेत्रों में भी लागू की जाएगी ; और

(ग) यदि हां, तो कब और उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया : (क) हालांकि ग्वालियर डिविजन किसी विदेशी सहायता के कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं है तो चम्बल डिविजन को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता प्राप्त चम्बल कमांड क्षेत्र विकास परियोजना में शामिल किया गया है ;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था से सहायता प्राप्त चम्बल कमांड क्षेत्र विकास परियोजना में लहार को छोड़कर भिण्ड जिले की भिण्ड और मेघों तहसील शामिल है ।

(ग) मध्य प्रदेश की राज्य आयोजना से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों को ध्यान में रखने की आशा की जाती है ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के 5-स्टार होटलों की सेवा में ह्रास

2234. **श्री के० मालन्ना :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित 5–स्टार होटलों की सेवा में कोई ह्रास हुआ है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इनमें से बहुत से होटलों में स्वच्छता की कमी है ; और

(ग) यदि हां तो उनकी दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पट्टनायक) : (क) से (ग) कुल मिलाकर, भारत पर्यटन विकास निगम के 5-स्टार होटलों में सेवा, सफाई, और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था अपेक्षित स्तर की हैं । ऊंचे मानक बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं । सेवा के ऊंचे मानक को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक और आकस्मिक निरीक्षण कराए जाते हैं ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पद धारण करने वाले निजी व्यापारी

2235. **श्री के० मालन्ना :** क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों

में निर्णय लेने के स्तर पर अथवा सरकारी निकायों में पद धारण करने वाले निजी व्यापारियों के नाम क्या हैं और ऐसे विभिन्न उपक्रमों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाडिया) : संभवत: माननीय सदस्य का आशय सरकारी उद्यमों मे पूर्णकालिक निदेशकों से है। जहां तक सरकारी उद्यम कार्यालय में उपलब्ध सूचना का प्रश्न है; गत तीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक अथवा कार्य निदेशक के पदों पर किसी निजी व्यापारी को नियुक्त नहीं किया गया है। किन्तु सरकार ने इन में से कुछ पदों पर ऐसे व्यावसायिक प्रबन्धक नियुक्त किए हैं जो पहले निजी क्षेत्र में कार्य करते थे।

मैसर्स प्यरों ड्रिवस को विदेश में कम्पनी स्थापित करने की अनुमति

2236. **श्री चन्द्रलाल मणि तिवारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स प्यारे ड्रिक ग्रुप को विदेश में एक कम्पनी स्थापित करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) विदेशों में उक्त कंपनी की स्थापना किस प्रयोजन के लिए की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाडिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

बिहार की राष्ट्रीयकृत बैंकों में लोगों द्वारा जमा की गई राशि

2237. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों में लोगों द्वारा जमा की गई राशि की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि उद्योग, वाणिज्य अथवा व्यापार में लगाई गई राशि की प्रतिशतता जमा की गई राशि की प्रतिशतता की अपेक्षा कम है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक आदि राज्यों में जमा की गई और निवेश की गई राशि की तुलनात्मक प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया : (क) से (घ) आंकड़ा सूचना प्रणाली में प्रत्येक राज्य में बैंक जमाराशियों के स्रोतवार वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न में उल्लिखित राज्यों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग एवं व्यापार को दिये गये ऋणों के जून, 1977 के उपलब्ध आंकड़े विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

जून, 1977 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां और ऋण

(करोड रुपयों में)

राज्य	जमाराशियां		ऋण			राज्य सरकारों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश*	ऋण:जमा अनुपात (%)	ऋण निवेश जमा अनुपात (%)
	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	जिसमें से सरकारी क्षेत्र के बैंक	(उपयोग के अनुसार) कुल	जिसमें से निर्माता उद्योग	व्यापार			
बिहार	806.36	795.97	437.15	238.34	27.25	123.01	54.2	69.5
महाराष्ट्र	4110.15	3504.48	2678.91	1532.53	528.94	354.41	65.2	73.8
पंजाब	908.70	701.73	692.38	154.50	386.44	87.57	76.2	85.8
कर्नाटक	940.35	729.50	859.18	400.53	86.13	179.09	91.4	110.4

* मार्च 1977 से संबंधित

पटना का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

2238. श्री रामावतार शास्त्री : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना नगर गुरू गोविन्द सिंह का जन्म स्थान है और वहां उनकी स्मृति में एक विशाल गुरुद्वारा बनाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उस स्थान के दर्शन के लिए हर रोज बड़ी संख्या में पर्यटक वहां आते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस स्थान का विकास पर्यटन केन्द्र के रूप में करने का है;

(घ) क्या गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने इस संबंध में सरकार को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पट्टनायक) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) चूंकि बड़ी संख्या में पर्यटक/तीर्थ यात्री इस स्थान की यात्रा करते हैं इसलिए पहले से ही इस स्थान को एक पर्यटक केन्द्र समझा जाता है। पटना में सरकारी सैक्टर के अन्तर्गत एक होटल का निर्माण किया गया है और पर्यटकों की सुविधा के लिए वहां एक परिवहन यूनिट भी स्थापित किया गया है। पटना में प्राइवेट सैक्टर के अन्तर्गत एक होटल के निर्माण के लिए 37,00,000/- रुपये का ऋण प्रदान किया गया था। होटल पहले से ही चालू है।

(घ) हाल ही में गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

इस्पात कारखानों और कोयला खानों से अर्जित लाभ में गिरावट

2239. श्री रामावतार शास्त्री : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात, कारखानों से अर्जित लाभ में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उसका तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) लाभ में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) घाटे को समाप्त करने और लाभ अर्जित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) तथा (ख) सार्वजनिक क्षेत्र लोहा तथा इस्पात कम्पनी (पुनः संरचना) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1978 के अनुसार 1 मई, 1978 से सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्योग की पुनः संरचना से पूर्व सरकारी क्षेत्र के भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर स्थित इस्पात कारखाने, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन थे तथा बोकारो इस्पात कारखाना, बोकारो स्टील लिमिटेड के अधीन था। 1-5-1978 से इन दोनों कम्पनियों का सेल में विलय कर दिया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों की मालिक कम्पनियों के गत तीन वर्षों के कार्य परिणाम नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपये)

कम्पनी	1976-77	1977-78 (13 महीने)	1978-79 (11 महीने)
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	(+)67.46	(+)46.78	—
बोकारो स्टील लिमिटेड	(+) 1.76	(—)10.10	—
स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड	—	—	(+)43.94
कुल	(+)69.22	(+)36.68	(+)43.94
इस्को	(—)16.25	(—)30.81	(—)27.19*

* अस्थायी

(ग) तथा (घ) सामान्यतः वर्ष 1978-79 में इस्पात कारखानों की लाभदायिकता पर क्षमता के अपर्याप्त उपयोग तथा आदानों के मूल्य में हुई वृद्धि और वेतन वृद्धि आदि कारणों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जहां तक इस्को का सम्बन्ध है संयंत्र पुनः स्थापन योजना के लिए, लिए गए ऋणों पर ब्याज का भारी बोझ तथा अप्रचलित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, आदानों की अधिक लागत आदि अतिरिक्त कारण थे। इसलिए लागत वृद्धि के विभिन्न कारणों, जिन पर इस्पात कारखानों का नियंत्रण नहीं है, सम्बन्धी कठिनाइयों की सीमाओं के अन्तर्गत अधिकाधिक उत्पादन लागत में कमी करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

विदेशों में कार्यरत संयुक्त उद्यम

2240. श्री जनार्दन पुजारी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 28 फरवरी, 1980 को विदेशों में कार्यरत, देश-वार कुल कितने संयुक्त उद्यम थे; और

(ख) उनमें कुल कितनी भारतीय पूंजी लगी हुई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :

(क) एक विवरण संलग्न है। जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है।

(ख)कार्यरत संयुक्त उद्यमों में भारतीय इक्विटी शेयर पूंजी का कुल मूल्य लगभग 31 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

विवरण

कार्यरत भारतीय संयुक्त उद्यम

क्रमांक	देश	कार्यरत संयुक्त उद्यमों की संख्या
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	1
2.	बहरीन	1
3.	कनाड़ा	1
4.	फिजी	1
5.	फ्रांस	1
6.	हांगकांग	1
7.	इन्डोनेशिया	9
8.	ईरान	1
9.	केन्या	7
10.	कुवैत	1
11.	मलेशिया	28
12.	मौरिशस	8
13.	नेपाल	1
14.	नीदरलैंड्स	1
15.	नाइजीरिया	5
16.	ओमन	3
17.	फिलिपीन	3
18.	सऊदी अरब	1
19.	सिंगापुर	6
20.	श्री लंका	3

1	2	3
21.	थाईलैंड	4
22.	उगांडा	1
23.	संयुक्त अरब अमिरात	9
24.	ब्रिटेन	4
25.	संयुक्त राज्य अमरीका	6
26.	प० जर्मनी	1
27.	जाम्बिया	1
	योग	109

नोट : जानकारी उन भारतीय पार्टियों द्वारा पेश की गई रिपोर्टों पर आधारित है जिन्होंने विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं।

हैसियन पर निर्यात शुल्क

2241. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन आयुक्त ने केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है कि वास्तविक नौभार का लिहाज किए बिना हैसियन पर लगाए गए नए निर्यात शुल्क को भविष्य प्रभावी माना जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने पटसन आयुक्त के सुझावों को अन्य लोगों से प्राप्त इसी प्रकार के सुझावों के साथ ही, जांच की है लेकिन उन्हें स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाया गया है।

भारत नेपाल सीमा पर तस्करों द्वारा चुंगी कर्मचारियों से छीनी गई चांदी

2242. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-नेपाल सीमा पर कुछ तस्करों ने चुंगी कर्मचारियों से 40 किलोग्राम चांदी छीन ली जिसका विवरण दिनांक 23 फरवरी, 1980 के समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है अथवा तस्करों को पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाडिया) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

खनिजों की खोज

2243. श्री निहाल सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 29 फरवरी, 1980 तक की अवधि के दौरान देश में किन-किन स्थानों पर खनिज पाए गए हैं; और

(ख) पाए गए खनिजों के नाम क्या हैं और उनकी अनुमानित मात्रा कितनी है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कथित अवधि में महाराष्ट्र के नागपुर जिले बोर्कीपेट के समीप वुल्फ्रेमाइट और शीलाइट, खोबना और खार्वी के समीप कोलम्बाइट-टेन्टालाइट, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में रानीपुर के समीप गलीना, चाल्कोपाइराइट, कोवेलाइट, मैलेचाइट और पाइराइट के खनिजीकरण तथा बस्तर जिले में सुकमा के समीप परामस, फेरीघाट और कुमारारस के बीच सावरी नदी के पास एल्यूविल गोल्ड होने की सूचना दी है । इन खनिजों की मात्रा और आर्थिक महत्व के बारे में अभी आकलन किया जाना है ।

लघु इस्पात संयंत्रों में विद्युत भट्टियों की स्थापना

2244. श्री दयाराम शाक्य : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने लघु इस्पात संयंत्रों में विद्युत भट्टियां स्थापित करने के लिए 1970 के बाद क्या उपाय किए हैं और इस्पात उत्पादन क्षमता में किस सीमा तक वृद्धि हुई है ?

(ख) देश में इस्पात की भारी कमी के दौरान कितनी मात्रा में कतरन का निर्यात किया जा रहा था और इन भट्टियों के लगाये जाने के बाद हर वर्ष कितनी मात्रा में कतरन का निर्यात किया जा रहा है ; और

(ग) कतरन का निर्यात न करने और इसका देश में ही उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी):

(क) सरकार ने फरवरी, 1970 में औद्योगिक लाइसेंस देने की अपनी नई नीति की घोषणा की थी । यद्यपि इस नीति के अनुसार विद्युत भट्टियों को औद्योगिक लाइसेंसों के क्षेत्र में लाया गया था तथापि केवल साधारण इस्पात का उत्पादन करने वाली इकाइयों को जिनका सम्बन्ध बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों, विदेशी कम्पनियों और प्रभावशाली उपक्रमों से नहीं था और जिनकी स्थायी परिसम्पत्ति पर कुल निवेश एक करोड़ रुपये से कम था, बिना लाइसेंस के लगाने की अनुमति दे दी गई थी, शर्त यह थी कि उपस्करों का आयात न करना पड़े । उनको केवल अपने आपको लोहा और इस्पात नियंत्रक के पास पंजीकृत कराना होता था । औद्योगिक लाइसेंस देने की यह उदार नीति 31-10-1973 तक चलती रही । उसके पश्चात् इन इकाइयों को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने पर कि उन्होंने कारखाना लगाने के लिए कारगर कदम

[श्री पी० राजगोपाल नायडु]

के बदले अनाज कार्यक्रम से सम्बद्ध है । सूखे की इन परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सहायता अवश्य पहुंचनी चाहिए विशेषकर ग्रामीण मजदूरों के पास । काम के बदले अनाज जिस योजना को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने शुरू किया था वह ग्रामीण क्षेत्रों को दो प्रकार से सहायता पहुंचायेगी । एक तो खेतीहर मजदूरों को अपनी जीविका कमाने में सहायक होगी और दूसरे गांवों में तालाब, सड़कें, विद्यालय भवन, पंचायतघर, नहरें और अन्य ऐसी ही स्थायी सम्पत्तियां तैयार हो जाएंगी । इस लिए इस प्रयोजन के निमित्त आवन्टित राशिमें वृद्धि कर दी जाए । अब इस बजट में 70 करोड़ रुपये का अस्थायी नियतन किया गया है परन्तु वह पर्याप्त नहीं है । यह तो तदर्थ आधार पर किया जाता रहा है । तदर्थ आधार होने से कठिनाई आती है । राज्य तो नकद सहायता देने और उनको दी गयी आवन्टित राशि को खर्च की योजना बनाने में भी असमर्थ हैं । अतः यह व्यवस्था स्थायी तौर पर होनी चाहिए और इसे कम से कम 50 लाख टन कर दिया जाना चाहिए और चूंकि अब सूखा चल रहा है तो यह मात्रा बढा दी जानी चाहिए । जहां तक काम के बदले अनाज की बात है, उसमें दो बातें हैं । एक तो सामान्य योजना और दूसरी है विशेष योजना । विशेष योजना के अधिन नियतन में तुरन्त वृद्धि की जानी चाहिए । यह मात्रा भी तत्काल पहुंचनी चाहिए । तभी हम सूखे की स्थिती पर काबू पा सकते हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज इस सदन में एक ऐसे विषय पर हम विचार कर रहे हैं जिससे हमारे देश की जनता का हर वर्ग प्रभावित है । रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामान की बढ़ती हुई कीमतें । चाहे अनाज हो, चाहे तेल हो, चीनी हो, कोयला हो, साबुन हो, चाय हो, हर चीज जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, उस चीज की कीमत दिन प्रति-दिन बगैर किसी रोक-टोक के बढ़ती जा रही है । ऐसे लोग, जो अपने घरों के मामलों में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें इस बात का पता चलता है कि हर हफ्ते जिन्दगी के काम में आने वाले सामान के दाम बढ़ते जा रहे हैं । जो सामान पहले हफ्ते में खरीदा गया, दूसरे हफ्ते में उसका दाम बढ़ता हुआ नजर आया । (1)

श्रीमन्, इससे हर वर्ग परेशान है । लेकिन जो सब से गरीब लोग है, मध्यम वर्ग के लोग है, जो हमारे देश की आबादी का 85 प्रतिशत हिस्सा है, आज इनकी सब से ज्यादा कमर टूट रही है इस बढ़ती हुई महंगाई से । आज हमारे सामने यह सवाल नहीं है, जैसा कि कहा गया कि जनता पार्टी के शासन काल में महंगाई बढ़ी, कि जनता पार्टी के जमाने में महंगाई बढ़ी या कांग्रेस के जमाने में महंगाई बढ़ी । आज सवाल यह है कि हमारे सामने सच्चाई है कि जिन्दगी की जरुरत की चीजों की कीमतें निरन्तर बढ़ रही हैं । यह आज वास्तविकता है । यह ठीक है कि जनता पार्टी के जमाने में भी कीमतें बढ़ी लेकिन आज उस से ज्यादा कीमतें बढ़ती जा रही हैं । जो चीज आज हमारी जिन्दगी को तबाह कर रही है, उस से हम एक दूसरे पर दोषारोपण कर के आंख नहीं मूंद सकते । (2)

श्रीमन्, आज देश के किसी भी कोने में साढ़े छः रुपये से आठ रुपये किलो चीनी मिल रही है । खाने के काम आने वाला तेल 14 रुपये से 16 रुपये किलो मिल रहा है । किसान जो डीजल इस्तेमाल करता है, वह डीजल 8 रुपये लीटर में चोरबाजारी में खरीदने के लिए मजबूर हो रहा है । मैं कल मेरठ जिले में था । वहां के विद्यार्थियों के एक स्कूल का शिलान्यास करने गया था । वहां सैकड़ो विद्यार्थियों ने मुझे घेर कर कहा कि हमारे इम्तिहानों के दिन हैं, बिजली रात को आती नहीं, मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है जिससे कि हम पढ़ाई कर सकें । श्रीमन् यह केवल एक जगह की ही बात नहीं है । देश के सारे हिस्से में ही ऐसा है । मैं 15 दिन पहले तमिलनाडु में था । वहां भी यही स्थिति थी । वहां भी गरीबों, मध्यम दर्जे के लोगों ने यही शिकायत की कि देश में कीमते बढ़ती जा रही हैं । जैसा कि भगत जी ने अभी कहा, वास्तविकता यह नहीं है । चुनाव से पहले इस देश में चार रुपये किलो, साढ़े चार रुपये किलो चीनी मिलती थी लेकिन यह आज साढ़े छः रुपये से आठ रुपये किलो मिल रही है । इस के लिए कौन जिम्मेदार है? इस के लिए हम सोचेंगे या नहीं ? इसका कोई हल निकालेंगे या नहीं आज मिट्टी के तेल की, डीजल की, चाय की, कपड़े की, साबुन की जो कीमत बढ़ती ही चली जा रही है, उसके लिए सवाल यह नहीं हैं कि आप उसके लिये किस के ऊपर दोष डालते हैं । सवाल यह है कि क्या ऐसे कदम उठाये जाएंगे जिससे कि हमारे देश की 85 प्रतिशत जनता को उस से राहत मिल सके? मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर कौन ऐसा परिवार

है जिसमें 6 या 8 आदमी परिवार में हों, और वह परिवार 6 रुपये, 7 रुपये या 8 रुपये से कम में सब्जी खरीद कर खा सके? आप परवल, गोभी, टमाटर किसी के भी दाम ले लीजिए। वह मजदूर जिस की अमदनी पांच छः रुपये रोज है, वह बुनकर जो सारा दिन मेहनत करने के बाद अपने करघे पर काम करने के बाद पांच छः रुपया कमाता है और अपना पसीना बहाता है, कहां से छः रुपये की सब्जी खरीद सकता है? देहात में रहने वाला आदमी कैसे खरीद सकता है। कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इस पर सरकार को हमदर्दी के साथ विचार करना होगा। यह सवाल देश की जनता के लिए, राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है और इस सवाल पर आपको ठंडे दिल से गौर करना होगा। भगत जी वैस्ट बंगाल की सरकार के ऊपर दोष डाल सकते हैं। लेकिन मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या यह वास्तविकता नहीं है कि जिस शहर में वह रहते हैं और हम सब रहते हैं यानी दिल्ली क्या यह लंदन से भी अधिक महंगा शहर आज नहीं हो गया है? क्या यह सच नहीं है कि बम्बई शहर लंदन से भी ज्यादा महंगा शहर हो गया है? किसी पर इस का दोष डालना, मैं समझता हूं कि वास्तविकता पर पर्दा डालना होगा। ऐसा करना सच्चाई से मुकरना होगा। अगर इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया गया तो हिन्दुस्तान की अर्थ व्यवस्था भयंकर रूप धारण कर लेगी। वैसे ही वह एक भयंकर संकट के दौर से गुजर रही हैं। हमारी अर्थ व्यवस्था के सामने आज चुनौत क्या है। सब से बड़ी चुनौती यह है कि हमारा उत्पादन ठहराव की स्थिति में पहुंच गया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में स्टेंगनेशन आ गया है। यह एक वास्तविकता है कि हमें औद्योगिक उत्पादन करने के लिए बिजली नहीं मिल रही है, डीजल कारखानों को चलाए रखने के लिए नहीं मिल रहा है, करोड़ों टन किसानों का अनाज सूखे के कारण इस वास्ते सूख गया कि उन को डीजल और बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, उनके ट्यूबवैल लगे हुए हैं लेकिन बिजली के अभाव में वे चल नहीं सके, नहरें नहीं चल सकती थीं, इसलिए कि पानी की कमी हो गई थी, इंजन चलाने के लिए आपके पास डीजल और कोयला नहीं था ट्यूबवैल जो डीजल से चलते हैं, वे चल नहीं सके क्योंकि डीजल का अभाव था।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या स्थिति है। 85 प्रतिशत फेयर प्राइस शाप्स जिन को हम कहते हैं वे आज शहरों में है या छोटे छोटे कस्बों में हैं। सत्तर प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। गांव में रहने वाले 54 फीसदी आदमी आज गरीबी की रेखा के अन्दर रह रहे हैं जिन्दगी बिता रहे हैं, 48 प्रतिशत आबादी शहरों में ऐसी हैं जो गरीब है, जो गरीबी की सीमा में रह रही है। उनकी आमदनी बढ़ाने का कोई उपाय नहीं किया गया है। उनकी परचेसिंग पावर गिरती चली जा रही है, हर महीने गिरती जा रही है। आज समस्या आम आदमी की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर बढ़ाने की है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है? कैसे वह मजदूर की आमदनी बढ़ाने जा रही है, वैसे जो खेती विहिन मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं उनकी आमदनी को बढ़ाने जा रही है। शहरों में जो मजदूर काम करते हैं महंगाई जब बढ़ती है तो उनकी आमदनी को बढ़ाया नहीं जाता है। उसकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए यह समस्या है। अगर सरकार ने इन समस्याओं का निराकरण नहीं किया तो सरकार को एक भयंकर स्थिति का मुकाबला करना पड़ेगा। महंगाई पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा।

आप मुद्रा स्फीति को लें। 23 प्रतिशत वह देश में बढ़ी है या 24 प्रतिशत बढ़ी है। सरकार ने जान बूझ कर इस साल का बजट पेश नहीं किया क्योंकि विधान सभाओं के चुनाव आ रहे थे। गरीब जनता की भावनाओं को भड़का कर उसको उनका वोट लेना था। लेकिन इस चुनाव के बाद सरकार किस तरह से साधन इकट्ठे करेगी? इनको इकट्ठा उसको करना पड़ेगा। सरकार के इरादे हम को मालूम हैं। गरीबों के ऊपर, मध्यम दर्जे के लोगों के ऊपर, जिन की आमदनी बंधी हुई हैं, उन के ऊपर सरकार बड़े पैमाने पर चुनावों के बाद टैक्स लगाने वाली है तब क्या होगा? तब मुद्रा स्फीति और बढ़ेगी। यह देश हित में नहीं होगा। इस सब को रोकने के लिए आपको प्रभावकारी कदम उठाने होंगे।

कैपेसेटी का आज अंडर-युटिलाइजेशन हो रहा है चाहे वे इस्पात के कारखाने हों, बिजली के हों या दूसरे हों। क्या सरकार बताएगी कि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने पिछले दो महीनों में कौन कौन से कदम उठाए हैं ताकि देश की जनता को इस बात का यकीन हो सके कि आने वाले समय में हमारे देश का उत्पादन बढ़ेगा?

10—50 एल०एस०एस० (एन०डी०)/80

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां । बोकारो इस्पात कारखाने का 17 लाख टन क्षमता से 40 लाख टन क्षमता तक विस्तार कार्य, मूल कार्यक्रम के अनुसार इस्पात बनाने का चरण जून, 1979 और कोल्ड रोलिंग मिल कम्पलेक्स जुलाई, 1981 तक पूरा किया जाना था। अब क्रमशः मार्च, 1981 और मार्च 1983 तक पूरा होने की सम्भावना है। इस कार्यक्रम के पिछड़ने के कई कारण हैं :—मुख्य कारणों में एक कारण यह है कि उपस्करों की सप्लाई में अधिक विलम्ब हुआ है। इस बीच बोकारो का 25 लाख टन क्षमता तक विस्तार कार्य पूरा हो गया और इसने वर्ष 1978-79 की अन्तिम तिमाही से उत्पादन करना आरम्भ कर दिया।

(ख) इस्पात के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने के बारे में बोकारो इस्पात कारखाने की वार्षिक क्षमता को 100 लाख टन करने के लिए इसका विस्तार करने के लिए अध्ययन किया गया था परन्तु 100 लाख टन तक विस्तार करने के लिए इस प्रकार की ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है, इसलिए 100 लाख टन तक विस्तार करने की योजना को छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, बोकारो इस्पात कारखाने का 47.5 लाख टन और उसके पश्चात् 55 लाख टन तक विस्तार करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ग) बिहार की विधान-सभा द्वारा गत वर्ष पारित किये गये प्रस्ताव की प्रति अभी तक इस्पात विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, इस सम्बन्ध में स्थिति ऊपर पैरा (ख) में स्पष्ट कर दी गई है।

विदेशी चाय कंपनियों का भारतीयकरण

2246. **श्री रामविलास पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973 में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन के बाद के पांच वर्षों के दौरान, चाय-बागान और चाय के उत्पादन में लगी विदेशी कम्पनियों की शाखाओं और भारतीय सहायक कम्पनियों द्वारा किए गए वार्षिक निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी कितनी कम्पनियां हैं जिन्होंने अपना भारतीयकरण कर लिया है और भारतीय तथा विदेशी इक्विटी की कम्पनी-वार राशि तथा उसका प्रतिशत क्या है;

(ग) ऐसी कितनी कम्पनियां हैं जिनका भारतीयकरण अभी तक नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं, और

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित कितनी कम्पनियों को कितनी अवधि तक के लिए भारतीयकरण से छूट दी गई है और उसके बाद इन कम्पनियों के प्रति क्या नीति अपनाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) चाय बागान एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जो नए विदेशी पूंजी निवेश के लिए खुला हुआ है। जहां तक विद्यमान कंपनियों का संबंध है कोई नया विदेशी पूंजी निवेश नहीं किया गया है, क्योंकि अभी कंपनियां विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के विदेशों के अनुसार भारतीयकरण की कार्यवाही में लगी हुई थी।

(ख) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

भुवनेश्वर तथा कोणार्क के लिए विमान सेवा

2247. श्री चिन्तामणि जेना : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भुवनेश्वर तथा कोणार्क की यात्रा करने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिये इन नगरों के बीच एक विमान-सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री जानकी वल्लभ पट्नायक) : इन्डियन एयरलाइन्स की कोणार्क के लिये हवाई-सेवा चालू करने की कोई योजना नहीं है ।

पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर तथा चिलका तट पर होटलों का खोला जाना

2248. श्री चिन्तामणि जेना : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों के आवास के लिए उड़ीसा में पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर तथा चिलका तट पर होटल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे होटल कब तक खोले जायेंगे तथा वे किस श्रेणी के होंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पट्नायक) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1978-83) के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम का, राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से, पुरी और कोणार्क में 2-3 स्टार श्रेणी के होटल स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

निगम ने भुवनेश्वर स्थित अपने यात्री गृह का हाल ही में विस्तार किया है और इसे 38 कमरों वाले 3-स्टार के स्तर के होटल में परिवर्तित किया है ।

बंगाल के समुद्र तट का विकास

2249. चिन्तामणि जेना : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का जिला बालासोर के चन्दनेश्वर तथा अराड़ी की तरह बंगाल की खाड़ी के समुद्र तट का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या यह सच है कि इन स्थानों पर जाने वाले पर्यटकों को संचार, आवास तथा अन्य सुविधाओं के न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पट्नायक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग में पर्यटकों से संचार, आवास तथा अन्य सुविधाओं की कमी के बारे में कठिनाइयों का अनुभव करने से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

विदेशी मुद्रा की आय

2250. श्री एन० के० शेजवलकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष (1 मार्च, 1979 से 29 फरवरी, 1980 तक (एक) विदेशों में रहने वाले

भारतीय लोगों, (दो) भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों और (तीन) अन्य स्रोतों से, अलग-अलग देश को विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई;

(ख) व्यापार के लिये और विदेशों में भारतीय वस्तुएं बेचने के लिए विदेश जाने वाले भारतीय व्यापारियों को विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस समय विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटकों को उपलब्ध की जाने वाली विदेशी मुद्रा अपर्याप्त होती है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) वर्तमान विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा देश में भेजी जाने वाली 10,000 रु० और इससे कम की राशि के मामले में प्राधिकृत डीलरों को राशि के ब्यौरे के साथ-साथ राशि भेजने वाले की राष्ट्रीयता, प्रयोजन आदि की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को नहो देनी पड़ती और इसलिए विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों अथवा अन्य वर्गों के व्यक्तियों द्वारा भेजे गए धन की अलग-अलग जानकारी देना संभव नहीं है। लेकिन देश में भेजी गई आयात-भिन्न सकल राशियों के, जिनमें हवाई जहाजों की प्राप्तियां, लाभांश प्राप्तियां, जहाजी कंपनियों की प्राप्तियां पारिवारिक भरण- पोषण संबंधी प्राप्तियां, बचतों के अन्तरण और विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा परिसम्पत्ति के अन्तरण जैसी सभी किस्म की प्राप्तियां शामिल हैं; तुरंत अनुमान (संशोधित आंकड़े) नीचे दिए गए है;

		(करोड़ रुपये)
मार्च	1979	333.65
अप्रैल	1979	224.63
मई	1979	211.79
जून	1979	274.21
जुलाई	1979	192.75
अगस्त	1979	210.94
सितम्बर	1979	247.76
अक्टूबर	1979	173.51
नवम्बर	1979	255.09
दिसम्बर	1979	339.71
जनवरी	1980	400.47 (अनन्तिम)
फरवरी	1980	उपलब्ध नहीं

(ख) इस संबंध में ये कदम उठाए गए हैं :

(i) निर्यात संवर्धन कार्यों के लिए विदेश यात्रा करने के वास्ते विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जाती है।

(ii) पंजीकृत निर्यात गृहों और विदेशी मुद्रा की कतिपय न्यूनतम कारबार की शर्तें पूरी करने वाले अन्य निर्यातकर्ताओं को कम से कम 75,000 रुपये की खुले परमिट की सुविधा दी जाती है।

(iii) निर्यात गृहों को खुले परमिट (आई. टी. सी.) योजना के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त खुले परमिट जारी किए जा रहे हैं।

(iv) निर्यात के मामले में नए बाजारों का पता लगाने तथा निर्यात संवर्धन के लिए नए निर्यातकों के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जाती है।

(v) अलग-अलग कार्यकारी अधिकारियों को उनकी हैसियत के अनुसार और सरकार, व्यापार संघों आदि द्वारा प्रायोजित दलों के मुखियाओं को मनोरंजन भत्ता मंजूर किया जाता है।

(vi) कंपनियों/फर्मों को बड़ी कीमत के संविदाओं के संबंध में बातचीत करने की स्थिति में 3 से 4 व्यक्तियों तक के दल भेजने की अनुमति दी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से श्रीलंका को सूखी मछली का निर्यात

2251. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में राज्य व्यापार निगम, बम्बई के माध्यम से बम्बई से श्रीलंका को सूखी मछली का कितना निर्यात किया गया है :

(ख) क्या यह सच है कि निर्यात कम होने लगा है और हां, तो क्या सरकार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सूखी मछली का निर्यात करने के स्थान पर उसे गैर-सरकारी एजेंसियों को देने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम, बम्बई के माध्यम से सूखी मछली का निर्यात कम हो रहा है जबकि पार्टियों के साथ न्यायालय विवादों में वृद्धि हो रही है और यदि हाँ, तो इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति से बचने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) राज्य व्यापार निगम, बम्बई द्वारा गत 5 वर्षों के दौरान सूखी मछली के किए गए निर्यात का मूल्य निम्नलिखित था :–

1975-76 *	57.00 लाख रु०
1976-77	84.63 लाख रु०
1977-78	176.79 लाख रु०
1978-79	70.83 लाख रु०
1979-80	50.00 लाख रु० (अनन्तिम)

* आंकड़े सम्पूर्ण भारत के हैं।

1975-76 के लिए बम्बई से राज्य व्यापार निगम के निर्यातों के पृथक से आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) श्रीलंका की आवश्यकता और उनके क्रय कार्यक्रम पर निर्भर करते हुए निर्यातों में कमी वृद्धि होती है । तथापि, फिलहाल असरणीबद्ध किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पार्टियों के साथ न्यायालय विवादों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है । जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, सूखी मछली के निर्यात में कमी-वृद्धि श्रीलंका से मांग में कमी-वृद्धि होने के कारण होती है । राज्य व्यापार निगम निर्यातों में वृद्धि करने और साथ ही इकाई मूल्य प्राप्ति में वृद्धि करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है ।

एल-वेस के आयात के लिये औषध एककों के लिये वैकल्पिक व्यवस्था

2152. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी एजेंसी, दि स्टेट केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड के बजाय अपने आयात लाइसेंसों के माध्यम से स्वयं एल-वेस का आयात करने के इच्छुक औषध एककों के लिये सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, और

(ख) क्या उनके औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 1979 के अधीन क्लोरमफेनिकोल के के लिये सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से आयात के बाद उचित लाभ प्राप्त होता है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकारी एजेंसी के साथ व्यवस्था के अतिरिक्त सरकार ने और क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 'एल-वेस' का आयात मार्गोकृत नहीं है । यह मद आयात नीति 1979-80 में प्रतिबन्धित मदों की सूची में शामिल है । अतः वास्तविक प्रयोक्ता (औद्योगिक) नीति के अनुसार सीधे लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं ।

(ख) क्लोरऐम्फेनिकाल पाउडर की पूल की हुई कीमत 460 रु० प्रति किग्रा० है । यह कीमत एल-वेस की 475 रु० प्रति किग्रा० कीमत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है तथा इनमें एल-वेस को क्लोरऐम्फेनिकाल में बदलने वालों के लिए समुचित मार्जिन शामिल है । एक योजना भी आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत वास्तविक प्रयोक्ता, जिनके पास एल-वेस के वैध आयात लाइसेंस हैं, वे राज्य रसायन तथा भेषजीय निगम को अपने लाइसेंस लौटा कर उसके आधार पर 475 रु० प्रति किग्रा० के हिसाब से एल-वेस प्राप्त कर सकते हैं । ऐसे वास्तविक प्रयोक्ताओं को, राज्य रसायन तथा भेषजीय निगम द्वारा जारी किये गये आबंटन क्रयादेशों के आधार पर 460 रु० प्रति किग्रा० की दर पर क्लोरऐम्फेनिकाल पाउडर बेचना पड़ता है ।

विदेशों में प्रशिक्षण तथा नियुक्ति हेतु अधिकारियों के चयन के नियम तथा प्रक्रिया

2253. **प्रो० पी० जे० कुरियन** :
श्री हरिकेश बहादुर :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के विदेशों में स्थित कार्यालयों में प्रशिक्षण तथा नियुक्ति के

लिये अधिकारियों के चयन के लिये बैंक के कोई नियम और प्रक्रिया है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) बैंक के कितने अधिकारी विदेशों में हैं तथा क्या विदेशों में भेजे गये कुछ अधिकारी जो काम कर रहे हैं वे उसके योग्य नहीं हैं;

(ग) क्या यह सच है कि एक वरिष्ठ अधिकारी कई महीनों से पेरिस में है जबकि फ्रांस सरकार ने बैंक को इस बीच कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी है; और

(घ) क्या यह सच है कि एक अधिकारी वर्ष में एक बार से ज्यादा विदेशों में प्रशिक्षण के लिये गया है जबकि अपेक्षित अनुभव वाले अन्य अधिकारियों के सम्बन्ध में विचार नहीं किया गया है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि विदेश स्थित उसके कार्यालयों में प्रशिक्षण और तैनाती के लिए अपने अधिकारियों के चयन के वास्ते नियम तथा सुपरिभाषित प्रक्रियायें हैं। बैंक को "प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी योजना" के अन्तर्गत एक समिति, जिसमें प्रबन्ध निदेशक और दो उप प्रबन्ध निदेशक होते हैं, साक्षात्कार और चयन करती है और इसी प्रकार विदेशों में तैनाती विनिर्दिष्ट मानदण्डों को पूरा करने वाले पात्र कर्मचारियों की सूची (पेनेल) में से की जाती है जो उसके केन्द्रीय कार्यालय में रखी जाती है।

(ख) इस समय स्टेट बैंक के 99 अधिकारी विदेशों में हैं जिनमें 30 अधिकारी "प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी योजना" के अन्तर्गत प्रतिनियुक्त है। ये सभी अधिकारी उस कार्य के लिए योग्यताप्राप्त हैं जोकि वे कर रहे हैं।

(ग) स्टेट बैंक ने मनोनीत मैनेजर को स्थानांतरित करके मई, 1979 में प्रतिनियुक्त किया ताकि वह लायसेंसिंग की तथा अन्य प्रारम्भिक औपचारिकतायें पूरी कर सके जिसमें सामान्यतः 8 से 8 माह लग जाते हैं। फ्रांसीसी प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित लायसेंस मंजूर करने अनपेक्षित विलम्ब हो जाने के कारण, बैंक इस अधिकारी की सेवाओं का, यूरोप में अन्य कार्यों जैसे, प्रतिनिधि (कोरेसपेंडिट) सम्बन्धों और अपनी विदेशी प्रसार परियोजनाओं के सर्वेक्षण (सर्वे) कार्यों के लिए उपयोग करने की व्यवस्था कर रहा है।

(घ) बैंक ने सूचना दी है कि एक वर्ष में एक से अधिक बार किसी भी अधिकारी को विदेश में प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है।

कच्चे काजू की कमी के कारण केरल में काजू श्रमिकों का बेरोजगार हो जाना

2254. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल के कच्चे काजू की कमी के कारण एक वर्ष में लगभग दस महीने तक लगभग दो लाख श्रमिक बेरोजगार रहते हैं;

(ख) इन श्रमिकों को और रोजगार देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या इन श्रमिकों को और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अधिक मात्रा में कच्चे काजू का आयात करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) सरकार को पता है कि कच्चा काजू पर्याप्त रूप में उपलब्ध न होने के कारण काजू श्रमिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । तथापि, यह जानकारी नहीं है कि कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं और कितनी अवधि से बेरोजगार हैं ।

(ख) सरकार ने आयात की योजना को पहले ही उदार बना दिया है जिसके अन्तर्गत वास्तविक प्रयोजनाओं को गैर-परम्परागत स्रोतों से सीधे ही कच्चे काजू के आयात की अनुमति है । सरकार, काजू के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए काजू की खेती की निर्यात अभिमुख सक्षम योजनाओं के लिए कुछ राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मंजूर करने पर भी विचार कर रही है ।

(ग) सरकार यथासंभव अधिक मात्रा में कच्चे काजू के आयात के लिए सभी कदम उठा रही है ।

इस्पात के उत्पादन के लिये कोकिंग कोल की सप्लाई

2255. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूरे वर्ष 1979-80 के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोल की कम सप्लाई के कारण इन संयंत्रों को अप्रैल, 1979 से प्रभावी आठ प्रतिशत के कर बैंक उत्पादन की पूर्वस्थिति लाना असम्भव हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस्पात का उत्पादन बढाने के लिए यदि कोई कदम उठाये जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) तथा (ख) इस्पात कारखानों (टिस्को भी शामिल हैं) में कोककर कोयले का वांछनीय स्तर 5 लाख टन तथा सुरक्षित परिचालन के लिए 3.5 लाख टन होना चाहिए । इसके मुकाबले में 1.4.79 को कोककर कोयले का वास्तविक स्टाक 1.375 लाख टन रह गया था । कोककर कोयले की निरन्तर कम सप्लाई तथा मानसून (जब कोयले का उत्पादन और भी कम होता हैं) से पूर्व कोयले का स्टाक बनाने की आवश्यकताओं को देखते हुए यह निश्चय किया गया कि अप्रैल, 1979 से कोक ओवन पुशिंग की दर में 8 प्रतिशत की कमी कर दी जाए । फिर भी पुशिंग की दर में कमी करने के बावजूद 1979-80 के समूचे वर्ष में कोककर कोयले के स्टाक की स्थिति बहुत नाजुक रही है । परिणामस्वरूप न केवल इस कटौती को बहाल करना मुश्किल हो गया बल्कि पिछले कुछ महीनों में ओवन पुशिंग की दर में वास्तव में 12 से 16 प्रतिशत की कटौती करनी पड़ी है ।

(ग) वर्ष 1979-80 में इस्पात के उत्पादन पर कोककर कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के अलावा बिजली की भारी कमी से भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। स्थिति से निपटने के लिए जो बड़े कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है, उनमें से कुछेक नीचे दिए गए हैं :—

1. औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल की एक समिति कोयला तथा बिजली की सप्लाई और रेल-यातायात की स्थिति का प्रत्येक सप्ताह जायजा लेती है,

2. कोककर कोयले का अधिकाधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कोयला उत्पादकों (कोल इंडिया लि० भारत कोकिंग कोल लि० आदि) और ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत उत्पादन करने वाली इकाइयों जैसे दामोदर घाटी निगम तथा राज्य विद्युत बोर्ड भी शामिल हैं) के साथ निकट और सतत् सम्पर्क रखा जा रहा हैं,

3. कलकत्ता में एक समन्वय कक्ष, जिसमें सेल का प्रतिनिधि भी है, कोयला सप्लाई करने वाले अभिकरणों तथा रेलवे के साथ दिन–प्रतिदिन के आधार पर सतत् सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि डिब्बे पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर उपलब्ध हो और माल से भरी गाड़ियों का परिवहन शीघ्र हो सके,

4. देशीय सप्लाई में वृद्धि करने और धमन-भट्टियों में इस्तेमाल किए जाने वाले कोक की क्वालिटी में सुधार करने के लिए 12 लाख टन अच्छी किस्म का कम राख वाला कोककर कोयला आयात करने के लिए समय पर कदम उठाए गए। वर्ष 1980-81 की अवधि में भी कोककर कोयले का और आयात करने की नीति पर भी विचार किया जा रहा है।

5. कोयला खानों को उच्च-प्राथमिकता के आधार पर बिजली की सप्लाई बढ़ाई जा रही है ताकि बिहार–पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में, जो देश में कोककर कोयले के उत्पादन का मुख्य स्त्रोत है, कोककर कोयले के उत्पादन में वृद्धि की जा सके,

6. बिजली की अधिकाधिक सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों तथा राज्य बिजली बोर्डों के साथ निकट तथा सतत् सम्पर्क रखा जा रहा है, और

7. दुर्गापुर तथा बोकारो के इस्पात कारखानों की रक्षित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट तक बढ़ाने की योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है।

समेकित इस्पात संयंत्र स्थापित किया जाना

2256. श्री चिन्तामणि जेना : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को "टर्न–की" आधार पर एक समेकित इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए विदेशों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें सहयोग कर्ताओं द्वारा पूरी पूंजी लगाई जायेगी, और

(ख) यदि हां, तो विदेशी सहयोगकर्ताओं के नाम क्या हैं और उनकी शर्तें क्या हैं तथा उन्होंने किन स्थानों का प्रस्ताव रखा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सरकार कुछ विकसित देशों के तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग से नये इस्पात कारखाने लगाने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है । इस बारे में हुई बातचीत के फलस्वरूप ब्रिटेन के मेसर्स डेवी इन्टरनेशनल तथा पश्चिमी जर्मनी के मेन्समेन डेमाग से दो ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । प्रस्ताव तैयार करने के लिए अस्थायी रूप से पारादीप को भी शामिल किया गया है । लेकिन इन प्रस्तावों पर, जिनमें स्थान के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय करना भी शामिल है तथा अन्य शर्तों का तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करना होगा और अन्तिम रूप से निर्णय लेने से पूर्व सम्बन्धित पार्टियों से आगे और बातचीत करनी होगी। इन बातों को देखते हुए इस समय इनके बारे में कोई विस्तृत ब्यौरा देना समयपूर्व होगा ।

गांधा मैदान हिल्स उड़ीसा में समृद्ध बाक्साइट अयस्क का उपलब्ध होना

2257. **श्री कृपा सिन्धु भोई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में गांधा मैदान पर्वतीय क्षेत्र में समृद्ध बाक्साइट अयस्क उपलब्ध होने के बारे में भारत सरकार को जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो अयस्क के इन निक्षेपों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां । उड़ीसा के बोलनगीर–सम्बलपुर जिले में गंधमादन पठार क्षेत्र में बाक्साइट के विशाल भंडार पाए गए हैं । मैसर्स भारत एल्यूमिनियम कंपनी (भारत सरकार का उपक्रम) और मैसर्स उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन (राज्य सरकार का उपक्रम) इन भण्डारों के दोहन हेतु खनन पट्टों के लिए पहले ही आवेदन कर चुके हैं ।

सारगी पल्ली, उड़ीसा में एक सकेन्द्रक की स्थापना

2258. **श्री कृपा सिन्धु भोई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में सारगीपल्ली के स्थान पर 750 टन प्रति दिन की फीड क्षमता वाले एक सकेन्द्रक की स्थापना के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड की स्वीकृति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय कब तक घोषित हो जाने की आशा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान जिंक लि० द्वारा 750 टन अयस्क के दैनिक उत्पादन की खान और

समान क्षमता की परिष्करण सुविधाओं के विकास हेतु 1975 में प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट की जांच करने पर सरकार को पता चला कि यह परियोजना सीसे के उस समय प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं थी, लेकिन देशी मूल्य पर कुछ लाभप्रद थी। लेकिन बाद में साध्यता अध्ययन से पता चला कि परियोजना 500 टन की दैनिक क्षमता पर लाभप्रद हो सकती है। तद्नुसार, अतिरिक्त खोज-आंकड़ों के आधार पर हिन्दुस्तान जिंक लि० ने अप्रैल, 1978 में सरकार को संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। संशोधित परियोजना रिपोर्ट में 500 टन अयस्क के दैनिक उत्पादन और समान क्षमता की परिष्करण सुविधाओं का प्रस्ताव है। सरकार ने जनवरी, 1979 में सार्वजनिक निवेश बोर्ड की सिफारिशों पर निम्नलिखित मुख्य पैरामीटरों पर परियोजना का अनुमोदन कर दिया है :—

1. पूंजी लागत	... 11.88 करोड़ रुपए
2. वार्षिक अयस्क उत्पादन क्षमता	... 1,50,000 टन
3. सान्द्रों का वार्षिक उत्पादन :	
(क) सीसा सान्द्र	... 11,900 टन
(ख) तांबा सान्द्र	... 1,288 टन
4. परियोजना की अवधि	... 14 वर्ष

परियोजना के कार्यान्वयन के लिए धरातल पर कार्य चल रहा है।

उड़ीसा में कीमती पत्थरों का अनधिकृत रूप से निकाला जाना

2259. **श्री कृपा सिन्धु भोई :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बोलनगीर जिले के कुछ क्षेत्रों में कीमती पत्थर उपलब्ध होने की भारत सरकार को जानकारी है और यदि हां, तो कुछ गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा उनके अनधिकृत रूप से निकाले जाने को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या भारत सरकार का विचार राज्य सरकार के सहयोग से इन क्षेत्रों का वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्रोमाईट खनिज के विदेश व्यापार में कमी

2260. **श्री कृपा सिंधु भोई :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों के साथ क्रोमाईट खनिज के विदेश व्यापार में आंशिक-आंशिक कमी आने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार द्वारा क्रोमाईट खनिज पर लगाई गई निर्यात-शुल्क की अत्यधिक लेवी उक्त कारणों में से एक कारण है और यदि हां, तो क्या सरकार का विदेश व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात लेवी को समाप्त करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) 1977 से क्रोम अयस्क के निर्यातों में क्रमिक वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गवर्नमेंट ओपियम एण्ड अल्कालायड फैक्ट्री नीमच (मध्य प्रदेश)

2261. श्री आनन्द पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश राज्य में नीमच में गवर्नमेंट ओपियम एण्ड अल्कालायड फैक्ट्री में अनियमितता के आरोप पाये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और इस मामले में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीजगन्नाथ पहाड़िया): (क) जी हां। नीमच के सरकारी अफीम और अल्कालायड कर्मचारी संघ से 6 नवम्बर 1978 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें सरकारी अफीम और अल्कालायड कारखाने में हो रही किन्हीं अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।

(ख) पूर्वोक्त अभ्यावेदन में लगाये गये आरोपों की जांच की गई थी। यह बताया गया है कि झूठे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित खाली स्थानों पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति के बारे में लगाया गया आरोप जांच-पड़ताल करने पर सही पाया गया था। उनमें से एक व्यक्ति ने तो 11-4-1979 को त्याग-पत्र दे दिया; जबकि दूसरे व्यक्ति की सेवाएं 11-6-1979 को समाप्त कर दी गई। अन्य अनियमितताओं के बारे में लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं।

"इन्डो-सोवियत टेकनिकल एण्ड इकानामिक को-आपरेशन इन एल्यूमिनियम इन्डस्ट्री" शीर्षक से समाचार

2262. श्री सूरजभान : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'इंडियन एक्सप्रेस' दिनांक 22 फरवरी, 1980 में "इन्डो-सोवियत टेकनिकल एण्ड इकोनामिक को-आपरेशन इन एल्यूमिनियम इन्डस्ट्री" (एल्यूमिनियम उद्योग में भारत-सोवियत रूस तकनीकी और आर्थिक सहयोग) शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना करने के लिए भारत तथा सोवियत रूस द्वारा अलग-अलग किए गए कुल व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना करने के लिए कुछ अन्य पश्चिमी देशों को भी आमंत्रित किया गया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके प्रस्तावों को रद्द करने के क्या कारण हैं ;

(घ) यह उद्योग अपेक्षित अतिरिक्त पुर्जों के लिए सोवियत रूस की सहायता पर किस सीमा तक निर्भर है और सोवियत रूस से उनके आयात पर विदेशी मुद्रा का कितना वार्षिक व्यय किया गया है ;

(ङ) क्या सोवियत रूस भारतीय एल्यूमिनियम का एक मात्र आयातक है अथवा इसका अन्य युरोपीय देशों को भी निर्यात किया जाता है ; और

(च) क्या उसका सोवियत रूस को निर्यात अन्य देशों की अपेक्षा सस्ती दर पर किया जाता है और उसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां ।

(ख) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (भारत सरकार का उपक्रम) ने रूस के तकनीकी सहयोग से कोरबा में प्रद्रावक और गढ़ाई संयंत्रों की स्थापना पर अब तक कुल 242 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है । इस परियोजना में सोवियत संघ को कोई वित्तीय भागीदारी नहीं है ।

(ग) कोरबा स्मेल्टर के लिए केवल सोवियत रूस से बातचीत की गयी थी । हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन ने अमरीका की कैसर एल्यूमिनियम एंड कैमीकल कारपोरेशन और कैसर एल्यूमिनियम टेक्नीकल सर्विसेज इन्कारपोरेटेड के सहयोग से एल्यूमिनियम कम्पलैक्स की स्थापना की है जबकि इंडियन एल्युमिनियम कम्पनी ने कैनाडा की एलकान और मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी ने इटली की एल्यूमेटल (पूर्वनाम मौन्टीकैटिनी) के सहयोग से अपने संयंत्रों की स्थापना की है ।

(घ) सोवियत रूस से आयातित प्रौद्योगिक वाहनों के अलावा कोरबा स्मेल्टर का मुख्य उपकरण भारत में बना है । अत: संयंत्र का परिचालन फालतू पुर्जों के लिए सोवियत संघ पर निर्भर नहीं है । यहां तक कि प्रौद्योगिक वाहनों के लिए बड़ी मात्रा में फालतू पुर्जों की सप्लाई हेतु देशी स्रोतों का विकास किया गया है । वर्ष 1979-80 (इससे पूर्व कोई आयात नहीं किया गया था) के दौरान फालतू पुर्जों के आयात पर 2.56 लाख रुपए की लागत आई है ।

(ङ) जी, नहीं । जहां सोवियत रूस भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० द्वारा उत्पादित एल्यूमिना (न कि एल्यूमिनियम) का मुख्य आयातक है, अन्य देशों यथा--स्पेन, ब्राजील, थाईलैंड और इन्डोनेशिया को बहुत कम मात्रा निर्यात की गई है ।

(च) जी नहीं ।

"इंडो--सोवियत ट्रेड आऊट लुक ब्राइट" शीर्षक से समाचार

2263. श्री सूलुज भान : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 फरवरी, 1980 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में

"इंडो-सोवियत ट्रेड आऊट-लुक ब्राइट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता और अन्य सदस्यों के नाम और दर्जा क्या है जिन्होंने सोवियत संघ की यात्रा की थी और उन्होंने सोवियत संघ के नेताओं के साथ बातचीत की थी, और

(ग) प्रतिनिधिमंडल पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई और प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का क्या सार्थक परिणाम निकाला ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ का जो प्रतिनिधिमंडल फरवरी, 1980 में रूस गया था, उसके नेता व अन्य सदस्यों के नाम और उनके दर्जे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यतः सोवियत वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के अध्यक्ष व अन्य अधिकारियों के साथ वार्ताएं कीं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने सोवियत उप प्रधान मंत्री महामहिम श्री इवान आर्जीपोव व सोवियत विदेश व्यापार उप मंत्री श्री आई. टी. ग्रिशिन के साथ भी बातचीत की।

(ग) प्रतिनिधिमंडल के लिए 57,600/रु० के बराबर विदेशी मुद्रा और 2,000/- अमरीकी डालर के बराबर रुपयों की राशि रिलीज की।

विवरण

फरवरी, 1980 में रूस को जाने वाले भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ के प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के नाम।

नाम	पदनाम
1. श्री हरिशंकर सिंघानिया	अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य तथा नेता उद्योग मंडल परिसंघ अध्यक्ष, जे. के. आर्गेनाइजेशन
2. श्री जे. एच. दोशी	चेयरमैन, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ का सोवियत संघ अनुभाग चेयरमैन, तथा अध्यक्ष, अमर डाई-कैम-लि०
3. श्री ए. बी. गरवारे	निदेशक, गरवारे ग्रुप आफ कम्पनीज चन्द्रमुखी
4. श्री संजय श्रेनिक लाल भाई	कार्यकारी निदेशक, अरविन्द मिल्स लि०
5. श्री वी. जी. एस. वी. प्रसाद	प्रबन्ध निदेशक, नैशनल इंजीनियरिंग कं० (एम) प्रा० लि०

6. श्री कुलवन्त राय	अध्यक्ष, रामकृष्ण राय ग्रप उषा स्पिन्निग एण्ड वीविंग मिल्स० लि०
7. श्री एच. एच. सन्धु	अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन परिषद
8. श्री पी. चेन्तसाल राव	महा सचिव, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ
9. श्री सतीश कुमार अहलूवालिया आवनर्वर	महा प्रबन्धक (संचालक) माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०

सोवियत संघ को चावल का निर्यात

2264. श्री सूरज भान : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसा कि 1 मार्च, 1980 के "इंडियन एक्सप्रैस" में समाचार प्रकाशित हुआ है भारत सोवियत संघ को चावल का निर्यात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में चावल का निर्यात किया जायेगा और उसकी किस्म तथा मूल्य क्या है ; और

(ग) सोवियत संघ द्वारा चावल को वापिस करने के तरीके के बारे में ब्यौरा क्या है तथा क्या इसकी किस्तों में वापिस किया जायेगा और यदि हां, तो उसकी मात्रा क्या होगी और यदि सोवियत रूस इसका भुगतान करता है तो क्या यह एक मुश्त राशि में होगा अथवा आसान किस्तों में होगा और क्या इसके मूल्यों का भुगतान समझौते के अवसर पर निर्धारित दर के आधार पर होगा अथवा समय-समय पर चावल के घटने-बढ़ने वाली दरों के आधार पर होगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) 1980-81 में सोवियत संघ को चावल की सप्लाई की संभाव्यताओं के बारे में सोवियत संघ के पक्ष के साथ बातचीत की जा रही है। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अहमदाबाद से दिल्ली तक प्रातःकालीन विमान सेवा

2265. श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के प्रमुख नगर अहमदाबाद से दिल्ली तक प्रातःकालीन विमान सेवा उपलब्ध नहीं है और यदि हां, तो क्या इसकी व्यवस्था करने का विचार है ;

(ख) यदि ऐसा सम्भव नहीं है तो क्या किसी नई दिल्ली प्रातःकालीन को बरास्ता अहमदाबाद भेजने की व्यवस्था की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पट्टनायक) : (क) अहमदाबाद से दिल्ली के लिये सुबह को कोई उड़ान नहीं है और इन्डियन एयरलाइन्स की इस प्रकार की सेवा प्रदान करने की फिलहाल कोई योजना भी नहीं है ।

(ख) और (ग) सुबह बम्बई से दिल्ली के लिये सभी सेवाएं बहुत भरकर चल रही हैं। अहमदाबाद में विमान को रोकने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा क्योंकि बम्बई से क्षमता का पूर्ण प्रयोग किया जा रहा है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अरंडी के तेल का निर्यात

2266. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरंडी के बीजों में सट्टे पर से प्रतिबन्ध हटाये जाने का विचार है ?

(ख) क्या इस समय केवल राज्य व्यापार निगम द्वारा अरंडी के तेल का निर्यात किया जाता है और क्या वह अरंडी के बीज के उत्पादन में वृद्धि के कारण अरंडी के तेल का समूचे निर्यात कार्य करने में असमर्थ है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को उचित मूल्य नही मिल पाता और यदि हां, तो क्या राज्य व्यापार निगम के अतिरिक्त सहकारी समितियों को भी अरंडी के तेल के निर्यात की अनुमति दी जायेगी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम द्वारा किन दरों पर अरंडी का तेल खरीदा गया और बेचा गया और कितना लाभ अर्जित किया गया और कितना उनके द्वारा उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई ।

(घ) गत तीन वर्षों में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के अरंडी के तेल का निर्यात किया गया और बिक्री की तुलना में व्यय की प्रतिशत क्या है ?

वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) :

(क) फिलहाल अरंडी के तेल के वायदा बाज़ार पर लगी रोक को हटाने का कोई प्रस्थापना नहीं है

(ख) अरंडी के तेल का निर्यात राज्य व्यापार निगम की मार्फत मार्गीकृत है जिसके पास निर्यात व्यापार संभालने की व्यवस्था है । पिछले मौसम की तुलना में चालू मौसम में अरंडी के बीज पर बेहतर कीमत मिल रही है । राज्य व्यापार निगम के अलावा, जो सरकारी लेखे पर निर्यात कर रहा है, सरकारी समितियों को अरंडी के तेल के निर्यात की अनुमति देने की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ग) तथा (घ) 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 के वर्षों में अरंडी के तेल के निर्यात की मात्रा एवं मूल्य निर्यात पर सकल लाभ, राज्य व्यापार निगम का मार्जिन व्यय तथा बिक्री मूल्य की तुलना में व्यय की प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण-I पर है । जनवरी, 1977 से अरंडी के तेल की क्रय तथा विक्रय कीमतें विवरण-II पर हैं ।

विवरण-I

वर्ष	अरंडी के तेल का निर्यात (मात्रा) (मे० टन)	(मूल्य) (लाख रु०)	निर्यात पर समग्र लाभ (लाख रु०)	राज्य व्यापार निगम का मार्जिन (लाख रु०)	व्यय (लाख रु०)	बिक्री की तुलना में व्यय की प्रतिशतता
1976-77	53873	3081	156.19	156.19	2924.39	94.9
1977-78	26095	2093	290.70	107.48	1985.95	94.9
1978-79	51369	3088	237.50	154.40	2933.51	95.0

विवरण–II

अरंडी के तेल की राज्य व्यापार निगम की क्रय और विक्रय कीमतें

1977	क्रय कीमत (रु० प्रति मे० टन) न्यूनतम	अधिकतम	विक्रय कीमत (अमरीकी डालर प्रति मे० टन) न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5
जनवरी	—	—	—	—
फरवरी	—	—	—	—
मार्च	—	—	—	—
अप्रैल	—	—	—	—
मई	—	—	—	—
जून	6928	6928	1112.50	1181.25
जुलाई	6400	6900	—	—
अगस्त	6200	6950	923.00	990.00
सितम्बर	6750	6950	1040.00	1153.00
अक्तूबर	6500	6985	1055.00	1055.00
नवम्बर	—	—	—	—
दिसम्बर	5850	5950	892.00	1010.00

1	2	3	4	5
1978				
जनवरी	5700	5850	965.00	970.00
फरवरी	5800	5800	890.00	957.00
मार्च	5800	5800	1020.00	1020.00
अप्रैल	5250	5500	735.00	748.00
मई	5300	5500	745.00	794.00
जून	5200	5500	870.00	870.00
जुलाई	4900	5000	680.00	680.00
अगस्त	5200	5400	—	—
सितम्बर	5100	5300	680.00	748.00
अक्तूबर	5100	5550	770.00	784.00
नवम्बर	5000	5000	675.00	675.00
दिसम्बर	5050	5150	675.00	740.00
1979				
जनवरी	5325	5425	776.00	776.00
फरवरी	5150	5325	—	—
मार्च	5100	5150	715.00	715.00
अप्रैल	4975	5050	773.75	785.00
मई	4975	5650	700.00	761.50
जून	5285	5500	706.00	865.00
जुलाई	6700	6700	1000.00	1030.00
अगस्त	6350	6700	1090.00	1090.00
सितम्बर	—	—	—	—
अक्तूबर	7075	7200	1225.00	1225.00
नवम्बर	—	—	1100.00	1221.25
दिसम्बर	6900	7400	1030.00	1030.00
1980				
जनवरी	7200	7500	1030.00	1221.25
फरवरी	7200	7700	—	—

साईनोपाईरीडाइन्स के आयात को रोकने के लिये अभ्यावेदन

2267. **श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य के बावजूद कि "साईनोपाईरोडाईन्स" का इस देश में निर्माण नहीं किया जाता फिर भी इसके आयात पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के विस्तृत कारण क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि "साईनोपाईरोडाईन्स" से "नाईसीनामाईड" और "आइसोनाइजिड" का निर्माण करने वाले लघु क्षेत्र के लाइसेंस प्राप्त एककों की अधिष्ठापित क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है;

(ग) क्या सरकार को "साईनोपाईरोडाईन्स" का आयात पुनः खोलने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) मंशा यह है कि साईनोपाईरीडाइन के स्थान पर उद्योग को प्रारम्भ से ही विनिर्माण कार्य में बीटा पाइकोलीन का उपयोग करना चाहिए।

(ख) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। तथापि, सम्बन्धित प्रायोजक प्राधिकरण की सिफारिश पर कुछ लघु उद्योग एककों के मामले में हाल ही में आयातों को निर्बाधित कर दिया गया है ताकि इन एककों को बीटा पाइकोलीन का उपयोग करने के लिए कुछ और समय दिया जा सके।

(ग) जी हाँ।

(घ) इन पर विचार किया जा रहा है।

बम्बई सीमाशुल्क द्वारा टैट्रासाइक्लीन की खेप का पास किया जाना

2268. **श्री चन्द्रभान मणि तिवारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा नवम्बर, 1979 में टैट्रासाइक्लीन एच०सी० आई० को, जो कि सरणीवध औषध है और जिसके गैर-सरकारी आयातक द्वारा आयात प्रतिबन्ध है, 1500 किलो ग्राम की खेप को किस कारण से पास कर दिया गया; और

(ख) स्वीकृत आयात नीति में छूट देने के क्या कारण हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) (क) और (ख) : 1500 किलोग्राम टैट्रासाइक्लीन एच०सी०एल० की एक खेप बम्बई पत्तन के जरिये आयात की गयी थी और उस पर 27 अक्तूबर, 1979 को सीमाशुल्क अदा किया गया था। लगता है कि प्रश्न का संकेत इसी खेप की ओर है। प्रश्नगत आयात पेश किये गये आयात लाइसेंस के अन्तर्गत किया गया

था; जो उस समय की आयात नीति के अनुरूप था। इसी कारण निकासी की अनुमति दी गयी थी।

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड

2269. श्री ए० नीललोहितदासन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के मुख्य कार्य कौन-कौन से हैं और उसके वर्तमान सदस्य कौन हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : केन्द्रीय राजस्व बोर्ड जो पहले प्रत्यक्ष कर और अप्रत्क्ष कर दोनों तरह के करों के प्रशासन का कार्य देख रहा था, 1-1-1964 से दो अलग-अलग बोर्डों में बांट दिया गया, अर्थात्

(i) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और

(ii) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड।

दोनों बोर्डों के मुख्य-मुख्य कार्य और उनके वर्तमान सदस्यों के नाम, संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं।

विवरण

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड का गठन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1924 के अन्तर्गत किया गया था जिसे करों के प्रशासन का काम सौंपा गया था और वह केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1924 की वजह से अस्तित्व में आया। शुरुआत में बोर्ड ने दोनों प्रकार के करों अर्थात् आयकर आदि जैसे प्रत्यक्ष करों और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष करों के प्रशासन का कार्य देखा था। जब एक बोर्ड से कर प्रशासन का काम संभल पाना बहुत कठिन हो गया, तो 1-1-1964 से इसे दो बोर्डों अर्थात् केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड में बांट दिया गया। यह द्विभाजन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अन्तर्गत दो बोर्डों का गठन करके किया गया। दोनों बोर्डों के काम नीचे दिये अनुसार हैं :

(i) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड : केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का काम आयकर (आयकर-अपीलीय न्यायाधिकरण से संबंधित मामलों को छोड़कर), निगम कर, पूंजीगत लाभ कर अतिलाभ कर, व्यापार लाभ कर, सम्पदा शुल्क, ब्याज कर अधिनियम, कम्पनी (लाभ) अति कर अधिनियम, वार्षिक जमा योजना, अधिलाभकर, अधिनियम, व्यय कर अधिनियम, धन कर, अनिवार्य जमा योजना, स्वेच्छया प्रकटन योजना से संबंधित सभी मामलों और सम्बन्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के सभी प्रशासनिक मामलों को देखना है। बोर्ड का गठन नीचे अनुसार है :

(क) अध्यक्ष — श्री ओ० वी० कुरुविल्ला

(ख) सदस्य — (i) श्री अवतार सिंह

(ii) श्री वी०एस० नारायणन्

(iii) श्री एस०एन० शास्त्री

(iv) श्री के०एन० बुटानी

(v) श्री टी०वाई०सी० राव

(vi) श्री जगदीश चन्द

उक्त विस्तृत कार्य को करने के लिए बोर्ड के अधीन अनेक सम्बन्द्ध और अधीनस्थ कार्यालय हैं।

(ii) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड, अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित सभी तकनीकी तथा प्रशासनिक मामलों को देखना है। इनमें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से सम्बन्धित सभी मामले, सीमा शुल्क (समुद्री सीमा शुल्क और भू सीमा शुल्क) तथा भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1975 से सम्बन्धित सभी मामले, टैरिफ मूल्यांकन, सीमा शुल्क सहयोगी परिषद्, सीमा शुल्क नामावली तथा इसी प्रकार के मामले, आयातित और निर्यातित माल पर शुल्क, राजस्व हित में आयातों और निर्यातों पर निषेध और प्रतिबन्ध लागू करना, सीमा शुल्क टैरिफ का अर्थ निरूपण, तस्कर रोधी तथा राजस्व गुप्तचर्या, औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां अधिनियम और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले शामिल हैं।

इस समय बोर्ड का गठन निम्न प्रकार है :

(क) अध्यक्ष — श्री एस० वेंकटेशन

(ख) सदस्य

(i) श्री ए०के० बन्धोपाध्याय

(ii) श्री जे० दत्त

(iii) श्री आर० सी० मिश्र

(iv) श्री सी० टी० ए० पिल्ले

(v) श्री जी० एस० साहनी

(vi) श्री एस० वेंकटरामन

बोर्ड के विस्तृत कार्यों को करने के लिए, इसके अन्तर्गत बहुत से सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय हैं।

2. प्रशासनिक प्रयोजनों से, उपर्युक्त दोनों बोर्ड, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अन्तर्गत आते हैं।

काजू की गिरी का विदेशों में संसाधन

2270. श्री ए० जोसलोहिथादासन : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास काजू की गिरी के विदेशों में संसाधन किये जाने के बारे में विस्तृत जानकारी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो भारत से काजू की गिरी के निर्यात की तुलना में ऐसे देशों से काजू की अनुमानतः कितनी गिरी विश्व की मंडियों में पहुंची ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी): (क) तथा (ख) विदेशों में काजू की गिरी की संसाधन किये जाने के बारे में सरकार के पास कोई विस्तृत जानकारी नहीं है । तथापि, अनुमान है कि 1979 के दौरान भारत द्वारा निर्यातित 37287 मे0 टन की तुलना में उसी अवधि के दौरान अन्य निर्यातक देशों अर्थात् ब्राजील, तंजानिया, मोजाम्बिक/कीनिया द्वारा 32928 मे० टन काजू की गिरी का निर्यात किया गया।

चांदी के मूल्यों को नियंत्रित करने के उपाय

2771. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978 और 1979 के दौरान देश से तस्करी के द्वारा बाहर ले जायी गयी चांदी की मात्रा का अनुमान क्या है ; और

(ख) सरकार ने चांदी की कीमतों की नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) देश से बाहर तस्करी के माध्यम से ले जाई जाने वाली चांदी की मात्रा का कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है। फिर भी तस्करी विरोधी उपायों को और कड़ा कर दिया गया है ।

(ख) चांदी की कीमत में वृद्धि मुख्यरूप से अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से हुई है, इसलिए घरेलू नीतियां, घरेलू कीमतों की प्रवृत्तियों पर ज्यादा असर नहीं डाल सकतीं ।

मैसर्ज प्योर ड्रिक्स लिमिटेड नई दिल्ली के निदेशकों द्वारा लिए गये ऋण

2272. श्री के०पी० उन्नीकृष्णन :
श्री धर्म वीर सिन्हा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स प्यारे ड्रिक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड के निदेशकों ने 31 अक्तूबर 1977 को लगभग 32 लाख रुपये का ऋण ले रखा था ;

(ख) क्या कम्पनी द्वारा इन निदेशकों को दिये गये ऐसे ऋणों तथा अग्रिम राशियों अथवा अदायगियों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2, उपधारा 22 (ङ) के अधीन लाभांश माना जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या उपरोक्त फर्म के इन निदेशकों ने इन उधारियों पर आयकर अदा किया है ; और

(घ) यदि नहीं तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां। 31 अक्तूबर 1977 की स्थिति के अनुसार, आय-कर विभाग में दाखिल किये गये तुलन-पत्र के मुताबिक नीचे बताये गये दो निदेशकों की तरफ निम्नलिखित धन-राशियां बकाया हैं :—

श्री दलजीत सिंह	1129300 रु०
श्री चरणजीत सिंह	2134422 रु०
	3263722 रु०

(ख) तथा (ग) कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 से 1977-78 तक के आयकर निर्धारण में धारा 2(22) (ङ) में विद्यमान व्यवस्था के अनुसार इन दोनों निदेशकों को बड़े हिस्सेदारों के रूप में नहीं पाया गया है। इसलिये, इस मामले में धारा 2(22) (50) लागू नहीं होती। कर-निर्धारण वर्ष 1978-79 के बाद के कर-निर्धारण विचाराधीन हैं।

(घ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संस्थानों तथा चिटफंड कम्पनियों द्वारा अपनाए गए कदाचार

2273. श्री मगन भाई बरोट: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री को हाल में कुछ वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाये गये कदाचारों तथा चिट फंड कम्पनियों के कार्यकरण आदि के बारे में कोई अभ्यावेदन मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनमें किस प्रकार के कदाचारों का उल्लेख है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) कुछ कम्पनियों के विरुद्ध ब्याज की अदायगी न करने और परिपक्वता अवधि पूरी होने पर जमा राशियां वापस न करने की शिकायतें मिली हैं। एक चिट फंड कम्पनी के कर्मचारी संघ से एक प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ है जिसमें, अन्य बातों के साथ साथ, उस कम्पनी द्वारा इनाम की राशियों के वितरण में विलम्ब, अंशदान की राशियों में गबन, कर्मचारियों को तंग करना आदि संबंधी आरोप भी लगाये गये हैं।

(ग) न तो सरकार और न ही रिजर्व बैंक, ऐसी बाकीदार कम्पनियों पर जमाराशियां लौटाने और/अथवा उन पर ब्याज अदा करने के लिये जोर डालने के वास्ते सांविधिक अधिकारी नहीं हैं। जमाराशियों की स्वीकृति जमाकर्त्ता और संबद्ध कम्पनी के बीच एक समझौता है और समझौता उल्लंघन करने की दशा में न्यायालय की शरण ली जा सकती है।

कर्मचारियों के प्रतिवेदन में उठाये गये मसले रिजर्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की जमा स्वीकार करने की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की योजना की परिधि से भी बाहर हैं।

दिसम्बर, 1978 में इन्डियन एयरलाइन्स के एक विमान का अपहरण

2274. श्री राम जेठमलानी : क्या पर्यटन और सागर विमानन मंत्री दिसम्बर, 1978

में इन्डियन एयरलाइन्स के एक विमान के अपहरण के बारे में 1 फरवरी, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 88-ख के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभियुक्त जमानत पर हैं और क्या अभियुक्तों के जमानत के लिए आवेदन का विरोध किया गया था ;

(ख) क्या उक्त मामले को शीघ्रता से निपटाने के लिये अदालत के सामने कोई आवेदन पेश किया गया है ; और

(ग) क्या इस मामले का प्रभार किसी विशेष वकील को सौंपा जा रहा हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मन्त्री (श्री जानकी बल्लभ पट्नायक) : (क) से (ग) आवश्यक ब्यौरे उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त किये जा रहे हैं तथा सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे ।

कोका कोला निर्यात निगम को दिए गए तदर्थ लाइसेंस का मूल्य

2275. श्री धर्म वीर सिन्हा : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 से कोका कोला निर्यात निगम को कितनी राशि का तदर्थ लाइसेंस दिया गया था और यदि प्रत्येक वर्ष लाइसेंस के मूल्य में घट-बढ़ होती है तो उसके क्या कारण है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : 1972 से कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को जारी किए गए कच्चे माल हेतु वास्तविक प्रयोक्त तदर्थ आयात लाइसेंसों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य निम्नलिखित है :—

वर्ष	मूल्य (वास्तविक प्रयोक्ता आयात लाइसेंसों के लागत बीमा भाड़ा सहित) (लाख रु० में)
1972	7.00
1973	16.00
1974	शून्य
1975	14.25
1976	2.61
1977	शून्य

लाइसेंसों की राशि में घट-बढ़ के कारण ये हैं :

1972 में तकनीकी विकास के महा निदेशालय की सिफारिश पर 7.00 लाख रु० के लाइसेंस जारी किये गए ।

1973 में, 1971-72 से प्रतिपूर्ति दर कारपोरेशन के निर्यात के एफ०ओ०बी० मूल्य के 20 प्रतिशत से घटकर 4.5 प्रतिशत हो जाने और 1971 में कार्पोरेशन द्वारा अपेक्षित कच्चे माल की मात्रा के आधार पर प्रतिवर्ष 16.00 लाख रु० के तदर्थ लाइसेंस जारी करने के लिए

अतः मंत्रालय समिति के निर्णय के परिणामस्वरूप 16 लाख रु० के लिए तदर्थ लाइसेंस जारी किये गये ।

1974 में कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया क्योंकि उनका आवेदन बहुत देर से प्राप्त हुआ था ।

अन्तः मंत्रालय समिति ने कोका कोला एक्सपोर्ट कार्पोरेशन को जारी किये जाने वाले वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस के मूल्य में 1974-75 से लेकर 5.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की कमी करने का भी निर्णय लिया । उनकी हकदारी में 5 प्रतिशत की और कमी 1973-74 के लिए उनका आवेदन प्रस्तुत होने में विलम्ब के कारण की गई । अतः 1975 में उनके विलम्बित आवेदन के आधार पर पार्टी को 14.25 लाख रु० का लाइसेंस जारी किया गया ।

दिसम्बर, 1976 में विदेश मुद्रा (विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत दिये गए उनके आवेदनों का निपटान होने तक के लिए केवल 2.61 लाख रु० का एक अग्रिम कच्चा माल लाइसेंस जारी किया गया ।

1977 में उनके नाम पर कोई वास्तविक प्रयोक्ता तदर्थ आयात लाइसेंस जारी नहीं किया गया क्योंकि कार्पोरेशन ने 1977 के लिए उनके आवेदन पर अन्तिम निर्णय लिये जा सकने से पूर्व भारत में कोका कोला सान्द्रण का तैयार करना बन्द कर दिया ।

पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

2276. श्री टी० एस० नेगी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड लोगों को समाज कल्याण बचत योजनाएं पेश करती रही है ;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रतिभूति के रूप में कोई धनराशि जमा की गई है, यदि हां, तो उसकी प्रतिशतता है ;

(ग) जनता की देनदारी कितनी है और 1979 तक सरकारी अभिकक्षा में कितना प्रतिशत पूंजी निवेश किया गया है ;

(घ) कम्पनी का नियंत्रणकर्त्ता कौन है ;

(ङ) क्या कम्पनी का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पालिसी/योजना धारकों को आयकर में छूट देने का है ; और

(च) क्या उक्त कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) यह कम्पनी 1956 से जनता के लिए "समाज कल्याण बचत योजना" के नाम से कुछ योजनायें चला रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) 31 दिसम्बर, 1978 तक कम्पनी द्वारा प्रकाशित इसके तुलन-पत्र के अनुसार, समाज कल्याण योजनाओं के अंतर्गत इसकी देनदारियाँ 42.08 करोड़ रुपये की थी तथा सरकारी एवं ट्रस्टी प्रतिभूतियों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधिक जमा की राशि 44.45 करोड़ रुपये थीं। वर्ष 1979 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) से (च) समग्र पर्यवेक्षण के लिए कम्पनी का एक निदेशक मंडल है लेकिन प्रबन्ध तथा रोजमर्रा के पर्यवेक्षण का कार्य निदेशक-एवं-सचिव को सौंपा गया है। फिलहाल, कम्पनी के राष्ट्रीयकरण या इसका प्रबन्ध अपने हाथ में लेने या इसके ग्राहकों आदि को आयकर में राहत देने का कोई प्रस्ताव, सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

कैंपा कोला बनाने वाले कुछ संयंत्रों द्वारा उत्पादन शुल्क की अदायगी

2277. **श्री धर्मवीर सिन्हा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंपा कोला बनाने वाले कुछ संयंत्र, जिनकी बिक्री 5 लाख रुपये से कम है, उत्पादन शुल्क की अदायगी नहीं कर रहे हैं, जो सुविधा लघु निर्माताओं को प्राप्त हैं ;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय ने यह मत व्यक्त किया है कि लाइसेंसशुदा बाटलिंग कम्पनियों को अलग-अलग से नहीं किया जाना, परन्तु लघु निर्माता का लाभ देने की दृष्टि से निर्धारण करने हेतु सभी बाटलिंग कम्पनियों की बिक्री को एक साथ जोड़ा जाना है ;

(ग) क्या यह सच है कि कैंपा कोला की बोतल पर लिखा रहता है "ए प्रोडक्ट आफ प्योर ड्रिंक्स" (प्योर ड्रिंक्स कम्पनी का उत्पाद) ;

(घ) यदि हां, तो क्या कैंपा कोला-बाटलिंग कम्पनियां पेय का निर्माण के लिए तथा उनकी ओर से (फार-एण्ड आन-बिहाफ आफ प्योर ड्रिंक्स) प्योर ड्रिंक्स कम्पनी कर रही है; और

(ङ) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ताओं से प्राप्त सूचना से यह पता लगता है कि जयपुर, लखनऊ और नागपुर स्थित केवल तीन निर्माता ही, 1978 की अधिसूचना संख्या 71, दिनांक 1-3-78 के अन्तर्गत लघु-निर्माताओं को दी गई छूट का लाभ उठा रहे हैं। उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत, घरेलू उपभोग हेतु 5 लाख रुपये मूल्य तक की निकासियां शुल्क से मुक्त हैं, बशर्ते पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में कुल 15 लाख रुपये मूल्य से अधिक की निकासियां नहीं हुई हों। अन्य स्थानों पर, कैंपा कोला के निर्माता यथा उद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अदा कर रहे हैं।

(ख) विधि मंत्रालय ने यह मत व्यक्त किया है (हालांकि वह किसी अन्य निर्माता के संदर्भ में है) कि लाइसेंसधारी बाटलिंग कम्पनियों को अलग-अलग माने जाने अथवा नहीं माने जाने का प्रश्न, एक ओर मृदु पेयों की बाटलिंग कम्पनियों के और दूसरी ओर सांद्रणों के सप्लायरों के बीच हुए करारों की शर्तों पर निर्भर करता है।

(ग) उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि कुछ मामलों में, कैम्पा कोला की बोतलों पर "ए प्रोडक्ट आफ प्योर ड्रिंक्स" (प्योर ड्रिंक्स कम्पनी का उत्पाद) अंकित है। लेकिन कुछ अन्य मामलों में यह देखा गया है कि इस समय बोतलों पर ऐसा कोई अंकन नहीं है फिर भी इस प्रकार के अंकन वाली पुरानी बोतलें अभी भी इस्तेमाल में हैं।

(घ) कैम्पा कोला बाटलिंग कम्पनियां, पेयों का निर्माण, "प्योर ड्रिंक्स के लिए और उनकी ओर से" कर रही हैं अथवा नहीं यह प्रश्न, मृदु पेयों की बाटलिंग कम्पनियों और मृदु पेय सांद्रणों के सप्लायरों के बीच अनुदत्ताधिकार करारों की शर्तों पर निर्भर करेगा।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए, अलग अलग मामलों पर निर्णय उनके गुणावगुण के आधार पर किया जाना होगा।

मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड के निदेशकों द्वारा धनराशियों का दुर्विनियोग

2278. **श्री चन्द्र भाल मणि तिवारी** : क्या वित्त मंत्री मैसर्स प्यारे ड्रिंक्स की सार्वजनिक जमा राशियां आमंत्रित करने की अनुमति के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 3010 दिनांक 13 मार्च, 1979 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड के निदेशकों द्वारा धनराशियों के दुर्विनियोग के मामलों का पता लगाया है ;

(ख) क्या यह सच है कि कम्पनी द्वारा काफी अधिक मूल्य वाली अनेक विदेशी कारें खरीदी गई हैं ; और

(ग) यदि ये कारें निदेशकों के उपयोग के लिये हैं तो क्या निदेशक इन परिलब्धियों पर उपयुक्त कर अदा कर रहे हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

निर्यात (गुणप्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, काफी अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, के अंतर्गत अधिसूचनाएं तथा भारतीय इंजीनियरी सलाहकार (इंडिया लिमिटेड, रांची के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) मेरा नियम 334(क) के अधीन एक व्यवस्था का प्रश्न है। या तो श्री फैलीरो से अथवा आपसे समाचार पत्रों को विशेषाधिकार प्रस्ताव के नोटिस की सूचना दे दी है जोकि ··· के विरुद्ध (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उसे मैंने अस्वीकार कर दिया है ।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 334(क) में निहित है : 'किसी सूचना का विज्ञापन किसी सदस्य अथवा किसी व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अध्यक्ष द्वारा गृहीत न कर ली गई हो और सदस्यों को परिचालित न कर दी गई हो । यह समाचार पत्रों में छप गया है । या तो यह श्री फैलीरो द्वारा अथवा आपके माध्यम से प्रकट हुआ है । हम जानना चाहते हैं कि यह मामला किसके द्वारा समाचार पत्रों में गया है । इससे नियम 334 का गंभीर रूप से उल्लंघन होता है ।

अध्यक्ष महोदय : उसे स्वीकार नहीं किया गया (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं कह रहा था कि यह या तो आपके द्वारा अथवा उनके द्वारा समाचार पत्र में दिया गया है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका उल्लेख कल सभा में 11 बजे किया गया था । (व्यवधान) इस बारे में नोटिस प्राप्त हुआ था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे पता चला है कि प्रेस को इसकी सूचना या तो श्री फैलीरो द्वारा अथवा आपके द्वारा दी गई । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं । आप पुनः आक्षेप कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा आपसे प्रश्न था कि इसे प्रेस को किसने प्रकट किया ? (व्यवधान) यह अत्यन्त गम्भीर मामला है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने देखा है ··· (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपके वाद-विवाद में क्या दिया हुआ है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मेरी बात सुनते ही नहीं हैं । अपना नोटिस 11 बजे दिया था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 334(क) के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 334(क) में कहा गया है, 'किसी सूचना का विज्ञापन किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अध्यक्ष द्वारा गृहीत न कर ली गई हो और सदस्यों को परिचालित न कर दी गई हो ।' आप कल के वाद-विवाद का पृष्ठ 8164 देखें । उसमें कहा गया है :

"श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोआ) : श्रीमन्, मैंने एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी थी । उसका क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक नोटिस आज 10.40 प्रातः प्राप्त हुआ है । समाचार पत्रों में छपे अध्यक्ष महोदय पर लगाये गये आरोपों के बारे में सूचना प्राप्त हुई । क्योंकि नोटिस विलम्ब से प्राप्त हुआ था, मुझे उस पर विचार करने का समय नहीं मिला । मैं इस पर विचार

ग्राह्यता करके प्रश्न पर विचार करूंगा। (व्यवधान) XX कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा ।X XXअंत में भी टाइप किया हुआ है किXX कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : आठ संसद् सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला है यह समाचार पत्रों को कैसे प्राप्त हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : उसे स्वीकार नहीं किया गया। (व्यवधान) पहले मुझे उन्हें उत्तर देना है। इसका सम्बन्ध किसी और बात से है। इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाला नहीं गया— जो भी व्यवधान रहे हों जो कुछ भी उसके बाद कहा गया। नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा (व्यवधान) मैं स्वीकार नहीं करता। जो कुछ भी बाद में कहा गया उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया। मैंने केवल व्यवधानों की बात की थी। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : जिस बात की आपने अनुमति नहीं दी उसका किसी के द्वारा समाचार पत्रों में प्रसारण किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। यह सभा का रिकार्ड है। इस प्रश्न के जो भी अन्य पहलु है मैं उन पर ध्यान दूंगा तथा अपना निर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : उसमें सभा के सदस्यों के नामों का उल्लेख नहीं है; सभा की कार्यवाही में भी नामों का उल्लेख नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर ध्यान दूंगा। बिना मामले पर विचार किये मैं निर्णय नहीं दे सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु ; इसे अन्यथा न समझे। इसमें श्री फैलौरो तथा आपका सम्बन्ध है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल से इसके दिये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं रिकार्ड को देखने के बाद तथ्यों का पता लगाऊंगा तथा अपना निर्णय दूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : बात यह है किसी ने इसे बाहर प्रकट कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बारे में पता लगाना पड़ेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु ने जो अंश उद्धृत किये है उनका सभा की कार्यवाही से संबन्ध नहीं है। मैंने केवल बाद के हिस्से को निकालने की बात की थी।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा नियम 376 के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने घटना का उल्लेख किया है तथा कहा है कि आप मामले पर ध्यान देंगे। श्री ज्योतिर्मय

बसु ने सभा की कार्यवाही वृत्तान्त से पढ़ कर सुनाया था। आपने कहा था कि जो हिस्सा कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला गया था उससे पहले कही गई बात का उल्लेख नहीं था। इसे स्वीकार भी कर लिया जाये, तो भी निकाले गये अंश में भी उन विपक्ष के सदस्यों के नामों का उल्लेख नहीं है जिनके नाम समाचार पत्रों में छपे हैं। यह या तो श्री फैलीरो अथवा किसी अन्य सदस्य द्वारा दिये गये हैं। मैं कह नहीं सकता कि ऐसा किसने किया है। इसलिए इस पर आपको ध्यान देना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही बता चुका हूं। विशेषाधिकार का प्रश्न मेरे समक्ष 11 बजे था। मुझे इसे देखने का अवसर नहीं मिला। मैंने जो भी बात कही उपलब्ध तथ्यों के आधार पर है। तथ्यों का अध्ययन करके मैं इस पर निर्णय लूंगा।

(व्यवधान)

श्री ईन्द्रजीत गुप्त : आप समाचार पत्र से पता करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा।

श्री मगनभाई बरोट (अहमदाबाद) : श्रीमान, हमें नियम 4 में निर्धारित विधि से बैठना चाहिए। एक मिनट पहले ही उपाध्यक्ष महोदय के नियत की गई सीट पर श्री चरण सिंह बैठे हुए थे और उपाध्यक्ष महोदय पीछे बैठे हुए थे। क्या यह उचित है ? अब श्री फर्नान्डीस ऐसा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृप्या बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री फैलीरो को अनुमति दी है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : निदेश संख्या 2 में उल्लेख है कि यदि प्रश्नों के पश्चात् स्थगत प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती तो विशेषाधिकार का मामला लिया जायेगा। अब प्रश्नकाल समाप्त हो गया है और अब यदि कोई विशेषाधिकार का मामला हो तो उसे जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया निदेश संख्या 2 पढ़े। स्थगत प्रस्ताव हमारे पास विचाराधीन है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री बसु, आप सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं ? आप ऐसा क्यों करते हैं। मैंने आपको अपनी बात कहने का अवसर दिया। अब उन्हें अपनी बात कहने दें। मैं इसे या तो स्वीकार करूंगा अथवा अस्वीकार कर दूंगा।

: : वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु यदि कोई व्यक्ति, अध्यक्षपीठ को गुमराह करता है तो उसकी ओर ध्यान दिलाना मेरा कर्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय : अवसर आने पर आप ऐसा करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं ; नहीं, श्रीमान।

अध्यक्ष महोदय : नहीं ; आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। (व्यवधान)** मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। श्री मनी राम बागड़ी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे नोट कर लिया है।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक संवैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। संवैधानिक व्यवस्था यह है कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कागजात लोक सभा के सदस्यों को मिलेंगे। यह जो वैद्यलिंगम रिपोर्ट है यह सिर्फ अंग्रेजी में है और हिन्दी में यह नहीं मिली है। यह हिन्दी का तिरस्कार है। ऐसा करके संविधान का उल्लंघन किया गया है। ये संविधान के भंगी है। यह तौर तरीका बन गया है कि अंग्रेजी को बढाया जाए। संविधान का इस तरह से उल्लंघन चल नहीं सकता है। अंग्रेजी सखी भाषा है और हिन्दी राज भाषा है

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से इसके बारे में बात करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : अगर हिन्दी में रिपोर्ट नहीं आती है तो जिन सदस्यों को अंग्रेजी नहीं आती है वे इस बहस में कैसे हिस्सा ले सकते हैं ? अंग्रेजी की रिपोर्ट ले कर जो अंग्रेजी नहीं जानने वाले हैं वे कैसे बोलेंगे.....

श्री चन्द्रपाल शास्त्री (हाथरस) : हम इसको फाड़ रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप रूलिंग दीजिये और इसको पोस्टपोन कीजिये। आपने निर्णय ले लिया है। यह एक संवैधानिक बात है। ऐसे मामले जिसकी रिपोर्ट सदस्यों को प्राप्त नहीं हुई पर चर्चा करना सम्भव नहीं है। इसका एक व्यवहारिक और संवैधानिक पहलू है। यह एक संवैधानिक आवश्यकता है कि पत्र राष्ट्रीय भाषा में उपलब्ध किये जाये। उसका पालन नहीं किया गया। दूसरे इसका एक व्यवहारिक पहलू भी है। कुछ माननीय सदस्य अंग्रेजी नहीं समझते (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे पूरा करूंगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : इसी सदन में विगत साल स्पीकर ने रूलिंग दिया था कि जुलाई 1979 के बाद अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में रिपोर्ट आया करेगी। इसी हाउस में स्पीकर द्वारा यह रुलिंग दिया गया था.....

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर ध्यान दूंगा और अपना निर्णय दूंगा। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

श्री प्रणब मुखर्जी।

**कार्यवृत्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने श्री पी० वेंकटा सुब्बया के विरुद्ध विशेषाधिकार के भंग किये जाने के लिये नोटिस दिया था। प्याज उत्पादकों के मामले में मंत्री महोदय ने सभा को गुमराह किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के बाद अपना निर्णय दूंगा। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने दो नोटिस दिये हैं। एक श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी के और दूसरा निदेश संख्या 115 के अन्तर्गत आपके विचाराधीन है अर्थात डी०वी०सी० के उत्पादन संबंधी सही आंकड़े क्या हैं। (व्यवधान) श्री शिवशंकर ने कहा है कि साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) बिड़लाओं को शिखर पर लाने के लिए उत्तरदायी हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे देखा है। दूसरा नोटिस मेरे विचाराधीन है। (व्यवधान) श्री बसु आप बैठ जाइये। श्री ज्योतिर्मय बसु ने ऊर्जा सिंचाई और कोयला मंत्री द्वारा 11 मार्च 1980 के प्रश्न संख्या 3 के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते समय दामोदर घाटी निगम द्वारा उत्पादन के आंकड़ों की सत्यता के बारे में नोटिस दिया है। सिंचाई और कोयला मंत्री द्वारा दिए गए तथ्यों का अध्ययन किया गया है तथा मुझे किसी महत्वपूर्ण अनियमितता का पता नहीं चला। इसलिए मैंने नियम 115 के अधीन मामला उठाये जाने की अनुमति नहीं दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उत्तर में गलत बातें बताई गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आयें। मैं आप से बात करूंगा। दूसरे मामले तथ्य मैंने मंगवाये हैं। मैं उनपर विचार कर रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस बारे में तथ्य बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि इसमें कोई और बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला।

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेड० आर० अंसारी) : मैं श्री प्रणब कुमार मुखर्जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) अभ्रक का निर्यात (गुणप्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अभ्रक का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 533 में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-704/80)

(2) काफी अधिनियम, 1947 की धारा 48 के अन्तर्गत काफी बोर्ड कर्मचारी (आचरण) संशोधन नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 447 में प्रकाशित हुए थे।(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 705/80)

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12 क के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 184 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 14 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 706/80

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) धातुकर्म तथा इंजीनियरी सलाहकार (इंडिया) लिमिटेड, रांची के, वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) धातुकर्म तथा इंजीनियरी सलाहकार (इंडिया) लिमिटेड, रांची का वर्ष 1978/79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 707/80)

(5) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वायुयान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट तथा न्यूनतम वेतन (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 1980

पर्यटन और नागर विमानन और श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पट्नायक) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :–

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण] की एक-एक प्रति :–

(एक) वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 16 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 193 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 16 फरवरी 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 194 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 708/80

(2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1980-81 के वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सख्या एल० टी० 709/80)

(3) बिहार राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213

(2) (क) के अन्तर्गत बिहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित न्यूनतम वेतन (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 18) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 710/80)

गुजरात ग्रामीण आवास बोर्ड (संशोधन) नियम, बिहार सरकार अध्यादेश, मध्य प्रदेश नगर सुधार न्यास (संशोधन) अध्यादेश, पंजाब नगर निगम (फालतु धन निवेश) नियम, गुजरात सरकार अधिसूचनाएं आदि।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 का उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात ग्रामीण आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुजरात ग्रामीण आवास बोर्ड (संशोधन) नियम, 1980 की एक प्रति जो दिनांक 18 जनवरी, 1980 के गुजरात सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एच०/पी/7/80/आर एच बी/6876/ए2 में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 711/80

(2) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 711/80)

(3) बिहार राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (क) के अन्तर्गत बिहार सरकार के निम्नलिखित अध्यादेशों की एक एक प्रति :–

(एक) बिहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित बिहार राज्य आवास बोर्ड अध्यादेश, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बिहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित बिहार नगर-पालिका (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1980।

(तीन) बिहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित बिहार नगर-पालिका और पटना नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) बिहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित बिहार चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(पांच) बिहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित बिहार नगर-पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(छः) बिहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित बिहार नगर-पालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(सात) बिहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित बिहार राज्य जल और मल निकासी बोर्ड अध्यादेश, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(आठ) बिहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित पटना नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (हिन्दी संस्करण)।

(नौ) बिहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित छोटा नागपुर तथा संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (हिन्दी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 712/80]

(4) मध्य प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2)(क) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश नगर सुधार न्यास (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 4) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 7 फरवरी, 1980 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 713/80]

(5) पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 379 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पंजाब नगर निगम (फालतू धन निवेश) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 जून, 1979 के पंजाब सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस2/79 के साथ पठित अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 75/पीए 42/76/एस–84 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 714/80]

(6) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात नगरपालिका वित्त बोर्ड अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत गुजरात सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) गुजरात नगरपालिका वित्त बोर्ड (भर्ती) तथा सचिव की सेवा की (शर्तें) नियम 1979 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 के गुजरात सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या के० पी० 213–79/एमएफबी–1679/7106–पी–1 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गुजरात नगरपालिका वित्त बोर्ड (सभापति तथा सदस्यों की पदावधि तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1979 जो दिनांक 19 जनवरी, 1980 के गुजरात के राजपत्र में अधिसूचना संख्या के० पी०/10-80/एमएफबी/1179-7385-पी० 1 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 715/80]

(7) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु जिला नगर पालिकायें अधिनियम, 1920 के अन्तर्गत जारी की गई तमिलनाडु सरकार की अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० संख्या 149/ (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 20 फरवरी, 1970 के तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जी० ओ० एम० संख्या 1860 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 24 नवम्बर, 1979 के तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) जी० ओ० एम० संख्या 759 जो दिनांक 13 जून, 1979 के तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एस० टी० 716/80]

(8) मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अधिसूचना संख्या 127-18-1-80 जो दिनांक 4 मार्च, 1980 के मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) अधिसूचना संख्या 135-18-1-80 जो 10 मार्च, 1980 को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) मध्य प्रदेश नगरपालिका (पार्षदों को प्रतिपूर्ति तथा भत्ते) नियम, 1979 जो दिनांक 5 अक्तूबर, 1979 के मध्य प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 818-18-1-79 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एस. टी. 717/80]

(9) गुजरात राज्य के संबंध में 17 फरवरी, 1980 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात गन्दी बस्तियां (सुधार, सफाई और पुनर्विकास) अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत गुजरात गन्दी बस्ती सफाई बोर्ड (अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तें) (संशोधन) नियम, 1979

की एक प्रति जो दिनांक 8 नवम्बर, 1979 के गुजरात सरकार के राजपत्र में अधि-सूचना संख्या-जी एच/पी/191/79 एस ए ए 2877/1685/ए 2 में प्रकाशित हुये थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी, 718/80]

(10) (एक) राजघाट समाधि समिति का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन के संबंध में सरकार की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) उपरोक्त प्रतिवेदन को रखने में सभा पटल पर रखने पर हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)। (ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्ता एल. टी. 719/80)

(11) (एक) गाँधी स्मृति समिति के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन के कार्यकरण के सम्बन्ध में सरकार की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) उपरोक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब को बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 720/80]

(12) उत्तर प्रदेश के राज्य के संबंध में 17 फरवरी, 1980 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2) (क) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 6 मार्च, 1980 को लागू किये गये उत्तर प्रदेश नागर आयोजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 4) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 721/80]

(13) महाराष्ट्र राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग)(चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2)(ज) के अन्तर्गत महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा 6 मार्च, 1980 को प्रख्यापित महाराष्ट्र खाली भूमि (बेदखली से कब्जाधारियों को अन्तिरिम सुरक्षा तथा बकाया किराये की वसूली अध्यादेश (1980 का संख्या 1) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 722/80]

प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, वारंगल के वर्ष 1978-79 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन।

विहार सरकार अध्यादेश, गुजरात सरकार अध्यादेश, तथा केन्द्रीय दिल्ली स्कूल प्रशासन आदि का विवरण

स्वास्थ्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज वारंगल के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज वारंगल के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । (ग्रन्थालय से रखी गई । देखिये संख्या एल.टी. 723/80)

(3) (एक) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । (ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल.टी. 724/80)

(4) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, राउकेरला के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(तीन) प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 725/80]

(5) (एक) विश्वेश्वरिया प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, नागपुर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(तीन) प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 726/80]

(6) (एक) मोतीलाल नेहरू प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(तीन) प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 727/80]

(7) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) का एक प्रति।

(8) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 728/80]

(9) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे का एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) लेखे का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।]ग्रन्थालय में रखा गमा। देखिये संख्या एल. टी. 729/80]

बिहार सरकार अध्यादेश, गुजरात सरकार अध्यादेश तथा केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन आदि का विवरण :

(10) बिहार राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 का उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत बिहार सरकार के निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 33) जो बिहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित किया गया था।

(दो) बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 34) जो बिहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित किया गया था। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सख्या एल. टी. 730/80]

(11) बिहार राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत बिहार सरकार के निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति :—

(एक) बिहार विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1980 जो 4 मार्च, 1980 को बिहार के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

(दो) बिहार अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड अध्यादेश, 1980 जो 5 मार्च, 1980 का बिहार के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

(तीन) बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1980 जो 4 मार्च, 1980 को बिहार के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

(चार) पटना विश्वविद्यालय (संशोधी और विधिमान्यकारी) अध्यादेश, 1980 जो 4 मार्च, 1980 को बिहार के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

(पाँच) बिहार मादक द्रव्य निषेध अध्यादेश, 1980 हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 4 मार्च, 1980 को बिहार के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

(छः) बिहार उत्पाद-शुल्क (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 4 मार्च, 1980 को बिहार के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

(12) उपर्युक्त (एक से चार) में उल्लिखित अध्यादेशों के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 731/80]

(13) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित बम्बई मद्य-निषेध अधिनियम, 1949 की धारा 143 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :-

(एक) अधिसूचना संख्या जी एच-एल/814/डी एन एस-1077-75833-(79)/एम जो दिनांक 29 सितम्बर, 1979 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) अधिसूचना संख्या जी एच-एल-815/डी एन एस–1077/66025-(79)/एम जो दिनांक 29 सितम्बर, 1979 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) अधिसूचना संख्या जी एच-एल/816/डी एन एस-1078/45120 (79)/एम जो दिनांक 29 सितम्बर, 1979 के गुजरात के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) अधिसूचना संख्या जी एच-एल-949/डी एन एस-1078/85691/(79) एम जो दिनांक 16 नवम्बर, 1979 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) अधिसूचना संख्या जो एच-एल/882-डी एन एस-1076/6/63695/जो दिनांक 26 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) अधिसूचना संख्या जी एच-एल/883-डी एन एस-1076/64729-(79)/एम जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1979 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) अधिसूचना संख्या जी एच-एल/1001/डी एन एस-1079/91518-एम जो दिनांक 25 दिसम्बर, 1979 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(आठ) अधिसूचना संख्या जी एच-चल/1051/डी एन एस-1076/80455-एम जो दिनांक 27 दिसम्बर, 1979 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(नौ) अधिसूचना संख्या जी एच-एल/1052/डी एन एस-1076/80456-एम जो दिनांक 27 दिसम्बर, 1979 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दस) अधिसूचना संख्या जी एच-एल/84/डी एन एस-1076/6076 (1)-80-एम जो दिनांक 30 जनवरी, 1980 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ग्यारह) अधिसूचना संख्या जी एच--एल/85/डी एन एस--1076/6076(2)/(80)/एम जो दिनांक 30 जनवरी, 1980 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बारह) अधिसूचना संख्या जी एच- एल/86/डी एन एस-1079/6077/एम जो दिनांक 30 जनवरी, 1980 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(14) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले पांच विवरण । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये सख्या एल० टी० 732/80]

(15) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय मे रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 733/80]

(16) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत गुजरात सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) गुजरात अधिनियमों की परिवीक्षा (गुजरात दूसरा संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 7 फरवरी, 1980 के गुजरात सरकार के राजपत्र में अधिसूचना सख्या जी के एस एच–35 (एई) एस टी-1077-1-1596 (79) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गुजरात अपराधियों की परिवीक्षा (संशोधन) नियम 1980 जो दिनांक 8 जनवरी, 1980 के गुजरात सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी- के एस एच- 34- ई एस टी- 1077/1–1596 (79) में प्रकाशित हुए थे।

(7) अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये एल टी संख्या 734/80]

कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे, ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1978-79 की वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा, मुगल लाइन लिमिटेड तथा भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड के वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा।

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री : (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं श्री ए० पी० शर्मा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1978–79 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपरोक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सख्या एल टी 735/80]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(4) प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सख्या एल टी 736/80]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(क) (एक) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मुगल लाइन लिमिटेड बम्बई का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 737/80]

(ख) (एक) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 738/80]

हिन्दू धार्मिक धर्मस्व (संशोधन) अध्यादेश, 1980, मध्य प्रदेश समाज के कामगार वर्गों के लिये विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम 1976 के अन्तर्गत अधिसूचना

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बिहार राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2) (क) के अन्तर्गत बिहार हिन्दू धार्मिक धर्मस्व (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 24) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 739/80]

(2) मध्य प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मध्य प्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिये विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 17(ङ)–326–78–21–बी (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 जुलाई, 1979 के मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 740/80]

(3) उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उड़ीसा सामान्य खण्ड अधिनियम, 1937 की धारा 24क के अन्तर्गत उड़ीसा हिन्दू धर्मार्थ धर्मस्व (संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो

दिनांक 17 जनवरी, 1980 के उड़ीसा के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०नि०आ० 59/80 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये एल० टी० 741/80]

राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन, उर्वरक (नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1980, बम्बई, भूमि अधिग्रहण (गुजरात संशोधन) आदेश, 1979 तथा गुजरात सरकार अधिसूचना आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० स्वामीनाथन) : मैं श्री बीरेन्द्र सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाने महासंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 742/80]

(2) राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 743/80]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 6 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधि- सूचना संख्या सा० सां० नि० 31(ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 744/80]

(4) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत गुजरात के राज्यपाल द्वारा 29 दिसम्बर, 1979 को प्रख्यापित बम्बई भूमि अर्जन (गुजरात संशोधन) अध्यादेश, 1977 (1979 का संख्या 9) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 745/80]

(5) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 17 फरवरी, 1980 की जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात सहकारी समितियां अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत जारी की गई गुजरात सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) गुजरात सहकारी समितियां (संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 21 जनवरी, 1980 के गुजरात सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी एचकेएच /14/80 —1978/30411—ग में प्रकाशित हुये थे।

(दो) गुजरात सहकारी समितियां (संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 21 अक्तूबर, 1979 के गुजरात सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी

एच के एच-202/79-सी एचएस-1078-एचआर.2189 जेड में प्रकाशित हुये थे ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 746/80]

(7) बिहार राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत बिहार सरकार के निम्नलिखित अध्यादेशों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) बिहार चीनी उपक्रम (अधिग्रहण) (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 46) जो बिहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित किया गया ।

(दो) बिहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित बिहार सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या--3) [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 746-A/80]

(8) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (एक) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड अहमदाबाद के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण पर सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड अहमदाबाद के वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा नियंत्रक-महालेखा परीक्षित की टिप्पणियां ।

(ख) (एक) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड बंगलौर के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण पर सरकार द्वारा समीक्षा (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) ।

(दो) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड बंगलौर का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखा परीक्षित लेखे तथा नियंत्रक-महा- लेखा परीक्षित की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 746-A/80]

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 746-B/80]

(10) उपज उपकर अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 16 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 746-B/80]

(11) राष्ट्रीय सहकारी आवास महासंघ लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 747/80]

(12) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 748/80]

(13) राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ लिमिटेड के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 749/80]

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा।

वित्त और उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 750/80]

उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया, कानपुर, बेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता आदि की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): मैं डा० चरणजीत चानना की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) अमृतसर चीनी मिल कम्पनी लिमिटेड, अमृतसर के प्रबंध को जारी रखने

संबंधी सां० आ० 525 (ङ) जो दिनांक 11 सितम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) मैसर्स गणेश फ्लोर मिल कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली के प्रबंध को जारी रखने संबंधी सां० आ० 630 (ङ) जो दिनांक 2 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 751/80]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 1978–79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इन्डिया, कानपुर का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षज की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 752/80]

(ख) (एक) ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के 1 दिसम्बर, 1976 से 31 मार्च, 1977 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) कम्पनी के कार्यकरण पर सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी विवरण। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 753/80]

(ग) (एक) बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) कम्पनी के कार्यकरण पर सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी विवरण। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 754/80]

(घ) (एक) बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) कम्पनी के कार्यकरण पर सरकार द्वारा समीक्षा सम्बन्धी विवरण। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 755/80]

(ङ) (एक) भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा का वर्ष 1978-79 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (ख), और (ग) में उल्लिखित प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 756/80]

(3) बिहार राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2) (क) के साथ पठित बिहार राज्य उद्योगों की सहायता (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 20) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो बिहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित किया गया था। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 757/80]

(4) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत मैसर्स कारटर पूलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध को जारी रखने के संबंध में अधिसूचना संख्या–सं० आ० 590 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 23 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 758/80]

(5) उद्योग (विकास तथा विनियमन अधिनियम,) 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मैसर्स ऐसोसिएटिड इण्डस्ट्री (आसाम) लिमिटेड, चद्रन्पुर के प्रबन्ध को जारी रखने के संबंध में दिनांक 7 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सं० आ० 387 (ङ)

(दो) मैसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध को जारी रखने के राजपत्र के संबंध में सं० आ० 572 (ङ) जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1979 के भारय के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 759/80]

बिहार चिकित्सा शिक्षा संस्थान (विनियमन तथा नियन्त्रण) अध्यादेश, 1980

श्री एन० आर० लास्कर : मैं बिहार राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत बिहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित बिहार चिकित्सा शिक्षा संस्थान, (विनियमन तथा नियन्त्रण) अध्यादेश, 1980 (1980 का सख्या 5) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०760/80]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं बिहार राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत बिहार सरकार के निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) बिहार आवश्यक सेवाएं बनाए रखना (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 6) जो 4 मार्च, 1980 को बिहार के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

(दो) बिहार अपराध नियंत्रण अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 26) जो 4 मार्च, 1980 को बिहार के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिग संख्या एल० टी० 761/80)

भारतीय निवेश केन्द्र नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन नियंत्रण तथा सहायता सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन आदि

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 762/80)

(2) नियंत्रण तथा सहायता सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन* (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति तथा प्रतिवेदन के अनुबन्ध और विशिष्ट सहित खंड। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 763/80)

(3) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश सामान्य खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश स्टाम्प (36वां संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 अगस्त, 1979 के उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस आर/1487/एक्स-206(2)-73-सी ए-2-1899-रूल-1942-एम एस-36-1979 में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 764/80)

(4) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 5 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुजरात सरकार की

* प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 9 जुलाई, 1979 को सभा पटल पर रखा गया था।

अधिसूचना संख्या (सी एच एन 69)—सी एस टी-1079-एस.5 (2)(8)-टी एच जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1979 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की अनुसूची 1 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 765/80)

(6) उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित उड़ीसा विक्रय कर अधिनियम, 19 7 की धारा 29 क के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० नि० आ० संख्या 1051/79 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 के उड़ीसा राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) सा० नि० आ० 1095/79 जो दिनांक 7 नवम्बर, 1979 के उड़ीसा राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) उड़ीसा विक्रय कर (पांचवां संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 18 जनवरी, 1980 के उड़ीसा राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० नि० आ० 55/80 में प्रकाशित हुये थे। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 766/80)

(7) बिहार राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2)(क) के अन्तर्गत बिहार कृषि आय-कर (निरसन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 11) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो 4 मार्च, 1980 को बिहार के राजपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 767/80)

(8) रीयल एस्टेट के संचालकों द्वारा राजकोष को करोड़ों रुपयों से ठगे जाने के बारे में समाचार के सम्बन्ध में श्री मनोरंजन भक्त द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 608 के 14 मार्च, 1980 को दिये गये उत्तर को शुरू करने वाला एक विवरण। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 768/80)

(9) (एक) मुखबरों को दी गई राशि के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4485 के 23 मार्च, 1979 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने और

(दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 769/80)

(10) मध्य प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में 17 फरवरी, 1980 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड(ग) (चार) के साथ पठित मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क और विज्ञापन कर अधिनियम 1936 की धारा 8 की उपधारा 5 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश अधिसूचना संख्या-721-1206-वी एस आर-80 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 मार्च, 1980 के मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 770/80)

(11) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में 17 फरवरी, 1980 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात मनोरंजन कर अधिनियम 1977 की धारा 31 की उपधारा (5) और धारा 29 की उपधारा (2) के अन्तर्गत शैक्षिक, चिकित्सा, धर्मार्थ, दान अथवा ऐसे ही अन्य कार्यों से संबंधित मनोरंजनों अथवा उन के प्रकारों को मनोरंजन कर और अतिरिक्त मनोरंजन कर से पूरी तरह या आंशिक रूप में लोक हित में छूट देने के बारे में गुजरात सरकार की 25 अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-771/80)

मिश्रधातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद तथा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (i) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्रधातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। (ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 772/80)

(ख) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 773/80)

बिहार पंचायत राज (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अध्यादेश तथा गुजरात सरकार अधिसूचना आदि

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बिहार राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी,

1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2)(क) के अन्तर्गत विहार पंचायत राज (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 42) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो बिहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित किया गया था। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 774/80)

(2) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 323 के अन्तर्गत जारी की गई गुजरात सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :-

(एक) गुजरात पंचायत मतदाता सूची का भाग 2 तैयार करना तथा उसका रख-रखाव (सशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 29 सितम्बर, 1979 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के० पी०/166/पी० डी० के०/1079/2463(79) जे० एच०-1 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गुजरात पंचायत सेवा (कर्मचारियों का स्थानान्तरण) नियम, 1979 जो दिनांक 17 नवम्बर, 1979 के गुजरात सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या के० पी०/195/पी० बी० आर० 1078/10562-टी० एच० में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण और भर्ती) (15वां संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 19 नवम्बर, 1979 के गुजरात सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या के० पी०/197 (79) पी० बी० आर०-1078-4086 टी० ए० में प्रकाशित हुए थे।

(चार) गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण और भर्ती) (16वां संशोधन) नियम 1979 जो दिनांक 12 दिसम्बर, 1979 के गुजरात सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या के० पी०/205(79) पी० बी० एन०-1074/10482-टी० एच० में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अधिसूचना संख्या के० पी०/203 (79) जे० पी० एम०-1070-10897/(1) टी० एच० में जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1979 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

(छ) गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण और भर्ती (17वां संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 16 जनवरी, 1980 के गुजरात सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या के० पी०/8 (80)/पी० आर० आर०-1078-6872/टी० एच० में प्रकाशित हुए थे।

(सात) गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण और भर्ती)-(18वां संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 29 जनवरी, 1980 के गुजरात सरकार के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या के० पी०/24 (80)/पी० आर०बी० -1077-8081 (78)-टी० एच० में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण और भर्ती) (19वां संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 15 फरवरी, 1980 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के० पी०/37 (80) पी० आर० 1079/यू० ओ-229 में प्रकाशित हुए थे ।

(3) उपर्युक्त मद (2) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । (ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 775/80)

(4) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु पंचायत अधिनियम, 1958 की धारा 125 के अन्तर्गत तमिलनाडु सरकार की अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम०-1863 की एक प्रति जो दिनांक 26 नवम्बर, 1979 के तमिलनाडु राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पंचायतों द्वारा उद्ग्रहणीय गृहकर जो दिनांक 26 अप्रैल, 1961 की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ए-489/1961 में प्रकाशित हुए थे, में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । (ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 776/80)

(6) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अंतर्गत तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण), संशोधन अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 3) (हिन्दी* संस्करण) जो 10 मार्च, 1980 को तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रख्यापित किया गया था । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 777/80)

सीमा सुरक्षा बल छुट्टी (संशोधन) नियम तथा लोक संघ सेवा आयोग (सदस्य) संशोधन विनियम, 1980

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटासुब्बैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल छुट्टी (संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सं० नि० 236 में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी०778/80)

*अध्यादेश का अंग्रेजी संस्करण 27 मार्च, 1980 को सभा पटल पर रखा गया ।

(2) संविधान के अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :–

(एक) संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) तीसरा संशोधन विनियम, 1979 जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1230 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) चौथा संशोधन विनियम, 1979 जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1418 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) संशोधन विनियम, 1980 जो दिनांक 8 मार्च 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 257 में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 779/00)

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के माध्यम से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना दे।

"राज्य सभा में नियम प्रक्रिया और कार्यवाही के संचालन के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा अपनी 26 मार्च, 1980 को हुई बैठक में लोक सभा द्वारा 19 मार्च, 1980 को पास किये गये स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1980 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : सुन लिया, आपने अपनी बात कह ली है। आपके लीडर ने कह ली है। इस विषय पर मैं विचार कर रहा हूं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मरमागाओं) : नियम 224 के साथ पठित निर्देश 2 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। कल मैंने सर्वश्री ज्योतिर्मय बसु जार्ज फर्नान्डीस, राम विलास पासवान, प्रो० मधु दण्डवते, श्री इन्द्रजीत गुप्त के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है...

अध्यक्ष महोदय : आपने कल कुछ सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय पर कथित आक्षेपों, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं, के सम्बन्ध में विशेषाधिकार भंग की सूचना दी थी। स्थापित परम्परा के अनुसार पहले सम्बद्ध सदस्य से अनुरोध किया गया है कि उन्हें इस मामले में विचारार्थ क्या कहना है। उनका उत्तर मिलने पर मैं मामले पर विचार करूंगा और तब विशेषाधिकार की सूचना की ग्राह्यता पर निर्णय दूंगा। (व्यवधान)। सच तो यह है कि सारे सदन की गरिमा ही खतरे में है केवल मेरा ही इससे सम्बन्ध नहीं है, आपकी और सारे सदन की प्रतिष्ठा का भी सम्बन्ध है। अतः इस पर मैं पूर्ण रूप से विचार करूंगा और

तभी अपना निर्णय दूंगा। पहले मुझे सदस्यों की बात सुनने दो कि वे क्या कहते हैं और फिर मैं निर्णय दूंगा।

व्यवधान

अब ध्यानाकर्षण सूचना लिया जाएगा। श्री विक्रम महाजन।

व्यवधान

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अपनी बुद्धि के अनुसार यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका विशेषाधिकार का प्रस्ताव विचाराधीन है। अब महोदय देखना यह कि नियम 334 [क] के अन्तर्गत वह समाचार पत्रों के पास नहीं जा सकते।

अध्यक्ष महोदय : वह मामला मेरे विचाराधीन है। कोई बात नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए मैं अपना विनिर्णय दूंगा। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : आपका इस पर रूलिंग चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नोट कर लिया है, मैं बाद में करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपने नोट तो कर लिया आपकी रूलिंग नहीं आई। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कृपया मेरा निवेदन तो सुनिये। अन्य सदस्यों ने यह मामला उठाया है। मेरा निवेदन यह है कि प्रतिवेदन की प्रति हिन्दी में उपलब्ध कराये बिना, हम चर्चा कैसे कर सकते हैं ? जो सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते आप उन सबको वाद-विवाद में भाग लेने से वंचित कर रहे हैं। यह एक ऐसा मामला है। जिस पर आपका विनिर्णय तुरन्त चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वेंकट सुब्बया।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे आपका विनिर्णय चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दूंगा। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इस डाक्यूमेंट के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है, अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन ली है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह जो आर्डर-पेपर है, इससे उनका कोई वास्ता नहीं है। यह आपकी तरफ से निकाला हुआ दस्तावेज है। वैद्यलिंगम कमेटी की रिपोर्ट की हिन्दी की कापी सदस्यों को नहीं मिली है। इस सदन में जिस विषय पर आप बहस कराना चाहते हैं, तो जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, क्या उनको इसमें हिस्सा लेने का मौका ही नहीं देना चाहते हैं ? क्या हिन्दुस्तान में हिन्दी नहीं चलेगी ? संविधान को भी आप तोड़ेंगे ? हमको आपकी इस पर रूलिंग चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : रूलिंग दूंगा, आप उनकी बात सुन लीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आर्डर पेपर पर है यह मामला, आपका इस पर क्या निर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : "ऊपर (एक) में बताये गये प्रतिवेदत का हिन्दी संस्करण समापटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाला एक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)" उन्हें इस बात का स्पष्टीकरण देने दो और उसके बाद हम देखेंगे। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, आपको विनिर्णय तो देना ही चाहिए। (व्यवधान)। सदस्यगण चर्चा में भाग कैसे लेंगे ? (व्यवधान) संविधान के अनुसार प्रत्येक दस्तावेज उपलब्ध कराया जाएगा। (व्यवधान)। हम न्यायमूर्ति वैद्यलिंगम के प्रतिवेदन पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। यदि वह दस्तावेज जिसपर कि चर्चा होनी है सदस्यों को हिन्दी में उपलब्ध नहीं कराया जाता तो इस पर चर्चा कैसे हो सकती है (व्यवधान)। आप अपना निर्णय दीजिए। आर्डर पेपर पर आपने इस सवाल को जोड़ा है। संविधान का उल्लंघन हुआ है (व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : तीन बजे आएगा। अभी तो आएगा नहीं। (व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : दोनों चलेंगी। आप कैसे कहते हैं ?.....(व्यवधान).....

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्री स्टीफन जी, क्या आपका यह कहना है कि केवल अंग्रेजी ही यहां चलनी चाहिए।

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, उन्होंने मुझ से एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न यह है...

अध्यक्ष महोदय : आप भी नहीं रुकते वह भी नहीं रुकते। आप इनको रोकना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ सुनते ही नहीं हैं, हम क्या करें ? आपने मन बना रखा है कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। (व्यवधान) हमने फैसला कर रखा है कि आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। [व्यवधान]

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम आपसे दो बातों पर रूलिंग चाहते हैं। पहली बात है क्या इस सदन के काम-काज में अंग्रेजी ही चलेगी और इस संविधान का उल्लंघन होगा और क्या हिन्दी में कागजात सदस्यों को दिए जायेंगे या नहीं ?

दूसरी बात यह है कि जो बहस आप चलाना चाहते हैं उसका जो दस्तावेज है वह हिन्दी भाषा में लोगों को नहीं मिला है तो फिर कैसे सदस्य उस बहस में हिस्सा ले सकते हैं ? यह दो बुनियादी सवाल हैं जिन पर आप रूलिंग दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इसका फैसला करेंगे।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप रूलिंग देने के लिये तैयार नहीं हैं और हमारी नीयत पर हल्ला कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप भी नहीं रुकते हैं और वे भी नहीं रुकते हैं। आप उनको तो रोकना चाहते हैं लेकिन आप नहीं रुकते। मैं कब से कह रहा हूं, आप से भी कह रहा हूं और राम विलास जी से भी कह रहा हूं। मैं देखकर रूलिंग देना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी भाषा विशेष में वह पेश नहीं किया गया है तो तब वे इसका स्पष्टीकरण देंगे। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे आपका विनिर्णय चाहिए। मुझे उनका स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब बात उठेगी तो मैं अपना विनिर्णय दूंगा। परन्तु अभी तक मुद्दा उठा ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यदि कार्यसूचि सही नहीं है, तो इसे किसी भी समय उठाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : समय आने दो। मैं निर्णय ले लूंगा। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उस समय आप पीठासीन भी नही होंगे।

मुझे मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर आपका विनिर्णय चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले इनका एक्सप्लेनेशन सुनिए, फिर मैं रूलिंग दूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे आपका रूलिंग चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं रूलिंग बाद में दूंगा...(व्यवधान)...आप सुनते क्यों नहीं...मैं खड़ा हूं। बागड़ी जी आप बैठ जाइये।

श्री मनीराम बागड़ी : संविधान की हत्या की गई है, मैं बिल्कुल बैठने वाला नहीं। यहां राजभाषा की हत्या की गई है।

अध्यक्ष महोदय : संविधान की हत्या नहीं हो सकती...(व्यवधान)...देखिये मैंने बहुत सुना है। सारे बाहर के लोग देख रहें हैं।...एक प्वाइंट आफ आर्डर श्री जार्ज फर्नान्डीस ने उठाया था कि मैं इसका इसी वक्त...

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : उनका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीस ने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया हैं कि वह कार्य सूची के बारे में किसी भी समय व्यवस्था का कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं। उनका कहना है सदन

की कार्यवाही से उठने वाले किसी भी मुद्दे पर कभी भी चर्चा की जा सकती है । यही उनका कहना है । मैं आपका ध्यान नियम 376(2) की ओर उठाना चाहता हूं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 25 के अधीन उठाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया नियम 376(2) को देखें । इसमें कहा गया है :

"औचित्य प्रश्न तत्समय सभा के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा"

इस समय सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कार्यवाही हो रही है । जब उस मुद्दे पर चर्चा होगी और उस समय हम देखेंगे ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कृपया मेरी बात तो सुनिए । मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 25 के अधीन आता है । यह कार्य विन्यास व्यवस्था और कार्यवाही सूची से सम्बन्धित है । नियम 25 में सरकारी कार्य विन्यास का उल्लेख है । इसमें कहा गया है :

"सरकारी कार्य सम्पादन के लिए नियत किये गये दिनों में ऐसे कार्य का पूर्ववर्तिता होगी महासचिव उस कार्य का विन्यास करेगा...

परन्तु जिस दिन वह कार्य निपटाने के लिए रखा गया हो उस दिन कार्य के ऐसे काम में तब तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक अध्यक्ष का समाधान न हो जाये कि ऐसे परिवर्तन के लिए पर्याप्त आधार है" मेरा यही कहना है । आप ने आज के लिये जो आर्डर-पेपर तय किया है, जिस में आज के काम-काज के जो प्रस्ताव लिखे हैं, उन में एक प्रस्ताव यह है कि वैद्यलिंगम रिपोर्ट पर बहस की जाय । मेरी आप के सामने अर्ज है कि जब इस रिपोर्ट को इस सदन में पेश किया गया, तो वह सिर्फ अंग्रेजी भाषा में दी गई । आज जब इस पर बहस के लिये प्रस्ताव आया है और सदन के सदस्यों के हाथ में इस की अगर हिन्दी कापी नहीं दी गई और यह कहा जाता है कि अंग्रेजी कापी के आधार पर ही इस सदन में बहस होगी, तो सदन के उन तमाम सदस्यों पर जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, वे चाहे किसी भी दल के क्यों न हों, उनके बहस में हिस्सा लेने पर रोक लग जायगी ।

मेरा दूसरा बुनियादी सवाल यह है कि इस देश के संविधान के अन्तर्गत इस सदन का जो भी काम-काज है वह हिन्दी और अंग्रेजी में चलेगा । दूसरी राज-भाषाओं में भी इस सदन में बोलने की आजादी है और जो सदस्य बोलते हैं उन के लिये तर्जुमा करने का, अनुवाद करने का इन्तजाम है, जिन भाषाओं के लिये नहीं है, उन के लिये भी इन्तजाम करना चाहिये । लेकिन इन दो भाषाओं के बारे में आप के संविधान में बहुत ही स्पष्ट है और आज जब यहां बहस होने जा रही है और सदन का काम-काज चलाते हुए खाली अंग्रेजी भाषा में चलाने का जो सिलसिला वैद्यलिंगम रिपोर्ट को अंग्रेजी भाषा में दे कर किया जा रहा है, इस में संविधान का उल्लंघन होता है ।..... (व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय यह है कि मौका आयेगा, जब वह आइटम आयेगा, उस वक्त इसको लेंगे । इस वक्त हाउस का काम चलने दीजिये, काल-एटेन्शन चलने दीजिये, जब वह आइटम आयेगा तब उस पर विचार करेंगे ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या हम यह मान कर चलें कि आर्डर-पेपर पर अगर संविधान का उल्लंघन कर के कोई प्रस्ताव आता हो, तो वह आर्डर-पेपर पर रहेगा ..... तब मैं इस पर आपका ध्यान दिलाऊंगा। क्या आप इसे अब भी कार्य-सूची पर रहने देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो हम देखेंगे। मैंने उस पर निर्णय नहीं लिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : तो आपका विनिर्णय सुरक्षित है।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले इनका एक्सप्लेनेशन सुनिये, उसके बाद जब वक्त आयेगा, तब रूलिंग दूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे उनके स्पष्टीकरण में कोई रुची नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमें तो है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे तो संविधान के संरक्षण में रेची है।

श्री सी० एम० स्टीफन : कार्यसूची है ही। जब मुद्दा आएगा, केवल तभी कोई व्यक्ति कोई प्रश्न उठा सकता है। अब तो व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता और न ही अब विनिर्णय का प्रश्न उठ सकता है। कार्यसूची तो है। एक के बाद एक मुद्दा लेकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब मामला चर्चा के लिए आयेगा तो तब प्रश्न खड़ा होगा।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : आपको अपनी बात कहनी है, तो अपनी मातृ भाषा में कहिये।

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने इनको सुना हूं तो इन्हें भी सुनना पड़ेगा। आप यह क्या कह रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : अब व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है और उस पर कोई विनिर्णय नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैंने कहा है।

जी हां श्री विक्रम जी

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : भाषा के सवाल पर आत्म-सम्पर्ण नहीं होगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष जी आप संविधान की रक्षा कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कर रहे हैं। आप बैठिये। यह आप सब क्या कर रहे हैं।

श्री जगपाल सिंह : यह हिन्दी में भी आनी चाहिये।.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं आपके इस निर्णय पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं कि

आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी । उसकी तो मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूं । परन्तु मामला इतना महत्वपूर्ण है, अर्थात् वैसी मुसीबत का बढ़ना जैसी कि असम में खड़ी हो गई है .....

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इसकी अनुमति नहीं मिल सकती । (व्यवधान) चटर्जी, आप काफी कुछ कह चुके हैं । व्यवस्था से बाहर अनुमति नहीं दी जा सकती । (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाये । व्यवस्था के प्रश्न की ओट में वह जो मर्जी कहते चले जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया न बोलें । (व्यवधान)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

अवैध मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोहियों की हिंसात्मक गतिविधियों में वृद्धि के समाचार

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) मैं गृह मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें:

"अवैध घोषित मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोहियों की हिंसात्मक गतिविधियों में वृद्धि के कारण उत्पन्न स्थिति एवं मिजो विद्रोहियों की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही"

(व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई अनुमति नहीं दी जा सकती ।

श्री जयपालसिंह कश्यप (आंवला) : व्यवस्था का प्रश्न उठाए बिना आपने कैसे कह दिया कि एलआऊ नहीं करते ··· (व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल शैलानी : अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिए । ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब वह आइटम आयेगा तब देखेंगे ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : व्यवस्था का प्रश्न उठाया नहीं गया और पहले ही उस पर कैसे फैसला किया जा सकता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री योगेन्द्र मकवाना ।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : भूमिगत मिजो नेशनल फ्रंट द्वारा जून, 1979 में "मिजोरम छोड़ो" नोटिस जारी किये जाने के कारण मिजोरम में हिंसक घटनाओं में सहसा वृद्धि हो गई । संघ शासित क्षेत्र में हिंसक गतिविधियों के पुनः प्रकोप तथा विधि और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों की कार्यवाहियां जो पहले स्थगित कर दी गई थी पुनः आरम्भ की गई । स्थिति का कारगर ढंग से मुकाबला करने के लिये सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई । मिजो नेशनल फ्रंट तथा इसकी सहबद्ध संस्थाओं को गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम 1967 के अधीन 7 जुलाई 1979 को अवैध संस्थाएं घोषित किया गया । ये कार्यवाहियां स्थिति को नियंत्रण में लाने में सहायक सिद्ध हुई और जनवरी 1980 में लोकसभा के चुनाव बिना किसी गंभीर हिंसक घटना के सम्पन्न हो सके ।

तथापि इस वर्ष जनवरी से मिजोरम में हिंसक गतिविधियों में पुनः वृद्धि हुई है जिस के परिणामस्वरूप 18 व्यक्ति मारे गये । लगभग इस महीने के मध्य से मिजोरम के कुछ भागों में कुछ पोस्टर लगे देखे गये जिनमें इस मांग पर बल दिया गया है कि गैर-मिजो को मिजोरम छोड़कर चले जाना चाहिये ।

संघ शासित प्रशासन ने बढ़ती हुई हिंसा से निपटने के लिये सुरक्षात्मक उपायों को और कड़ा करने के लिये कदम उठाए हैं । निषेधात्मक आज्ञाएं जहां आवश्यक हैं जारी की गई है और सुरक्षा बलों द्वारा छानबीन की कार्रवाईयां की जा रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री विक्रम महाजन (व्यवधान)

श्री विक्रम महाजन : महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के गतिशील नेतृत्व में भारत एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र बन गया, परन्तु जनता और लोकदल के ढ़ाई वर्ष के शासन ने तीस वर्ष की उपलब्धियों को मटियामेट कर दिया । जनता और लोकदल की पूर्ण अक्षमता और उनके प्रशासन की पूर्ण असफलता ने न केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपितु सारे ही देश में गड़बड़ी पैदा कर दी है । बीसवीं सदी के इन मुहम्मद तुगलकों के राज्य में केन्द्रीय सरकार कमजोर रही और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्ण अस्थिरता बनी रही । कम्यु० (मा०) जैसे अवसरवादी तत्वों ने स्थिति का लाभ उठाया और बागियों को सहायता पहुंचाई । हममें से बहुत लोगों का यह दृढ़ विश्वास है । केवल इतना ही नहीं, अतिरिक्त तथ्य यह है कि ब्रिगेडियर सैलो के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन भी राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है और बड़े जोरों से यह मांग उठ रही है कि इस सरकार को बदल दिया जाए । केवल यही नहीं, पिछली सरकारों द्वारा समस्या न समझे जाने के कारण केन्द्रीय सरकार अशक्त हो गई और इसने असन्तुष्ट तत्वों को अपना सिर उठाने के लिए प्रोत्साहित किया । महोदय, अब मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

मेरे प्रश्न ये हैं । क्या सरकार मिजोरम में राष्ट्रपति शासन लागू करने पर विचार कर रही है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : विक्रम महाजन जी, कृपया उनकी आवाज से ऊंचा करके बोलिये ।

श्री विक्रम महाजन : क्या सरकार मिजोरम में राष्ट्रपति शासन लागू करने की संभावना पर विचार कर रही है ? दूसरे, शांतिपूर्ण समझौते के लिये क्या आप मिजो राष्ट्रीय मोर्चे को बातचीत के लिए दिल्ली बुलायेंगे ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पीड़ितों की क्या क्षतिपूर्ति की गई है। आपने बताया है कि उनमें से 18 मर चुके हैं। यदि आपने क्षतिपूर्ति नहीं की है, तो क्या आप इन पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने पर विचार करेंगे ? क्या आप इन 18 व्यक्तियों की मृत्यु की न्यायिक जांच करायेंगे ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस ओर के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बैठ जाएं। वह कुछ स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। ध्यानाकर्षण पर चर्चा चल रही है। आप अपनी बात जारी रखें।

श्री चन्द्रपाल शर्मानी : (व्यवधान) मैं वाक आउट करता हूं। ..... (व्यवधान)।

(इसके बाद माननीय सदस्य सभा से उठकर चले गये)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलते जाएं। मैं आपसे अपील करता हूं। ध्यान आकर्षण पर चर्चा चल रही है। आप (व्यवधान)

श्री विक्रम महाजन : मैं निवेदन कर रहा था .....

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें ताकि मन्त्री जी उत्तर दे सकें।

श्री विक्रम महाजन : मैं कह रहा था कि तीस वर्ष का सारा किया कराया जनता और लोकदल सरकारों ने पिछले 2½ वर्ष में मिट्टी में मिला दिया। उनके आपसी झगड़ों के कारण केन्द्रीय सरकार कमजोर पड़ गई और इन बीसवीं सदी के तुगलकों की घुटना-टेक नीतियों के कारण पूरे पूर्वोत्तर अंचल में अस्थिरता पैदा हो गई .... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महाजन के अलावा जो भी बोलेगा उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री विक्रम महाजन : एक और कारण स्थानीय प्रशासन के खिलाफ व्यापक क्षोभ है ..... (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी बातें कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होंगी। केवल श्री महाजन का भाषण ही शामिल होगा।

श्री विक्रम महाजन : अतः मेरे ये प्रश्न हैं :

(1) क्या आप मिजोरम में राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे ?

(2) आपके ही कथनानुसार 18 व्यक्ति मारे गए हैं। क्या आपने उन्हें कोई मुआवजा दिया है ? यदि नहीं तो, मुआवजा न देने के क्या कारण हैं ? या क्या आप इसकी संभावना पर विचार कर रहे हैं ?

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(3) क्या आप मीजो नेशनल फ्रंट से बातचीत करेंगे और वहां सुरक्षा बल सुदृढ़ करेंगे। और साथ-ही-साथ उनके साथ बातचीत करेंगे ?

यही तीन मुख्य प्रश्न हैं।

श्री योगेश मकवाना : उपाध्यक्ष महोदय .....

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आगे आएं।

श्री योगेश मकवाना : जहां तक राष्ट्रपति के शासन का सवाल है मीजोरम केन्द्र शासित क्षेत्र है और यह राष्ट्रपति शासन की भांति है। मुआवजे के प्रश्न पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मीजो नेशनल फ्रंट के साथ बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं .....(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर के अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री संतोष मोहन देव : मैंने इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बोलता हूं। कृपया मुझे एक मिनट का समय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। श्री कृष्ण प्रताप सिंह

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : जनता पार्टी के शासन में मिजोरम की स्थिति और भी खराब हो गई थी और यह इनके निकम्मेपन के कारण हुआ था, उसका प्रतीक था। मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने के बाद आपने जो कहा है कि बड़े सुरक्षात्मक कदम आप उठाने जा रहे हैं, कौन से कदम आप उठाने जा रहे हैं और कितने मिजो, विद्रोहियों को आपने गिरफ्तार किया है ? और जो मीजो फ्रंट के नेता हैं, तथा जिस फ्रंट को आपने अवैध घोषित किया है, उसके कौन-कौन से नेता आज तक गिरफ्तार हुए हैं और जो कड़े कदम उठाने की आपने बात की है वह कौन से कदम हैं जिनकी सुरक्षात्मक व्यवस्था के लिये आप उठाने जा रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आंकड़े इस प्रकार है।

	वर्ष 1979 कुल	मीजोरम छोड़ो नोटिस के जारी किए जाने के बाद
पकड़े गए उग्रवादियों की संख्या	163	99
आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों की संख्या	253	238
सुरक्षा बल की कार्यवाही में मारे गए उग्रवादियों की संख्या	15	15

यही आंकड़े आप चाहते थे।

स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सभी प्रयास किये जाएंगे।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री मनफुल सिंह । उपस्थित नहीं हैं । श्री जनार्दन पुजारी (व्यवधान) ।

XX XX XX

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलोर) : महोदय श्री लालडेंगा ने 18 फरवरी, 1980 को अखिलभारतीय प्रतिनिधियों से समझौता किया और यह स्वीकार किया कि मीज़ोरम भारत का एक अभिन्न अंग है । उन्होंने कहा कि मैं निर्णय को मानूंगा और भारत के संविधान के अन्तर्गत समस्याओं को हल करने की बात भी मानूंगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके पीछे विदेशी हाथ है । आज ये 'पेट्रिआट' में यह समाचार छपा है ।

चीन का तोड़-फोड़ प्रचार : यह कहा गया है । "मुख्य बात यह कही गई है कि आसाम के लोगों की संस्कृति सीमापार की तिब्बत-बर्मा और चीनी संस्कृति से सम्बद्ध है ।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि बंगलादेश के चिरागांव की पहाड़ियों में बारकोल में, जहां विद्रोही मीजो लोगों ने पिछले वर्ष शिविर लगाए थे, चीनी विशेषज्ञ नियमित रूप से हाजिर रहते थे । इन स्रोता के अनुसार चीन शायद अब भारत के साथ सीधा टकराव नहीं करेगा, पर इन कठिनाइयों से चीन की बंगाल की खाटी से होते हुए हिन्द महासागर तक पहुंचने के लिए एक बन्दरगाह की खोज समाप्त नहीं हो जाती ।"

इस स्थान को उपद्रवियों की गतिविधि के लिए उपयुक्त बताया जाता है क्योंकि इसके साथ बर्मा और बांगलादेश दो अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं । अब हमें यह पता करना है कि क्या इसमें किसी विदेशी का हाथ है । 16 नवम्बर, 1979 के 'पेट्रिआट' में और भी समाचार छपा हैं ।

"मीजोरम : अमरीकी हस्तक्षेप का उदाहरण । अमरीका भारत के आन्तरिक मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर रहा है और विद्रोही मीजो लोगों का सहारा ले रहे हैं । सी०एन०एस० के अनुसार वाइस आफ अमरीका ने अपने 11 नवम्बर के प्रातःकालीन प्रसारण में यह बात स्पष्ट कर दी है :—

"प्रसारण में कहा गया कि मीजोरम भारत सरकार के विरुद्ध अपनी स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ रहा है ।"

"इसमें यह स्पष्ट किया गया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन में श्री लालडेंगा को कैसे छोड़ दिया गया और किस प्रकार वह समझौते के लिए दिल्ली आए । इसमें आगे कहा गया कि "कतिपय समझौता हुआ" पर इन्दिरा गांधी की सरकार गिरने के बाद जनता सरकार ने इसे कार्यान्वित नहीं किया ।" प्रसारण में वांइस आफ अमरीका के एक संवाददाता का हवाला देकर जिसने श्री लालडेंगा से भेंट की थी यह दावा किया :

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(क) मीजोरम का अपना अलग और स्पष्ट व्यक्तित्व है और भारत के साथ कोई समानता नहीं है ।

(ख) भारतीय संविधान मीजो लोगों पर उनकी इच्छा के खिलाफ जबरजस्ती लाया गया है ।

(ग) मीजोरम के लोग कश्मीर की भांति स्वायत्तता चाहते है ।

इस बात का सन्देह करने के लिए ठोस प्रमाण रहे हैं कि अमरीका और अन्य भारत विरोधी तत्व मीजो लोगों को भारत के खिलाफ भड़का रहें हैं इस घृणित करनामों का वांइस आफ अमरीका का प्रसारण केवल पुष्टि नहीं करता अपितु भारत के आन्तरिक मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की भी पुीष्ट करता है ।" इन तथ्यों को देखते हुए मैं यह जानना चहाता हूं कि क्या इन उपद्रवकारी गतिविधियों को रोकने के लिए सीमावर्ती देश बर्मा और बांगलादेश से कोई सहयोग मांगा गया है । क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारी सुरक्षा दल की स्थिति और मजबूत की गई है ? क्या मीजो विद्रोहियों को पृथकतावादी आन्दोलन करने के लिए उनको भड़काने में विदेशी तत्वों का हाथ है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक 18 फरवरी, 1976 और 1 जुलाई, 1976 के समझौते का सवाल है, माननीय सदस्य की बात सही है । इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बाद मीजो लोगों ने इस पर कभी आयल नहीं किया और अन्ततः 19 मार्च, 1978 को बातचीत विफल हो गई । पर बातचीत पुनः आरंभ की गई और अभी चल ही रही है कि उन्होंने चोरी-छिपे अपनी गतिविधियां आंरभ कर दी । अतः 19 मार्च, 1978 को अन्ततः बातचीत विफल हो गई । इस समय मीजों नेता श्री लालडेंगा दिल्ली में हैं । वह हिरासत में हैं और उन पर दो मामले चल रहे हैं । जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है इन्हें पड़ोसी देशों से सहायता मिल रही है । हम सभी प्रकार की सावधानी बरत रहें हैं । हम बर्मा और बांगलादेश सरकारों से बातचीत कर रहे हैं कि वे इन भूमिगत मीजो विद्रोहियों को सहायता न दें । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि मीजो उपद्रवियों पर अंकुश रखने और सीमा की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मेरा संविधान के अनुच्छेद 343 और प्रक्रिया नियमों के नियम 25 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या चर्चाधीन विषय पर आप यह व्यवस्था का प्रन्न उठाना चाहते हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं आज की कार्य-सूची की बात कर रहा हूं । मैं भारत के संविधान पर कुछ कहना चाहता हूँ । मैं सभा की आज की समग्र कार्यवाही के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय पहले ही टिप्पणी कर चुके हैं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष महोदय ने कोई विनिर्णय नहीं दिया है । अब मैं संविधान के अनुच्छेद 343 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चहाता हूं जिसमें कहा गया हैं :

"संघ की राज भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी ।"

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस समय यह व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं जम इस पद पर चर्चा आरंभ होगी । यह प्रश्न कार्यवाही शुरू होते ही उठाया जाना चाहिए था ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : नियमों में यह कहीं भी नहीं है कि सभा असंवैधानिक कार्यसूची पर विचार करेगी । ऐसा नियमों में नहीं है । कृपया मुझे नियम दिखाइये (व्यवधान) । श्रीमन् मैं मानने वाला नहीं हूं ।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : माननीय सदस्य इस मामले को तब उठाएं जब इस पर विचार किया जाए । कृपया इस बात पर अन्य कार्यवाही को न रोकें ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ । आप संविधान के अभिरक्षक हैं । हम सभी संविधान की शपथ लेते हैं । भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि 'संघ की राज भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी' । आज की कार्यसूची में वैद्यालिंगम रिपोर्ट पर विचार किया जाना दर्ज है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस रिपोर्ट को संविधान की भाषा में पेश नहीं किया गया है । मेरा इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि वह भाषा कौन सी है । आप आज इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं । पर आपने यह रिपोर्ट हमें संघ की भाषा में नहीं दी है । आपने इसे विचार के लिए आज की कार्यसूची में शामिल किया है । नियम 25 के अन्तर्गत आप कार्यवाही के उस क्रम को बदल सकते हैं जो प्रथम दृष्टा: गैर कानूनी, असंवैधानिक और संविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल हैं । हमारी संविधान में निष्ठा है । आपने संविधान के प्रति कई बार निष्ठा व्यक्त की है । एक कार्यसूची है जिसमें इस संवैधानिक उपबन्ध का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है । क्या इस पर यहां चर्चा करना सम्भव है ? नहीं, मेरा आपसे सविनय निवेदन यह है कि यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि नियम 25 के अन्तर्गत आप कार्य सूची के क्रम में परिवर्तन करें । नियम में केवल यही कहा गया है कि किसी दिन के लिए निश्चित कार्यसूची में तब तक परीवर्तन नहीं किया जाता है जब तक अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट नहीं कि इस प्रकार के परीवर्तन के लिए प्रर्याप्त आधार है । अत: महोदय, नियम के अन्तर्गत आपको शक्ति प्राप्त है कि यदि कार्य सूची में कोई ऐसी बात है जो गैर संवैधानिक है, जो संविधान द्वारा निर्धारित दायित्वों को पूरा नहीं करते तो आपको सभा के अभिरक्षक के रूप में, नियम 25 के अन्तर्गत यह शक्ति प्राप्त है कि किसी भी समय नियम 25, के अन्तर्गत सभा की समस्त कार्य सूची में परिवर्तन कर सकते हैं । महोदय, इस कार्य सूची से, जैसा कि मैंने कहा है, संविधान द्वारा निर्धारित सारी व्यवस्था का उल्लंघन किया गया है । अत: मेरा निवेदन यह है कि आज की कार्य सूची में से मद संख्या 23 को निकाल दें । आपको इस मद को कार्य सूची से तत्काल हटा देना चाहिए । यही मेरा सविनय निवेदन है । यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीस, मैंने आपका व्यवस्था का प्रश्न सुना है। मैं अब आपका उत्तर देता हूं। श्री जार्ज फर्नान्डीस ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मैं यही कहूंगा कि उचित यह होता यदि यह व्यवस्था का प्रश्न तब उठाया जाता जब इस मद को चर्चा के लिए सभा में लिया जाता। अतः मैं इस व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं। अब हम कार्य-सूची में अगले विषय को लेते हैं। अब मैं श्री सी० पी० एन० सिंह को एक वक्तव्य देने के लिए कहूंगा। (व्यवधान), श्री जार्ज फर्नान्डीस आप व्यवस्था का प्रश्न इस विषय पर चर्चा शुरू होते समय उठायें, अभी नहीं।

श्री सी० पी० एन० सिंह एक वक्तव्य देंगे। यह मेरा निर्णय है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अर्थात् आप व्यवस्था के प्रश्न को उस समय स्वीकृत करेंगे जब इस मद को चर्चा के लिए लिया जायेगा...

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं कहा। आप अपने व्यवस्था के प्रश्न को वैद्यलिंगम समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा के समय उठा सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप व्यवस्था के प्रश्न के गुण पर विचार कीजिए। आप केवल यही कहते हैं कि समय ठीक नहीं है किन्तु व्यवस्था का प्रश्न ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, नियम 25 का क्या अर्थ है। क्या कार्यसूची में किन्हीं गैर-संवैधानिक मदों को हटाने की नियम 25 में व्यवस्था है? मेरा निवेदन यह है कि इस मद को कार्यसूची से हटाया जाये। नियम 25 में कहा गया है कि अध्यक्ष तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को . . .

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीस जो एक जिम्मेदार भूतपूर्व मंत्री थे, एक अच्छे संसदविज्ञ हैं किन्तु जब मैंने अपना निर्णय दे दिया है तो क्या आप इस बारे में बाद में कह सकते हैं? जी नहीं, मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं संविधान पर .....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप को अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने अपना निर्णय दे दिया है। मैं आपको इस पर बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं आपकी अनुमति ले रहा हूं। मैं संविधान की बात कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस निर्णय पर बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं जो कि मैं पहले ही ले चुका हूँ। मैंने पहले ही निर्णय ले लिया है। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने अपना निर्णय ले लिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं आपके निर्णय पर आपत्ति नहीं उठा रहा हूँ और न मैंने आपत्ति उठाई है। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। यह व्यवस्था का प्रश्न कार्यसूची से सम्बन्धित है। मैं आपके निर्णय पर कदापि आपत्ति नहीं उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उस विषय को फिर उठायें। अब श्री सी० पी० एन० सिंह।

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमंड हार्बर) : एक बात है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? मैं समझता हूँ यह इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय बिल्कुल भी नहीं । मेरे दल के सदस्य आसाम-पश्चिम बंगाल सीमा पर कांग्रेस (आई) द्वारा की गई हिंसा तथा उनसे की गई नाकाबन्दी से बहुत उत्तेजित हैं । कल उन्होंने चार ट्रक जलाये । वे पूर्वी उत्तर प्रदेश से समाज विरोधी व्यक्तियों को ला रहे हैं । मेरे पास सूची है जो मैंने आज सुबह पुलिस महा निरीक्षक, पश्चिम बंगाल को भेजी है । वे आसाम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर खून खराबी चाहते हैं । क्या हम.....(व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु और अन्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । इस प्रश्न पर पहले ही चर्चा हुई है और इसे सभा के समक्ष रखा गया है । मैं इस विषय पर फिर से चर्चा नहीं चाहता हूं.....(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय वसु : कृपया हमारी सहायता कीजिए और माननीय गृह मंत्री को एक वक्तव्य देने के लिए कहिए । वह अच्छे आदमी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अच्छे आदमी हैं, आप उनके कमरे में जाइए और उनसे इस पर चर्चा कीजिए । आप यह मुझसे यहां क्यों कहते हैं ?.....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, प्रधान मंत्री यहां वक्तव्य दे रही हैं कि युवा लोगों को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता है और फिर पश्चिम बंगाल में उनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं । कल आगजनी की घटनाएं हुई और ट्रकों को जलाया गया । वे विभिन्न राज्यों के बीच झगड़ा पैदा करना चाहते हैं..... (व्यवधान) ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, सभा का आज आखिरी दिन है । उन्होंने हिंसात्मक आन्दोलन शुरू किया है । सभा को समावसान होने से पहले यह बात मालूम होनी चाहिए कि वे क्या करने जा रहे हैं । क्या आसामी लोगों को मारना शुरू कर रहे हैं ?.....(व्यवधान) । आज सभा का आखिरी दिन है । हम जानना चाहते हैं कि उनका अभिप्राय क्या है । प्रधान मंत्री का आदेश नहीं चल रहा है । यह देश में नहीं चल रहा है । यह उनके अपने दल में नहीं चल रहा है । प्रधान मंत्री यहां एक वक्तव्य देती हैं और उनके कार्यकर्त्ता वहां बसों को और ट्रकों को जलाना शुरू कर रहे हैं । उनका आदेश नहीं चल रहा है ...(व्यवधान) सरकार और दल में पूर्णतया अस्तव्यस्तता आ गई है...(व्यवधान) । गृहमंत्री एक वक्तव्य दें । उन्हें बोलना चाहिए ।..... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बहुत ज्यादा है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या बहुत ज्यादा है... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ठ बैजाइए ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आज सभा का आखिरी दिन है । उन्होंने बन्द शुरू किया है और वे हिंसात्मक हो गये हैं । प्रधान मंत्री यहां एक वक्तव्य देती हैं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं कृपया बैठ जाइए। मेरी आप सबसे अपील है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।

इस महान सभा की कार्यवाही में आप सबको कृपया सहयोग करना चाहिए अन्यथा एक व्यक्ति से इस सभा की कार्यवाही उचितरूप से चलाई नहीं जा सकती है। हमारा देश एक ऐसा देश हैं जहां विश्व की बहुत पुरानी सभ्यता है। इस सभा में हमें उस तरीके से काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे बारे में लोगों की यहां वीथियों में, देश भर में तथा विश्वभर में गलत धारणा बने। हमें लोगों को भूलना नहीं चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आसाम और बंगाल का क्या हाल है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि जिन संसदीय प्रक्रिया और लोक तांत्रिक परम्पराओं को पिछले 30 वर्षों में बनाया गया है समाप्त किया जा रहा है। एक प्रक्रिया है कुछ नियम हैं। और हम में से हर एक इन नियमों और प्रक्रियाओं से बंधा हुआ है। अब श्री सी० पी० एन० सिंह एक वक्तव्य देंगे। कई अन्य बेकार की बातें उठाई गई हैं। फिर कार्यवाही कैसे चलाई जा सकती है ? क्या कोई भी यहां आकर कार्यवाही चला सकता है ? क्या श्री बसु अथवा श्री जार्ज फर्नान्डीस या श्री सी०पी० एन० सिंह कार्यवाही चला सकते हैं ? नहीं। अतः मेरी यह आखिरी अपील है कि मैं इस पद अर्थात् प्रधान मंत्री की ओर से श्री सी० पी० एन० सिंह वक्तव्य देंगे। मैं सभा की कार्यवाही में कोई व्यवधान नहीं होने दूंगा। मैं आपके साथ सख्ती नहीं कर सकता। अतः मेरी सहायता करें। मैं सभा की कार्यवाही में किसी व्यवधान की अनुमति नहीं दूंगा।

अब श्री सी० पी० एन० सिंह वक्तव्य देंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। नहीं।

श्री सी० पी० एन० सिंह : खड़े हुए।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। जो कुछ वह कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने कहा है मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान)** मैंने कहा है मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

रक्षा उत्पादकता संस्थाओं के कर्मचारियों को उत्पादिता-आधारित बोनस देने के बारे में वक्तव्य

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : सरकार ने रक्षा उत्पादन स्थापनाओं के कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस देने की योजना स्वीकार कर ली है जो वित्तीय वर्ष 1979-80 की उत्पादकता पर आधारित होगी। बोनस का पहला भुगतान अक्तूबर 1980 तक कर दिया जाएगा। इस बात का सम्मान करते हुए कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने उत्पादकता-आधारित बोनस योजना स्वीकार कर ली है, यह भी निर्णय किया गया है कि कर्मचारियों को चालू वित्तीय वर्ष में पन्द्रह दिन का वेतन तदर्थ आधार पर दे दिया जाये। औपचारिक आदेश जारी किये जा रहे हैं।

रक्षा स्थापनाओं में काम करने वाले अन्य वर्गों के सिविलियन कर्मचारियों को बोनस देने के प्रस्तावों पर अलग से विचार किया जा रहा है।

श्री निरेन घोष (दमदम) : मुझे उपाध्यक्ष के विरुद्ध एक प्रस्ताव पेश करना है। ऐसी ही स्थिति है जिसकी ओर आप हमें ले जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पेश किये जायेंगे। श्री शिव शंकर।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को कार्यवाही हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दूंगा। इन बातों को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये। श्री शिव शंकर। केवल श्री शिव शंकर की प्रस्ताव के पुनःस्थापन सम्बन्धी कार्यवाही ही वृत्तान्त में शामिल की जायेगी। (व्यवधान)**

कम्पनी सचिव विधेयक

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कम्पनी सचिवों के व्यवसाय के विनियमन तथा विकास का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

> "कि कम्पनी सचिवों के व्यवसाय के विनियमन तथा विकास का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० शिव शंकर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री शंकरानन्द । (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा । कोई व्यक्ति कार्यवाही से बाह्य विषय पर जो कुछ भी बोलेगा वह कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा । (व्यवधान)**

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

शिक्षा और स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय, आज मैं एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसका सभा के सभी सदस्य और वास्तव में, देश के सभी वर्ग स्वगात करेंगे ।

शिक्षा, हमारी संस्कृति में जो भी अच्छाई है उसके संरक्षण तथा एक आधुनिक, प्रगतिशील और महान समाज की रचना दोनों के लिए, एक साधन है । अतः इसमें लोगों की आकांक्षाएं प्रतिबिम्बित होनी चाहिए और इसका उसी रूप में गठन होना चाहिए·····"

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मैंने विधेयक को पुनः स्थापित करने के विरोध में पूर्व सूचना दी हैं । मैं नियम 72 के अधीन खड़ा हो कर नियम 67 का उल्लेख कर रहा हूं । नियम 67 में यह व्यवस्था है :—

"जब कोई विधेयक सभा में लम्बित हो, तब किसी समान विधेयक की सूचना, चाहे वह लम्बित विधेयक के पुरः स्थापन से पूर्व या पश्चात् प्राप्त हुई हो, लम्बित सूचनाओं की सूची में से, यथास्थिति, निकाल दी जायेगी । अथवा उसमें दर्ज नहीं की जायेगी जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे ।"

सदन के समक्ष विधेयक लम्बित है और वास्तव में तीन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक सदन के पास लम्बित है । एक श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा पेश किया गया था; दूसरा श्री राम जेठमलानी द्वारा और तीसरा श्री जार्ज फर्नान्डीस द्वारा पेश किया गया था । अब तीनों विधेयक अलीगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम के संशोधन से सम्बन्धित है ।

अब माननीय मंत्री जिस विधेयक को पुरःस्थापित करना चाहते हैं वह एक खंड विधेयक है और वह खण्ड अधिनियम, संक्षिप्तनाम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 की धारा 2 का संशोधन है । यह इस तरह है :

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 की धारा 2 में खंड (1) के स्थान पर निम्न खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् :—

"(1) विश्वविद्यालय से भारत के मुसलमानों द्वारा अपनी पसंद पर स्थापित की गई वह शिक्षा संस्था अभिप्रेत है जिसका आरंभ मुहम्मडन एंग्लो ओरिएन्टल कालेज, अलीगढ़ के रूप

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

में हुआ और जिसे तत्पश्चात्, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में निर्गमित किया गया।"

यह एक वाक्य का खंड है जिसे इस विधेयक के द्वारा पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है। अब यह 1980 के विधेयक संख्या 18 की प्रति है जो श्री जार्ज फर्नान्डीस का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक भी है। मंत्री महोदय जिस विधेयक को पुरःस्थापित करना चाहते हैं वह पूरी तरह से उस विधेयक के खण्ड 2 के समान है। जहां तक अब विधेयक के पुरःस्थापन का सम्बन्ध है, यदि मंत्री या सरकार का विचार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने का है तो यहां एक लम्बित विधेयक है और नियम 67 के अधीन सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती। यह एक आदेशात्मक नियम है जिसमें यह उल्लेख है कि चाहे वह लंबित विधेयक के पुरःस्थापन से पूर्व या पश्चात् प्राप्त हुई हो सरकार इस पर विचार नहीं करेगी। यहां लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया 1980 का विधेयक संख्या 18, लंबित विधेयक है। अतः, इसके बाद कोई भी सूचना मिली हो उसे निकाल दिया जाएगा या उसे लंबित सूचनाओं की सूची में दर्ज नहीं किया जायेगा। अतः मेरा यह निवेदन है कि यह विधेयक समान होने के कारण नियम 67 के अनुसार आज इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यहां पहले से ही विधेयक है और उस पर विचार किया जाये। मैं इस बात पर जोर नहीं दे रहा हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीस के विधेयक पर विचार किया जाये या श्री बनातवाला के विधेयक पर। यदि सरकार चाहती है तो उन पर विचार किया जा सकता है या नहीं तो श्री राम जेठमलानी के विधेयक पर विचार किया जा सकता है। परन्तु यदि वे तकनीकी मुद्दे पर जोर दे रहे हैं तो मेरा यह निवेदन है कि मेरे विधेयक पर विचार किया जाना चाहिये। सरकार को किसी दूसरे विधेयक पर विचार करने की जरूरत नहीं है। वे एक छोटा तकनीकी मुद्दा उठा सकते हैं और यह तकनीकी मुद्दा यह है कि खंड 1, उपखंड (दो) में अविलंब लागू होगा, क्योंकि यह ऐसा मामला है जिस पर अलीगढ़ और सारे देश में बहुत हलचल हुई है। यह कई सालों से चला आ रहा एक बड़ा मामला था। इन सारे आन्दोलनों के बावजूद भी सरकार कोई कानून बनाने में असफल रही है। हम भी सरकार में थे। हमारे पास भी समस्यायें थी। परन्तु इससे पहले जब मुस्लिम लोग उसी प्रश्न पर सालों से आन्दोलन कर रहे थे तब उस समय की कांग्रेस सरकार ने इस विधेयक को अस्वीकार किया था। मैं यह देख रहा हूँ कि तकनीकी प्रश्न के आड़ में वे यह कह रहे हैं कि श्री जार्ज फर्नान्डीस के विधेयक और जिस विधेयक को इस चालू सत्र के अन्तिम दिन सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है इसमें अन्तर है। मेरे विधेयक में यह उल्लेख है कि अधिनियम तुरंत लागू होगा। उनके विधेयक में इस बात का उल्लेख नहीं है कि अधिनियम कब लागू होगा। दूसरे शब्दों में, उनके परम्परागत कार्य करने के तरीके के अनुसार यह एक और आश्वासन होगा कि वे विधेयक को पुरःस्थापित कर रहे हैं और वह विधेयक यहां रहने दीजिए। यह दूसरे सत्र में आता है कि नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अतः विधेयक को वहां रहने दीजिए। वह ताक पर पड़ा रहता है और जब कभी सरकार चाहे उसे नियमित कर सकती है। परंतु मैं नहीं सोचता हूं कि यह तकनीकी मुद्दा है जिस पर कोई प्रश्न उठा सकता है। यह मुद्दा वह महत्वपूर्ण धारा है जिसे लाने का प्रयास किया जा रहा है और वही सही विधेयक है। मेरा यह कहना है कि सदन के सामने एक समान विधेयक लंबित है जिस पर भी नियम 67 लागू होता है। अतः मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक ठीक नहीं

है और सरकार या तो बनातवाला के विधेयक या श्री जेठमलानी के विधेयक या यदि वे नियम के अनुसार चलना चाहते हैं तो श्री जार्ज फर्नान्डीस के विधेयक को स्वीकार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन ?

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : नियम 377 के अन्तर्गत।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप श्री फर्नान्डीस द्वारा उठाये गये प्रश्न पर बोलना चाहते हैं ?

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मैं अलीगढ़ का हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अभी आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। मुझे खेद है कि आप में से बहुत लोगों को नियमों का ज्ञान नहीं है। कृपया आप बैठ जाइये। डा० कर्ण सिंह।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : **

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। डा० कर्ण सिंह।

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : नियम 72 के अन्तर्गत मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध अपने मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीस, जिन्होंने तकनीकी प्रश्न उठया, से कुछ अधिक मूलभूत आधार पर करता हूं। लोकसभा ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 1979 को 3 मई 1979 को पास किया, जो बहुत व्यापक विधेयक था, जिसमें कई उपयोगी संशोधन अन्तर्निहित थे। वह लोकसभा द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया और उसे विचारार्थ राज्य सभा में भेजा गया। इस बीच लोक सभा भंग हो गई और इसलिये वह विधेयक व्यापगत हो गया। राज्य सभा ने एक खंड के विधेयक को पास कर दिया है और वह लोक सभा में लंबित है। प्रारंभ में जो प्रस्ताव किया गया था वह यह था कि नये विधान में लोकसभा द्वारा पास किये गये विधेयक के उपबन्धों एवं राज्य सभा में बाबू त्रिलोकी सिंह के विधेयक में दी गई परिभाषा को शामिल किया जाएगा। और सरकार उन दोनों बातों को शामिल करके एक व्यापक विधेयक लाएगी। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ है कि सरकार ने ऐसा करने के बजाय एक खंड के विधेयक को पेश किया है। सर्वसम्मति से लोक सभा में पास किये गये 1979 के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक में किये गये उपयोगी और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का क्या हुआ ? उनको इसमें शामिल करना होगा। वे कहीं नहीं है। यह एक खंड का विधेयक है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैं कभी कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करता। या तो जानबूझकर जनमत को गुमराह करने का यह प्रस्ताव है अथवा मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण दें कि पहले वाले विधेयक सहित एक व्यापक विधेयक को पुरःस्थापित क्यों नहीं किया गया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : यह एक चुनाव हथकंडा है।

श्री वी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीस ने इस विधेयक को प्रस्तुत

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करने के लिए नियम 67 के अधीन आपत्ति उठाई है। बहुत बुद्धिमानी के साथ उन्होंने उस खंड को आधा पढ़ा और दूसरे भाग को छोड़ दिया। अगर वह पूरे खण्ड को पढ़ते तो शायद वह औरों के द्वारा आश्वस्त किये जाने के बदले स्वयं आश्वस्त हो जाते। नियम में यह उल्लेख है :–

"जब कोई विधेयक सभा में लंबित हो तब किसी समान विधेयक की सूचना, चाहे वह लंबित विधेयक के पुरःस्थापन से पूर्व या पश्चात प्राप्त हुई हो, लम्बित सूचनाओं की सूची में से, यथा स्थिति निकाल दी जायेगी अथवा उसमें दर्ज नहीं की जायेगी।"

उन्होंने इतना ही पढ़ा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने नियम को पूरा पढ़ा है। उपाध्यक्ष महोदय; आप साक्षी हैं। माननीय मंत्री यहां असत्य बयान नहीं कर सकते हैं। मेरी इस पर कड़ी आपत्ति है। मेरी मंत्री महोदय को यह चुनौती है। मैंने पूरे खंड को पढ़ा है। उन्हें गलत बयान नहीं देना चाहिये। उन्हें कार्यवाहियों को ध्यान से सुनना चाहिये।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं यहां श्री जार्ज फर्नान्डीस द्वारा दिये गये बयान की निंदा करने के लिये नहीं हूं। हो सकता है। आप मेरी बात सुनिये। मैंने नहीं सुना होगा। अगर मुझ से गलती हुई हो तो मैं अपनी गलती मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह गलती मान रहे हैं।

श्री बी० शंकरानंद : परन्तु मैं खण्ड के बाद वाले भाग पर जोर देता हूं जिसमें यह उल्लेख है:– 'जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दें'। सदन को पूर्णतः आश्वस्त होना चाहिए कि केवल अध्यक्ष के निर्देश पर ही इस मद को कार्यवाही सूची में दर्ज किया गया है। यह मेरे निर्देश पर या किसी अन्य के निर्देश पर कार्यवाही सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह कार्यसूची में है। यह केवल उन्हीं के निर्देश पर हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वहां उसी तरह का विधेयक निलंबित था। क्या अध्यक्ष महोदय —(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानंद : मेरी बात पूरी तरह सुनिये। अभी उन्होंने कहा कि दो विधेयक सदन में लंबित हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : तीन विधेयक।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : आधा झूठ बोलते हैं

श्री बी० शंकरानन्द : आप चार भी कहें, तो हम क्या कहें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांत रहिये।

श्री बी० शंकरानन्द : श्री जार्ज फर्नान्डीस का विधेयक बिल्कुल समान है। हो सकता है कि वह उसी के जैसा विधेयक हो। परन्तु इसी तरह के विधेयक पर नियम लागू नहीं होता। इसमें उल्लेख है 'समान'।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या वह समान नहीं है ?

श्री बी० शंकरानंद : वह समान विधेयक नहीं है। आपने स्वयं यह बताया कि वह समान नहीं है ? मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है। आपने स्वयं यह स्पष्टीकरण दिया है कि यह सरकारी विधेयक से किस तरह से भिन्न है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं यह चाहता था कि इसे अविलंब लागू किया जाय किंतु इनके विधेयक में शीघ्र लागू करने का उपबंध नहीं है परन्तु इसमें उल्लेख है कि किसी समय और विषय में किसी तारीख को लागू किया जायेगा या प्रतीक्षा कीजिए।

श्री बी० शंकरानन्द : हमें सदन में उग्रतापूर्ण बहस में उलझना नहीं चाहिये। मैं समझता हूं कि पूरे सदन को इसमें रुचि है। (व्यवधान) जहां तक डा० कर्ण सिंह के आपत्ति का प्रश्न है मैं नहीं समझता कि वह कोई आपत्ति है। (व्यवधान) जहां तक डा० कर्ण सिंह के आपत्ति का सम्बन्ध है मैं नहीं समझता हूं कि वह इसे आपत्ति मानते है। शायद उनका सुझाव .....

डा० कर्ण सिंह : यह बहुत बड़ा मुद्दा है।

श्री बी० शंकरानन्द : इसीलिये मैंने कहा उन्होंने सुझाव दिया कि लोक सभा में पास किये गये और राज्य सभा में पास किये गये इन दोनों विधेयकों को मिलाया जाना चाहिए था और एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए था। यह उनका सुझाव है। इसे आपत्ति नहीं माना जा सकता। उनका तो सुझाव है। (व्यवधान) मैं यह नहीं समझता कि यह सब क्यों है जबकि इस सदन का प्रत्येक वर्ग इस प्रकार के विधेयक का स्वागत करता है और वे यह देखने के लिये उत्सुक हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक सामुदायिक स्वरूप को बहाल किया जाय। यह आप लोगों का विचार है। मैं उनको ऐसा ही मानता हूं। उन विधेयकों को जो राज्य सभा में और लोक सभा में पास किये गये, मिलाया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि उनका यही विचार है। सरकार का भी यह नेक इरादा है कि यह संशोधन किया जाय और यदि किसी प्रकार का सुझाव आता है तो उस पर भी चर्चा के दौरान या विधेयक पास करते वक्त विचार किया जा सकता है।

अतः मैं यह समझता हूं कि कोई वैध आपत्तियां नहीं हैं और इसलिए विधेयक को पुरः-स्थापित किये जाने की अनुमति दी जाये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरा निर्णय है। मैं इसे देख लूंगा।

श्री बी० शंकरानन्द : चूंकि उन्होंने इसके बारे में कुछ आपत्ति की है, इसलिए मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। प्रस्तुत करते समय मैंने ...

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फपुर) ; कोई वक्तव्य नहीं दिया जा सकता। यह विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति मांग रहे हैं। उसके बारे में वह वक्तव्य कैसे दे सकते हैं ? वह किस नियम के अन्तर्गत वक्तव्य देना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : मैं उसी बारे में स्पष्टीकरण दे रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विधेयक पुरःस्थापित करते समय मंत्री कौन से नियम के अन्तर्गत वक्तव्य दे सकता है ? वह तो विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए सदन की अनुमति मांग रहे हैं .... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप वक्तव्य तो नहीं दे रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उनके हाथ में वक्तव्य है।

श्री बी० शंकरानन्द : नहीं नहीं,

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उन्हें केवल सदन की अनुमति लेनी है। नियम बहुत स्पष्ट हैं। (व्यवधान) किस नियम के अन्तर्गत ? मन्त्री द्वारा कोई वक्तव्य नहीं दिया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीस ने आपत्ति उठाई है। उसका उत्तर उन्हें देना है। वह उत्तर दें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं। मैं इसे समझ लेना चाहता हूँ। आप सभा के संरक्षक हैं। उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है .... (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : मुझे आपकी आपत्ति का उत्तर देना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आये दिन ऐसा होता रहता है। हम आपका विनिर्णय चाहते हैं। आप अपना विनिर्णय दीजिये ... (व्यवधान) उन्हें सदन की अनुमति लेनी है ... (व्यवधान) नहीं आपको शीघ्र ही इसे ... (व्यवधान) मैं आपका विनिर्णय चाहता हूँ। हमारे यहाँ सदन में आये दिन नियमों का उल्लंघन किया जाता है। इससे पहले भी मैंने एक संवैधानिक प्रश्न उठाया था। मंत्री महोदय वक्तव्य देना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि वह वक्तव्य किस नियम के अन्तर्गत देना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीस द्वारा जो आपत्ति उठाई गई है, उसका उत्तर मंत्री महोदय द्वारा दिया जा रहा है। इसलिए पहले उन्हें उत्तर दे लेने दीजिये। उसके बाद श्री फर्नान्डीस इसे फिर उठा सकते हैं। मैं उसके बाद विनिर्णय दूंगा। मेरे पहले विनिर्णय देने के लिए आग्रह मत कीजिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वह वक्तव्य देने के लिए खड़े हुये हैं। आप ही ने हमें सुरक्षा प्रदान करनी है। आपको नियमों की रक्षा करनी है। वह अपना उत्तर समाप्त कर चुके हैं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि उन्होंने अपना उत्तर अभी पूरा नहीं किया है।

श्री बी० शंकरानन्द : उनकी विधेयक में कोई रुचि नहीं है ? शिक्षा ..... एक साधन है .... (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वह वक्तव्य किए नियमों के अन्तर्गत पढ़ रहे हैं ... (व्यवधान)। वह ऐसा नहीं कर सकते। आप मंत्री महोदय को वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दे सकते ..... (व्यवधान)

श्री भगवान देव (अजमेर) : इनको कानून की बात करने का हक नहीं है। ये तोड़-फोड़ करने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप आपस में एक दूसरे को सम्बोधित करते हुये मत कहिये। आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिये। मंत्री महोदय ने विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए सदन की अनुमति मांगी है। श्री जार्ज फर्नान्डीस तथा डा० कर्ण सिंह ने कुछ आपत्तियां उठाईं और मंत्री महोदय उन्हीं का उत्तर दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने स्वयं ही कहा कि वह वक्तव्य देने जा रहे हैं। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। .....

श्री बी० शंकरानन्द : मैंने यह नहीं कहा था। मैंने कहा था कि मैं सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उत्तर देना चाहता हूँ। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय मंत्री महोदय न तो वक्तव्य दे सकते हैं और न ही कुछ और पढ़ सकते हैं। वह ऐसा केवल उसी समय कर सकते हैं जबकि विधेयक पर चर्चा की जा रही हो। इसलिए चाहे यह वक्तव्य हो या कुछ और, वह इसे नहीं पढ़ सकते। इसलिए मन्त्री महोदय वक्तव्य नहीं दे सकते।

श्री बी० शंकरानंद : मैं अपने देश के मुसलमान भाइयों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। यदि विरोधी पक्ष मुझे ऐसा नहीं करने देना चाहता तो यह खेद की बात है। मैं जो कुछ इस देश के अल्पसंख्यकों से कुछ कहना चाहता हूँ, जिसे वह कहने नहीं देना चाहते ... (व्यवधान) विरोधी पक्ष द्वारा अल्पसंख्यकों के मामलों में जो रुचि प्रदर्शित की जा रही है, मैं उसे समझ सकता हूँ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मंत्रियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें अपने मंत्रियों के साथ उचित बर्ताव करना चाहिये।

श्री बी० शंकरानंद : आप एक असफल मंत्री रहे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं आपको पढ़ाने को तैयार हूं।

श्री बी० शंकरानंद : आप मंत्री पद पर असफल रहे हैं। आप आदर्श नहीं बन सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीस ने विधेयक को पुरःस्थापित करने पर अपनी आपत्ति उठाने की इच्छा व्यक्त की थी। मैंने इस मामले का अध्ययन किया है और मुझे मालूम हुआ है कि शिक्षा मंत्री द्वारा विधेयक के जिस खण्ड 2 को पुरःस्थापित किया जा रहा है वह श्री जार्ज फर्नान्डीस के विधेयक के खण्ड 2 से मिलता है। दोनों विधेयकों में बहुत थोड़ा अन्तर है। श्री जार्ज फर्नान्डीस द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें अधिनियम को लागू करने के बारे में खण्ड 1 के साथ उपखण्ड (2) को अतिरिक्त रूप से जोड़ दिया गया है।

श्री फर्नान्डीस द्वारा विधेयक 1 फरवरी, 1980 को पुरःस्थापित किया गया था। इसे गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करने सम्बन्धी बैलट में 17वां स्थान प्राप्त हुआ और इस पर 3 मार्च, 1980 को विचार किया गया और इस प्रकार इसे 14 मार्च या फिर आज विचारार्थ लिया जा सकता था। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर सदन में उसी प्रकार

विचार किया जाता है जैसी प्राथमिकता उन्हें बैलट में प्राप्त होती है। इसीलिए लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 67 के उपबन्धों के अन्तर्गत मैंने सरकारी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दे दी है।

इसका एक पूर्व उदाहरण है। आन्तरिक सुरक्षा रख-रखाव निरसन विधेयक, 1978 को 19 अप्रैल, 1978 को उस समय पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी जबकि उस समय उससे मिलता-जुलता एक गैर-सरकारी विधेयक लोक सभा में लम्बित पड़ा था।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बी० शंकरानंद : श्रीमान् जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) जे० के० रेयन, कानपुर के बन्द होने के समाचार

श्री सोमनाथ चैटर्जी (जादवपुर) : जे० के० रेयन, कानपुर में कृत्रिम रेशम का उत्पादन निरन्तर प्रक्रिया द्वारा किया जाता है तथा इस मिल में 2000 श्रमिक काम करते हैं। कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन द्वारा बिजली के सप्लाई न किये जाने के कारण 27 अगस्त, 1979 से इसे बन्द कर दिया गया है। इस मिल को बिजली सप्लाई न करने का कारण यह बताया गया है कि इस मिल के प्रबन्धक बिजली की कटौती सम्बन्धी आदेशों का उल्लंघन करके अतिरिक्त बिजली का उपयोग चोरी छिपे कर रहे थे। वहां 33 प्रतिशत बिजली की कटौती चल रही थी।

जे० के० रेयन के प्रबन्धकों ने मिल को उस समय बंद घोषित कर दिया और मजदूरों को जबरन छुट्टी दे दी जबकि उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा 69 प्रतिशत की कटौती लागू कर दी गई जिसके फलस्वरूप 2000 कर्मचारी तथा उनके 8,000 परिवारों को बेरोजगार होना पड़ा और वह भूखे मर रहे हैं।

वास्तविकता यह है कि इस निरन्तर प्रक्रिया वाली मिल को बिजली आदि की कमी के कारण बन्द होने से रोकने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मिल को वित्तीय सहायता दी थी जिससे कि वह 1974 में वहां अपना संयत्र लगा सके परन्तु वहां के प्रबन्धकों ने ऐसा करने से मना कर दिया।

इन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, जे० के० रेयन, कानपुर को 50 प्रतिशत बिजली देने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि इस सक्षम एकक द्वारा पुनः उत्पादन आरम्भ किया जा सके तथा 2,000 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। श्रमिकों द्वारा अपना संघर्ष तेज किये जाने से पहले ही सरकार को इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

(दो) अफगानिस्तान की घटनाओं के संदर्भ में पाकिस्तान की स्थिति के बारे में

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : श्रीमान जी, आज पाकिस्तान की स्थिति इतनी गम्भीर है कि वह भारत की सुरक्षा के लिए चिन्ता का विषय बन गई है। अफगानिस्तान की घटनाओं के फलस्वरूप पाकिस्तान की अखण्डता को भी खतरा पैदा हो गया है। · · (व्यवधान)

श्री भगवान देव : (अजमेर) : * * *

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत न तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और न ही वह उनका उत्तर दे सकते है। इस वक्तव्य की अनुमति हमने दी है। इसलिए माननीय सदस्य ने अभी अभी जो कुछ कहा है, उसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

कुछ माननीय सदस्य : * * *

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : पाकिस्तान की जनता द्वारा इस खतरे का सामना बहुत साहस से किया जा रहा है परन्तु साथ ही वह भारत से भी नैतिक समर्थन तथा अन्य सहयोग की आशा भी करते है। मै समझता हूं कि भारत के समक्ष एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर आया है जबकि वह पिछली कटुता को त्याग कर पाकिस्तान की जनता का दिल जीत सकता है।

भारत अब ऐसी स्थिति में है कि वह संभावित परिणामों की परवाह किये बिना पाकिस्तान की सहायता कर सकता है। मैंने हाल ही के पाकिस्तान यात्रा के दौरान यह अनुभव किया कि वे लोग भारत की शक्ति को मानते है। इसलिए यह एक पर्याप्त डर है।

कुछ माननीय सदस्य : * * *

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा अपना वक्तव्य अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करके वह उसे पढ़ता है और सदन में पढे गए इस वक्तव्य के बारे में प्रश्न पूछने या स्पष्टीकरण का उत्तर जानने की अनुमति किसी को नहीं होती। इसलिए वक्तव्य के बारे में प्रश्न पूछने या व्यवधान डालने का कोई लाभ नहीं है। नियम 377 के अन्तर्गत यह विवरण पहले ही अध्यक्ष को दिया जा चुका है जिन्होंने इसकी अनुमति दे दी है और मैं उसीकी अनुमति दे रहा हूं इसलिए आप इसे पूरा किजिए। कोई इसके बारे में प्रश्न नहीं उठा सकता।

श्री मनी राम बागडी (हिसार) : * *

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उन्हें पाकिस्तान के साथ मित्रता करने को मामले में पहल करनी चाहिए तथा उनकी रक्षा तैयारियों में उनका साथ देना चाहिए जिससे कि वह अपने आप को अधिक सुरक्षित अनुभव कर सके।

***अपनाक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतॉत में सम्मिलित नहीं किया गया।]

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नही किया गया।

(तीन) बिहार में पीने के पानी की विकट समस्या का समाचार

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में और विशेष कर जिला मुंगेर में पीने के पानी की समस्या काफी विकट हो गई है। मुंगेर नगर पालिका की जल सप्लाई व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई है और नगर पालिका क्षेत्र में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

(चार) बिनौले की खली के निर्यात पर प्रतिबन्ध के बारे में

श्री एस० ए० डेराई सेबस्तियान (करूर) : 4-12-1979 को केन्द्र में तत्कालीन सरकार ने अपने समक्ष प्रस्तुत कुछ कारणों के आधार पर छिलका रहित और छिलका सहित बिनौले की के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। यदि यह प्रतिबन्ध 4-12-1979 से लागू किया जाता तो खली बात कुछ संगत हो सकती थी परन्तु हम इस तर्क को समझ पाने में असमर्थ हैं कि इसे घोषित करने तथा इस के लागू होने में जो विलम्ब हुआ है उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और इस तरह से 4-12-1979 से पहले किये गये स्थिति सम्बन्धी वायदों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया हैं। इससे तमिलनाडु में बिनौले की खली का निर्माण करने वाली एककों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। पिछले 6 महीने से मरमागोआ पत्तन पर लगभग 1300 मीट्रिक टन खली पड़ी हुई है। पतन अधिकारियों ने तमिलनाडु के निर्माताओं तथा निर्यातकों से अनुरोध किया है कि वह इस माल को उठा ले। इस सौदे के परिणाम स्वरूप उन्हें 16 लाख रुपये की हानि होने की आशंका है। इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय सम्मान को भी धक्का लगेगा कि हम अपनी निर्यात वचनबद्धता को पूरा नहीं कर पाये है और हमारे विदेशी खरीदारों द्वारा हमारे निर्यातकों के विरुद्ध मुकदमे किये जाने की संभावना भी है। 4-12-1979 से पहले की गई निर्यात वचनबद्धता पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं वाणिज्य मंत्रालय से भाग करता हूं कि वह यह प्रतिबन्ध शीघ्र हटा ले।

(पांच) पारादीप पत्तन तक लौह अयस्क ले जाने के लिये रेल डिब्बों के उपलब्ध न होने का समाचार

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : उड़ीसा राज्य की प्रदीप बन्दरगाह को रेलवे रेक न मिलने के कारण, जलयान खाली वापस भेजे जा रहे हैं। रेलवे के विरुद्ध यह एक आम शिकायत है कि उड़ीसा के भीतरी प्रदेश से बन्दरगाह तक लोह अयस्क ले जाने के लिये पर्याप्त रेलगाड़ी के डिब्बे नहीं दिये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, पर्याप्त मात्रा में लोह अयस्क नहीं ढोया जा रहा है और इस प्रकार सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। अतः, मेरा सरकार से निवेदन है कि पर्याप्त रेकों का प्रबन्ध किया जाए जिससे कि बन्दरगाह को लोह-अयस्क से वंचित न रहना पडे।

(छः) आम के बागों को बचाने के लिये अमरीका से एक नये कीटनाशी के आयात की आवश्यकता के बारे में

श्री उत्तमभाई एच. पटेल (बलसार) : उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिण गुजरात में करीब 15 हजार हेक्टेयर्ज में आम के पेड़ हैं, लेकिन अधिकतर आमबाड़ी बलसार जिले में है। इस क्षेत्र में करीब दो या तीन करोड़ रुपयों की दवाइयों का छिड़काव होता है। प्रतिवर्ष 12 से 15 लाख टन

को उपज होती है, जिसका मूल्य 12 करोड़ रुपये तक का है। देश को तीन करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा मिलती है। विश्व के कई देशों में निर्यात होता है। आम का आचार, मैंगो ज्यूस; पल्प आदि अरब देशों में निर्यात होता है। करीब पिछले छः साल से कीट के कारण आम का उत्पादन कम होता जा रहा है। पेस्टीसाइड्ज के दाम भी बहुत बढ़ गये हैं और उनका असर भी बहुत कम होता है। सामान्य किसान को आर्थिक दृष्टि से इस दवाई का छिड़काव भी अखरता है। किसान आर्थिक दृष्टि से देनदार बनता जा रहा है। यदि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी, तो भविष्य में आम के पेड़ भी काट दिये जायेंगे और देश को भारी क्षति होगी और आम का फल मिलना मुश्किल हो जायेगा। अपने जिले के दौरे में भी मैंने यह बात देखी है कि आम के फस का उत्पादन निष्फल हुआ है। विदेश में, खासकर अमरीका में, अभी एक ऐसी दवाई का संशोधन हुआ है, जिसका नाम है म्लोसी टलर, एच. एफ., जिसे इनवेरीनमेंटल प्रोटेक्शन एथारिटी (इपीस) को आयात कर के इस्तेमाल करवाना चाहिए, ताकि आम के पेड़ों को बचाया जा सके। किसानों को राहत मिलनी चाहिए, सबसिडी मिलनी चाहिए। एक हाई-पावर कमेटी का गठन कर के इस विषय में पूर्ण संशोधन कराना चाहिए। जिस दवाई का असर नहीं होता हैं, उसमें मिलावट करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक सर्वे कर के कितना आर्थिक नुक्सान हुआ है, उसका अंदाज़ा लगा कर योग्य आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

(सात) समुद्र में व्यर्थ गिरने वाली नदियों के जल का तमिलनाडु के सूखाग्रस्त जिलों उपयोग करने के बारे में

श्री के. टी. तोसराम (तिरुचेंदूर) : 1973 में सिंचाई आयोग ने इस बात का गहराई से अध्ययन किया था कि नदियों का जो जल बिना उपयोग किए समुद्र में बह जाता है, उसका हमारे देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाली जनता के लिए कैसे उपयोग किया जाये। उन्होंने पाया कि तमिलनाडु में रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली और कोयम्बटूर स्थायीरूप से सूखा ग्रस्त क्षेत्र है और उनका उद्धार अब केरल में पानी की बहुतायत के विचार से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बेकार जाने वाले जल का उपयोग करने में ही हैं? आयोग के सुझाव के अनुसरण में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कर्नाटक, केरल आदि तमिलनाडु राज्यों से इस प्रश्न पर और आगे अध्ययन करने की सहमति लेने के बाद 1975 में एक तकनीकी समिति गठित की। इन तीनों राज्यों के उच्चतम स्तर के तकनीकी व्यक्तियों को इस समिति का सदस्य बनाया गया। यह बताया गया है कि यद्यपि उन्होने कुछ बैठकें की हैं, लेकिन अपनी सिफारिशों को अन्तिमरूप देने की अवस्था में वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इसी बीच योजना आयोग ने केन्द्रीय सरकार के तकनीकी लोगों की एक तकनीकी समिति गठित कर दी है ताकि वह इस प्रश्न का अध्ययन कर सिफारिशे कर सके। यह भी पता चला है कि इस समिति ने योजना आयोग को अपना प्रतिवेदन दे दिया हैं।

मैं मांग करता हूँ कि योजना आयोग की इस तकनीकी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये तत्काल कार्यवाही की जाए जिससे तमिलनाडु में सूखाग्रस्त 10 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सके। इन तीन राज्यों के प्रतिनिधियों की तकनीकी समिति के प्रतिवेदन पर भी शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये।

(आठ) कीटनाशियों की कमी के कारण मलेरिया का प्रकोप बढ़ जाने के बारे में

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन देश में मच्छरों व मलेरिया के बढ़ते हुए प्रकोप और उससे उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं :–

पिछले ढाई वर्ष में (जनता पार्टी की उदासीनता एवं अव्यवस्था के कारण) हमारे देश में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पायी जिसके कारण पूरे देश में विशेषकर मध्य-प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में मलेरिया एवं मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है। यह कार्यक्रम कीटनाशक दवाओं के अभाव में प्रभावित हुआ है। क्या ढाई वर्ष में कीटनाशकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पायी ? यदि हां, तो क्या कारण है कि आवश्यकतानुसार कीटनाशक दवाओं की खरीद नहीं की गई ?

आजकल ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन-जीवन मलेरिया एवं मच्छरों के बढ़ते हुए प्रकोप से पीड़ित है एवं आने वाले गर्मी तथा वर्षा के मौसम में इस का प्रकोप और बढ़ने की आशंका है। स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार मलेरिया व मच्छरों के बढ़ते हुए प्रकोप को युद्ध स्तर पर नियंत्रित करने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है।

(नौ) आरालम सेंट्रल फार्म केरल द्वारा औद्योगिक न्यायधिकरण के पंचाट को लागू करने के बारे में

श्री के० कुन्हम्बू (कन्नानौर) : केरल में कन्नानूर जिले के तेल्लिचेरी ताल्लुक में अरालम केन्द्रीय फार्म है। इस फार्म का कुल क्षेत्रफल 12,500 एकड़ है। इस फार्म को आज से 15 वर्ष पूर्व सोवियत सरकार की सहायता से आरम्भ किया गया था। कसावा, केला, अदरक, जिमीकन्द जैसी मौसमी फसलें और नारियल, रबड़, पिपलामूल और काजू जैसी नकदी फसलों को इस फार्म में उगाया जा रहा है। आज फार्म को नकदी फसलों से पर्याप्त आय होती है।

इस फार्म में 1400 कर्मचारी है जिनमें से 288 स्थायी है। पुरुष मजदूरों को 8 रुपये प्रतिदिन और स्त्री मजदूरों को 6 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से निश्चित मजदूरी दी जाती है। 1978 में मजदूरों ने मांग-पत्र प्रस्तुत किया, जिससे इस मामले में केरल के तत्कालीन श्रममंत्री श्री उम्मेन चांडी ने हस्तक्षेप किया और प्रबन्धकों के कहने पर इसे औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेज दिया गया।

औद्योगिक न्यायाधिकरण ने एक फैसला दिया जिसमें कहा गया कि पुरुष और महिला मजदूरों को क्रमश: 75 रुपये और 65 रुपये का मूल वेतन दिया जाना चाहिये। न्यायाधिकरण ने यह फैसला भी दिया कि जिन अस्थायी मजदूरों ने एक वर्ष में लगातार 240 दिन काम किया हो उन सब को स्थायी कर दिया जाए। परन्तु दुर्भाग्य से प्रबन्धकों ने इस फैसले का सम्मान नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने केरल उच्च न्यायलय में इसकी वैधता को चुनौती दी है। इसी बीच, जो अस्थायी मजदूर 240 दिन पूरे करने वाले है उनकी छंटनी की जा रही है। यद्यपि श्रम मंत्री महोदय और श्रम विभाग ने समझौता करने के प्रयास शुरु कर दिये है, परन्तु

प्रबन्धकों ने उनके प्रयासों पर ध्यान देने की कोई परवाह नहीं की है। यहां तक कि मजदूरों को कुछ तदर्थ राहत पहुचाने के श्रम मंत्री महोदय के सुझाव को भी प्रबन्धकों ने ठुकरा दिया है। अपनी समस्याओं का कोई हल ढूंढने में असमर्थ रहने पर फार्म के मजदूरों ने 18.2.1980 से हड़ताल कर दी है।

मजदूरों की मुख्य मांगें है (I) मध्यस्थता निर्णय को लागू करो और (II) उन सभी मजदूरों को जिनकी अवैधानिक रूप से छटनी की गई है, बहाल करो।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं यह बता देना चाहता हूं कि 1977 और उसके बाद के वर्षों के तुलन-पत्र के अनुसार फार्म की वित्तीय स्थिति प्रशाप्त पच्छी है। मजदूर संघ ने फार्म की आर्थिक स्थिति के में बारे एक तथ्यात्मक और बृहत रिपोर्ट केन्द्रीय मंत्री और मजदूर संघ के चेयर मैन को प्रस्तुत कर दी है। मजदूर तो प्रबन्धकों के साथ खुला विचार-विमर्श करने को तैयार है, परन्तु मजदूरों द्वारा और केरल के श्रम विभाग द्वारा भेजे गये किसी भी संगत सुझाव को फार्म प्राधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया है। केरल सरकार द्वारा नियन्त्रित फार्मों के मजदूरों को 450 रुपये प्रति मास मिलते हैं जबकि इस केन्द्रीय फार्म के मजदूरों को उसके आधे भी नहीं मिल रहे।

अतः मेरा कृषि मंन्त्री महोदय से हार्दिक निवेदन है कि इस मामलें में तुरंत हस्तक्षेप करें और इस समस्या का कोई हल ढूंढकर इस फार्म को नष्ट होने से बचायें।

श्री राम बिलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : महिलाओं के साथ जो बलात्कार किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में मैंने भी दिया था, मेरा नाम भी इसके साथ जोड़ दिया जाए।

(घ) हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने के बारे में

श्री राम विलास पासवान : हरिजनों की हत्याओं के सम्बन्ध में प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं।

दिनांक 25 मार्च 1980 को हरियाणा के सोनीपत जिले के मोहना तहसील में एक चौदह वर्षीय हरिजन राजकुमार कर्मचारी को स्थानीय निवार बनाने वाले कारखाने के मालिक द्वारा हत्या कर दी गई। वह हरिजन युवक उसी कारखाने में पैकर का काम करता था। दिन में जब वह खाना खाने नहीं गया तो उसका भाई शाम को कारखाना गया वहां उसने मालिक के द्वारा बुरी तरह अपने भाई को मार खाते देखा। उसने छुड़ाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। अन्त में राजकुमार को रस्सी बांध कर घसीटा गया फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। हजारों वाल्मीकि हरिजनों ने थाना को घेर लिया। हरिजनों में आतंक एवं भय है। अभी तक हत्यारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

एक सप्ताह पूर्व बिहार के हजारीबाग जिले के चतरा थाना में मरमादरी गांव में एक हरिजन की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई।

विगत 25 फरवरी को एक हरिजन महिला जिसका नाम मीरा था, जिसकी उम्र 25 साल की थी और दिल्ली कैन्टोनमेन्ट में रहती थी उसे कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में तीन दिनों तक रखा गया, उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद वहां से गायब है। इस सम्बन्ध में उसके पिता तथा एक लोकसभा के सदस्य को तथा पुलिस अधिकारी को तुरन्त सूचित किया लेकिन कोई पता नहीं चला।

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला के जाखलोन के थानेदार द्वारा एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार के समाचार प्रकाशित हुए हैं।

आज रात पंजाब मटिण्डा जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक की पत्नी श्रीमती पूर्णिमा सिंह की हत्या कर्जन रोड स्थित कस्तूरबा गांधी होस्टल के कमरा नं० ई० 812 से हत्या कर उसे आठवीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। श्रीमती पूर्णिमासिंह अपने एक रिश्तेदार, जो दिल्ली के एक उच्च पुलिस अधिकारी हैं और उसी कमरे में रहते हैं, के यहां दो दिन पूर्व आई थी।

इस तरह के दर्जनों उदाहरण हैं। सरकार जितना अधिक आश्वासन देती है उतनी ही तेजी से अधिक घटनायें एवं हरिजनों की हत्यायें हो रही हैं। यह पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। आजादी के 32 वर्षों के बाद भी इस देश में हरिजोंनों की न तो इज्जत है, न जीने का अधिकार है।

सरकार हरिजनों की समस्या के निदान हेतु सभी दलों के नेताओं एवं हरिजन प्रतिनिधियों की बैठक शीघ्र बुलावे तथा राष्ट्रीय नीति तय करे। हरिजन अत्याचारों के निदान हेतु संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का एक विशेष सेल बनावें।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से सहमत हूं। उनका कहना है कि हरिजनों के साथ अत्याचार हुए हैं। हमें इसका पता है। हमने आवश्यक कदम उठाए है, फिर भी मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि उन्होंने अच्छा सुझाव दिया है और मैं उनके सुझाव को स्वीकार करता हूं। सभी विपक्षी दलों के नेताओं और हरिजन संसदों की एक बैठक शीघ्र बुलाई जायेगी जिसमें इस समस्या और कुछ नीति निर्धारिण करने पर विचार-विमर्श होगा।

जहां तक दूसरे मुद्दे का सम्बन्ध है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ एक समिति पहले से ही है जोकि एक कक्ष के रूप में कार्य कर रही थी। अतः अलग से किसी कक्ष की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिला सकता हूं कि मैं इस पर अत्यन्त ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय——

उपाध्यक्ष महोदय : कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई मौखिक चर्चा नहीं होगी। मैं किसी प्रकार की और आगे चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान) *

*कार्यवाही वृत्तान्त सम्मिलित नहीं किया गया।

(ग्यारह) अशोक लेलैंड कम्पनी द्वारा अलवर में ट्रक इंजन निर्माण कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ :—

राजस्थान में अलवर मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में "दी अशोक लेलैण्ड कम्पनी" ट्रक एंजिन बनाने का कारखाना लगाना चाहती है। कम्पनी ने तत्संबंधी प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है और अलवर में कारखाना लगाने हेतु स्थान का चयन कर लिया है। इस प्रोजैक्ट पर 2,50,00,00,000 (दो सौ पचास करोड़) रुपया खर्च होगा। इस प्रोजैक्ट से (कारखाना लागू होने से) क्षेत्र के मजदूर एवं शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किन्तु सरकार की लापरवाही के कारण इस कारखाने के लगने में विलम्ब हो रहा है, जिससे क्षेत्र के मजदूर एवं शिक्षित बेरोजगारों में असंतोष व्याप्त हो रहा है। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व का है। सरकार इस ओर शीघ्र कदम उठाए और कारखाना लगाने में सहयोग करें।

(बारह) मध्य प्रदेश में अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिये किये जाने वाले उपायों के बारे में

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मध्य प्रदेश में सूखे और अकाल की स्थिति भंयकर रूप धारण करती जा रही है, जिससे ग्रामीण जनता को अकथनीय कठनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। बेरोजगारों को काम देने के लिये जो कार्य शुरू किये गये हैं, वह पर्याप्त नही हैं। काम के बदले अनाज परियोजना को खाद्यान्न के पर्याप्त भण्डार पर चलना होगा। पेयजल की समस्या गंभीर होती जा रही है। अगामी 3 महीनों में बहुत सारे लोगों को अपने घर-बार छोडकर दूसरे स्थानों पर जाना होगा जिससे नगरीय क्षेत्रों में नई समस्याएं उत्पन्न होंगी। जानवरों के लिये चारे और घास की समस्या भी एक चुनौती खड़ी कर देगी। इसलिये सरकार को मध्यप्रदेश में राज्य के वित्तीय संसाधन, खाद्यान्न तथा चारे के भंडारों को बढ़ाने के लिये युद्धस्तर पर कार्य करना चाहिये। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में 1979 की खरीम और रबी की फसलों के मौसम में लोग सूखे से प्रभावित हुए हैं वहाँ जिन लोगों को आवश्यकता है उन्हें धन आदि देने की योजना बनायी जानी चाहिये। भूख से मरने और पशु सम्पत्ति की हानि से बचने के लिये सरकार को निश्चय और दृढ़ संकल्प से सूखे की इस भंयकर स्थिति का सामना करना चाहिये।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मध्यप्रदेश में सूखे और अकाल की भंयकर चुनौती का सामना करने के लिये सभी प्रकार की कार्यवाही करे, विशेषकर राजगढ़, गुना जैसे जिलों और उन अन्य क्षेत्रों में जहां 1979 के दोनों ही मौसमों में सूखा पड़ा है।

मध्य-प्रदेश प्रशासन को राजनैतिक दबाव को एक ओर रख कर समस्या से मानववादी दृष्टिकोण से जूझना चाहिये। यदि प्रशासन और मुख्य सचिव सूखे और अकाल के अगामी चार महीनों में इस भंयकर समस्या का सामना करने के लिये योजना के पूर्ण विवरण को घोषित करते हैं तो, इससे मध्यप्रदेश में जनता में विश्वास बबंधेगा।

(तेरह) हल्दी पर निर्यात शुल्क के बारे में

श्री जी० नरसिन्हा रेड्डी (अबीलाबाद) : आन्ध्रप्रदेश में देश के कुल हल्दी का उत्पादन का 35 प्रतिशत हल्दी पैदा होती है। हल्दी का निर्यात भी किया जाता है और 1978-79 में वहां से 11.03 करोड़ रुपए के मूल्य की 10,000 मीट्रिक टन से अधिक हल्दी का निर्यात किया गया था। हमारे देश में हल्दी का थोक बाजार भाव लगभग 5000/- रुपये प्रति मैट्रिक टन था।

दुर्भाग्य से, जनता सरकार के समय में, 20 जनवरी, 1979 से उन्होंने हल्दी के निर्यात पर 2000 रु० प्रति मीटरी टन की हिसाब से निर्यात-शुल्क लगाया। जो व्यापारी हल्दी खरीदकर निर्यात करते हैं उन्होंने स्वतः निर्यात-शुल्क के भार को किसानों पर डाल दिया। जिसके परिणाम-स्वरूप हल्दी की कीमतें घटकर 2500/– रु० प्रति मिट्रिक टन रह गई, जिससे किसानों को भारी घाटा उठाना पड़ा। बहुत से किसानों को तो अपनी लागत भी नहीं मिली। यदि उस निर्यात-शुल्क को चालू रहने दिया जाये तो हो सकता हैं किसान हल्दी बोना ही छोड़ दें, जिससे हमारे देश में न केवल हल्दी का अभाव पैदा-कर दिया जायेगा, अपितु सरकार को प्रतिवर्ष 11 करोड़ से भी अधिक विदेशी मुद्रा से हाथ धोना पड़ेगा। अतः हल्दी पर लगे निर्यात शुल्क को सरकार को तुरंत वापिस ले लेना चाहिये और किसानों को हानि से बचाया जाये तथा हल्दी को भी हमारे देश से समाप्त होने से बचाया जाये।

(चौवह) बिहार में कुछ जिलों में पीने के पानी की कमी के समाचार

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : बिहार प्रदेश के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमण्डल के गिरिडीह, हजारी बाग, धनबाद, रांची, पलामू, संथाल परगना के हरिजन, आदिवासी एवं पिछड़ी जातियों के ग्रामों में पेयजल का भंयकर संकट उपस्थित हो गया है। अकाल एवं भंयकर सूखे से जनता त्रस्त है। अन्न संकट से भी लोग भूखों मरने की नौबत में हैं। सम्प्रति लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा जो पेयजल की व्यवस्था की जा रही है वह सर्वथा अपर्याप्त है। रिग मशीनों की भारी कमी है। अधिकारी लोग टाल-वटाल करते जा रहे हैं। गिरिडीह जिले में पंचायत समितियों में पारित किये गए प्रस्तावों के अनुसार भी चापाकल नहीं लगाये जा सके हैं। बिहार रिलीफ कमेटी की एक शाखा बगोदर द्वारा पेयजल सह सिंचाई कूपों के निर्माण कुछ प्रखण्डों में 200 से 400 की संख्या में करवाये जा रहे हैं जो काम केवल बड़ें तबके के लोगों के लिये पक्षपातपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। अनुचित लाभ कमाने के लिये भी किसानों को बहुत तबाह किया जाता है। इस दिशा में निगरानी विभाग को लगाना औचित्यपूर्ण होगा। एक सर्वांगपूर्ण सर्वेक्षण सभी क्षेत्रों का कराना चाहिये ताकि कोई भी गांव, मुहल्ले, टोले नहीं छूटें, वहां पेयजल की कमी को सुनिश्चित कालबद्ध योजना बना कर समाप्त किया जाना लोकप्रिय सरकार का अविलम्बनीय लोक-महत्व का प्रश्न है। इस दिशा में नजर अन्दाज करना जनहित की अपेक्षा अन्न होगी। अतः तुरन्त राज्यपाल, बिहार प्रशासन से कारगर कार्यवाई करा कर जल संकट तथा अन्न संकट कम से कम गिरिडीह एवं हजारीबाग जिले में प्राथमिकता दे कर दूर किया जाय।

(पन्द्रह) पटना जिले मनेर खण्ड में गंगा भूमि के कटाव को रोकने के लिये कार्यवाही करने के बारे में

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : बिहार स्थित पटना जिला के मनेर प्रखण्ड में जीवराखन टोला गंगा की तेज धार से कट रहा है। इस गांव की जनसंख्या लगभग 4000 थी।

गांव के आधे से अधिक मकान गंगा की धार में विलीन हो गये । अनेक व्यक्ति और जानवर भी गंगा की तेज धार में डूब कर मर गये ।

यह कटाव लगभग एक वर्ष से चल रहा है । इन की बचाव एवं रक्षा के लिये अभी तक कोई कारगर कार्यवाही नहीं हो रही है । ये बेघर हो कर जानवरों के साथ इधर-उधर भटक रहे हैं । कहीं कोई स्थान नहीं है । स्मरणीय है कि इस गाँव में बसने वाले अधिकांश हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग हैं ।

अतः सरकार से आग्रह है कि कटाव पीड़ित परिवारों को बसने के लिये मुफ्त जमीन दें, मकान बनावें और उन के जानवरों के लिये अन्न और चारे की व्यवस्था करें ।

(सोलह) शराब विक्रेताओं अपने विज्ञापनों में प्रधान मंत्री के नाम का दुरुपयोग करने के बारे में

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : मैं निम्नलिखित मामले को नियम 377 के अन्तर्गत उठाना चाहता हूं :—

उलहास नगर बम्बई के एक शराब विक्रेता ने एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा गणतंत्र दिवसावसर पर अपने ग्राहकों को बधाई दी । उन्होंने विज्ञापन के मध्य में प्रधान मंत्री श्रीमती गाँधी का चित्र और साथ ही नाम के साथ अपना चित्र भी प्रकाशित किया । विज्ञापन को हिन्दी करंट (15 मार्च, 80) में पुनः प्रकाशित किया गया है । इसमें कहा गया है कि विक्रेता श्री दूनीचन्द कलानी उलहासनगर कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष हैं । विज्ञापन में दुकान का नाम, पता, दुकान में उपलब्ध भिन्न प्रकार की शराब के नाम आदि-आदि का पूरा विवरण है । शराब विक्रेता द्वारा विज्ञापन में प्रधान मंत्री के चित्र को प्रकाशित करना एक शराब विक्रेता के व्यक्तिगत हित के लिये स्पष्टतः प्रधान मंत्री के नाम का अनुचित लाभ उठाना है जिससे भारत के प्रधान मन्त्री के नाम और पद का अपमान हुआ है । अब समय आ गया है जब प्रधान मंत्री को, अपने नाम और पद को शराब विक्रेताओं द्वारा नीजि लाभ के लिये घसीटने से रोकने के लिये उचित कदम उठाने चाहिये ।

महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्रीमती गीता मुखर्जी के प्रस्ताव पर आगे विचार करते हैं ।

श्रीमती सुशीला गोपालन अपना भाषण जारी रखें .

श्री मगनभाई बरोट (अहमदाबाद) : जिस प्रस्ताव पर चर्चा होती है, उसके बारे में हमने कुछ संशोधन दिये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा के समय ही विचार होगा ।

श्री मगनभाई बरोट : इसके बारे कोई विवाद नहीं है । हम केवल प्रस्ताव के विषय को बढ़ाना चाहते हैं । अतः हमारे संशोधनों को स्वीकार करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्हें हम इनके भाषण के बाद लेंगे। श्रीमती सुशीला गोपालन।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि इनका जो मोशन है उस पर मेरा एक एमेंडमेंट है। मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको मंजूर कर लिया जाये।

2 बजकर 32 मिनट मध्याह्न पश्चात्

श्रीमती सुशीला गोपालन (आलप्पी) : यह बात संतोषजनक है कि आखिर यह उपेक्षित विषय इस सभा के विचारार्थ सामने आया है। बम्बई में बलात्कार विरोधी बने फोरम, जिसने पुलिस बलात्कार और अत्याचार सम्बन्ध मथुरा कांड को जनता तथा इस सभा के सामने लाया, का हम धन्यवाद करते हैं।

इस प्रकार की दर्जनों घटनायें हमारे देश में पिछले कई वर्षों से हो रही हैं। लेकिन जब भी कोई घटना हुई तो कुछ विरोध हुआ और सरकार ने कोई वक्तव्य दिया और फिर वे कहेंगे कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और सरकार कोई आदेश जारी करेगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा। कुछ दिनों के बाद विरोध बंद हो जाता है और इस बात की परवाह कोई नहीं करता कि बाद में आक्रकण के शिकार बनने वाले के साथ क्या हुआ। उनके साथ क्या होता है कोई आदमी परवाह नहीं करता है। कानून और कानून को लागू करने की भी कोई परवाह नहीं करता। यह रोजमरा की बात हो गयी है। मथुरा कांड में इस प्रकार का निर्णय क्यों आया ? इसका कारण यह है कि हम इस सामाजिक पहलू की उपेक्षा करते आये हैं और इस प्रकार की घटनायें होती ही रहती हैं। देश में इस प्रकार की सैंकड़ों घटनायें होती रहती हैं। लेकिन सरकार ने क्या कार्यवाही की। सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं का निवारण करने के लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की है। नारायणपुर नया पिरा जैसी घटनायें इसी कारण हुई। इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं और दर्दनाक कहानियां सुनी जा रही है। इन बातों के लिये कोई भी समाधान नहीं है। इसी मामले में एक अपराधी अर्थात् पुलिस अधिकारी, जिसने पुलिस स्टेशन में एक निंदनीय अपराध किया, को बचने दिया गया क्योंकि असहाय लड़की यह सिद्ध नहीं कर सकी कि उसकी आयु 15 वर्ष से कम थी और यह भी सिद्ध न कर सकी कि उसने विरोध किया था। दो शराबी इस लड़की को आधी रात में पुलिस स्टेशन ले गये। लेकिन न्यायालय ने लड़की से पूछा कि क्या उसने विरोध किया था न्यायालय का यह निर्णय था। यह सिद्ध नहीं हो सका कि उसने काफी बल का प्रयोग किया।

अतः पुलिस अधिकारी को कहा गया है कि यह चिंताजनक बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुलिस अधिकारी, जिसने पुलिस स्टेशन को सम्भोग के लिये उपयोग में लाया, के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा। इसका कारण यह है कि वर्षों से इस प्रकार की बातों की उपेक्षा की जाती आ रही है। हमने समस्या पर उचित ढंग से विचार नहीं किया है। सर्व-साधारण, न्यायाधीशों और समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने इस मामले पर गम्भीरता से विचार नहीं किया है। अतः इस प्रकार की घटनाओं ने स्थायी स्थान ग्रहण कर लिया है।

केरल में हम कई वर्षों से महिलाओं पर अत्याचारपूर्ण हमले करने के विरुद्ध लड़ते आये हैं। 1975 में दो लड़कियों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन ले जाने पर बलात्कार किया गया। इन लड़कियों में से एक त्रिवेन्द्रम और दूसरी कालीकट की थी। जब वे हवालात

से बाहर आयी तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। हमने इस मामले को उठाया। केरल की महिला संस्था ने भी इस मामले को उठाया। हमने केरल के पुलिस स्टेशन में धरना भी किया। सरकार को सामने आकर कहना पड़ा कि पुलिस के लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। पुलिस वालों को निलम्बित किया गया। यह घोषणा भी की गयी कि इसके बाद पांच बजे शाम बाद किसी भी महिला को हवालात में नहीं रखा जायेगा। कुछ इस प्रकार की घोषणा की गयी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ? जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद पुलिस अधिकारियों को वापिस काम पर लिया गया। इतना ही नहीं वैसा अपराध किये जाने के बावजूद भी उन्हें पदोन्नति दी गयी। विधान सभा में प्रश्न उठाये जाने पर मंत्री ने कहा कि 17 तथा 18 वर्ष की ये दो लड़कियां बुरी थीं। उन्हें इस बात का भय था कि उनका विवाह नहीं होगा और समाज में नहीं रह सकी, इसलिये उन्होंने आत्महत्या कर ली। मंत्री ने कहा था कि लड़कियां कुछ वैधी ही थीं। इसलिये पुलिस अधिकारियों को वापिस सेवा में लिया गया।

इस प्रकार की घटनायें हमारे देश में नित्य प्रति होती है। मंत्री ने अपने उत्तर में यह भी कहा कि कानून में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब भी वे ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं, हमने सुना है कि राजस्थान जाने वाले केरल के लगों को तंग किया गया, उनका बलात्कार किया गया और उन्हें मारा गया। वे वहां सब कुछ कर सकते हैं। केरल विधान सभा में भी बहुत शोर-शराबा हुआ। हमने राजस्थान जाने वाली नर्सो सम्बन्धी बातें केन्द्र तथा राज्य सरकार के नोटिस में लायी थी। उन्हें अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना पडेगा। उन्हें तंग किया गया, उनका बलात्कार किया गया तथा बाद में उन्हें मारा गया। घटना ऐसी ही हुई। उसके बारे में आपने क्या किया ?

आपने सुना होगा कि गांव में नौकरी करने वाली नर्सों को विवाह करने का अवसर भी मिल जाता है। उनका विवाह हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है ? उन्हें विदेशों को ले जाया जाता है और अरब के बादशाहों के रनिवास में भेजा जाता है। ऐसा ही हो रहा है। वे अपने मां बाप को कहते है कि वे उनसे विवाह कर लेंगी और वे जेवर देंगे। उसके बाद लडकियों को वैश्यावृति के लिए अरब भेजा गया। अब ऐसा ही हो रहा हैं। इस प्रकार की कई घटनायें हो गई हैं। सरकार क्या करती है ? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की विवाहित लडकियों के साथ नित्यप्रति इस प्रकार के अत्याचार होते हैं। इन तीन राज्यों के तटवर्ती जिलों से ठेकेदार कई लडकियां ले गए। वे बताते हैं कि हम लडकियों को मच्छलियों का परिष्करण करने के लिए ले जा रहे है। लेकिन अन्त में उन्हें बम्बई के वैश्यालयों में ले जाया जाता है। ऐसा ही हो रहा है ? अखबारों में इस प्रकार के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती। सरकार भी इस पर गम्भीरता से विचार नहीं करती। हम भी इसे गम्भीर मामला नहीं मानते। जब ऐसी घटनायें होती हैं तो क्या हम अपराधियों को दंडित करने के लिए तैयार हैं ? नहीं, क्योंकि सरकार का दृष्टिकोण ऐसे मामलों में पदाधतपूर्ण रहता है। 1969 में जब मैं संसद सदस्या थी और जब बंगाल की एक 14 वर्षीय लडकी को तंग किया गया तो मैं उसे प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पास ले गया और उनसे उचित जांच करने तथा अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया। उसी पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी को जांच के लिए तैनात किया गया और उसने कहा कि शिकायत निराधार है।

आपने बंगाल के गीता चटर्जी के बारे में सुना होगा। वह यहां आयी और प्रधान मन्त्री को कहा कि पति के सामने उसका बलात्कार किया गया। उसके पति को एक खम्बे के साथ बांधा गया और उसी के सामने उसका बलात्कार किया गया। कुछ समय के बाद वह बेहोश हुई और जब वह होश में आयी तो उसने देखा कि उसके पति के टुकडे टुकडे कर दिये गये हैं। उसने दिल्ली आकर प्रधान मन्त्री से जांच की अपील की. प्रधान मंत्री ने क्या किया ? कुछ नहीं। क्योंकि वह साम्यवादी कार्यकर्ता की पत्नि थी। अतः वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी।

(व्यवधान)

महिलाओं का बलात्कार हर रोज होता है इसका क्या समाधान है ? दिल्ली में क्या हो रहा है ? प्रतिदिन महिलाओं पर हमले किये जाते हैं और सैंकडों लडकियों को जलाया जाता है क्योंकि वे दहेज के वचन को पूरा नहीं कर सकी। आप क्या कर रहे हैं ? आप इन लडकियों की रक्षा नहीं कर सकते। दिल्ली की सड़कों पर कोई भी महिला अपने पति के साथ भी नहीं चल सकती और सरकार कह रही है कि केन्द्र द्वारा दिल्ली प्रशासन को हाथ में लेने के बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो गया है। यदि आपका रवैया पक्षपात पूर्ण था दलीय भावनाओं से प्रेरित रहा तो और किसी भी हमले की शिकार महिला को नहीं बचा सकते।

1975 मे समाज में महिलाओं का स्थान सम्बन्धी समिति ने उन सब बातों की जांच की थी और सरकार को सिफारिश की थी कि महिलाओं सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करने के लिए संविधिक शक्ति प्राप्त एक आयोग का गठन किया जाये। आपने क्या किया ? संयुक्त राष्ट्र संघ समिति ने भी सुझाव दिया है कि संविधिक शक्ति प्राप्त एक आयोग बनाया जाए ताकि इस प्रकार के अत्याचारों तथा महिलाओं के जीवन और रोजगार की रक्षा सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार किया जा सके। महिलाओं के लिये रोजगार सम्बन्धी कोई सुरक्षा नहीं है।

32 वर्षीय आजादी के बाद भी महिलाओं के बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। कोई भी कुछ कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। केवल जबानी हमदर्दी दिखायी जाती है। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो मंत्री इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं कि उन्होंने राज्य को निदेश जारी कर दिये हैं कि रात में किसी भी महिला को गिरफ्तार न किया जाये अथवा उन्हें हवालात में न रखे। लेकिन क्या आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जब भी इन निदेशों का पालन न हो तो सम्बन्धित अधिकारियों को दण्डित किया जाएगा। यदि कोई अधिकारी, चाहे पुलिस का हो अथवा और अपनी ड्यूटी के स्थान पर सम्भोग करता है तो उस अधिकारी को सख्त सजा दी जाए। यदि यह सिद्ध हो जाये की एक उस कार्यालय में हुआ तो उस व्यक्ति को बर्खास्त किया जाये। क्या आप इस प्रकार कनून बनाने के लिये तैयार हैं ताकि कोई भी महिला इन अफनवाये प्राणियों के चंगुल में न फंसे। इस प्रश्न को कई मंचों पर उठाने के बावजूद भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है और मामला फिर से सामने आया है। अब मैं आपको एक बात बताती हूं। हर वर्ष आप राखी बांधते हैं। इसका क्या अर्थ है ? आप ऐसा रस्म के तौर पर करते हैं। लेकिन आप इसके तात्पर्य व संदेश को नहीं निभाते। यदि आप महिलाओं को अत्याचारों से बचाना चाहते हैं तो आप को कुछ कार्यवाही अवश्य करनी चाहिये। हम इन सब बातों के लिये पिछले कई वर्षों से लड़ रहे हैं। केरल में हम काफी वर्षों से आन्दोलन करते आ रहे हैं और लड़ते आ रहे हैं। मैं

जानती हूं कि मंत्री हमें यह उत्तर देंगे कि हर प्रकार की कार्यवाही की जायेगी। लेकिन मैं जानती हूं कि कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और स्टीफन मुस्करा रहे हैं। वे सोच रहे होंगे कि आप क्यों शिकायत कर रहे हैं क्योंकि आपका मंत्रालय केरल में है। इसके बाद आप देखेंगे कि केरल में क्या होगा। महिलाओं को बचाने के लिये सुरक्षात्मक कदम उठाये जायेंगे। लेकिन आप यहां से क्या कर रहे हैं। क्या आप उचित कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं ?

श्री चन्द्र जीत यादव (आजमगढ़) : इस पर मन्त्री मंडल की अगली बैठक में विचार किया जाये।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : क्या केरल में स्थिति इतनी खराब है ? मैं यही पूछ रहा हूं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : आप तो वहां से बाहर आ गये हैं और आपको पता नहीं कि केरल में क्या हो रहा है। महिलाओं से पूछिए ; वे जानती हैं कि.....

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं नहीं जानता था कि स्थिति इतनी खराब है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : भारत में इस प्रकार के कई मामले होते रहते हैं। लेकिन आप कानून में संशोधन लाने के लिये तैयार नहीं हैं। ये घटनाएं काफी बड़े पैमाने पर हो रही हैं परन्तु आप कानून में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हैं। महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार ने इस समस्या के प्रति बिल्कुल ही उपेक्षा पूर्ण रवैया अपनाया हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप महिलाओं पर होने वाले ऐसे अत्याचारों के विरुद्ध लोगों में जागृति पैदा करें। श्रीमन्जी हम सदैव अपनी संस्कृति और परम्परा तथा अन्य बहुत सी चीजों के बारे में बात करते हैं। परन्तु महोदय, मुझे उस समय बहुत ही दुःख होता है जब मैं ऐसी घृणित घटनाओं के प्रति पुरुषों को केवल उदासीन या दर्शक बना हुआ देखती हूँ। यह सब उस देश में हो रहा है जहां महान् समाज सुधारक रानाडे और राजा राम मोहन राय हुए हैं और उन्होंने विभिन्न प्रकार के समाज सुधारों का प्रचार किया है। अब किसी को इन सभी बातों की चिन्ता ही नहीं है। अतः मैं प्रार्थना करती हूं कि सभा कम से कम अब तो इन सभी बातों की ओर ध्यान दे और आवश्यक कानून पारित करें।

महोदय, इन सब के सम्बन्ध में श्रीमती गीता मुखर्जी और श्रीमती मधु दण्डवते द्वारा इस बारे में कतिपय सुझाव दिए गए हैं। हम माननीय सदस्यों से और सुझाव भी प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु मुद्दा यह है कि कई कानून पारित किए गए हैं परन्तु उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है। महिलाओं के हितों के संरक्षण हेतु पारित किए गए कानूनों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। मैं आशा करती हूँ कि यह सभा सरकार को चेतावनी देगी और उसे बताएगी कि इस देश में ऐसे अत्याचार नहीं होने चाहिए और यदि ये होते हैं तो अपराधियों को उचित सजा मिलेगी। धन्यवाद।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : सभापति जी, जिस आर्डर में अमेंडमेंट्स हैं उसी आर्डर में लें।

सभापति महोदय : ऐसा इसमें कुछ नहीं है।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति जी, मैंने पहले भी चेयर से अनुरोध किया था कि जो मोशन श्रीमती गीता मुखर्जी का था उस पर हमने कुछ संशोधन दिये हैं। मेरा अनुरोध है कि उन संशोधनों को अभी स्वीकार किया जाय, क्योंकि वह महत्वपूर्ण संशोधन हैं।

श्रीमती गीता मुकर्जी (बांसकुरा) : मैंने कोई अन्य परिचालित संशोधन नहीं देखा है।

श्री मगन भाई बरोट (अहमदाबाद) : हम आपका बचाव करेंगे और इसके दायरे को विस्तृत बनाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप मेरे बोलने पर आपत्ति नहीं करेंगी। कृपया कुछ सहानुभूति रखिए। यह सब आपकी सहायता के लिए किया गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजामगढ़) : इससे उन्हें छोड़ कर सभी की सहायता मिल रही है।

श्री मगनभाई बरोट : जी हां, पूरे समाज की।

सभापति महोदय, श्रीमान् जी मैं अपना संशोधन रखने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। इस संशोधन को रखने का मेरा उद्देश्य प्रस्ताव के दायरे को विस्तृत करना है। हम चाहते हैं कि इसे समाज के कुछ वर्गों अर्थात् पुलिस और निहित स्वार्थी वाले लोगों के द्वारा लगाये गये समाज विरोधी तत्वों तक ही सीमित करने की बजाये सभी पर लागू किया जाए। हम चाहते हैं कि कानून में आमूल परिवर्तन किया जाए। इस बारे में कोई विवाद नहीं है।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : पुलिस कानून और व्यवस्था की संरक्षक है। यदि यह ऐसा करती है तो यह एक बहुत ही गम्भीर और घृणित अपराध हो जाता है।

श्री मगनभाई बरोट : हम चाहते हैं कि इस प्रकार के अपराध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : परन्तु उनकी जिम्मेदारी कहीं अधिक है।

श्री मगन भाई बरोट : नम्रतापूर्वक मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव अपने मूल रूप मे एक वर्ग विशेष के विरुद्ध है। मैं केवल इसके दायरे को विस्तृत करने का प्रयास कर रहा हूं और उस संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता। और जब माननीय सदस्य आज वकील के रूप में मेरे अनुभवों पर आधारित मेरे तर्कों को सुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें आश्वस्त करने में समर्थ हो जाऊंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपना संशोधन पेश करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : मैं संशोधन पेश करने के लिए आपको अनुमति देता हूं।

श्री मगनभाई बरोट : मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि प्रस्ताव में :—

(i) देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर, विशेषकर निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा लगाये गये समाज विरोधी तत्वों और कभी-कभी पुलिस द्वारा भी बलात्कार की आतंकपूर्ण घटनाओं

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"देश के विभिन्न भागों में बलात्कार की विभिन्न घटनाओं"

(ii) "इन्हें रोकने के लिए कारगर कदम उठाए"

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए

"विधि आयोग के परामर्श के पश्चात् अपर्याप्त पाए गए कानून को सुदृढ़ करने के उपायों समेत इनकी पुनरावृति रोकने के लिए सभी संभव उपाय करे"

सभापति महोदय : श्रीमती साही क्या आप यह नहीं मानती कि आपका तथा श्री मगनभाई बरोट का संशोधन एक सा दी नहीं है ?

श्रीमती कृष्णा साही : एक सा दी नहीं है। दोनों में अन्तर है।

सभापति महोदय : मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं।

श्रीमती कृष्णा साही : (बेगूसराय) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

(एक) आतंकपूर्ण घटनाओं के स्थान पर "विभिन्न घटनाओं" प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) "विशेषकर निहित स्वार्थ वाले लोगों के किराए के समाज विरोधी तत्वों और कभी-कभी पुलिस द्वारा भी का लोप" किया जाए।

(तीन) "रोकने के लिए के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए : "जहां कानून अपर्याप्त पाया जाए उसे विधि आयोग से विचार विमर्श करके सुदृढ़ बनाने के उपायों सहित"।

सभापति महोदय : श्री यादव जी, आपका संशोधन क्या है ?

श्री राम सिंह यादव : मेरा संशोधन भी यही है।

श्री मगन भाई बरोट (अहमदाबाद) : मैं देश की सभी महिलाओं तथा विशेष रूप से इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाली महिला से क्षमा-याचना करते हुये, इस चर्चा में भाग ले रहा हूं। मैं फौजदारी तथा अन्य अदालतों में वकालत करता रहा हूं और अपने उस अनुभव के आधार पर मैं सदन के समक्ष उन परिस्थितियों को रखना चाहता हूं जिनमें आदमी कई शताब्दियों तथा विशेष रूप से पिछली एक शताब्दी से, औरतों पर अत्याचार करता चला आया है।

बहुत सी बातें कही गई है। यह भी कहा गया है कि अमुक काम करना कानून के खिलाफ है और हमें इस सम्बन्ध में ऐसा करना चाहिये या वैसा करना चाहिये। परन्तु मैं सदन के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रखना चाहता हूं कि 100 में से 90 मामलों में अपराधी बिना दण्ड पाये क्यों छूट जाता है। आखिर त्रूटि कहां है ? हम कानून के संरक्षक इस दिशा में क्या उचित कार्यवाही कर सकते है ?

मैं 3 तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहले हमें उन परिस्थितियों को समझ लेना चाहिये जिन में बलात्कार किया जाता है। हमें उस प्रक्रिया को भी समझ लेना चाहिये जिसके अन्तर्गत इस पर मुकदमा चलाया जाता है तथा हमें वह कानून भी समझ लेना चाहिये जिसके आधार पर अन्तिम निर्णय दिया जाता है।

जहां तक गरीब औरतों का सवाल है, वे बहुत ही अजीब समाज में रहती है। अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाये गये थे निश्चय ही वे कानून गरीबों या औरतों तथा निश्चय ही गरीब औरतों के लिए नहीं है। आखिर त्रुटि कहां है? हमें उसका अध्ययन करना चाहिये। एक युवती के साथ बलात्कार किया जाता है। उसके माता-पिता से पहला प्रश्न यह पूछा जाता है कि क्या उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है या नहीं; और क्या पुलिस के पास जाना चाहते है या नहीं। इस प्रश्न के साथ बहुत सी समस्यायें जुड़ी रहती है जैसे कि सामाजिक कलंक, लड़की का भविष्य, उसका वैवाहिक जीवन तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों जैसे कि उसकी बहनें तथा लड़कियां, आदि। अतः पिता शिकायत करने से पहले अनेक बार सोचता है।

इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करने में जो समय लग जाता है, उसे कानूनी भाषा में "विलम्ब" कहा जाता है तथा संदेशात्मक माना जाता है। अब यह प्रश्न पूछा जाता है कि बलात्कार प्रातः किया गया था जबकि आप अब छः घंटे के बाद शिकायत दर्ज कराने आये है? हम यह भूल जाते है कि जब किसी व्यक्ति का धन गबन कर लिया जाता है तो वह 6 घंटे बाद अपनी शिकायत दर्ज करवाता है और कहता है कि प्रबन्धक को गबन की कोई जानकारी नहीं थी। उस मामले में विलम्ब क्षमा कर दिया जाता है और जब सामाजिक कलंक जैसे मामले में विलम्ब हो जाता है तो उसके आधार पर अन्ततः मामले को अस्वीकृत कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वही पिता तथा पुत्री पुलिस स्टेशन जाते है। अब हमें यह जानना चाहिये कि वहां उनके साथ क्या होता है। मथुरा मामले के बारे में सभी जानते है। जिन परिस्थियों में एक पुरुष सिपाही की उपस्थिति में लड़की को अपनी शिकायत दर्ज करनी पड़ती है, वह ठीक नहीं है। शिकायत दर्ज करने के लिए महिला सिपाही हो, ऐसा हमने शायद ही कभी सुना हो।

इसके बाद शारीरिक परीक्षण की स्थिति आती है। उसे डाक्टर के पास भेजा जाता है। मैं किसी की ईमानदारी को चुनौती नहीं दे रहा। आप जरा उस युवती की कल्पना कीजिये जिस का कई बार बहुत विचित्र परिस्थितियों में शारीरिक परीक्षण किया जाता है। उसका वास्तविक पीड़न तो शिकायत दर्ज करने के बाद ही आरम्भ होता है। इसके बाद मुकदमे की स्थिति आती है। मैं बहुत बेबसी से यह सब कुछ 25 वर्ष तक देखता रहा हूं। मैं सदन के समक्ष वह सब कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूं जोकि वहां होता है। मैं सदन को उन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से अवगत करवाना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत बलात्कार के मामले की सुनवाई की जाती है। लड़की को पुरुष वकील के समक्ष साक्ष्य देना पड़ता है, वही उसका परीक्षण करता है। पुरुष जिरह-कर्त्ता सदा इस अवसर की ताक में रहता है कि वह उसकी रजामंदी प्रमाणित कर सके; एक पुरुष न्यायाधीश को ही उसके भाग्य का निर्णय करना होता है और फिर उसे सम्पूर्ण कार्यवाही बयान करने के लिए कहा जाता है जैसे कि यह कार्यवाही किसी को थपड़ मारने या किसी के जेब काटने जैसी साधारण सी घटना हो। आप यह अपेक्षा करते हैं कि

वह युवती न्यायालय में उपस्थित सैकड़ों लोगों—जिनमें कि पुरुष अभियोक्ता, पुरुष जिरह-कर्त्ता भी होते है—के सामने सम्पूर्ण कार्यवाही को बयान करे। यदि वह कहती है, "मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया है तो श्रीमन्/जी, इसे साक्ष्य नहीं माना जाता। कानूनी भाषा के अनुसार उस कार्यवाही को गंदे ढंग से, अश्लील, असभ्य तथा अमानवीय ढंग से उसके द्वारा बयान करने को ही साक्ष्य माना जाता है। इसके बाद वास्तविक स्थिति आती है। अंग्रेजी न्यायपालिका के समय से चले आ रहे कानून को अभी तक पूर्णतया बदला नहीं गया है। अभियोक्ता केवल उसके शब्दों पर ही विश्वास नहीं कर लेगा। उसके पुष्टिकरण की भी आवश्यकता होती है, बलात्कार जो कि एक ऐसा कृत्य है जिसे कि रात की अंधेरी घड़ियों में किया जाता या घर के किसी अंधेरे कमरे में किया जाता है, उसका पुष्टिकरण करने के लिए कहा जाता है। इसकी पुष्टि कहाँ से तथा कैसे की जाये ? यह असम्भव सी बात है। यह देश का कानून है या यह देश की प्रथा है। अब समय आ गया है जबकि हमें इसमें परिवर्तन करना होगा/।

सदस्यों द्वारा बहुत से सुझाव दिये गये है और मैं भी अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कुछ सुझाव देना चाहता हूँ जिससे कि अपराध भले ही पूर्णतया समाप्त न हो परन्तु उससे कुछ हद तक राहत मिल सकती है। इससे पूर्व कि हम इस कानून में संशोधन करें, मैं संसद् सदस्याओं से अनुरोध करूंगा कि वह केवल समस्या के सामाजिक अन्याय सम्बन्धी पहलू तक ही सीमित न रहें। मैं अन्य पहलू भी बताना चाहता हूँ। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं। अपने अनुभवों को समाज तथा राष्ट्र को बताना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ। मुझे एक मामले की याद आ रही है और मुझे आशा है कि आप मुझे अपने अनुभव के आधार पर कुछ उद्धृत करने की अनुमति देंगे। एक वैवाहिक सम्बन्धी मामला था। पति तथा पत्नी दोनों ही पढ़े-लिखे थे और वह अपने बच्चों को रखने के सवाल पर झगड़ पड़े। सदन की/ जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा कानून ऐसा है कि 5 वर्षों के बाद, पति को बच्चे अपने संरक्षण में रखने का अधिकार होता है और 5 वर्ष से पहले माता को बच्चे अपने संरक्षण में रखने का अधिकार होता है। न्यायाधीश महोदय ने उस महिला से कहा, "श्रीमती जी, क्षमा कीजियेगा, कानून ऐसा है कि 7 वर्ष के बाद आपको बच्चे पिता को लौटाने पड़ेंगे।" मुझे वह शब्द आज भी याद है तथा मेरे कानों में गूंज रहे है। मैं इस सदन को भी याद दिला दूं। उस महिला ने उत्तर में कहा था : 'हां, आपका कानून निश्चय ही ऐसा ही होगा। 7 वर्ष तक तो हम बच्चों का पालन-पोषण करती रहें और जब वह आत्म-निर्भर होने लगें तो उस समय पिता आये और उन्हें लेकर चला जाये। उसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यह शब्द कहे, "श्रीमान् जी, संसद् में बैठकर जिन लोगों ने/यह कानून पारित किया होगा, वह सभी पिता ही होगे। संसद् में मातायें निश्चय ही कोई नहीं होगी। अन्यथा यह कानून निश्चय ही भिन्न होता। यदि वहां मातायें होती, तो कानून निश्चय ही इससे उल्टा होता। हमें ऐसा करने की/ आवश्यकता है।

इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें उत्तराधिकार, संरक्षण, छेड़छाड़ तथा शारीरिक आपात आदि के बारे में परिवर्तन करना होगा। यह परिवर्तन कैसे किया जाये ? यदि हम सब कुछ नहीं कर सकते तो हमें कुछ तो करना ही चाहिये। यदि हम इस कानून को बदल सकने की स्थिति में हैं, तो मेरा सुझाव यह है कि बलात्कार के मुकदमे की सुनवाई सार्वजनिक ढंग

से नहीं की जानी चाहिये। जिन न्यायालयों में बलात्कार के मामलों की सुनवाई हो रही हो उनके दरवाजे सभी के लिए खुले नहीं होने चाहिये। क्योंकि वहां दर्शक कौन लोग होंगे ? मैं स्त्रियों के महासंघ से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करें। वहां औरतें तो बहुत कम होंगी, पुरुष ही अधिक होंगे। वह युवतियों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह कुछ भी बताने से दिल किलाने लगती है। इसलिए यह प्रक्रिया संहिता में चाहे कुछ भी क्यों न हो, इस बात का उपबन्ध स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिये कि उनको मुकदमे की सुनवाई पर्दे में की जायेगी। ऐसे मामलों में यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि वह अभियोक्ता, बचाव पक्ष का वकील, न्यायाधीश तथा अपराधी ही होंगे। यदि बचाव पक्ष के लिए स्त्री अधिवक्ता की उपस्थिति को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता तो बचाव के स्त्री अभियोक्ता तो होनी ही चाहिये। यदि बलात्कार किसी लड़की के साथ किया गया है तो उसका बचाव किसी पुरुष वकील से करवाने की आशा नहीं कर सकते, वकील लड़की से उस सम्पूर्ण शारीरिक कार्यवाही को बयान करने के लिए कहता है; वह शर्मनाक कार्यवाही वह किस प्रकार बयान कर सकती है। मैंने अपनी आंखों से अभियोक्ताओं को यह प्रश्न पूछते हुये देखा है : क्या किया गया था; आपकी अनुमति से क्या किया गया था और मैंने लड़कियों को न्यायालय में कमरे में बेहोश होकर गिरते हुये देखा है।

हमें एक बात करनी चाहिये। हमारे यह भी वैसा ही अपराधीय कानून है जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति तब तक बेकसूर है जब तक कि उनका अपराध साबित न हो जाये। यह कानून एक गलत सिद्धांत पर आधारित में। यह सिद्धान्त है कि यदि 10 अपराधी भले ही बिना दण्ड पाये छूट जाये परन्तु एक भी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिये। क्यों ? 10 व्यक्ति बिना सजा पाये क्यों जाये ? अब इसे बदलने का समय आ गया है। यदि इस धारणा को बदल दे तथा इसे भ्रष्टाचार विरोधी मामलों तथा अन्य मामलों के साथ जोड़ दे तो अधिक अच्छी बात होगी। हमें इस कारण को बदलना होगा। अभियोग पक्ष को केवल यह प्रमाणित करना चाहिये कि संभोग किया गया है; इसी से यह मान लिया जाना चाहिये कि यह बलात्कार था। मामला माना जाना चाहिये यह लड़की की स्वीकृति के बिना किया गया बलात्कार का मामला है। मुख्यतया कानून में परिवर्तन किया जाना चाहिये। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह तीन काम करे। आयोग द्वारा इसकी जांच की जा रही है और उन्हें सरकार को यह आयोग से यह कार्य शीघ्र करने के लिए कहा जाना चाहिये तथा साक्ष्य अधि-नियम की धारा 114 का संशोधन किया जाना चाहिये ताकि इसे अनुमति के बिना किया गया बलात्कार माना जा सके। ऐसी मामलों की सुनवाई बन्द कमरों में की जानी चाहिये। इस कार्य के लिए स्त्री अभियोक्ता होनी चाहिये और यदि सम्भव हो तो स्त्री सिपाही तथा निश्चय ही लेडी डाक्टर होनी चाहिये। उन्हें ऐसी स्त्री का परीक्षण करना चाहिये। इसके साथ ही गीता जी ने जो कुछ कहा है, मैं उसके सहमत हूं। मुझे आशा है कि मेरे विचारों को सुनने के बाद माननीय सदस्य गीताजी तथा सदन की अन्य स्त्री सदस्यों मेरे साथ इस बात पर सहमत होगी कि हमें केवल अपने आपको पुलिस या सामाजिक या असामाजिक तत्वों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिये। मैं इसका कार्यक्षेत्र बढ़ा रहा हूं और मैं आशा तथा विश्वास करता हू कि वह मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगी, जिसके माध्यम से इसे अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है।

श्री घनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : सभापति जी, जो प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। यह अनुभव पर आधारित सत्य है कि जो बलात्कार की घटनायें हो रही है और इस वर्ग के साथ इस तरह की घटनायें हो रही हैं..... इन कैटेगरिज के लोगों के साथ इस तरह की घटनायें हो रही हैं, उसको यदि आप देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस तरह की घटनायें प्रधानतया उन लोगों के साथ घट रही हैं, जिन को हम मजदूर कहते हैं या हरिजन कहते हैं या जिनको हम आदीवासी के नाम से पुकारते हैं या जिनको छोटे लोग कहते हैं। ये मुख्य करके तीन वर्गों के लोग हैं, जिनके साथ इस तरह की घटनायें अधिक हुआ करती हैं। यदि इसके मूल में जायें तो हम यह भी देखते हैं कि इनके साथ जो ये घटनायें हो रही हैं, वे खास करके उनके अधिकारों को दबाने के लिए होती हैं।

अभी जो चर्चा हुई, चाहे वह पिपरा की घटना के बारे में हो या नारायण पुर की घटना के बारे में हो या और भी जितनी घटनायें हो रही हैं, इन सारी घटनाओं को मिला करके देखें तो उनमें जमीन का मामला भी है, मजदूरी का मामला भी है और बड़े लोगों के रोब-दाब का मामला भी है। ये सारे मामले मजदूरी की मांग को दबाने के लिए, जमीन की मांग को दबाने के लिए और उनको दबा करके रखने के लिए हैं और इसी वजह से इस तरह की घटनायें होती हैं।

जब हम इसके कारणों में जाते हैं, तो हम प्रस्तावक महोदय से सहमत हैं कि इसमें वैस्टेड इन्टरेस्ट, गुण्डे और पुलिस की मिली भगत भी होती है। ये जो निहित स्वार्थ के लोग हैं, वे इन लोगों को अधिकार न देने के लिए और दबाए रखने के लिए, ये जो एन्टी-सोशियल-एलीमेन्ट्स हैं, जिनको गुण्डा कहते हैं। हम इन लठैलिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं और जब हम इन लठैलियों का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पुलिस की मिलीभगत भी जरूर होती है। इसलिए इन तीनों के सहारे से, वैस्टेड इन्टरेस्ट, एन्टी सोशिल एलीमेंट्स और पुलिस की मिली भगत, ये घटनायें होती हैं। इसलिए हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस देश में जो छोटे लोगों को गरीब लोगों को, आज तक अधिकार नहीं लेने दिया जा रहा है, जो अधिकार लेने के लिए उत्सुक हैं, प्रगतिशील हैं, उनमें इन तीनों का हाथ है और इन्हीं के बल पर इन लोगों को दबा कर रखा जाता है।

उपाध्यक्ष जी, आप रूरल साइड और शहर, दोनों, को मिलाकर देखें तो क्या होता है। इन गरीब लोगों को जिनमें मैं जातपात को अलग नहीं करता हूं, स्त्रियों में सारी स्त्रियां चाहे छोटे वर्ग की हों या ऊंचे वर्ग की हों, जितनी भी स्त्रियां है और हरिजन तथा शुद्र कहलाने वाले मध्यम जाति के लोग हैं, मैं इन सबको एक श्रेणी में रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आज के समाज में इनको छोटे लोग कहा जाता है, जिनमें स्त्रियां भी हैं, मैं स्त्रियों को सबसे पहले रखना चाहता हूं, इन छोटे लोगों के साथ इस तरह की घटनायें अधिक घट रही हैं। इसलिए मैं इसके मूल कारण में जाना चाहता हूँ, क्योंकि ऊपर से ही सारी बातों को कर देने या लीपापोती कर देने से काम नहीं चलेगा। जब तक इसकी मूल समस्या में हम नहीं जाते हैं, तब तक इसका निराकरण भी नहीं निकाल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया जाए। जो अपना समाज है और जो उसकी बनावट है, उसमें दो श्रेणियों के लोग बन गए हैं, जिन को छोटे लोग और बड़े लोग कहा जाता है। ये दोनों श्रेणियां छोटे लोगों में बटी हुई है,

जिनमें मैं औरतों को भी लेता हूं। इन लोगों के साथ जो इस तरह की घटनायें होती हैं—इन में रेप तो सब से बड़ा जुर्म है। कल हमारी एक माननीय सदस्या ने इस बात की ओर इंगित किया कि जब मध्य प्रदेश की विधान सभा में हंगामा हुआ, हो-हल्ला हुआ, तो मध्य प्रदेश के इंस्पैक्टर जनरल आफ पुलिस ने एक डायरेक्टिव अपने महकमे को दिया कि इस तरह की घटनायें विधान सभा के चलते नहीं करें। जब विधान सभा सेशन में हो तो इस तरह की घटनायें नहीं होनी चाहिये। इसी से आपको उन के दृष्टिकोण का पता लग जाता है। आजकल विधान सभाओं और पार्लियामेंट में हरिजन और आदिवासी काफी संख्या में आने लगे हैं, वे ऐसी घटनाओं के विरुद्ध बहुत शोर करते हैं। कभी-कभी आप को भी बहुत नागवार गुजरता है कि ये लोग इतना शोर कर रहे हैं। वे क्यों शोर करते हैं? इसलिये करते हैं कि दुर्भाग्य से हमारे समाज की जो संस्कृति है, उस में लोगों की इज्जत को इज्जत नहीं माना जाता। यदि किसी ऊंची जाति की औरत का शीलहरण हो, तब तो लगता है कि बगावत हो जायगी——मैं इस के खिलाफ़ नहीं हूं, इस के पक्ष में हूं। जैसे द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो महाभारत हो गया। इसलिये यदि किसी भी औरत का शीलहरण होता है तो बगावत होनी चाहिये, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ऐसा सब के साथ नहीं होता है। ऊंची जाति की औरत के मामले में तो बगावत हो जायगी, लेकिन छोटी जाति की औरत के साथ, जैसे मथुरा का मामला था, मीरा का मामला था, हमारे एक साथी ने उस को यहां उठाने की चेष्टा की तो उनको कहा गया कि आप अधीर न हों। जैसे यह कोई मामला ही नहीं था, कोई साधारण घटना है, यही कहा गया कि शान्ति रखिये। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया की यह कन्सेन्ट से था।

इसलिये मैं कह रहा था कि औरत का शीलहरण हो तो वह गम्भीर बात है, लेकिन यह सभी औरतों के साथ होना चाहिये, ऐसा नहीं होना चाहिये कि ऊंची जाति की औरत हो तो बगावत हो जाय लेकिन दूसरी तरह की औरत के साथ हो तो सब को कहा जाय कि शान्ति रखिये, कुछ नहीं हुआ है। आज अपना समाज जो ऐसा बन गया हैं, उस को कैसे ठीक किया जाय? मेरे पूर्ववक्ता महोदय ने कहा कि कानून को इस तरह से बदलना चाहिये। बड़े अच्छे सुझाव उन्होंने दिये, मुझे उन सुझावों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इन की जो पुलिस है उस की मिलीभगत से यह सब काम होता है।

महोदय, नरायणपुर की घटना हुई—प्रधान मंत्री जी वहां पहुंच गई। मुझे कोई गिला नहीं है, उनको जाना चाहिये था। लेकिन उस के बाद क्या हुआ? चाहे जो घटना हो, आप घड़ियाली आंसू बहाने के लिये वहां पहुंच जांय, झूठी सहानुभूति दिखाने के लिये वहां चले जांय, राजनैतिक लाभ उठाने के लिये चले जांय, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता। पुलिस को मोटिवेट करने के लिये आज भी ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस को जनता के अधिकारों की रक्षा करनी है, यदि वही रक्षक भक्षक बन जाए, उसी की मिलीभगत से सारे काण्ड हों-तब क्या किया जाय। पुलिस को री-ओरिएन्ट करने के लिये कोई काम नहीं किया जा रहा है-यही सब से बड़ी दिक्कत की बात है। जुडीशियरी, न्याय की प्रक्रिया के लिये बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन पुलिस के सम्बन्ध में कोई बात नहीं की जा रही है। यह जो मूल समस्या है-इसका सम्बन्ध पुलिस से भी है, प्रशासन से भी है और समाज से भी है। जब तक छोटे और बड़े दो तरह के नागरिक इस देश में रहेंगे, इस तरह की घटनायें होती रहेंगी। इस को ठीक किये बिना

यदि हम चाहेंगे कि ऐसी घटनायें न हों, तो यह मन को भुलावा देने की बात होगी । इसलिए मेरा निवेदन है कि यह सरकार बराबर आश्वासन देती रहती है और उस आश्वासन का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, वह आश्वासन पूरा होना चाहिए । महोदय, मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि चाहे किसी हरिजन की हत्या होती हो, चाहे कोई बलात्कार का केस होता हो, कभी किसी केस में किसी बड़े पुलिस अफसर को निलम्बित नहीं किया गया । भले ही कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल को निलम्बित कर दिया गया हो लेकिन कभी डी० आई० जी० या एस० पी० को ऐसे के सिज में निलम्बित नहीं किया गया । उनको भी निलम्बित किया जाना चाहिए । फिर यह सवाल केवल निलम्बन का ही नहीं, उनके प्रशिक्षण का भी सवाल है ।

इन शबदों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

सभापति महोदय : श्रीमती विद्या चेन्नुपति : आप तीन-चार मिनट बोलिए, दूसरे सदस्य भी बोलना चाहेंगे ।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं पर बलात्कार के विषय में हमारे भाई लोग भी अच्छी तरह से बोले हैं और हमारी महिला सदस्सों ने भी बहुत सी बातें कहीं है । मैं तो यह कहना चाहती हूं कि यह जो महिलओं की समस्या है, यह हमारे भाइयों की भी समस्या है । हमारी महिलाओं पर जो बलात्कार होता है, उस के कारण समाज में उनका सोशल बायकाट हो जाता है । जब भी किसी लड़की पर रेप होता है तो उसको समाज में अच्छा स्थान नहीं दिया जाता । छोटी-छोटी लड़कियों पर, जो कि 14 साल की लड़कियां होती हैं उन पर भी रेप किया जाता है । उन पर यह रेप केस होने से उनका विवाह नहीं होता । इस तरह से उनका सोशल बायकाट सा हो जाता है ।

महिलाओं पर बलात्कार कभी-कभी गुंडाइज्म से होती है तो कभी कभी पुरुषों की आदत ऐसी हो जाती है जिसके कारण भी होती है । कुछ पुरुषों की आदत ऐसी बन जाती है जिसके कारण वे महिलाओं पर रेप करते हैं । जिन पूरुषों की यह आदत हो जाती है उन पुरुषों के साथ रहने वाली महिलाओं को कोई रास्ता ही नहीं होता है । ऐसी बहुत-सी महिलाओं के हमने केस देखे हैं । जब उनके बारे में पुलिस में रिपोर्ट करायी जाती है तो पुलिस वाले उन्हें पुलिस स्टेशन में रखते हैं और वहां भी उन पर रेप किया जाता है । इस तरह से महिलाओं को पुलिस में भी सुरक्षा नहीं मिलती है । इसके लिए मैं कहना चाहती हूं कि जो मर्द रेप केस में इन्वाल्व हो उनको अनबेलेबल वारन्ट में पकड़ा जाए और उसके बाद उन्हें रिलीज न किया जाए । नहीं तो वे लोग पकड़े जाने के बाद कोर्ट से बेल लेकर छूट आते हैं और अपनी आदत से बाज नहीं आते ।

इस में अमीर और गरीब महिलाओं की प्राब्लम नहीं है । सभी तरह की महिलाओं की एक ही तरह की समस्या है । कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस वाले जिन औरतों पर रेप करते हैं उन्हें प्रोस्टीच्यूट कह दिया जाता है । इस तरह से वे छूट जाते हैं । यह भी गलत है । किसी भी प्रोस्टीच्यूट के साथ रेप करना गलत है और उनके साथ जो रेप करते हैं उन्हें छोड़ देना अच्छा नहीं है ।

महिलाओं की जितनी प्राब्लम हैं उनके लिए गवर्नमैंट कानून बहुत से बनाती है लेकिन उनका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होता है। पुलिस वाले भी उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। महिलाओं के बहुत से कानून ऐसे हैं जिन में बहुत समय लग जाता है। कोर्ट में बहुत समय लग जाता है। इसलिए मेरी यह इच्छा है कि सरकार जो भी कानून बनावे, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी तरह से होना चाहिए। हमारी महिलाओं की जो प्राब्लम है या जो महिलाएं इन रेप केसिज का शिकार है उनके लिए बड़ा आनर का सवाल है। उनके सामने समस्या होती है कि वे कैसे अपने पिता जी को कहें, कैसे अपने हैसबेण्ड को कहें। यह बहुत बड़ा प्राबलैम है। जो बलात्कार की बहनें शिकार होती हैं वे इस बात को बाहर किसी को कह भी नहीं सकती हैं। इस वास्ते यह बहुत बड़ा प्राबलैम है। सरकार को ही इसका कोई उपाय करना होगा और हम को इज्जत देनी होगी। सरकार जो कानून बनाती है उन के इम्प्लीमेंटेशन पर भी उसको जोर देना चाहिये।

जो भी कानून बनाए जाते हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये कि वे औरतों को इज्जत दें, उनकी इज्जत बनाए रखने में सहायक हों। भाई जो हमारे पक्ष में बोले हैं उनको भी मैं बहनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : माननीय सदस्या श्रीमती मुखर्जी ने इस प्रस्ताव को रखते हुए जो भावनायें व्यक्त की हैं तथा अन्य माननीय सदस्यों और सदस्याओं ने व्यक्त की हैं, उन भावनाओं के साथ मैं अपनी भावनाओं को भी जोड़ना चाहती हूं और उनकी भावनाओं की कद्र करती हूं। मैंने इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन भी दिए हैं जो मैं आशा करती हूं कि स्वीकार कर लिए जाएंगे। बेइंसाफी, अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध वातावरण तैयार तो किया ही जाना चाहिये और ये सब बन्द भी होने चाहियें और महिलाओं को जीने का अधिकार तो मिलना ही चाहिये लेकिन यह जो समस्या है यह कोई नई समस्या नहीं हैं। यह बरसों से चली आ रही है। यह बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। हमारे यहां कानून कुछ ऐसे बने हुए हैं जो त्रुटिपूर्ण हैं और इस कारण से भी हमारे देश में आए दिन बलात्कार की घटनाएं हुआ करती हैं। मैं मानती हूं कि कानून बना देने से ही समाज में सुधार नहीं हो हो सकता है। मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहती हूं कि यदि किसी लड़की के साथ बलात्कार जैसी कोई घटना होती है और अगर लड़का उससे बाद में शादी करने के लिए तैयार भी हो जाता है तो ऐसी कितनी सासें हैं, मदर्ज इन ला हैं जो उसको बहु के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार होंगी ? ऐसा नहीं होता है।

सभी जानते हैं कि डौरी के खिलाफ हमने कानून बना रखा है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यह सही नहीं है कि डौरी की प्रथा दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है, भीतर ही भीतर चुपचाप क्या उसको ले नहीं लिया जाता हैं जिस की जानकारी बाहर के लोगों को मिल भी नहीं पाती है। जब दो परिवारों का सम्बन्ध स्थापित होता है तो एक परिवार दूसरे परिवार वालों को जेल भेजना नहीं चाहता है। इस वास्ते यह बात खुलती नहीं है।

हमने बाल विवाह, विधवा विवाह के बारे में कानून बना रखे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि कितने प्रतिशत ऐसे कानूनों को हम इम्प्लेमेंट कर पाते हैं ? मैं मानती हूं कि कानून में संशोधन जरूर होना चाहिये लेकिन उसके साथ-साथ हमारा जो दृष्टिकोण है वह भी बदलना चाहिये। हमारे देश में पचास प्रतिशत महिलायें हैं और पचास प्रतिशत पुरुष हैं। पुरुषों के बराबर हमारी भी आबादी है। लेकिन देखने में आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत डिसपैरिटी है। इस कमी को भी पूरा करना होगा और महिलाओं को हमको शिक्षित करना होगा। जो समाज सेवी संस्थायें हैं महिलाओं की या पुरुषों की भी, उनको भी एक ऐसा एटमसफीयर क्रियेट करना होगा जिसमें इन सब बातों को उचित महत्व मिले। इन सब संस्थाओं को भी देखना होगा कि इस तरह की घटनाएं न घटे।

यह एक ऐसा सवाल हैं जिसको राजनीति से, दलगत भावना से ऊपर उठ कर हमको लेना चाहिये था और विचार करना चाहिये था। लेकिन मुझे दुख है कि जिन बहन ने इस प्रस्ताव को उपस्थित किया है, ऐसा लगता है कि वह भी दलगत राजनीति में पड़ गई है और इसमें कुछ राजनीति की बू भी आती है। विपक्ष के जो सदस्य या सदस्यायें बोली हैं उन्होंने ऐसा आभास दिया हैं जैसे जब से श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री हुई है तभी से ये सारे अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने एलार्मिंग शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ तो यह निकलता है कि जो रेप एलार्मिंग नहीं है, जो नार्मल रेप नहीं है, वह रेप ही नहीं होगा। सभी प्रकार के बलात्कार चौंका देने वाले होते है। उनसे सम्बद्ध औरत दर्जा चाहे समाज में कुछ भी क्यों न हो। बहुत सी ऐसी रोजाना घटनाएं हो जाती हैं जिनका लोग नोटिस ही नहीं लेते हैं। इस वास्ते यह जो एलार्मिंग शब्द है इसको आपको हटा देना पड़ेगा क्योंकि आल रेप्स आर एलार्मिंग। जो महिला 13-14 साल की है और धनी परिवार की है उसके साथ अगर दुर्व्यवहार होगा तो उसको क्या आप रेप नही कहेंगे ? मैं नहीं चाहती कि इसमें वर्गीकरण किया जाए।

इन्होंने यह भी लिखा है कि हायर्ड एंटी सोशल एलीमेंट्स .....

सभापति महोदय : अब गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यवाही को लिया जायेगा। जब इस प्रस्ताव पर पुनः विचार किया जायेगा, आप उस समय अपना भाषण जारी रखियेगा।

श्रीमती कृष्णा साही : अगर अब समय नहीं है तो मैं दूसरे सेशन में बोल लूंगी क्योंकि मुझे तो अभी बहुत कहना है, थोड़ा समय दिया जाय।

सभापति महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यवाही आरम्भ की जाती है।

श्रीमती कृष्णा साही : तो दूसरे सेशन के लिये इसको रख दें। मुझे तब बोलने का मौका दिया जायगा ?

सभापति महोदय : जी हां।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेंगे।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक

(धारा 17 और दूसरी अनुसूची का संशोधन)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 का संशोधन" करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 19 और 326 का संशोधन)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रो. मधु दण्डवते : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अष्टम अनुसूची का संशोधन)

डा० कर्ण सिंह (उधमपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

डा० कर्ण सिंह: मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक

श्री पी० जे. कुरियन (मावेलीकारा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 ; संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 ; संविधान (दादरा और नागर हवेली) (अनुसूचित जातियां) आदेश 1962 ; संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां, आदेश, 1964 ; और संविधान (गोआ, दमण और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 ; संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 ; संविधान (दादरा और नगर हवेली) (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1962 ; संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां, आदेश, 1964 ; और संविधान (गोआ, दमण और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी. जे. कुरियन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

मृत्युदण्ड उत्सादन विधेयक

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागओ) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के मृत्यु दन्ड के उत्सादन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारत में मृत्युदण्ड के उत्सादन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी निवारण विधेयक

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं गार्य सूची की मद 8 में दर्ज सीमा आयोग विधेयक पुरः स्थापित नहीं कर रहा हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा उनमें मुनाफाखोरी के निवारण का उपबंध वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा उनमें मुनाफाखोरी के निवारण का उपबंध वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

निःशुल्क विधिक सेवा विधेयक

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय मामलों में निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले विधेयक को पुरःस्थापित कराने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि कतिपय मामलों में निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 102 और 103 का संशोधन)—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब श्री मधु दण्डवते द्वारा 14 मार्च, 1980 को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार आरम्भ करते हैं : अर्थात्

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

श्री जित बसु (बारसाट) : इस विधेयक के लिए कितना समय आवंटित किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : दो घन्टे। 5 मिनट ये पहले ले चुके है। 1 घन्टा 55 मिनट शेष रहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे दल-बदल विरोधी विधेयक की विषय-वस्तु विवाद से परे है। और मुझे विश्वास है कि उन सभी सदस्यों को जो स्वस्थ लोकतांत्रिक जीवन में तथा संसदीय लोकतन्त्र के मूल्यों को सुरक्षित रखने में रुचि रखते है, मेरे विधेयक की विषय वस्तु का हृदस से समर्थन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

आज दल-बदल ने दुर्भाग्यवश राजनीतिक वातावरण को दूषित कर दिया है और संसदीय लोकतन्त्र के लिए इसका खतरा बढता ही जा रहा है। राजनीतिक दल-बदल की बुराई कोई नई नहीं है। यदि आप दल-बदल का इतिहास उठाएं तो आपको पता चलेगा कि 1967 के पश्चात् विशेष रूप से 1967-68 में काफी दल-बदल हुए जो कि आज हो रहे दल-बदल का प्रारम्भ था।

यदि मुझे आंकड़े रखने की अनुमति दी जाए तो मैं आपको बताऊं कि उन 12 महीनों में 438 दल-बदल हुए और उनमें से 210 विभिन्न राज्यों की मन्त्री परिषदों में शामिल हुए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पद के लालचवश ही विधायकों ने राजनीतिक निष्ठा बदली है और दल-बदल किए ताकि वे राजनीतिक लाभ उठा सकें। उस समय राज्यों में राजनीतिक दलों का शासन नहीं था बल्कि दल-बदलुओं का शासन था। अतः उन लोगों को, जो हमारे प्रजातान्त्रिक जीवन के स्वस्थ चलन में, हमारे संसदीय प्रजातन्त्र के प्रयोग में स्थिरता लाने में रुचि रखते हैं, यह सुनिश्चित करना होगा कि दल-बदल की यह पुरानी बीमारी दूर हो जाए।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि पिछली सरकारें इस विशिष्ट आवश्यकता के प्रति जागरूक नहीं थीं।

कुछ माननीय सदस्य : ओह !

प्रो० मधु दण्डवते : मैं पिछले 30 वर्षों की सरकारों का जिक्र कर रहा हूं। मै आपकी सराहना कर रहा हूं और आप इसकी दाद नहीं दे रहे हैं। मैं वह सब बताने जा रहा हूं जो आपने किया और जिसकी मैं पुष्टि भी करूंगा।

इस सभा ने 8 दिसम्बर 1968 को श्री वेंकटसुब्बया द्वारा जो अब माननीय मंत्री हैं और चर्चा में हस्तक्षेप करने वाले हैं, पेश किये गए संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकृत दी थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : उस समय उन्हें इसकी पूर्वाशा न थी।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इस सभा के माननीय सदस्यों की याददाश्त ताजा करने के लिए उस संकल्प को पढ़ देता हूं।

(व्यवधान)

जिस दिन मैं दल- बदल करूंगा विश्वास रखिये मैं लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दूंग।

उस समय पेश किया गया संकल्प यह था :

> "इस सभा की राय है कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा संवैधानिक विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए जो विधेयकों द्वारा एक पार्टी से दूसरी पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा बदले जाने तथा बारबार दल-बदले जाने की समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करे और इस संबंध में सिफारिश करें।"

इस समिति में 19 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष यशवन्त राव चव्हान थे और मुझे यह स्मरण करके बहुत प्रसन्नता होती है कि राष्ट्र की आत्मा स्वर्गीय श्री जय प्रकाश नारायण इस समिति के सदस्य थे तथा संविधान के क्षेत्र की महान हस्तियाँ जैसे श्री एम० सी० सीनलवाड, श्री एच० एन० कुंजरु, श्री दफ्तरी तथा अन्य कई प्रमुख व्यक्ति इसके सदस्य थे। इस समिति ने बहुमूल्य कार्य किया। दल-बदल संबंधी इस समिति ने काफी लम्बे समय तक विचार-विमर्श किया और उन्होंने विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से ज्ञापन प्राप्त करने के प्रयत्न किये और अपनी चर्चाओं के आधार पर उन्होंने एक मत पर पहुंचने का प्रयत्न किया। जहाँ तक दल-बदल की समस्या का संबंध है आज भी यह विवाद का विषय है कि दल-बदल किसे कहा जाए। उस समिति में स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण ने दल-बदल की एक परिभाषा रखी और दल-बदल की वही परिभाषा लगभग सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली गई। उस समिति के सदस्य के रूप में श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा दी गई परिभाषा इस प्रकार थी :

> "विधान मण्डल के किसी ऐसे निर्वाचित सदस्य द्वारा, जिसे किसी राजनीतिक दल के लिए आरक्षित चिन्ह दिया गया हो उस दशा में दल-बदल किया गया माना जाएगा जब वह ससंद के दोनों सदनों में से किसी एक के लिए या विधान सभा या राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचित होने के पश्चात् स्वेच्छा से उस पार्टी में निष्ठा छोड देगा या उससे संबंध तोड लेगा, बशर्ते कि उसकी यह कार्यवाही संबंधित पार्टी के निर्णय का परिणाम न हो।"

श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा समिति के सदस्य के रूप में यह परिभाषा दी गई थी। उसमें सभी राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि थे। मुझे प्रसन्नता है कि 1967 में उस समिति का इस प्रकार गठन किया गया था कि समिति पक्षपात और राजनीतिक हितों से ऊपर रहे। मुझे यह याद करके प्रसन्नता होती है इस सभा के माननीय सदस्य श्री रंगा भी उस समिति के सदस्य थे और उन्होंने भी दल बदल संबंधी उस समिति को काफी योगदान दिया था। समिति ने कई सिफारिशें की थी। समिति दल बदल की समस्या न केवल कानूनी समस्या से संबंधित थी अपितु राजनीतिक

पहलू, नैतिक पक्ष, समाजिक पक्ष से भी संबंधित थी। उन्होंने कुछ सूत्र बनाए थे और उसके आधार पर, परस्पर सहमति के आधार पर उसने कतिपय सिफारिशें की थी। उसने एक यह महत्वपूर्ण सिफारिश की थी कि राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता बनाई जाए और मैं समिति के इस विचार से पूर्णतया सहमत हूं कि सरकार संविधान में संशोधन करके समिति के उक्त इरादे को कार्यरूप देना चाहिए।

श्री भगवान देव : आपने ढाई साल में क्या किया ?

प्रो० मधु दंडवते : वह भी बताता हूँ। नौजवान, थोड़ा धैर्य रखो। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठने का प्रयत्न कर रहा हूं। हम में यह भावना होनी चाहिए। (व्यवधान) इतनी अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल मत करिये। हमें कुछ धैर्य रखना चाहिए। मै इसी प्रकार जोर से लगातार तीन घंटे बोल सकता हूं। मैं ऐसा कर सकता हूं। इस सभा में कुछ संसदीय प्रथा सीखने का प्रयास कीजिए। मैं उस काम का जिक्र कर रहा हूं जिससे आपकी पार्टी के सदस्य संबंधित रहे हैं और आपको इस पर गर्व होना चाहिए।

श्री भगवान देव : ये बातें आप ही सिखाते रहते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको सिखाने की हिमम्त नहीं करूंगा। आप सीखने की स्थिति से बहुत आगे चले गये हैं। आप शान्ति से सुनिये।

चिल्लाकर सभी समस्याओं को छोटा मत बनाइये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस युवक को विश्वास दिला सकता हूँ कि यदि जोर से बोलने की प्रतिस्पर्धा हो तो मेरी आवाज उनसे ऊंची ही रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने अपनी ठीक आयु बताई है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने अपनी ठीक आयु बताई है। मैं इस लिए छोटा पिटवाई नही दे रहा हूँ कि मेरी पत्नी सभा में बैठी है।

अत: राजनीतिक पार्टियों की आजार संहिता एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर इस समिति ने जोर दिया है और ये इस मत पर पहुंचे है कि ऐसी एक आजार संहिता बनानी पड़ेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी समिति बनानी होगी कि विकसित की गयी आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। यह पहली सिफारिश थी।

दूसरी सिफारिश यह "थी किसी ऐसे व्यक्ति को "प्रधान मंत्री अथवा मुख्य मंत्री के रूप में नियुक्ति पर रोक, जो लोक सभा या विधान सभा का सदस्य नहीं है।" यह एक बहुत अच्छी सिफारिश थी। अभी हम इसे लागू कर रहे हैं। जो कोई भी प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री बनता है, उसे क्रमश: लोक सभा या विधान सभा का सदस्य होता है।

तीसरी सिफारिश थी " दलबदलु की मंत्री के रूप में एक वर्ष के लिए नियुक्ति पर रोक लगाना"। मैं इस के साथ पूरी तरह सहमत नहीं हूं। क्योंकि मेरे संशोधन की विषय वस्तु इस प्रकार की है कि एक बार यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक दल के प्रति अपनी निष्ठा को बदल लेता

है, तो उसके मंत्री बनने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि वह उस विधान मंडल का सदस्य नहीं रहता जिससे वह संबंधित है।

चौथी सिफारिश, जोकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश थी, वह मंत्रालय के आकार को 10 या 11 तक सीमित करने के बारे में थी, जो इस बात पर निर्भर है कि क्या द्विसदनीय है अथवा एक सदनीय है। यहां मैंने पूर्व आकड़ों के आधार पर यह विचार आपके समक्ष रखा है कि 12 महीनों में 438 दल बदलुओं में से 210 दलबदलू विभिन्न मंत्रिमंडलों के सदस्य बन गये। इससे पता चलता है कि यह पद का लालच ही है जो वास्तव में दलबदलूओं को अपनी राजनीतिक निष्ठा को बदलने के लिए प्रेरित करता है। अतः दलबदल संबंधी समिति ने मंत्रिमडल के आकार को 10 अथवा 11 तक सीमित करने का सही सुझाव दिया है।

एक और सिफारिश यह थी कि मंत्रिपरिषद् को सभा को भंग करने का अधिकार दिया जाये। यदि मत्रि परिषद् को यह अधिकार प्राप्त है, तो यह निवारक के रूप में कार्य करेगा और दलबदल करने वालों को यह डर रहेगा कि दलबदल का पूर्व अनुमान करते हुए मंत्रिपरिषद् समूचे सदन को भंग करने की सिफारिश कर सकता है और ऐसा होने पर दलबदल करने से भी उन्हें राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगी।

ये विभिन्न प्रकार की सिफारिशें है जोकि समिति द्वारा पहले ही की गयी थीं। किन्तु हाल के इतिहास तथा अतीत के इतिहास ने यह प्रमाणित कर दिया है कि इन सिफारिशों का प्रभाव दूरगामी हो सकता है पर समाज का पूरी तरह नही हो सकता। अतः कुछ सांविधिक परिवर्तन करना सर्वथा आवश्यक है। केवल राज्य स्तर पर ही दलबदल नहीं हो रहे हैं, बल्कि राज्य सभा तथा लोक सभा में भी हो रहे है। मेरा प्रस्तावित सशोधन सीमित प्रकार का है। मैं अनुच्छेद 102 में केवल एक संशोधन कराने का प्रयास कर रहा हूं जो संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों को अयोग्य ठहराने के बारे में है। अनुच्छेद 191 में राज्य विधान मंडलों अथवा विधान परिषदों के सदस्यों की अनर्हता के बारे में विचार किया गया है। इस के प्रसंग में मैं यह चाहूंगा कि उस संशोधन को भी स्वीकार कर लिया जाये। किन्तु इस समय मैंने अपना ध्यान केवल अनुच्छेद 102 पर केन्द्रित किया हुआ है। यदि संशोधन की भावना को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस दशा में हम बाद में अनुच्छेद 191 का, जिसमें राज्य, विधानमंडलों तथा विधान परिषदों की सदस्यता के लिये अर्हताएं निर्धारित की गयी है, संशोधन भी कर सकते हैं।

एक यह पहलू है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायः यह वाद-विवाद उठ खड़ा हो जाता हैं कि दल विभाजन और दलबदल में अन्तर क्या हैं। कुछ मित्र विभाजन और दलबदल के बीच एक बहुत अच्छा अन्तर बताने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे इस तर्क पर आश्चर्य होता है। उदाहरणार्थ यदि एक व्यक्ति चोरी करता है, इसे चोरी बताया जाये और यदि 10 व्यक्ति अथवा 25 व्यक्ति चोरी करते हैं तो उसे डकैती कहा जाये। यदि मैं चोरी अथवा डकैती का शिकार हुआ हूं, तो उस व्यक्ति के लिए चोरी या डकैती का बौद्धिक अन्तर निरर्थक है। जिसकी भी सम्पत्ति या सामान जाता है, वह हमारे साथ इस बात से चिन्तित नहीं है कि क्या मध्यरात्रि के समय एक व्यक्ति उसके घर आता है और उसकी सम्पत्ति अथवा सामान चुरा करके ले जाता है अथवा कि क्या

10 व्यक्ति मिल कर उसके घर आते हैं और वास्तव में उसका सामान लूट कर ले जाते हैं। यह केवल बौद्धिक अन्तर है।

जहां तक उस व्यक्ति का संबंध है जिसका सामान चुरा लिया गया है, उसे केवल इस बात का दुःख है कि उसका सामान चुरा लिया गया है। अतः यदि हम दल विभाजन और दल बदल में थोड़ा अन्तर अथवा बहुत अच्छा अन्तर करने का प्रयास करते हैं, तो मेरे विचार में हमें कोई अन्तर नहीं लगेगा। विभिन्न राजनीतिक दलों में दल-बदल हुये हैं। दल-बदल जनता पार्टी, लोक दल, कांग्रेस (आई), कांग्रेस (यू) में हुये है। इसके साथ-साथ मैं अवश्य ही देश की वाम पंथी दलों की सराहना करूंगा और साम्यवादी मार्क्सवादी एवं भारतीय साम्यवादी दल तथा अन्य वाम पंथी दलों के अपने सहयोगियों को बधाई दूंगा जिनमें एक भी दल बदल नहीं हुआ है। (व्यवधान)

जब किसी की प्रशंसा की जाती है, तो आप को बुरा क्यों लगता है। (व्यवधान)

मैं उन दलों से संबंधित नहीं हूं किन्तु तथ्यों को बताना ही पड़ता है और इतिहास के तथ्यों में बिल्कुल ही हेर-फेर नहीं किया जा सकता। अतः, यदि मैं देखता हूं कि कुछ वामपंथी दलों में दलबदल नहीं हुआ है.....

एक माननीय सदस्य : ये उन 'डाकुओं की भांति हैं, जो सामूहिक रूप से अपना समर्थन कभी इस दल को कभी उस दल को देते रहते हैं।

एक माननीय सदस्य : हम आपकी तरह खरीद-फरोखत की जाने वाली वस्तुएं नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही कह चुके हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : हमें वाद-विवाद को जारी रखना चाहिये। (व्यवधान) मैं उनका इन से लिपट लूंगा, आप चिन्ता मत कीजिये।

मैं वस्तुओं का प्रश्न नहीं ला रहा हूं, किन्तु यह बात सच है कि राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है कि विधायकों का दर्जा कम करके उन्हें वस्तुओं का दर्जा दिया जा रहा है और विशेषकर संकट के समय वे 'आवश्यक वस्तुयें' बन जाते है। हम यह भी कह सकते है कि संविधान संशोधन विधेयक जिसे मैं पुरः स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूं, वह 'आवश्यक वस्तु' विधेयक है और इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे दृष्टिकोण से उस विशेष विधेयक का संसदीय लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत ही महत्व है। आज हमारा अनुभव क्या है? केन्द्र में क्या हुआ है। अभी उस दिन हमने पाया कि राज्य सभा में उद्घोषणा को स्वीकार कर लिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि विभिन्न विधान सभाओं के भंग करने संबंधी राष्ट्रपति की उद्घोषणाओं को स्वीकार कर लिया जाये, चूंकि राज्य सभा में समस्त विरोधी पक्ष की संख्या पर्याप्त नहीं थी, इसलिये अनेक चालों का सहारा लेना पड़ा। कुछ लोगों को एक दल से दूसरे दल में लिया गया और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान इस तरह ले जाया गया जैसे कि हम वस्तुओं को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन लाते-ले जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह बता दूं कि जब वे मतदान करते हैं, तो वे संसद सदस्यों के रूप में केवल उम्मीदवार के लिये ही मतदान करते है न कि, किसी एक विशेष दल से संबंधित संसद सदस्यों के रूप में। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : जो कुछ आपने कहा है, उसे मैं स्वीकार करता हूं। फिर भी आप मुझसे सहमत होंगे कि प्रत्येक दल राजनितिक दल अपने राजनितिक दल के सदस्यों को ह्विप जारी करता है और जारी किये गये ह्विप के आधार पर मतदान होता है। न केवल इस देश में, बल्कि ब्रिटेन की संसद में भी, जिसके आधार पर हमारी संसदीय प्रणाली स्थापित हुई है, संसद से संबंधित राजनीतिक दल के सदस्यों को भी एक ह्विप जारी किया जाता है उन्हें उस ह्विप को मानना होता है। यदि हम ह्विप का उल्लंघन किया जाताहै, तो कुछ देशों में इसे दल बदल समझा जाता है। अतः, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके बारे में आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। आप एक संसद शास्त्री हैं और आप मजदूर संघ से भी संबंधित हैं और इसलिये मैं आपको इस अतिरिक्त तथ्य के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे आप द्वारा कही गयी बात का खण्डन नहीं होता, बल्कि उससे आप द्वारा कही बात का अभिनन्दन व्यक्त होता है तथा उस बात का अनुपूरक हैं और अधिक बल भी मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल यही कहा कि संसद की सदस्यता के लिए वे संसद के चुनावों में भाग लेते है।

एक माननीय सदस्य : ह्विप गैर-सरकारी होता है।

प्रो० मधु दंडवते : ह्विप गैर-सरकारी होता है, किन्तु अनेक बाते गैर-सरकारी तौर से होती है। दलबदल भी सरकारी नहीं होता ; यह सब कुछ गैर सरकारी तौर से होता है। अनेक बातें छुप कर की जाती हैं। कोई संकल्प पारित नहीं किया जाता कि अमुक व्यक्ति ने इस दल से अन्य दल को दलबदल इसलिए किया कि उसे वैसा एक पद की पेशकश की जायेगी। ये सभी बातें पीठ पीछे होती है। कुछ सौदे तो खुले सौदे होते है और कुछ सौदे चोरी-छिपे होते है। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो एक सामान्य वक्तव्य दे रहे हैं और किसी विशेष दल के बारे में नहीं कह रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : आप यह महसूस क्यों करते हैं कि यह बात आप दल के बारे में कही जा रही है ? मैंने इस समय किसी विशेष दल का उल्लेख नहीं किया है (व्यवधान) मैंने अपने दल के नाम का भी उल्लेख किया है। आप उसे भूल गये। जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं बिल्कुल ही पक्षपात करने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं ने पहले अपने दल का नाम लेकर कहना आरम्भ किया था। मैं जानता हूं कि अनेक दल हैं। केवल उसी संदर्भ में मैंने वामपक्षी दल का उल्लेख किया था।

जो दलबदल हुये हैं, उनकी ओर देखिये। मैंने इस विधेयक को लाने का प्रयास क्यों किया है ? राज्य स्तर पर क्या हो रहा है ? इस देश में राजनीतिक वफादारियों को दो तरीकों से बेचा जा रहा है। राजनीतिक निष्ठा तथा वफादारी का व्यापार किया गया है। दो प्रकार के व्यापार

अर्थात थोक व्यापार तथा परचून व्यापार जिसमें विधायकों ने भाग लिया है, जिसमें मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया है। अपनी राजनीतिक वफादारी के थोक व्यापार के मामले में सम्बन्धित राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया है और संबंधित विधान सभा को भंग नहीं किया गया है। किन्तु जहां कहीं भी राजनीतिक वफादारी व्यापार परचून व्यापार रहा है, वहां केवल कुछ लोग इस ओर से उस ओर बिके हैं और उससे राजनीतिक संतुलन नहीं बिगड़ा है और उससे अभीष्ट दल को सत्तारूढ़ नहीं किया तो उस मामले में सरकार को बर्खास्त कर दिया गया है और विधान सभा को भंग कर दिया गया है। इस तरीके से राजनीतिक चालें चली जा रही हैं। हम वामपंथी हमेशा इस बात में विश्वास करते रहे हैं कि थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कितने वर्षों से राजीनितक चालें चली जा रही हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : यह काम होता रहा है। मैंने 1967 वर्ष का उल्लेख किया है। मैंने तथ्य और आंकड़े दिये हैं। जो कुछ मैं इस सभा में कहता हूं, मैं बिना आधार के कभी कुछ नहीं कहता। मैंने सभी तथ्य तथा आंकड़े दिये हैं। 1967-68 में जब दल-बदल हुये थे, कितने दल-बदल हुये, उनमें से कितने मंत्री बने, मैंने सभी तथ्यों का उल्लेख किया है। यदि हम विधायकों की राजनीतिक वफादारी के इस थोक व्यापार को रोकने में समर्थ नहीं हो पाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा आयेगा कि इस देश के सामान्य मतदाता इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इस देश में लोकतंत्र का परीक्षण सफल नहीं हुआ है। लोग प्रश्न पूछते। जब हम आपको एक विशेष चुनाव चिन्ह पर मतदान द्वारा चुन लेते हैं, तो इस बात की गारंटी क्या है कि अपने दल में दृढ़ता से बने रहेंगे। मैं मतदाताओं को दोष नहीं देना चाहता क्योंकि हमारी स्थिति की वास्तविकता यही है। हम अनेक राजनीतिक दलों को देखते हैं और लोग प्रत्येक मौसम के अनुसार अपनी राजनीतिक वफादारियों को बदलते रहते हैं। क्योंकि यह हो रहा है, हम वास्तव में राजनीतिक प्रणाली में अस्थिरता ला रहे हैं। इसी कारण से मैंने इस विधेयक को पेश किया है और सभा के सदस्यों की परीक्षा होने जा रही है। सभी राजनीतिक दलों ने कभी न कभी मतदाताओं को यह वचन दिया है कि वे अपनी राजनीतिक वफादारी को बिकने नहीं देंगे और कि राजनीतिक वफादारी को एक वस्तु के रूप में नहीं समझा जायेगा। यदि हमारे चुनाव अभियान में ऐसी घोषणा की गई है तो मैं समझता हूं कि यह हम सबकी परीक्षा है चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल के हों और चाहे हम इसके प्रति दृढ़ हों।

जहां तक मेरा प्रश्न है, जब मैं इस सभा के लिए निर्वाचित हुआ—और मुझे गर्व है कि मुझे देशमें किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक प्रतिशत मत मिले हैं—मैंने अपने मतदाताओं को आश्वासन दिया है कि जब मैं लोकसभा में जाऊंगा तो पहले ही सत्र में मैं दल-बदल विरोधी विधेयक पेश करूंगा और मुझे यह अवसर मिला है और मुझे प्रसन्नता है कि मैंने संसद के पहले छोटे सत्र में ही दल-बदल विरोधी विधेयक पेश किया है। और सौभाग्य से बैलेट में भी मेरी संख्या दूसरी रही है और यही कारण है कि मैंने यह विधेयक पेश किया है।

अतः मैं सभा के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि वे मेरे विधेयक को उचित संदर्भ में समझें। मैं अपने विधेयक पर सभा की सर्वसम्मति से स्वीकृति की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अलमोड़ा) : मान्यवर, माननीय दण्डवते साहब ने जो बिल यहां प्रस्तुत किया, मूल रूप में यदि उनके हृदय में भी वही भावना हो तो यह बिल समर्थन के लायक है। मगर अफसोस तब होता है कि उन के स्टेचर का आदमी इस तरह के बिल को केवल राजनीतिक उद्देश्य से यहां प्रस्तुत करता है।

मान्यवर, उन्होंने इस बिल को प्रस्तुत करते हुए अपने भाषण में कुछ बातों को कहा, मैं यह चाहता था कि वह अन्तर्मन से अपनी उन गलतियों को भी महसूस करते जो पिछले ढाई-तीन सालों के अन्दर उनकी पार्टी ने कीं, जब कि वे स्वय सरकार में थे, महत्वपूर्ण रुतबे पर थे। उन्होंने कहा—हम वामपंथी लोग जो कहते हैं ईमानदारी के साथ कहते हैं और फिर उसको लागू करवाना चाहते हैं। लेकिन, मान्यवर, सत्य इस के विपरीत है। उनको सोशलिस्ट पार्टी के लोग हमेशा कभी इधर गये और कभी उधर गये और इस तरह से उन्होंने वामपंथी इतिहास को, वामपंथ के चरित्र को कलंकित किया। उन को सत्ता में आने के बाद अवसर मिला था कि अपने कलंक को धोते, लेकिन, अफसोस कि ढाई साल तक सत्ता में रहने के बाद भी सोये रहे। इसके लिये कोई भी क्रांतिकारी कदम नहीं उठा पाये कि उन की पार्टी इस सदन में कोई ऐसा विधेयक लाती और उस को पास करवाती।

आज भी उन की पार्टी के पास ऐसे लोग है जो डिफेक्शन में विश्वास रखते हैं, जो आज भी डिफेक्ट कर सकते हैं और आज भी इस बात को यह सदन बड़ी गम्भीरता से महसूस करता है कि कभी भी उनकी पार्टी के लोग डिफेक्ट कर के इधर आ सकते हैं या उधर जा सकते हैं। मुझे यह कहते हुए कोई हिचक नहीं है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी प्रतिपक्ष के अधिकांश नेता जो अपने-अपने दलों के रहनुमा कहलाते हैं, वे डिफेक्शन के जरिए से उस रुतबे तक पहुंचे हैं। माननीय दण्डवते साहब को चाहिये था कि जब वह इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे थे तो अपने उन साथियों का जो उनके साथ मंत्रीमंडल में थे, जिक्र करते। उन को चाहिये था कि सब से पहले चौधरी चरण सिंह जी की भर्त्सना करते, क्योंकि वे इस देश में दल-बदल के पितामह हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनने के लिए उन्होंने सब से पहले दल-बदल किया। जिस पार्टी ने उनको सेवा करने का महत्वपूर्ण अवसर दिया था, उन्होंने उस की पीठ में छुरा घोंपा। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि उन को मुख्य मंत्री पद की गद्दी हासिल कराने में माननीय दंडवते साहब की पार्टी का भी हाथ था। उस समय माननीय दण्डवते साहब भी सोशलिस्ट पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य थे, वह अपने इस गलत काम के प्रति अफसोस जाहिर करते, तो मैं उनकी मंशा को समझ सकता था, उनकी भावना का स्वागत कर सकता था।

यही हालत हमारे कम्यूनिस्ट भाइयों के साथ है। यद्यपि उन के यहां पार्टी के रूप में डिफेक्शन नहीं है, लेकिन सिद्धान्तों के रूप में डिफेक्शन है। वे लोग देश के सिद्धान्तों के साथ डिफेक्शन करते हैं, कभी किसी देश के साथ अपने सिद्धान्तों को जोड़ लेते हैं और कभी किसी के साथ जोड़ लेते है। यही हालत हमारे लोक दल के लोगों की है—वह तो बना ही डिफेक्शन्ज के आधार पर है।

माननीय दण्डवते साहब ने चाहे अपनी गल्तियां, अपनी भूलें महसूस न की हों, लेकिन मैं इस हाउस से निवेदन करना चाहता हूं कि उन की बातों को गम्भीरता से लेना चाहिए। हमें इन के राजनीतिक परिपेक्ष्य में नहीं जाना चाहिए, हम को देश के आगे आने वाले भविष्य को सोचना चाहिये, महसूस करना चाहिए। इस हाउस से मेरा निवेदन है कि हम कुछ ऐसी मान्यतायें आपस में विकसित करें, कानून बनाने से इस का हल नहीं निकल सकता है, जब तक राजनीतिक दल स्वस्थ मनोभावनाओं से दलबदल की इस बीमारी के निदान के विषय में नहीं सोचेंगे तब तक इस समस्या का हल नहीं निकल सकता है, अन्यथा यह बुराई, यह बीमारी इसी तरह से पनपती रहेगी। यदि हम एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करते रहें तो कभी आप दोषी थे, कभी हम दोषी हो सकते हैं। सुविधा के लिए हम इस दोष को एक दूसरे के गले मंढ़ते रहते हैं।

मान्यवर, यहां पर छोटे-छोटे राजनीतिक दल आज जिस रूप में उभर कर आ रहे हैं, जिस तरह से आज विरोधी पक्ष के नेता लोग आपसी स्वार्थ के कारण एक दूसरे की टांग खीचने में लगे हुए हैं यह डिफेक्शन की सब से बडी बुराई है। विपक्षी दलों को चाहिए कि एक स्वस्थ राजनीतिक विपक्ष के रूप में अपने को एकीकृत करें और अपने को आगे लाएं। अगर वह राष्ट्रीय विचारधारा के अनुसार अपने को एक मंच पर लाएंगे तो हम भी उसका स्वागत करेंगे, हमारी सरकार भी उसका स्वागत करेगी और यह देश भी उसका स्वागत करेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आज विपक्ष रचनात्मक विपक्ष नहीं है। यह विपक्ष वह विपक्ष नहीं है जो 1977 के बाद हमारी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस पार्लियामेंट को दिया, इस देश को दिया। आज भी विपक्ष में ऐसे लोग हैं जो डायनामाइट के आधार पर इस देश की स्वतंत्रता को भी खतरे में डाल सकते हैं, इस देश की शान्ति और अमन को कभी भी खतरे में डाल सकते हैं। आज भी उधर ऐसी ताकतें हैं जो देश को कभी भी साम्प्रदायिकता और जातीयता से बर्बाद कर सकती हैं। कभी भी इस देश के लोगों के मन में आपस का वैमनस्य पैदा कर सकती हैं, इस देश की आजादी और शान्ति को खतरे में डाल सकती हैं।

मान्यवर, मैं अपने विपक्ष के भाइयों से निवेदन करूंगा कि वे अपनी सैद्धान्तिक त्रुटियों को, उनके राजनीतिक दर्शन में त्रूटियां हैं, उनको दूर करें। तभी डिफेक्शन की यह बुराई दूर हो सकती है। हमारी कांग्रेस पार्टी और हम ईमानदारी के साथ इसको रोकना चाहते है और हम दिल से इसको रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि थोक में कभी दल-बदल होता है, कभी फुटकर में दल बदल होता है। मान्यवर, उनके साथ कुछ लोग 1977 में निहित स्वार्थों के कारण चले गये थे। यदि वही लोग जो कांग्रेस कल्चर के लोग हैं, जो कांग्रेस के सिद्धन्तों में, कांग्रेस के दर्शन में विश्वास करते हैं, जो उनके साथ चले गये थे, आज अपनी गलती को महसूस करके, अपनी भूल को स्वीकार करके फिर से वापस आ जाएं, अपनी राजनीतिक कल्चर में वापस आ जाएं और हम उन्हें स्वीकार कर लें तो यह बदल नहीं है। वे तो अपनी कांग्रेस की कल्चर में, अपनी मुक्त धारा में आ मिले हैं और हमने उनको अंगीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया हैं। इस को दल-बदल कहना मूर्खता है। दण्डवते जी तो सयाने आदमी है, मूर्खता की बात तो मैं नहीं कह सकता लेकिन उसके नजदीक की बात कह सकता हैं। (व्यवधान)

जैसा मैंने पहले कहा, दल-बदल तो होगा, दण्डवते साहब की पार्टी में, माननीय चौधरी चरणसिंह जी की पार्टी में और छोटी-छोटी पार्टियों में जो उधर बैठी है। उनके दिल में, जो मुझे

उकसाने की बात कर रहे हैं, शायद मेरी बात चुभ रही है, शायद उनके दिल में मेरी बात असर डाल रही है, इसीलिए वे यह कह रहे हैं।

मान्यवर, मैं कहता हूं कि इस सदन का सब से नौजवान सदस्य होने के नाते वे मेरी बातों को, इस देश की आने वाली पीढी की भावनाओं को समझें और यह समझें कि भविष्य में आने वाली पीढी इस दल-बदल को किस परिप्रेक्ष्य मे सोचती है। मुझे उम्मीद है कि विपक्षी दल के लोगों, माननीय दण्डवते और उनके साथियों को इस बात को समझ कर सद्बुद्धि आयेगी। इसके साथ ही मैं समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रावत, क्यों कि आप बिल्कुल युवा है, दल-बदल का रोग आपको लगा नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यहां नहीं हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल।

1609

श्री शिवराज वी पाटिल (लातूर) : महोदय, इस विधेयक में निहित सिद्धान्तों का विरोध करना संभव नहीं हैं। किन्तु समस्या बहुत सरल नहीं है। केवल संविधान में संशोधन करने से इसका समाधान नहीं हो सकता है। यह बहुत पेचीदा है। जब तक इसके सभी पहलुओं पर हम पूरा ध्यान नहीं देते तब तक इस प्रकार के रोग को दूर करना कठिन है जिससे हमारे देश के वर्तमान राजनीतिक जीवन पीडित है महोदय, मैं समझता हूं इस देश में किसी को भी इस प्रश्न को उठाने का अधिकार नहीं है। कहा गया है कि वही आदमी पत्थर फेंकें जिसने कभी कोई पाप नहीं किया है। मैं सभा के समक्ष उन तथ्यों का वर्णन नहीं करूंगा अथवा उन तथ्यों को नहीं रखूंगा जो सम्भवत: श्री दण्डवते के दावे की जड़ ही काटते है। कहा गया है कि दूसरों के बारे में निर्णय करना बहुत आसान है किन्तु दूसरों से अपने बारे में निर्णय करवाना बहुत कठिन है।

महोदय, हमारे समक्ष प्रश्न यह है। वास्तव में दल-बदल क्या ? ?

प्रो मधु दण्डवते : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि उन्होंने इस प्रश्न को उठाया है, मैं इस सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि जिस दिन मैं जनता पार्टी को छोडूंगा जिसके टिकट पर मैं निर्वाचित हुआ हूं, मैं लोक सभा की सदस्यता से भी त्याग-पत्र दे दूंगा। यह मैं एक सेकिन्ड में ही करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इसकी कोई सम्भावना है क्यों कि आप बार-बार यह कहते आ रहे है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि श्री दण्डवते हमें तथा इस सभा को छोडें।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री(श्री पी० शिवशंकर) : वैसे ही मैं चाहता हूं कि वे इस सभा में बने रहें ताकि उनकी सलाह हमें मिलती रहे।

श्री शिवराज वी० पाटिल : सभा में सभी सदस्यों की यही भावना है और हम नहीं

चाहते कि श्री दण्डवते अपने दल को या इस सभा को छोड़ें। हम चाहते हैं कि वह अपने दल में और इस सभा में रहें और सभा की कार्यवाही में इस प्रकार सहायता करें। जिससे समस्त जनता को लाभ हो।

किन्तु, महोदय, प्रश्न बहुत कठिन है। दल-बदल वास्तव में क्या है ? यह एक सबसे कठिन प्रश्न है जिसका समाधान किया जाना है। यदि कोई व्यक्ति एक दल को छोड़ता है और दूसरे दल में जाता है अथवा दूसरे दल में शामिल नहीं होता है तो क्या इसे दल-बदल नहीं कहा जायेगा ? यदि वह किसी दल में शामिल होता तो क्या होता है और यदि वह शामिल नहीं होता है तो क्या होता है। इसमें भेद किया जाना है। यदि किसी दल के कुछ सदस्य दूसरे सदस्यों के साथ मेल नहीं खाते हैं और यदि वे दल को छोड़ देते हैं और यदि वे एक ग्रुप में बैठ जाते हैं तो क्या हो जाता है ?

साथ ही महोदय, प्रश्न यह है कि दल लोगों के सामने चुनाव घोषणा लेकर जाते हैं और वे लोगों से कहते हैं कि वे उनके लिए ऐसा करेंगे किन्तु सत्ता में आने के बाद वे चुनाव घोषणा को क्रियान्वित नहीं करते। सदस्य का इसमें क्या कर्त्तव्य है ? क्या उसे उसी पार्टी में रहना चाहिए ? क्या उसे घोषणा पत्र के क्रियान्वयन न किए जाने पर आपत्ति नहीं उठानी चाहिए जो पार्टी ने लोगों के समक्ष रखा था। चाहे वह नाममात्र की निष्ठा रखता है या सिद्धान्तों में निष्ठा रखता है अथवा वह लोगों की इच्छाओं के प्रति निष्ठा रखता है। यह भी एक प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों में भेद किया जाना चाहिए और इन सभी प्रश्नों में अन्तर करने पर हमें इस सभा के समक्ष एक विधेयक या संकल्प अथवा जिस भी रूप में इसे रखा जाए रखना चाहिये और केवल तभी हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इन समस्याओं का समाधान किये बिना दल-बदल के रोग को हम केवल संविधान में संशोधन कर दूर नहीं कर सकते।

माननीय सदस्य ने कहा है कि हम अनुच्छेद 102 में संशोधन करें और इससे समस्या का समाधान हो जायेगा। माननीय सदस्य इन बातों पर सभा में केवल प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने लोगों को पक्का आश्वासन दिया है और वह विधेयक लाये हैं। हम इसकी सराहना करते हैं किन्तु केवल अनुच्छेद 102 का संशोधन करने से यह नहीं हो सकता है।

हमारे संविधान के अध्याय-3 में कहा गया है कि लोगों को अपनी राय तथा विचार बनाने का अधिकार है। अब आप इस कठिनाई को जो एक मूलभूत अधिकार है तथा जो हमारे संविधान में दिया हुआ है दूर करेंगे ? क्या आप यह कहेंगे—अच्छा, एक बार आप सभा के लिए निर्वाचित हो जाते हैं तो आप दल की राय या विचार धारा से अलग राय कैसे बना सकते हैं ? यही प्रश्न है। महोदय, जैसा कि आपने सही कहा है कि सभा में सदस्य सभा के सदस्य के नाते ही मतदान करते हैं न कि किसी विशेष दल के सदस्यों के नाते मतदान करते हैं। हमारे संविधान में दल का कोई उल्लेख नहीं है। आप संविधान के पहले पृष्ठ से लेकर पढ़िए। आप देखेंगे कि संविधान में 'दल' शब्द का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं है। संविधान के रचयिताओं ने पहले ही अपना दिमाग लगाया है और उन्होंने इस संविधान की रचना की है। किन्तु कहीं भी उन्होंने 'दल' शब्द का उल्लेख नहीं किया है। हमारे संविधान में 'दल' शब्द का उनके द्वारा उल्लेख न किए जाने का क्या अभिप्राय

था। हमारे संविधान में बहुत सी बातें शामिल की गई हैं। हमारा संविधान समस्त विश्व में सबसे बड़ा संविधान है फिर भी 'दल' शब्द का हमारे संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) . 'वकीलों का स्वर्ग'।

श्री शिव राज वी० पाटिल : यही कारण है कि यद्यपि मैं सिद्धान्तों का और माननीय सदस्य का स्वागत करता हूं किन्तु साथ ही मेरा निवेदन है कि केवल संविधान में संशोधन कर तथा यत्र तत्र परिवर्तन कर हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हमें इस समस्या का समाधान सभी पहलुओं पर विचार कर तथा लोगों के दिमाग में एक विचार-धारा और एक मनोवृत्ति बना कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह कैसे किया जा सकता है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यही समस्या है। मैंने भारतीय साम्यवादी दल (मा०) की बात नहीं की है। आप मुझे उसके बारे में कहने के लिये बाध्य कर रहे हैं। एक और बात है जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। माना मैं किसी ऐसे दल का हूं जो किसी दूसरे दल के साथ सहयोग करता है जिसकी विचारधारा उस दल से जिसमें मैं हूं भिन्न है.....

श्री नारायण चौबे (भिवनापुर) : वे एक मोर्चा बनाते हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह लोगों के साथ धोका धड़ी है.....

श्री नारायण चौबे : मैंने 'मोर्चा' कहा है 'धोका धड़ी' नहीं कहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : भ्रम बंगाली उच्चारण के कारण है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जब भिन्न-भिन्न विचार धाराओं के लोग इकट्ठा होते हैं और एक दल बनाते हैं तो इसे क्या कहेंगे, क्या यह दल बदल नहीं है ? मैं समझता हूं यह दल-बदल है, जब भिन्न-भिन्न विचारधाराओं के लोग एक साथ हो जाते हैं और दल बनाते हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें इस प्रकार का दल नहीं बनाना चाहिए और महोदय, यदि वे इस प्रकार का दल बनाते हैं तो अवश्य ही वे न तो अपने प्रति न लोगों के प्रति ईमानदार होते हैं और न ही वे देश का उचित रूप से शासन चला सकते हैं। विचारधारा से यह दल-बदल है।

यद्यपि मैं माननीय सदस्य के विचारों का आदर करता हूं साथ ही—मैं यह भी—कहूंगा कि संशोधन स्वीकार करना भी—इतना आसान नहीं है जिसका माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि इससे समाधान करने की बजाय अधिक समस्याएं पैदा हो जायेंगी। संविधान के सभी पहलुओं पर समाज में जो कुछ हो रहा है तथा हम सब मिलकर जो कुछ कर रहे हैं, ध्यान देने से ही हम वास्तव में इस समस्या का समाधान कर पायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री झारखंडे राय (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन कर रहा हूं। 1948 की बात है जब कांग्रेस-सोशलिस्ट पार्टी, जिसने 1947 में अपना नाम सोशलिस्ट पार्टी स्वीकार किया था, उसने अपने अखिल भारतीय महा सम्मेलन, जो कि नासिक में हुआ था, के बाद यह फैसला किया कि हम कांग्रेस को छोड़ दें। वह सब लोग कांग्रेस से बाहर आ गये, कुछ कांग्रेस में रह भी गये। उस समय हमारे उत्तर प्रदेश की असेम्बली के 9 आदमियों ने आचार्य नरेन्द्र देव के नेतृत्व में एम०एल०ए०शिप से इस्तीफा दे दिया। यह आदर्श 1948 में 9 विधायकों ने प्रस्तुत किया, जो कि सोशलिस्ट पार्टी के थे, लेकिन कांग्रेस टिकट पर चुने गये थे। क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के अन्दर की एक जमात मानी जाती थी, देखने में यह आया कि चुनाव में 9 की 9 सीटें वे हार गये। आचार्य नरेन्द्र देव जैसे महान व्यक्ति, दार्शनिक, विद्वान, देशभक्त भी एक कांग्रेस के आर्डिनरी उम्मीदवार के मुकाबले में फ़ैजाबाद में हार गये।

1969 में भी श्री गिरि साहब ने एक आदर्श प्रस्तुत किया। वह निर्दलीय उमीदवार की हैसियत में खड़े हुए। यद्यपि वह उपराष्ट्रपति थे और उस समय कार्यकारी राष्ट्रपति भी थे, यदि वह चाहते तो अपने पद पर रहकर भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया कि दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया और अपने दामाद के छोटे से घर में जाकर चुनाव लड़ा। जीते या हारे, यह बात अलग है। यह आदर्श रहा हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का, लेकिन अब ठीक उलटी गति हो गई है।

अब तो हालत यह हो गई है कि एक कार्टून को मैं थोड़ा सा आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। वह बात जब जनता पार्टी शासन में आई थी, तो उस पर लागू थी और अब वह कांग्रेस पर—कार्टून को थोड़ा पढ़ लें, उसमें आगे पीछे गांधी टोपी पहने, खद्दर का कुरता पहने हुए, धोती पाजामा पहने हुए हैं, तो उसमें लिखा है :—

चलो "काकर्सों" चलो

चलो "सत्ता के साथियों" चलो

चलो "चमचों" चलो

चलो "दायों बायों" चलो

चलो "अवसरवादियों" चलो

चलो अब "जनता पार्टी की ओर"।

वही बात अब भी है, चलो अब कांग्रेस (आई) की ओर। जो भगदड़ मची थी जनता पार्टी की ओर, उसके सत्ता में आने के बाद, क्या सचमुच वही बात आज कांग्रेस (आई) की ओर नहीं हो रही है। इतना नैतिक राजनीतिक पतन हमारे देश में हो रहा है 1967 के बाद, यह चिन्ता का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय। क्या समाचार पत्र में यह विज्ञापन था ?

श्री झारखंडे राय : यह केवल ऐसे लोगों का एक कार्टून है। यह अब भी उतना ही संगत है जितना उस समय था।

श्री झारखंडे राय : मैं यह कहूंगा कि यह विषय सचमुच ऐसा है, जिस पर हमें सोचना चाहिये ।

मैं एक बात कहूंगा कि केवल यह मान लीजिये इस सदन में कि अगर किसी पार्टी के टिकट पर हम ग्राम-प्रधान हों, ब्लाक प्रमुख हों, ब्लाक-क्षेत्र से हम जिला-परिषद् के मेम्बर हों, एम०एल०ए०, एम०पी० या मिनिस्टर हों, हम उस पार्टी को अगर छोड़ें तो उस पार्टी के टिकट पर चुने होने के कारण जिस पद पर हों, हम उससे इस्तीफा देने को विवश हो जायें, तो मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि 95 प्रतिशत डिफैक्शन रुक जायेगा ।

बड़े-बड़े तथाकथित जस्टिसों का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर यहां यह बात हो जाये तो मैं एक बार नहीं हजार बार यह सोचेगा कि पार्टी को छोड़े या न छोड़ें ।

इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि यह सदन एक स्वर से इसको स्वीकार करे, इसमें "इफ" एंड "बट" से लाभ नहीं होगा । उस वक्त जनता पार्टी की ओर भगदड़ मची थी । जैसे देहात में कौए होते हैं । जिस खेत में अच्छी मक्की पकी होती है, उसमें गिर पड़ते हैं । जब मक्की खत्म हो जाती है, तो फुर से उड़ जाते हैं । हम लोगों की हालत भी कौओं की सी हो गई है । धिक्कार है ऐसी एम एल ए–शिप, एम पी–शिप और मिनिस्ट्री पर ।

हरियाणा में जो कुछ हुआ, उस पर ताज्जुब होता है । ग्रुप का ग्रुप पार्टी को छोड़ देता है—और एक मिनट भी नहीं लगता है उनको स्वीकार करने में । इन्दिरा जी के दरबार में वे हाजिर होते हैं और एक शानदार फोटो भी आता है । केवल इन्दिरा जी नहीं बदलीं । लेकिन ग्रुप का ग्रुप डिफ़ेक्शन कर जाता है । क्या यह पतन नहीं है ? इसको कैसे रोका जाये ?

यह कानून बिल्कुल सही है । तीस साल तक कांग्रेस सत्ता में रही और तीन साल जनता पार्टी रही । हम लोग नौ साल यहां पर रहे । हर बार कहा जाता था कि अगले सत्र में इस बारे में कानून आयेगा । प्रतीक्षा करते-करते नौ साल बीत गये । उसके बाद जब जनता पार्टी शासन में आई, तब भी बड़ी उम्मीद थी कि ऐसा कानून आयेगा, लेकिन नहीं आया । अब आप लोग फिर सत्ता में आ गये हैं, तो वह कानून ले आइये । यह यश आपको मिलेगा । इतिहास में आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा कि आपने डिफ़ेक्शन के खिलाफ़ कानून लाया । लेकिन आज ऐसा कानून न लाने में ही आपका हित है—कौए आपकी तरफ भागे आ रहे हैं । लेकिन जब आप सत्ता से हटा दिये गये, तो वे सत्ता की तरफ़ भागेंगे । क्या ऐसे लोगों के रहते राजनैतिक नैतिकता, पोलीटिकल मारैलिटी, रह सकती है ? गांधी, पटेल, आज़ाद, नेहरू और सुभाष की कांग्रेस तो मर गई, अब तो कांग्रेस (आई) है । (व्यवधान) अगर आप ऐसा कानून लायें, तो हम उसका समर्थन करेंगे । यह कानून लाना आपका फ़र्ज़ है । चूंकि आप उसमें चूक गये, और चूक रहे हैं, इसलिए प्रोफ़ेसर साहब ने यह गैर-सरकारी विधेयक पेश किया है । उसका भी विरोध करना उचित नहीं है । यदि इस बिल में कोई कमियां हैं, तो आप एक काम्प्रिहेंसिव और सम्पूर्ण बिल लाइये, इन कमियों को पूरा करके लाइये ।

अगर आप ऐसा बिल नहीं लाते हैं, क्योंकि ऐसा करना आपके हित में नहीं है, तो इससे गलत परम्परा पड़ जायेगी । आगे चल कर जो कोई दूसरी पार्टी आयेगी, वह भी नहीं

लायेगी। इसलिए अगर देश में पोलीटिकल मारेलिटी को ऊंचा उठाना है, देश में एक आदर्श कायम करना है, तो इस विधेयक को सर्व-सम्मति से पास किया जाये। इसी में हमारे देश का कल्याण है।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी (सीतापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, डिफेक्शन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कांस्टीट्यूशन में यह जो संशोधन लाया गया है, सिद्धान्ततः उससे किसी का विरोध नहीं हो सकता है। लेकिन हमें देखना यह है कि क्या केवल कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 102 में संशोधन से ही डिफेक्शन रुक सकता है या क्या इसके लिए हमें कुछ और भी करना पड़ेगा।

जब मैं यहां बोलने के लिए खड़ी हूं, तो मुझे याद आ रहा है उत्तर प्रदेश एसेम्बली का वह दृश्य, जब चौधरी चरणसिंह "पहली बार" अपने 17 साथियों के साथ हमारी आंखों के सामने दल को छोड़ कर दूसरी तरफ चले गये थे।

एक माननीय सदस्य : आपने कहा है "पहली बार"। क्या कई बार हुआ है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : कई बार हुआ है। वह पहली बार थी। उस समय के मुख्य मंत्री, स्वर्गीय श्री सी० बी० गुप्त बैठे थे। गवर्नर के एड्रेस पर धन्यवाद-प्रस्ताव पर बहस चल रही थी। वोटिंग होने वाली थी। पांच बजने में 15 मिनट बाकी रह गये थे। चौधरी चरण सिंह उठे, उन्होंने कहा अध्यक्ष जी, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं और फिर उन्होंने कहा कि मैं बड़े दुख और कष्ट से कांग्रेस को छोड़ कर दूसरी तरफ जा रही हूं। उसके बाद हमारे दल को छोड़ कर अपने सत्रह साथियों के साथ दूसरी तरफ चले गये। हमारी आंख के सामने ही हमारे इतने सीनियर मेम्बर, इतने दिन तक कांग्रेस के साथ रहने वाले इस तरह चले जाएंगे मिनटों के अन्दर यह हम कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन वह गए और ठीक हमारी आंख के सामने उस तरफ गए। बाद में पता चला कि उस वक्त चौधरी साहब के कमरे में बैठे थे नाना जी देशमुख, राजनारायण जी और दूसरे नेता जो उन को प्रलोभन दे चुके थे कि अगर वे उन के साथ जाएंगे तो उन्हें उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्ट्री मिल जायगी और फिर यही किया। उस समय केवल यह नहीं कि केवल जनसंघ और समाजवादी दल को मिला कर उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनी बल्कि उस वक्त कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग भी उस में शामिल हुए थे जो पहली एस. बी. डी. सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी.....(व्यवधान).....उस वक्त उन्होंने रास्ता दिखाया था।

एक माननीय सदस्य : उसी में माननीय राय साहब भी थे।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : यह है 1967 की बात। हम उन को तो किंग आफ डिफेक्टर्स कहते हैं चौधरी चरण सिंह को और उत्तर प्रदेश में हम ने उन का नाम चेयर सिंह रखा क्यों कि उन के सामने कोई सिद्धांत नहीं, वह कभी भी अपनी चेयर के लिए किधर भी जा सकते हैं। हम सब जो यंगर जनरेशन के लोग थे हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या हो रहा है। लेकिन यहीं तक यह बात रुकती, ऐसा नहीं है। खुद चौधरी साहब ने कुछ दिन के बाद कहा कि यह एस. बी. डी. तो बाडी पालिटिक्स में कैंसर के समान है। 8 अगस्त को हमें याद है यह उन का पहला स्टेटमेंट आया था। उस के दस महीने बाद असेम्बली भंग हुई, प्रेसीडेंटस रूल हुआ और 69 का चुनाव हुआ। 69 में भी उतनी संख्या नहीं थी कि पूरी तरह से स्थायी सरकार बनाई

जा सकती । उस वक्त भी पहले उन्होंने चन्द्रभानु गुप्त जी से बात चलाई । रात को हम बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि कल उत्तर प्रदेश का कौन मुख्य मंत्री होने जा रहा है । कुछ लिखा पढ़ी भी हो गई । फिर सवेरा होने पर बात टूट गई और चौधरी चरण सिंह ने कहा कि अब हम आप लोगों के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे । यह 1970 की बात है । चौधरी चरण सिंह के साथ मिली जुली सरकार बनाने की बात आई । उस समय हम उन के मंत्रिमंडल में आए । लेकिन सिद्धान्तों के लिए या कार्यक्रमों के लिए जो वायदे उन्होंने कांग्रेस के साथ किए थे उस पर वह अडिग नहीं रहे । प्रिवी पर्स का ईश्यू जब आया केन्द्र में और राज्य सभा में जब हम हार गए, हम लोगों ने वहां रिजाइन किया और वह गवर्नमेंट गई ।

कहने का मतलब मेरा यह है कि डिफेक्शंस ने किस तरह से अस्थिरता पैदा की है राज्यों के अंदर इसका एक उदाहरण मैंने आप के सामने उत्तर प्रदेश के इस उदाहरण से दिया है..... (व्यवधान).....मैं बात कर रही हूं जो मेरे ऊपर बीती है । मैं उन सब चीजों में रही हूं इसलिए बता रही हूं । हम लोग भुक्तभोगी है, अपने अनुभव से बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं । हम ने देखा है उस चलते फिरते चलचित्र को और नाटक को, इसलिए मैं आप के सामने यह बता रही हूं कि डिफेक्शंस का क्या असर होता है और किस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार यह ड्रामा चलता रहा । नतीजा उस का यह हुआ कि हमारा सूबा किस तरह पीछे हो गया । नेता लड़ते रहे कुर्सियों के लिए, प्लान के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, आर्थिक विकास के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया और राजनीति के अन्दर नैतिकता का हनन कैसे किया जा सकता है इस का उदाहरण भी वहां उपस्थित किया गया । एस० बी० डी० की सरकार 67 के एलेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि अन्य सात आठ स्टेट्स में भी बनाई गई थी । लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे एक एक कर के ताश के पत्ते की तरह वह धराशायी हो गई । फिर लोगों ने अपनी गलतियां महसूस कीं । श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिए आप कहते है लेकिन उन्होंने ऐसे उदाहरण उपस्थित किए है कि जब 1969 में कांग्रेस की स्प्लिट हुई और इस सभा में भी यह लगने लगा कि...(व्यवधान) माननीय झारखंडे राय जो उस समय उत्तर प्रदेश असेम्बली में हमारे साथ थे, उनको हमारी इन बातों को समझना चाहिए क्योंकि वे भी चोट खाए हुए व्यक्तियों में से हैं । उत्तर प्रदेश में जो डिफेक्शंस की राजनीति चल रही थी उसमें उनको भी मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी थी । एक दूसरे माननीय सदस्य श्री राम किंकर जी भी यहां पर बैठे हैं, वे भी उस समय हमारे साथ थे । ये सभी जानते है कि उत्तर प्रदेश में क्या खेल खेले गए । आप सभी उसके भुक्तभोगी हैं और उसमें घायल हुए हैं ।

तो 1969 में कांग्रेस की स्प्लिट के बाद प्रीवी पर्स और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सवाल को लेकर ऐसा लगा कि इस सदन में हमारी पार्टी की जो संख्या है वह कम है, हमें और ज्यादा मेजारिटी की जरूरत है इसलिए श्रीमती इन्दिरा गांधी जनता की अदालत में गई । 1971 में 14 महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव करा लिए गए। उन्होंने डिफेक्शंस का राजनीति शुरू नहीं की बल्कि वे लोगों के पास गई मैंनडेट लेने के लिए । इस प्रकार से उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि सही राजनीति लाने के लिए, डिमोक्रेसी मजबूत करने के लिए किस प्रकार से जनता के बीच में जाना चाहिए और वह हुआ । 1971 के चुनावों में हमारी पार्टी को भारी बहुमत मिला दो तिहाई मेजारिटी मिली । बंगलादेश की लड़ाई भी हुई । तब दूसरी पार्टी के लोगों को लगा कि अगर इस देश का नेतृत्व कोई कर सकता है तो वह श्रीमती इन्दिरा गांधी ही हैं । और वह

संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है। लोगों ने महसूस किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के नीचे इकट्ठे होकर, जो प्रगतिवादी नीतियां हैं उनको लागू करने के लिए तथा देश में आर्थिक प्रगति के रास्ते में रोड़े अटकाने वाली जो शक्तियां हैं उनसे लड़ने के लिए, एक होना चाहिए। इसीलिए श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में लोग इकट्ठे हुए थे। 1971-77 के बीच में जबकि देश में गरीबी मिटाने के लिए कार्य किए गए उस समय डिफैक्शंस की बात हम नहीं सोच रहे थे। लेकिन कुछ जो फ्रस्ट्रेटेड लोग थे वे इकट्ठा हुए और जनता पार्टी का एक वैकल्पिक रूप बना जिसमें सभी झंडे एक कर दिए गए, सभी चुनाव चिन्ह मिलाकर हलधर बना, सभी लाल पीली टोपियों को हटा दिया गया लेकिन उनकी जगह पर कोई एक टोपी नहीं ला पाए। 1 मई को जब जनता पार्टी का संगठन बना तो न तो कोई कार्यक्रम बन सका और न ही पार्टी का नेतृत्व बन पाया क्योंकि उनके सामने केवल एक चीज रही थी कि अलग अलग जो वोट डिवाइड हो जाते हैं क्यों न उनको इकट्ठा करने के लिए हम एक हो जायें और कांग्रेस हुकूमत का खात्मा करें। उसके बाद इस टाइम को भी देश ने देख लिया है लेकिन आज क्या हो रहा है ?

डिस-आनेस्टी की बात भी कही गई लेकिन क्या केवल घूस लेना और पैसा लेना ही डिस-आनेस्टी है, चेयर के लिये बदल जाना क्या डिस-आनेस्टी नहीं है ? यह जो अनैतिकता का वातावरण देश में उपस्थित किया गया है उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? हम जिम्मेदार नहीं हैं, उस तरफ बैठने वाले ही जिम्मेदार हैं जिनके कि नेता चौ० चरण सिंह हैं, श्री राज नारायण हैं और दूसरे लोग हैं।

आप कहते हैं कि दल को छोड़कर दूसरे दल में जाना डिफेक्शन है, यह सही बात है लेकिन हमें और सारे देश को गम्भीरता के साथ सोचना होगा कि डिफेक्शन की सही परिभाषा क्या हो। जनता सरकार के समय में भी एक बिल आया था। माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों से बार बार कहा जाता था कि बिल आयेगा लेकिन नहीं आया। जनता सरकार के समय में जब बिल आया तो उस समय श्री मधु लिमए, जोकि इस समय सदन में नहीं हैं,— हमने अखबारों में पढ़ा था-उन्होंने पार्टी में और बाहर भी इसका विरोध किया। प्रो० दण्डवते जी जोकि इस बिल को लाए हैं उनके बहुत नजदीक के साथी मधु लिमए जी थे। हम क्या मानें, सदाजवादी पार्टी क्या चाहती है ? यह जनता पार्टी तो कई पार्टियों को मिलाकर बनी थी। यह घटकवाद वाली पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्यों नहीं आचार्य नरेन्द्र देव के रास्ते पर चलने की बात कही। उन्होंने अपने लिए व्यक्तिगत रूप से यह बात कही थी। लेकिन जब वे सरकार में थे, तो क्यों नहीं ईमानदारी के साथ इस बिल को लाए और आज वे इसको नान-आफिशियल—रिजोल्यूशन के रूप में यह बिल ला रहे हैं। उस वक्त सदन में लाकर और फिर उसको विदड्रो कर लेना इससे हम क्या यह समझें कि पार्टी में उनकी बात नहीं चली या वे इस तरह की बात कह रहे थे जो कि दिखाने वाली बात थी और फिर आज उसको लाना चाहते हैं, तो मैं इस अवसर पर यह कहना चाहती हूं कि यह जरूरी है कि देश में इस तरह के डिफैक्शन्स रुकें। इसके लिए जरूरी है कि हम राजनीतिक दल मिलकर ऐसे कुछ कोड-आफ-कनडक्ट बनायें; जिसमें कुछ पोलिटिकल एंथिक्स होनी चाहिए कि हम ऐसी चीजें न करें और उसको करने के लिए आप हर एक कानून पास करते हैं, तो वह भी सब की राय से होगा। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं तो कानून के अलावा पोलिटिकल थिंकिंग की चीज होती है, राजनीतिक तरीके से सोचने और

विचारने की चीज होती है। हमें देखना पड़ेगा कि वह डिफैक्शन बिल कहां तक हमारे उद्देश्यों को पूरा करता है।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य स्व० श्री जय प्रकाश बाबू की बात कह रहे थे, लेकिन उन्होंने तो राइट-आफ-रिकाल की बात कही थी। उसकी चर्चा जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और इस समग्र क्रान्ति के बाद सारे के सारे लोग भूल गए। भारत की राजनीति में स्वस्थ परम्पराये कायम करने के लिए यह जरूरी है कि हम सब राजनीतिक दल मिलकर कुछ ऐसे काड-आफ-कन्डक्ट बनायें, कानून के अतिरिक्त, जिससे कि उन को इस तरह से लागू कर सकें, जिस से हमारे देश में सही परम्परा कायम हो सके।

यह जो अस्थिरता का वातावरण आज हमारे देश में है, जिसने हमारे देश की राजनीति को, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत गहरा आघात पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है, उसके लिए इतिहास भी कभी जनता पार्टी को माफ़ नहीं करेगा और जनता पार्टी के एक-एक नेता को जनता माफ करने वाली नहीं हैं। भारत की जो अगली पीढ़ी है, वह इस बात को बड़ी गम्भीरता से देख रही है और मुझे पूरी आशा है कि हम केवल यहां पर डिवेट ही करके नहीं रह जायेगी, हम इस देश के अन्दर ऐसा क्लाइमेट पैदा करेंगे, ऐसा वातावरण बनायेंगे, जिसमें कि इस तरह के डिफैक्शन्स की जो बातें होती हैं, उसको एक बहुत ही बुरा, गलत और राजनीतिक अनैतिकता का स्वरूप समझा जाएगा।

धन्यवाद.

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : श्री मधु दंडवते ने जो विधेयक पेश किया है वह हमारे राजनीतिक जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू से संबन्धित है। सत्तारूढ़ दल की ओर से अभी जो महिला संसद सदस्य बोली हैं, उन्होंने भी मेरी समझ में दल बदल की आलोचना की है। परन्तु आजकल इस सबकी जिम्मेदारी जनता पार्टी पर डाल देने की परंपरा बन गई है। मैं जनता पार्टी का हिमायती नहीं बनता हूं। मुझे याद है कि पांचवीं लोकसभा के दौरान इस देश में दल बदल रोकने के लिए एक संविधान संशोधन एक सरकारी विधेयक के रूप में लाया गया था। यह विधेयक प्रवर समिति के पास भेजा गया था। चूंकि मैं उस प्रवर समिति का सदस्य था, इसलिए हमने यह देखा कि इस संबन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई और यह विधेयक लगभग पांच वर्ष तक प्रवर समिति में पड़ा रहा। भारी बहुमत प्राप्त करने वाली तत्कालीन सरकार द्वारा लाया गया दल बदल विरोधी विधेयक पांच वर्ष तक इसलिए अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि प्रवर समिति ने प्रतिवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया। उस समिति के एक सदस्य के रूप में हम इसे शीघ्र निपटाने की कोशिश कर रहे थे परन्तु चूंकि हम उसमें आयमत थे इसलिए हम सफल नहीं हो सके। इस देश में दल बदल इस देश की राजनीति का एक अंग बन गया है। हमने "आयाराम गयाराम" शब्द बनाया है। हरियाणा ने इस देश में विशिष्ट योगदान किया है। मुझे याद है कि कुछ सदस्यों ने एक दिन में 2 या उससे अधिक बार दल बदले हैं।

प्रो० मधु दंडवते : रिकार्ड 13 बार से अधिक का है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री दंडवते ठीक जानकारी दे रहे हैं। हमें एक नयी शब्दावली मिल गयी है। भजनलाल की तरह दलबदल एक अजीब बात है जिसमें मंत्रिमंडल के समूचे मंत्री

एक साथ दल बदल रहे हैं । कर्नाटक में हमने हाल ही में एक नया तरीका देखा है। मुख्य मंत्री त्यागपत्र दे देते हैं । रातभर में विधान मंडल दल के गठन में परिवर्तन होता है और इसके बाद एक अन्य व्यक्ति, जो अल्पमत में था, बहुमत दल का नेता बनकर सरकार बना लेता है। एक और गोआ का तरीका है। एक हिमाचल प्रदेश की तरह का तरीका है। इसमें किसे लाभ हुआ है ? यदि आप हमारे राजनितिक जीवन में इस खतरे को समाप्त करने के लिए गंभीरता से विचार कर रहे हैं तो कृपया कुछ आत्मनिरीक्षण कीजिये। अब आप सरकारी पक्ष में है। आपको इस दल बदल से लाभ है। दूसरी सभा में विधान सभायें भंग करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त करने में जिन कठिनाइयों का आपने पूर्वानुमान लगाया था, वे भी समाप्त हो गयी, परन्तु किस तरीके से ? अतः इन बातों को मत भूलिए। इस देश के लोग मूर्ख नहीं हैं। वे स्थिति को समझते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा बुजुर्आ भू स्वामी पार्टियां अपने आप पोल खोल रही हैं और उन्होंने पहले ही लोगों को अपनी पोल खोल दी है। किसी तरीके पर रोक नहीं है। बहुमत पाने के लिए, अपनी तरफ अधिक से अधिक लोगों को लाने के लिए किसी भी तरीके को आप वर्जित न समझिये। इसलिए यदि कोई राजनीतिक संकल्प की बात थी तो यह सरकार स्वयं ही एक विधेयक लाती। कम से कम इसी तरह की सरकार 1971 में थी और यही प्रधानमंत्री थी। परन्तु जैसा मैंने कहा है वह विधेयक प्रवर समिति से हां लौटकर नहीं आया यद्यपि अनेक प्रवर समितियों से अनेक विधेयक लौटकर आये हैं। क्या आप दलबदल चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ? लोगों को बता दिजिए कांग्रेस (आई) सभी तरह के दलबदल का विरोधी है। आप किस तरह का दलबदल चाहते हैं। जब तक यह आपके पक्ष में है, आप बुरा नहीं मानते। यदि यह आपके पक्ष में नहीं है तो आप क्या कहेंगे ? यदि इस समय कांग्रेस (आई) की कोई सरकार दलबदल के कारण गिर जाती है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे ? क्या आप इस देश के लोगों को गम्भीरतापूर्वक यह सुझाव दे रहे हैं कि दूसरी सभा में पिछले कुछ दिनों में जो धीरे-धीरे दलबदल हुआ है वह इस कारण हुआ है कि धीरे धीरे वे समझने लगे हैं कि इस देश में केवल कांग्रेस (आई) ही राजनीतिक दल है ? क्या आप चाहते हैं कि इस देश के लोग इस पर विश्वास करेंगे ? अतः उपहास मत कीजिए। जनता पार्टी आपसी कलह के कारण टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गयी। लोकदल के भी टुकड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के टुकड़े हो गए।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : कम्युनिस्ट पार्टी का क्या रहा ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इसके बारे में भी बात करने जा रहा हूं। श्री नायडू, मुझे आपके अतीत के रिकार्ड का पता नहीं है। 1977 से मैं समझता हूं कि आप कांग्रेस (आई) में हैं। आप इसमें तब तक रहें जब तक वे सत्तारूढ़ हैं। आप उधर मत जाइये जिसकी स्थिति कमजोर है। अतः सत्ता बनाये रखने या सत्ता हासिल करने के तरीके के रूप में दलबदल इस देश की राजनीतिक के लिए खतरा है। हम यही बात कह रहे हैं।

मैं श्री मधु दंडवते, जो हमारे एक अच्छे मित्र हैं, के इस कथन से असहमत हूं कि विभाजन और दलबदल में कोई अन्तर नहीं है। इसमें अन्तर है। मान लीजिए कि कोई राजनीतिक दल लोगों को दिए गए वायदे को पूरा करने से मुकर जाता है तो यदि कोई ईमानदार सदस्य, जो वहां टिके नहीं रहना चाहता है, इससे बाहर आ जाता है या उस राजनीतिक दल से यह कह

कर बाहर आ जाता है कि यह दल अब भ्रष्टाचार का अड्डा है, यह दल लोगों को अपने घोषणापत्र में दिए गए वायदों को पूरा नहीं कर रहा है तो उनका यह अधिकार ही नहीं, अपितु कर्त्तव्य है कि वे अपने आपको अलग कर लें। मान लीजिए कांग्रेस का कोई सदस्य आपातस्थिति, आंसुका के प्रयोग, तथा इस देश में एक सत्तावादी शासन करने, जिसके लिए आप को लोगों की अनुमति हासिल नहीं है, के विरोध स्वरूप बाहर निकल आया तो यह दलबदल नहीं होगा। इस देश के लोगों ने आपातस्थिति की कभी भी मंजूरी नहीं दी। इस देश की जनता इसका कभी स्वप्न नहीं देख सकी कि आंसुका का प्रयोग कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्यों, जयप्रकाश नारायण जैसे राजनीतिक नेताओं के विरुद्ध किया जाएगा। जब कि प्रधान मन्त्री और तत्कालीन गृह मन्त्री ने सभा में यह आश्वासन दिया था कि राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध आंसुका का कभी भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि कोई साहसी व्यक्ति कांग्रेस से बाहर आता तो निस्सन्देह हम उसकी सराहना करते। इसी प्रकार जब कोई राजनीतिक दल दिए गए वचनों को पूरा नहीं करता और सिद्धान्तों का समझौता करता है तो यह हमारा कर्त्तव्य और अधिकार है कि हम उस दल से अलग हो जाएं। और यदि श्री राजगोपाल नायडू यह जानना चाहते हैं कि इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कैसे हुआ तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह विभाजन सिद्धान्तों के आधार पर हुआ। यह दल बदल नहीं था। सत्ता की भूख का परिणाम नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी श्री भजन लाल या श्री गुन्डुराव की भांति कोई सरकार बनाने या सत्ता हासिल करने के लिए विभाजित नहीं हुई। यह तरीका नहीं है और न ही व्यवस्था। कृपया पूर्व इतिहास को समझने का प्रयास करें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सदस्यों को बताएं कि आपके दल का विभाजन किन सिद्धांतों पर हुआ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप चाहते हैं कि मैं आज इस बात पर भाषण दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन क्यों हुआ। हम दल-बदल सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। आपकी ओर से की जाने वाली इस प्रकार की टिप्पणी का गलत अर्थ लगाया जा सकता है। अतः कृपया इस प्रकार की टिप्पणियां करने में सावधान रहें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कहा कि सत्ता के लिए दूसरी पार्टियों में दल-बदल हुए पर कम्युनिस्ट पार्टी में सिद्धान्तों के आधार पर विभाजन हुआ था। मैं प्रेजाइडिंग आफिसर के नाते उन सिद्धान्तों के बारे में जानना चाहता हूं। इसमें कोई हानि नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मूलभूत सिद्धान्तों पर। यह विभाजन सत्ता पाने या सत्ता में शामिल होने के लिए नहीं हुआ था। इसलिए मैंने कहा कि मैं श्री मधु दण्डवते से इस बाबत सहमत नहीं हूं। पर मैं इस विधेयक के पीछे जो सिद्धान्त है उनका समर्थन करता हूं। आज यह कैंसर फैलता जा रहा है। सत्ता में रहने, सत्ता हासिल करने का यह एक सरल तरीका बन गया है। यद्यपि जनता ने किसी व्यक्ति या दल विशेष के पक्ष में मत नहीं दिया है, पर फिर भी आज वे सत्ता में हैं। हरियाणा विधान सभा की स्थिति आज ऐसी है जिसकी लोगों ने कभी परिकल्पना नहीं की थी। इसी प्रकार कर्नाटक विधान सभा की स्थिति भी आज वही है जिसकी वहां के लोगों ने कल्पना नहीं की थी। अतः अगर आपको जनता की राय में विश्वास है तो क्या उनकी राय का सम्मान करने का यही तरीका है।

आपका कहना है कि लोक सभा में आपको लोगों का बहुमत मिलने के कारण आपको तोड़-फोड़ कर विधेयकों को अपनी ओर करने का अधिकार है। अगर हरियाणा में श्री भजन लाल को मुख्य मंत्री का पद नहीं दिया जाता और दूसरों को मन्त्रियों का पद नहीं दिया जाता तो यह दल-बदल नहीं होता। आज उन लोगों को मन्त्री पद दिया जा रहा है जो रातों रात अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता बदल लेते हैं। माननीय गृह मन्त्री और विधि मंत्री यहां उपस्थित हैं।

श्री पी० शिवशंकर : मैं वाद-विवाद का उत्तर देने वाला हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सत्ताधारी दल दल-बदल का अनुमोदन करता है, यदि हां तो किन परिस्थितियों में और निरनुमोदन करता है तो किन परिस्थितियों में। देश की जनता यह जानना चाहती है। क्या यह सच नहीं है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की पिछली सरकार दल-बदल को रोकने के लिए एक विधेयक लायी थी। क्या सरकार ऐसा ही लाने का इरादा रखती है ?

यह फैसला करने के लिए कि दल-बदल के बाद सदस्य रहे या न रहे, मतदाताओं को अपने चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे मतदाता को सम्मान मिलेगा। प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार इस देश में लागू किया जाना चाहिये ताकि वे इसका फैसला स्वयं कर सकें पर उन्हें यह अधिकार नहीं दिया जा रहा।

क्या आप समझते हैं कि एक चुनाव के परिणाम का प्रभाव दूसरे चुनाव पर भी पड़ेगा। आप समझते हैं कि हवा आपके पक्ष में है तो सब ठीक है। इसी प्रकार के इरादों से दल-बदल को प्रोत्साहन मिल रहा है। हमने सत्ताधारी कांग्रेस को यह कहते कभी नहीं सुना कि चाहे कुछ भी हो हम जनता की राय का आदर करते हैं और लोगों को फुसला कर अपने पक्ष में नहीं करेंगे।

सारे देश के लोग, साधारण जनता गलियों रास्तों में यह कहती है कि संसद सदस्य और विधायक उन आवश्यक वस्तुओं की भांति है जिन्हें खरीदा-बेचा जा सकता है, जिनका विनिमय किया जा सकता है। लोग हम पर हंसते हैं। क्या लोगों की इस तरह की भावना को हमें बढ़ावा देना चाहिए। हम इसे अपने कार्य, विधान मण्डलों के कार्य, राजनीतिक दलों और सदस्यों के कामों से और राजनीतिक जीवन के लिए कुछ मानक स्थापित करके रोक सकते हैं। इन्हीं से हम देश की जनता द्वारा जो हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो टिप्पणियां की जा रही है उन्हें रोक सकते हैं।

अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह अच्छा होता यदि इसे व्यापक रूप में लाया जाता। मैं इस देश में कुछ सिद्धांतनिहित राजनीति की दलील देता हूं। हमें सिद्धांतहीन दल-बदल का विरोध करना चाहिए और देश में व्याप्त इस भावना को दूर करना चाहिए कि राजनीतिज्ञ एक ऐसी वस्तु या ऐसा व्यक्ति है जिसकी आसानी से खरीद-फरोखत की जा सकती है। ये खरीदे-बेचे जा सकते हैं, उनकी निष्ठा का सौदा हो सकता है। इस प्रकार की भावना

को दूर करना होगा। हमें अपने चुनाव कानूनों में आमूल परिवर्तन लाने होंगे। साथ ही धन-शक्ति पर अंकुश लगाने की बात भी सोचनी होगी। पांचवीं लोक सभा के माननीय सदस्य ने चुनाव कानूनों में परिवर्तन का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की थी। मैं भी उस समिति का सदस्य था। उसमें और भी कई विद्वान सदस्य थे। समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिशें की थीं। पर एक भी सिफारिश काम में नहीं आई। इस सभा के अध्यक्ष महोदय द्वारा नियुक्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से की गई सिफारिशें क्रियान्वित नहीं हुई।

महोदय, चुनाव परिणामों में असंतुलन दूर करने की दृष्टि से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होनी चाहिए। श्री फैलिरो ने चुनाव के बाद अपनी निष्ठा बदल ली है। आप इसे क्या कहेंगे? अगर मुझे ठीक याद है तो वे कांग्रेस (यू) के टिकट पर चुने गये और कांग्रेस (आई) के विरुद्ध कांग्रेस (यू) के लिए जनता का मत प्राप्त करने के बाद वे इस सभा में आते हैं और मुझे नहीं मालूम कितने दिन बाद, कहते कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस (आई) की विजय हुई है, इसलिए मैं कांग्रेस (आई) में शामिल होता हूं। इसको आप क्या कहेंगे? इसकी कैसे व्याख्या करेंगे? आप उनका हाथ फैला कर स्वागत कर रहे हैं। उनका विरोध नहीं कर रहे। हरियाणा जन संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष आज इन्दिरा कांग्रेस के सदस्य हैं। आप रोज ए० स्वयं सेवक संघ की आलोचना करते हैं। हरियाणा जनसंघ का अध्यक्ष हरियाणा जनता पार्टी का अध्यक्ष बने और पता नहीं आज भी अध्यक्ष हैं या नहीं, वह इन्दिरा कांग्रेस के सदस्य हैं। आप बताइये किन सिद्धान्तों के आधार पर? इसलिए जनसंघ की आलोचना न करें। क्या आपको छूने से ही वह देवता बन गया है? क्या उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचार-धारा से अपने आप को अलग कर लिया है। क्या आपने इस बात का पता लगाया है।

श्री पी० शिव शंकर: कल तक आप किनकी संगति में थे?

श्री सोमनाथ चटर्जी: गृह मंत्री महोदय, हम स्वतन्त्र विचार करते हैं। कई बार आपके दोहे हमारे कानों में गूंजते रहते हैं। मेरा गृह मंत्री से निवेदन है कि वह हमारी स्थिति को समझने का प्रयास करें जिसे कि हम कई बार स्पष्ट कर दी है, उसे समझने की चेष्टा करें कि जब तक उन्होंने लोकतंत्रीय अधिकारों को बहाल करने के लिए तानाशाही का विरोध किया हमने उनका साथ दिया। हम इस सभा में उनका विरोध करते रहे। हमने श्री चरण सिंह के बजट का विरोध किया। हमने औद्योगिक विवाद विधेयक का विरोध किया। हमने श्रमिकों तथा छात्रों पर गोली चलाने का विरोध किया। यह सब कार्य हमने किया था। यदि आप सभा की कार्यवाही की ओर ध्यान दें, यदि आपके पास समय हो, तथा यदि आप सही रूप से समझ सकते हैं तथा उसकी सराहना कर सकते तो आपको यह बात उचित लगेगी और आप इसे केवल घिघोना मजाक मात्र नहीं मानेंगे। शिकायत करने से पहले आप अपने आप को शिक्षित करने की चेष्टा कीजिये।

प्रो० मधु दण्डवते: संविधान ने अज्ञानता का मौलिक अधिकार भी दिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: यद्यपि यह विधेयक कुछ अपूर्ण सा है, तो भी मैं इसका समर्थन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में सभा के समक्ष उचित विधेयक लाया जायेगा, परन्तु मैं यह भी जानता हूं कि इन्दिरा कांग्रेस इसे कभी नहीं लायेगी। यदि वह जनता के दिखावे के लिए उसे ले भी आयें तो इसे सम्पूर्ण प्रक्रिया के पूरा होने तक पास नहीं करेंगे।

इसलिए मैं इस विधेयक की सराहना करता हूं यद्यपि मैं जानता हूं कि इस विधेयक का भाग्य क्या होगा परन्तु फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान सरकार भी दल-बदल के विरुद्ध है। क्योंकि अन्ततः यह देश के लिए घातक है। इसलिए उन्हें इस बुराई को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो हमारे मधु दंडवते जी बिल लाये हैं, वह बहुत अच्छा बिल है, लेकिन इस बिल को थोड़ा तरमीमात के साथ लाना चाहिये, क्योंकि आज कल जो डिफैक्शन्ज़ हो रहे हैं, उसमें कई नमूने हैं। अभी हमारे काबिल दोस्त श्री चटर्जी ने कहा है कि कर्नाटक में जो डिफैक्शन हुआ है, वह सही नहीं है, मैं बताना चाहता हूं कि जितने कर्नाटक के एम० एल० एज़ हैं, वह सब कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 1978 में चुने गये हैं।

हमारे चटर्जी साहब भी पोलिटीशियन हैं, उनके पिताजी भी पोलीटीशियन थे, मगर हिन्दुस्तान में जितने भी पोलिटीशियन रहे हैं, वे सब कांग्रेस में रह चुके हैं और किसी न किसी समय में वह कांग्रेस में आना चाहते हैं। जब कांग्रेस की पालिसी अच्छी होती है और अच्छी चलती है तो उसकी तरफ बहुत से लोग आते हैं, यह नहीं भूलना चाहिये। उसको डिफैक्शन या स्पिलिट के नाम से एक होशियार वकील अच्छी तरह से समझा सकता है अपने काज़ के वास्ते, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आर्ग्युमैंट करते वक्त बतला सकते हैं कि यह डिफैक्शन है या स्पिलिट है। जब तक हम स्पिलिट और डिफैक्शन का एक्सप्लेनेशन न करें, उस वक्त तक यह बिल कामयाब नहीं हो सकता है। किसी वजह से हम यह कहें कि यह डिफैक्शन है तो वह कोर्ट में जाकर चटर्जी को वकील लगाकर यह साबित करेगा कि यह डिफैक्शन नहीं, स्पिलिट है। (व्यवधान)

अब जो फ्लोर क्रासिंग शुरू हो गया है, वह चरणसिंह जी के जमाने में 1977 से हुआ है। तब से अब तक फ्लोर क्रासिंग बहुत हो रहा है, उसको किसी न किसी स्टेज पर रोकना चाहिये। अब एक स्टेज ऐसा जरूर आ गया है कि असेम्बलीज के इलैक्शन के बाद यह डिफैक्शन बिल लाना जरूरी है क्योंकि किसी भी पोलिटिकल आइडियोलाजी के साथ-साथ हर पार्टी को सोचना चाहिये। यहां दो, तीन पार्टियों की आइडियोलाजी है कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस (आई)। बाकी किसी पार्टी में कोई आइडियोलाजी नहीं है। इसलिये जितने लाइक माइन्डेड लोग हैं, उनको अपने-अपने स्थान पर चले जाने का मौका होना चाहिये। उसके बाद सख्ती से एन्टी-डिफैक्शन बिल का इम्प्लीमैंटेशन होना चाहिये। हमारे देश में सिर्फ 3 पार्टी सिस्टम होना चाहिये, एक कांग्रेस, एक सोशलिस्ट और एक कम्युनिस्ट पार्टी। बाकी जो पार्टियां हैं, उनका कोई बेस नहीं है, कोई आइडियोलाजीकल बेस नहीं है। इसलिये एंटि-डिफैक्शन बिल के साथ अगर इतनी पार्टी हो जायें, तो देश का भला हो जायेगा। धन्यवाद।

श्री ए० टी० पाटिल (कोलाबा) : मैं उस भावना की सराहना करता हूं जिससे प्रेरित होकर यह विधेयक लाया गया है। भावना यह नहीं है कि कोई सदस्य अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को बदल नहीं सकता। जैसा कि हमारे एक सदस्य ने कहा है। वस्तुतः इसकी भावना यह है कि

जब एक बार आप लोगों को विश्वास में लेते हैं कि आप अपने राजनीतिक जीवन में किन राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सिद्धान्तों का अनुसरण करेंगे और यदि उसके बाद आप उनसे अपने आपको पृथक कर लेते हैं तो यह निश्चय ही विश्वासघात है और उन परिस्थितियों में आपका यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि आप उस प्रतिनिधित्व को छोड़ दें और उस सभा की सदस्यता से अलग हो जायें जिसके लिए कि लोगों ने आपको चुना था। इसलिए प्रस्तुत विधेयक द्वारा इसी का समाधान खोजने की चेष्टा की गई है। जहां तक इसके संचालन की प्रक्रिया का प्रश्न है, राजनीतिक पार्टियों का विभेद विशेष रूप से किया जाना चाहिए। ऐसी राजनीतिक दल भी हैं जो लोकतंत्रीय प्रणाली में विश्वास नहीं करतीं तथा यह समझते हैं कि ऐसे प्रतिनिधित्व निकाय केवल पूंजीपतियों द्वारा गठित किये गये प्रशासनिक तंत्र मात्र हैं। यदि वह लोग जो इस प्रकार की विधारधारा में विश्वास रखते हैं यदि वह लोगों के समक्ष जाते हैं और उन निकायों केलिए फिर से चुन लिए जाते हैं तो क्या उनका इस प्रकार का व्यवहार उचित है।

जहां तक वर्तमान विधेयक में दल-बदल को पारिभाषित करने का प्रश्न है, प्रश्न यह है कि किस विशेष कार्यवाही को पार्टी से दल-बदल माना जायेगा, इससे पूर्व हमें यह समझना चाहिए कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, क्या जनता के किसी वर्ग में राजनीतिक दल की सभी विशेषताएं उपलब्ध होती हैं ? मैं सदन से निवेदन करता हूं कि वर्तमान विधेयक के उपबंधों पर इस दृष्टि से भी देखा जाये कि क्या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग की कोई राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक विचारधारा या सामाजिक विचारधार भी है, क्या अपनी विचारधारा की क्रियान्वित हेतु उनका कोई कार्यक्रम भी है, क्या उस विशेष कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु उनका अपना संगठन हो और फिर क्या उस संगठन का अनुशासन किसी विशेष विचारधारा तथा कार्यक्रम के लिए हो और क्या कारगर नेतृत्व के माध्यम से उसमें अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। यदि किसी संगठन में यह विशेषतायें हो, तो उसे राजनीतिक दल की संज्ञा दी जा सकती है। मान लीजिए कि कोई दल, अर्द्ध-राजनीतिक दल हो और उसका आन्दोलन जन-आन्दोलन का रूप ले लेता है तो क्या उसे राजनीतिक पार्टी माना जायेगा। पर कुछ मूलभूत बातें हैं जिन पर विचार किया जाना अपेक्षित है। मैं एक और समस्या रखना चाहता हूं। यदि दो छोटे संघर्षरत ग्रुप जिन्हें जनता द्वारा चुना गया हो, किन्हीं विशेष कार्यक्रमों तथा चुनाव घोषणा पत्रों में दिये गये वचनों के होते हुए भी, कुछ समय के लिए एक साथ मिल कर एक संगठन बना लेते हैं और बाद में अपने स्वार्थ के कारण उस संगठन से अलग हो जाते हैं तो ऐसी कार्यवाही को आप क्या समझेंगे ? क्या आप इसे दल-बदल कहेंगे ? क्या यह कुछ और होगा ? आप इसे क्या कहेंगे ?

उदाहरण यं, एक राज्य विशेष में विधायकों के बहुत से छोटे-छोटे ग्रुप सत्ता हथियाने के लिए एक साथ मिल गये। उन्होंने सत्ता ले ली। वे सत्ता के लिए मिले रहे परन्तु जब अवसर आता है तब वह लोगों से कहते हैं, यह उम्मीदवार उक्त पार्टी का है, जो पार्टी कि हमारी शत्रू है। इसे अवश्य हराया जाना चाहिए।" मुझे समझ में नहीं आता कि छोटे-छोटे ग्रुप अपने को पार्टी कहते हैं तथा सत्ता के लिए एक साथ मिल जाते हैं, परन्तु बाहर वे परस्पर झगड़ते रहते हैं। यह व्यवहार किस तरह का है। यह धोखा है या मंचीं है ? यह लोगों के साथ धोखा है। सत्ता के लिए जहां एक ओर वह मिल कर बैठ जाते हैं वहीं दूसरी ओर वह अपनी दल के प्रति निष्ठा बदलते रहते हैं। उदाहरण के रूप में उड़ीसा में साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) ने दो बार अपना

गठजोड़ बदला। यह 1979 में श्री ज्योति बसु ने उनसे समझौता किया था। समस्या यह है कि इस प्रकार आप जनता का विश्वास कैसे प्राप्त कर सकते हैं ?

जैसा कि प्रो० मधु दण्डवते ने बताया है 'दल-बदल' की परिभाषा करना सरल नहीं है। आपको मिलकर विचार करने के पश्चात् इसकी परिभाषा करनी चाहिए, तभी आप इसे समझ सकेंगे। यह मामला इतना सरल नहीं है। सिद्धान्ततः जनता का विश्वास बना रहना चाहिए। परन्तु समस्या यह है कि आप उसे किस प्रकार बनाए रखेंगे।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत रूप से मैं प्रो० मधु दण्डवते का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। यद्यपि हम कभी एक साथ नहीं रहे परन्तु सिद्धान्ततः मैं उनका काफी अनुकरण करता हूं। मैं सदा अनुभव करता रहा हूं कि प्रोफैसर साहब सदा गलत कम्पनी में रहे हैं और मैं सदा चाहता रहा हूं कि वह हमारे साथ आ मिलें।

एक माननीय सदस्य : यह दल बदल होगा।

श्री पी० शिव शंकर : यह दल बदल नहीं होगा। हम उनका इतना सम्मान करते है कि इसे दल-बदल बिल्कुल नहीं माना जायेगा।

इस विधेयक के लाये जाने के लिए तथा उसमें निहित सिद्धांतों का समर्थन करते हुए भी मैं इसमें विद्यमान स्पष्ट दोषों के कारण इसे स्वीकार नहीं कर सकता। विधेयक के गुण दोषों पर चर्चा करने से पूर्व मैं संविधान के अनुच्छेद 102 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसका इस विधेयक द्वारा संशोधन किया जा रहा है। प्रस्तुत विधेयक की रूपरेखा तथा परिसीमा के अन्तर्गत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की अनर्हताओं का ब्योरा दिया गया है। इस प्रकार जहां तक लागू होने का प्रश्न है अनुच्छेद 102 का एक संकीर्ण भाव है और दल-बदल का मामला अनुच्छेद 102 में इतना समाविष्ट हो जाता है कि अनुच्छेद इस भाव को आत्मसात नहीं कर सकेगा।

इस समय मेरा यह कहना कि जिस ढंग से विधेयक लाया गया है मैं उसका विरोध करता हूं और यही मेरा अभिप्राय है। इस अनुच्छेद का सम्बन्ध संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से है। तब अन्य प्रकार के दल-बदल का क्या बनेगा ? मैं यह नहीं जानता कि प्रोफैसर साहब ने इसे क्यों छोड़ दिया है ? उन्होंने बताया है कि अनुच्छेद 191 का संशोधन परिणामी होगा जो कार्य कि उन्होंने बाद में किसी अन्य सदस्य द्वारा किये जाने के लिए छोड़ दिया है। क्या वह अनुच्छेद 191 को ज्यों का त्यों ही छोड़ देना चाहते हैं तथा क्या वह देश के विभिन्न विधानमंडलों में दल-बदल को न्यायोचित ठहरा ते हैं ? इसलिए जैसा कि मैंने बताया कि जिस ढंग से विधेयक लाया गया है—यह संसद के दोनों सदनों में होने वाले दल-बदल तक ही सीमित है —यह कोई समस्या का समाधान नहीं है। मुझे पता नहीं है कि प्रो० साहेब संसद के दोनों सदनों के बारे में इतने भावुक क्यों हैं ? वह इस से आगे क्यों नहीं जाना चाहते ? मैं जब बैठा हुआ लाये गये इस संशोधन पर विचार कर रहा था तो यह बात मुझे हैरानी में डाल रही थी। इसीलिए मेरा कहना यह है कि यह संशोधन न केवल अपर्याप्त है अपितु इससे समस्या का समाधान भी नहीं होता है। यह समस्या को केवल ऊपरी दृष्टि से छूता है। इसलिए इस संशोधन के बारे में प्रोफेसर साहिब से सहमत होना मेरे लिए अत्यन्त कठिन है।

इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि प्रो० साहेब चाहते हैं कि अनुच्छेद 102 के खण्ड 2 को व्याख्यात्मक मान लिया जाये, तथा उनका कथन है कि खण्ड 2 जिसमें कहा गया है कि किसी सदस्य को संसद की किसी भी सभा का सदस्य बने रहने के लिये अनर्ह माना जायेगा, यदि वह सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके द्वारा उसे चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया हो या जिसका वह इस चुनाव के बाद सदस्य बना हो।

प्रो० एन० जी० रंगा (गंटूर) : यदि कोई पार्टी की अपनी विचार धारा छोड़ दे तो क्या होगा ?

श्री पी० शिव शंकर : प्रो० साहब, यहां मुझे खेद है.....

प्रो० एन० जी० रंगा : यहां पर एक और प्रोफैसर हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : और वह हमारे संविधान के निर्माता थे। आपको उनका आदर करना चाहिये।

श्री पी० शिव शंकर : यह भी एक कारण है कि जब वह भी आपके संशोधन का विरोध कर रहे है तो मुझे उसे स्वीकार करने में सावधान रहना चाहिए। अब 'छोड़ देने' की शर्त या भावना इतनी अस्पष्ट है कि इससे बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। क्या इसके अंतर्गत स्वतः छोड़ देने का अनुशासनात्मक का कार्यवाही के रूप में पार्टी से निकाले गये व्यक्त, का मामला आता है अथवा क्या यह एक ऐसा मामला है जिसमें कोई व्यक्ति निर्दलीय के रूप में चुने जाने के बाद एक पार्टी में शामिल हो जाता है और उस पार्टी को छोड़ देता है ? क्या ऐसे मामले इनके अंतर्गत आते हैं। क्या 'छोड़ देना' शब्द में मानवीय समझ के अंतर्गत आने वाले ऐसे सभी पहलू सम्मिलित है, जिससे यह कहा जा सके कि इस शब्द में सब कुछ समाहित है और इसलिए दल-बदल वाला भाग सुस्पष्ट है।

वर्तमान संशोधन अस्पष्ट शब्दों में है तथा इसने मुझे हैरानी में डाल दिया है। सरकार के लिए संशोधन के इस भाग को स्वीकार करना कठिन है, जोकि प्रो० साहब का मूलभूत संशोधन है।

जोड़े गये परन्तुक में राष्ट्रपति को किसी भी राजनीतिक दल द्वारा उठाये गये विवाद से संबद्ध किया गया है। श्रीमान जब यह प्रश्न पैदा होता है अथवा विवाद खड़ा होता हैं कि क्या कोई सदस्य अनर्हता का विषय बन गया है। तब यह सुझाव दिया गया है कि राजनीतिक पार्टी द्वारा मामला भेजे जाने पर राष्ट्रपति निर्णय देंगे। मेरा व्यक्तिगत मत है कि विवाद के उस मामले में राष्ट्रपति को संबद्ध नहीं किया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने दल-बदल की है अथवा नहीं।

तब प्रो० साहब दूसरा पहलू महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक पार्टी का भाव या अर्थ क्या है क्योंकि राजनीतिक पार्टी की परिभाषा निश्चित करनी होगी, ताकि इस पूरे उपबन्ध को व्यवहार्य बनाया जा सके।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे उम्मीद है कि आप इस मूलभूत प्रश्न को नहीं उठायें कि विधान मंडल के सदस्य की क्या परिभाषा है।

श्री पी० शिव शंकर : अभी मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है।

इसलिए, संशोधन की विभिन्न कमियों को ध्यान में रखते हुए मेरा मत है कि इस संशोधन से समस्या का समाधान नहीं होगा। इससे कई और कठिनाइयां पैदा होगी।

जहां तक दल-बदल का प्रश्न है मेरी चिन्ता तथा क्षोभ उतनी ही है जितनी कि सभा के सभी सदस्यों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मैं इसे भिन्न रूप में ही समझता हूं। मैं कह सकता हूं कि यह राष्ट्र के चरित्र के पतन का मामला है यह राजनीतिक दलों में प्रदर्शित होता है.....

एक माननीय सदस्य : सत्तारूढ़ दल द्वारा।

श्री पी० शिव शंकर : मैं कह रहा हूं कि 'राजनीतिक पार्टियों द्वारा'। मुझे कहना चाहिए कि आपकी पार्टी इस प्रकार की है। लोगों ने आपके दल में जाना उचित नहीं समझा है। यह आपका दुर्भाग्य हैं। उन्होंने इसमें कभी उपयोगी नहीं पाया (व्यवधान)। मैं श्री चटर्जी की दो बातों का उत्तर देता हूं। मैं समझता हूं कि लोगों ने भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) पार्टी को इस योग्य नहीं समझा कि वे उसमें जाते क्योंकि उन्होंने इसे व्यर्थ समझा है। (व्यवधान) श्री चटर्जी, विनयशीलता एक गुण है परन्तु मैंने यह कभी नहीं समझा था कि आप इतने पाखण्डी होंगे कि यह कहेंगे कि "आपके पास धन नहीं है।" तो भी हमें इस अंश को भुला देना चाहिए। मैं विश्लेषण स्वरूप यह कह रहा हूं.....

प्रो० मधु दण्डवते : विचाराधीन मामला विनयशीलता नहीं अपितु ईमानदारी है।

श्री पी० शिव शंकर : प्रोफेसर साहब, मेरा आपके प्रति सम्मान मुझे विवश करता है कि मैं आपके विरुद्ध कुछ न कहूं क्योंकि आपके व्यक्तिगत चरित्र का मेरे राजनीतिक जीवन के निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इसलिए मैं उस अंश को भुला देता हूं.....

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता--दक्षिण) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री पी० शिव शंकर : मैं अब आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप उन महिलाओं की निन्दा नहीं कर रहें जिन्हें फुसलाया नहीं जा सकता।

श्री पी० शिवशंकर : इसका फैसला आपको करना है। आप विचार करें। अब इसके बारे में भूल जायें। मैं यह कहने की चेष्टा कर रहा था कि अन्ततः यह किसी व्यक्ति के चरित्र का मामला है, किसी राजनीतिक पार्टी की नैतिकता और यह उस राजनीतिक दल तथा लोगों का आचार शास्त्र है जो यह दावा करते हैं 'हम जनता के प्रतिनिधि हैं। यह मेरी समझ एवं ईमानदारी है'। इसका किसी भी अन्य बात से अधिक महत्व है।

(व्यवधान)

श्री भारखण्डे राय (घोषी) : पैगम्बराना उपदेश है, और कुछ नहीं है।

श्री पी० शिवशंकर : आप ने पैगम्बराना उपदेश कह दिया, मैं तो बोल रहा हूं, कहीं आपको तकलीफ तो नहीं हो रही है ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) हम तो सच बातें बतलाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके बारे में भी अच्छी बातें कही हैं ।

श्री पी० शिवशंकर : वास्तव में हुआ यह है कि प्रो० साहब ने एक बार कहा था कि जनता शासन में क्या हुआ वह इसका उल्लेख करेंगे परन्तु उन्होंने इसे छोड़ दिया । मैं इस बारे में कुछ और कहना चाहूंगा । वास्तव में जनता पार्टी के सत्ता में आने के तुरन्त बाद वे दल-बदल पर उचित कानून बनाना चाहते थे और उन्होंने इस बारे में बहुत प्रयास किये । मुझे प्रो० साहब की याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वंय केन्द्रीय मन्त्री मंड़ल में थे । अन्ततः इस बारे में एक मत हुआ जिससे कि पूर्व सरकार ने दल-बदल की परिभाषा की —मैं इस पर आग्रह कर रहा हूं क्योंकि प्रो० साहब का भी इसमें हाथ था । मैं अन्य मामलों का उल्लेख न करते हुए एक बात का उल्लेख करूंगा, जो कि इस प्रकार हैं ।

> "यह तय हुआ कि राजनीतिक पार्टियों के विभाजन को दल-बदल नहीं माना जाएगा । इस उद्देश्य के लिए निर्णय हुआ कि विभाजन की परिभाषा यह की जाये कि विधान मंड़ल दल के 25 प्रतिशत सदस्य, जिनकी संख्या 5 से कम न हो, निर्वाचन आयोग के पास एक पृथक दल के रूप में अपने आपको पंजीयन करायें । "

मुझे विपक्ष सदस्य को याद दिलाना है कि क्या इससे सभी समान रूप से लाभान्वित नहीं होते है । इस प्रकार की परिभाषा पिछली सरकार ने सर्वसम्मति से की थी कि विभाजन को दल-बदल नहीं माना जाएगा और इस प्रयोजन से उन्होंने यहां तक कहा था कि यदि किसी पार्टी के 25 प्रतिशत सदस्य जिनकी संख्या 5 से कम न हों निर्वाचन आयोग से अपने को पृथक पार्टी के रूप में पंजीयन के लिए कहा हैं तो यह दल-बदल नहीं माना जाएगा ।

अब मैं हिमाचल और हरियाणा के बारे में जो उल्लेख किया गया है उस पर भी इसी मानदंड़ का उपयोग करूंगा ।

मेरे मित्र श्री चटर्जी ने सिद्धान्तवादी राजनीति की बात की है । उन्होंने यहां तक कहा कि यदि कोई सिद्धान्त के आधार पर दल छोड़ता है तो उसे दलबदलू नहीं कहा जाना चाहिए । उन्होंने यह कहते हुए उदाहरण दिया कि यदि कोई आपातकाल का विरोध करता है, उन्हीं के शब्दों में— अधिनायकवाद का अभी तक मैं इस कथन 'अधिनायकवाद' के अभिप्राय को समझ नहीं पाया । इसके चर्चा के तत्काल पश्चात में इस पर अपने विचार व्यक्त करूंगा । परन्तु यदि वह सिद्धान्त के आधार पर दल छोड़ता है तब वह दलबदल नहीं है और इसे ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए । इसलिए, वह इस विषय में प्रो० साहब के साथ नहीं है ।

मैं श्री चटर्जी को यह बताना चाहता हूं कि मेरा तर्क यह है कि हरियाना या हिमाचल प्रदेश में इसी सिद्धान्त पर जनादेश दिया गया था । दो सिद्धन्त हैं । एक सिद्धान्त जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया है और दूसरा सिद्धान्त सदन को संबोधित करते समय मि० चटर्जी के द्वारा

बनाया गया है। इसी आधार पर मैं यह कहता हूं कि कांग्रेस (आई) को इन राज्यों में भरपूर बहुमत मिला। कम से कम, हम हिमाचल प्रदेश में सभी स्थानों से चुनाव लडे थे और सभी जगह विजयी रहे। (व्यवधान) मैं सैद्धान्तिक दृष्टि से बोल रहा हूं। जहां तक मि० चटर्जी का संबंध है अगर विधायकों ने लोगों के रुख को देखकर जनता की इच्छा के समक्ष नतमस्तक होकर दल छोड़ दिया, तो उसे दल-बदल कैसे कहा जा सकता है यह केवल जनता की इच्छा के साथ चलना है यदि वे राजनीतिक सप्रभू के आदेश से दल छोडकर हमारी पार्टी में मिल गये तो आप भले ही कल्पना को कितनी ही लगाम दें आप यह नहीं कह सकते कि यह सिद्धान्त के मुद्दे पर दल को छोडना नहीं है।

श्री निरेन घोष (दमदम) : क्या आप दल-बदल की परिभाषा करेंगे ?

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक आपके दल का सम्बन्ध है मैंने इसका उत्तर दिया है। परन्तु जहां तक प्रोफेसर साहब का सवाल है जिस सरकार ने यह निर्णय लिया आप उसी दल के थे। यह कहा गया कि यदि 25 प्रतिशत विधायक छोडकर चले जाते हैं तो वह दल-बदल नहीं बल्कि दल का विखंडन है। अगर ऐसा सिद्धान्त है तो इसी आधार पर श्री मधुलिमये और उसके साथियों ने इन्हीं तर्कों पर जनता पार्टी छोड दी। क्या मैं यह सही नहीं कह रहा हूं कि 25 प्रतिशत से भी अधिक विधायक हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में छोड कर चले गये, प्रोफेसर साहब क्या यह आपके द्वारा दी गई परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता ? अतः, स्थिति ऐसी है कि आपके द्वारा बनाये गये सिद्धान्त भी विशेष अवसर पर आपके लिए उपयुक्त नहीं है। इसीलिए आप इन्हें विस्मृत बच्चे की भांति छोडने के लिए तैयार है। परन्तु जहां तक हमारा सवाल है, हमने सिद्धांत का अनुसरण करने की कोशिश की है और यदि लोग हमारे साथ स्वेच्छा से आते है तो आप हमें कैसे दोष दे सकते हैं। आपके मित्र ने इसका जिक्र किया है इसलिए मैंने यह कहा है। राज्य सभा में हमारे दल के केवल 98 या 99 सदस्य है। ऐसा नहीं है कि सभी सदस्य हमारी पार्टी में आ गये हैं और उन्होंने हमारे पक्ष में मतदान दिया है शायद आपके पार्टी के लोगों ने भी हमारे लिये मतदान दिया है। इसलिए हमें 124 मत मिले।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : परन्तु आपके पास यह कहने का साहस नहीं है।

श्री पी० शिवशंकर : यह ऐसी चीज है जो गुप्त है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : यह आपकी आदत है। इसलिए मै सदन का अधिक समय और नहीं लूंगा। हमारे दृष्टिकोण, जहां तक दल बदल के मूल सिद्धान्त से सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा कुछ ऐसा है जिसे कोई नहीं जानता। कम से कम, सही आदमी इसका समर्थन करने की कोशिश करेगा। यह एक बिलकुल एकांगी और बहुत दोषपूर्ण विधेयक है जिसे प्रस्तुत किया सया है। वास्तव में हम 2½ महीना पूर्व ही सत्ता में आये हैं, और हम अभी बहुत सी चीजों पर विचार कर रहे हैं। हम

भूतपूर्व सरकार के द्वारा लिये गये विभिन्न निर्णयों पर गहराई से विचार करेंगे। उनके बहुत से निर्णय उचित है जो हमारे ध्यान में है।

दलबदल का विषय चुनाव सम्बन्धी व्यापक प्रश्न को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्व का है। मैं प्रोफेसर साहब से यह विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि वे इस विधेयक को वापस ले लें, जिससे उचित अध्ययन के बाद सही स्थिति में एक चुनाव संबधी सुधारों पर एक सर्वांगीण (व्यापक) विधेयक प्रस्तुत कर सकें।

प्रो० मधु दण्डवते : उपाध्यक्ष महोदय, शुरू से ही मैं अच्छी तरह यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब मैंने विधेयक तैयार किया उसके बाद ही धारा 191 के लिए संशोधन का प्रावधान भी तैयार किया था परन्तु उससे देरी हुई जिसके कारण वह उसका एक भाग नहीं बन सका। मैं इससे सहमत हूं कि 102 एवं 191 दोनों धाराओं का संशोधन होना चाहिये। महाशय, मैंने जो विधेयक सदन के समक्ष रखा उस पर हुये विवाद को ध्यानपूर्वक सुनकर मुझे मालूम हुआ कि सदन के दोनों पक्षों के बहुत से सदस्य विधेयक की भावना से सहमत हैं। विवाद का मनोरंजक भाग यह है कि विधेयक की भावना को तो सदस्यगण स्वीकार करते हैं लेकिन उसके आवरण को अस्वीकार करते हैं। सामान्यतः तर्कों का यही अभिप्राय है।

महाशय जी, मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि राजनीतिक दलबदल के कारण उत्पन्न खराबियों या बुराइयों को मात्र संवैधानिक संशोधन के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। यह वास्तव में एक चारित्रिक संकट है। परन्तु मैं कानून न्याय एवं कम्पनी कार्य के प्रभारी मंत्री से यह पूछता हूं कि कल यदि कोई दार्शनिक या राजनीतिज्ञ कहे कि निःसदेह देश में अपराध है तो अपराधों को भी मात्र आपराधिक दंड संहिता की सहायता से पूर्णतः दूर नहीं कर सकते हैं। यह एक चारित्रिक संकट है और जब तक मानव जाति का चरित्र नहीं बदला जाता तब तक आपराधिक दंड संहिता निरर्थक है। मैं नहीं जानता कि वह न्यायपूर्ण होगा।

महाशय निश्चित रूप से यहां संवैधानिक एवं वैधानिक पक्ष भी है और इससे मैं सहमत हूँ कि केवल संवैधानिक सुधार से ही, यदि इस देश के राजनीतिक जैसे हैं वैसे रहेंगे तो समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। दुर्भाग्य से, इस देश के राजनीतिक जनता का विश्वास खो चुके हैं अतः उन्हें पुनः विश्वास अर्जित करना चाहिए। विश्वास खोने का एक प्रमुख कारण निरंतर दलबदल करना है।

श्रीमान जी, हरियाणा के एक विधायक दावा है, कि उन्होंने तेरह बार दल बदला है। यह कैसी गतिशीलता है ? यही हमारा राजनीतिक संकट है। इसीलिये मैं संवैधानिक संशोधन के पुरःस्थापन के द्वारा एक अच्छी बात का आरम्भ करने की कोशिश कर रहा हूं।

माननीय सदस्य : अगर मुझे सही याद है तो वह चुने गये हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : जी हां। वे चुन लिये गये हैं। दल बदल करने से लाभ हुआ है। और वे चुने गये हैं संभवतः दलबदल के प्रशंसक हमें यह बताना चाहते हैं कि वे दलबदल के रिकार्ड को और तोड़ सकते हैं।

महाशय जी, कुछ माननीय सदस्यगण जिसमें शिव राज जी और दूसरे सदस्य सम्मिलित हैं, ने महत्वपूर्ण सिद्धांत का मुद्दा उठाया है। वे कहते हैं कि कभी कभी राजनीतिक समूह और

राजनीतिक दल मिलकर संयुक्त मंत्रीमंडल या मोरचा तैयार करते हैं। क्या वे दल बदल से भी खराब नहीं है ? महाशय मिली जुली सरकार बनाना पूरी दुनिया के राजनीति में प्रचलित हैं। मैं आपको जर्मनी का उदाहरण देता हूं। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वहां ड्यूचलैंड सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन नामक राजनैतिक दल हैं। सैद्धान्तिक रूप से इन दलों के विचारों में भिन्नता हैं फिर भी इन दो दलों की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मिलीजुली सरकार बहुत समय तक थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मिलीजुली सरकार विश्वास पैदा नहीं करती है।

प्रो० मधु दन्डवते : उन्होंने यह साबित कर दिया कि इस प्रकार की मिली जुली सरकार कुछ देशों में एक दल की सरकार से भी ज्यादा सफल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह नहीं कहा जा सकता कि यह सदा हरियाने के लिए हैं ? वही व्यक्ति एक दल से दुसरे दल में जाता हैं। दल मिल जाते है तथा सदा हथिया लेते है। आप उनकी विश्वसनीयता पर कैसे भरोसा कर सकते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : पहली बात तो यह है कि जब मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तभी इसकी व्याख्या कर दी थी। इसलिए मैं उसी बात को दुहराना नहीं चाहता। मैंने अपनी बात आरम्भ कर ही इस मुददे से थी। आप चाहे तो कार्यवाही रिकार्ड देख सकते हैं, मैंने उसका उल्लेख किया है। इसलिए जहां तक "मोर्चों" तथा मिली-जुली सरकारों का सम्बन्ध है, यह बात पूर्णतया स्पष्ट है विकसित तथा विकासशील देशों में मिली-जुली सरकारों के सिद्धात को स्वीकार किया जा चुका है।

इसलिए, श्रीमान जब तक राजनीतिक दल वैसे ही रहते हैं जैसे वे हैं, तब तक यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि संविधान में किसी राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं किया गया है ? यह कहने का क्या लाभ हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में राजनीतिक दलों का उल्लेख, सिवाय उस भाग को छोड़ कर जहां कि 'चिन्ह' का मामला उठाया गया है, अन्यथा कहीं नहीं किया गया है। परन्तु श्रीमान् विधान मंडल की कार्यवाही ही कुछ ऐसे ढंग से होती है कि प्रत्येक दल के नेता को अपने राजनीतिक दल विशेष सदस्यों की सूची अध्यक्ष को देनी पड़ती है।

इसलिए, यद्यपि संविधान में इनका उल्लेख नहीं किया गया है, राजनीतिक दलों का अस्तित्व है और यह एक वास्तविकता है। अतः इस बात को दृष्टिगत रखना ही पड़ेगा।

कई बार यह प्रश्न उठाया गया है : लोकदल के सदस्यों ने क्या पहले दल-बदल नहीं किया था ? क्या यह सच नहीं है कि जनता पार्टी के सदस्यों ने दल-बदल किए हैं ? मैं फिर यही कहता हूं कि यदि आप कायवाही रिकार्ड देखें, तो आपको मालूम होगा कि मैंने सर्वप्रथम अपने दल का उल्लेख किया था, तथा उसके बाद लोकदल, कांग्रेस (आई) तथा अन्य दलों का उल्लेख किया था। मेरा विचार था कि यह मामला दल-गत मामला नहीं है। इसलिए, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसके बारे में पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिये।

श्रीमान्, मैं सदन के समक्ष एक बहुत ही रोचक अनुभव प्रस्तुत करना चाहता हूं। किसी माननीय सदस्य ने दल-बदल विरोधी विधेयक के सम्बन्ध में 5वीं लोक सभा में किये गये

प्रयत्नों का उल्लेख किया था। पांचवीं लोक सभा की जिस संयुक्त प्रवर समिति को यह विधेयक भेजा गया था, मैं भी उसका सदस्य था तथा उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मन्त्री थीं। मेरा रोचक अनुभव यह है कि मैं एक बार दल-बदल सम्बन्धी प्रवर समिति की कार्यवाही में भाग लेने बंगलौर गया। जिस दिन हम दल-बदल विरोधी विधेयक पर विचार करने वाले थे, ठीक उसी दिन देश में आपत स्थिति की घोषणा कर दी गई और मुझे दो वर्ष तक के लिए जेल में डाल दिया गया। और मुझे मालूम नहीं है कि मुझे उस कार्यवाही में भाग लेने के लिए वह कीमत अदा करनी पड़ी थी। वहां भी ऐसा ही मसौदा था। वह मसौदा जनता सरकार के समक्ष भी आया, और मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब इस विधेयक विशेष पर विचार किया जा रहा था, तो उस समय तत्कालीन प्रधान मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई ने यह बात जनता पार्टी के सदस्यों को स्पष्ट कर दी थी कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है और जनता दल के जो भी सदस्य सुझाव देना चाहते हों, वह दे सकते हैं। उस समय कुछ सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया था कि वे व्यक्ति विशेष द्वारा दल-बदल तथा दल में विभाजन सम्बन्धी पहलू से सहमत नहीं हैं। इसके बारे में सदस्यों में मतभेद था। उस समय तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने जनता दल के सदस्यों को आश्वासन दिया था कि जनता दल के सदस्य चाहे वे प्रवर समिति में हों या उससे बाहर, वह इसके सम्बन्ध में अपने सुझाव भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको दल-बदल तथा दल विभाजन के बारे में कोई स्पष्ट रेखा डालने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मैंने अपना दृष्टिकोण पूर्णतया स्पष्ट कर दिया था और अब फिर मैंने इसे पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है।

मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने मुझे विधेयक वापस लेने के लिए कहा है। मैं इसे वापस नहीं लेना चाहता। मैं मतदान के लिए आग्रह करता हूं क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रश्न जुड़ा हुआ है। एक बार यदि इस विधेयक विशेष को स्वीकार कर लिया गया तो सम्भवतः उसके बारे में व्यापक विधेयक सरकार बाद में प्रस्तुत कर सकती है। मैं माननीय मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि सदन के समक्ष अधिक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है—और वह विधेयक विशेष हमारे लिए सहायक सिद्ध होता है—तो वर्तमान विधेयक के साथ किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाये बिना ही, विरोधी पक्ष के बहुत से सदस्य उस व्यापक विधेयक को अपना पूरा समर्थन देंगे।

मैं अपनी बात तथा अपने उत्तर को समाप्त करने से पूर्व एक बार फिर आचार्य नरेन्द्र देव का उल्लेख करना चाहता हूं यद्यपि मेरे साथी ने भी उनका उल्लेख कर दिया था। हम समाजवादियों ने 1948 में कांग्रेस छोड़ दी थी और 1952 के चुनावों में प्राप्त मतों के आधार पर हमारा दल सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। कांग्रेस कार्यकारी समिति के जाने माने सदस्य कांग्रेस से बाहर आ गये और हमने नई समाजवादी पार्टी बना ली। श्रीमान्, वास्तविकता यह है कि 25 प्रतिशत ही क्यों, 25 प्रतिशत से भी अधिक लोग उस समय हमारे साथ थे और प्रो० रंगा जैसे मेरे मित्र मेरी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। इसके बावजूद भी स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्र देव ने हमसे कहा "आप इन बातों को तकनीकी दृष्टिकोण से मत आंकिये।' उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस के टिकट पर चुने गये नौ या दस विधायकों ने कांग्रेस से त्याग-पत्र दे दिया; जब इन समाजवादियों ने कांग्रेस को छोड़ा तो आचार्य ने कहा : 'आप सब को विधान सभा से त्यागपत्र देना पड़ेगा।" आचार्य नरेन्द्र देव तथा अन्य आठ सदस्यों ने

त्याग-पत्र दे दिये तथा फिर उन्होंने साधारण सदस्यों की तरह चुनाव लड़े और एक साधारण से व्यक्ति ने आचार्य नरेन्द्र देव को हरा दिया .....

श्री पी० वेंकटसुब्बया (नन्दयाल) : श्री तनेटी विश्वनाथन् ने भी ऐसा ही किया था।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत के प्रजातंत्र के इतिहास में आचार्य नरेन्द्र देव का उदाहरण एक आदर्श राजनीतिक उदाहरण है और हमें उससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और साथ ही विधि मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह मुझे विधेयक वापिस लेने के लिए कहने की अपेक्षा, इस विधेयक का स्वयं समर्थन करें :

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि मैं प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रख दीर्घायें खाली कर दी जायें क्योंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है, और इस पर मतविभाजन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या : 4 मध्याह्न पश्चात 5.57 बजे

पक्ष में

बालन, श्री ए० के०
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
बसु, श्री ज्योतिर्मय
*चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्भुज, श्री
चौधरी मोतीभाई आर०
चौबे, श्री नारायण
दंडवते, प्रो० मधु
दिगम्बर सिंह, श्री
घोष, श्री निरेन
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष
गोयल, श्री कृष्ण कुमार
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मौहल्ला, श्री
होरो, श्री एन० ई०
कोडियन, श्री पी० के०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री सनत कुमार
मोदक, श्री विजय

*गलती से पक्ष में मतदान किया

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
पासवान, श्री रामविलास
राय, श्री एम० रामन्ना
राजदा, श्री रत्न सिंह
राम किंकर, श्री
रियान, श्री बाज बन
राय, श्री ए० के०
साहा, श्री गदाधर
सारण, श्री दोलत राम
सेन, श्री सुबोध
शास्त्री, श्री रामावतार
सुब्बा, श्री पी० एम०
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद

विरुद्ध में

अहमद, श्री कमालुद्दीन
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस
अनबारासु, श्री ईरा
अंकिनीडू, श्री एम०
अनुरागी, श्री गौदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस०आर०ए०एस०
अरावकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री गुलाब नबी
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बखे, श्री जे० सी०
बहेरा, श्री राम बिहारी
भारद्वाज, श्री परसराम
मोई, डा० कृपा सिन्धु
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चव्हाण, श्री एस० बी०
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चौहान, श्री फतेहभान सिंह
दाभी, श्री अजीत सिंह
डागा, श्री मूलचन्द
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री के० पी० सिंह
देब, श्री संतोष मोहन
देवी लाल, श्री
दंडपाणि, श्री सी० टी०
डूंगर सिंह, श्री
एक्का, श्री कस्टोफर
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गांधी, श्रीमती इंदिरा
गिरिराज सिंह, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
गोआगिन, श्री एन०
गुरबिन्दर कौर, श्रीमती
जय नारायण, श्री
जैन, श्री विरभी चन्द्र

जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कामाक्षैया, श्री डी०
कृष्ण दत्त, श्री
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कृष्णन, श्री जी० वाई०
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुँवर राम, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाजन, श्री विक्रम
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लु, श्री ए० आर०
मायातेवर, श्री के०
मिश्र, श्री हरिनाथ
मोहसिन, श्री एफ० एच०
मोरे, श्री राम कृष्ण
मुखर्जी, श्री आनन्द गोपाल
मुरूर्यन, श्री एस०
नहाटा, श्री ब० आर०
नायडू, श्री पी० राजगोपाल
नायक, श्री मृत्युंजय
निहाल सिंह, श्री
नित्यानन्द, श्री
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ
पाणिग्राही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री राम प्यारे
पारधी, श्री केशवराव
पटेल, श्री उत्तमभाई ह०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पटनायक, श्री जानकी बल्लभ
पुजारी, श्री जनार्दन
पुतय्या, श्री दार
कादरी, श्री एस० टी०
**राजन, श्री के० ए०
रणबीर सिंह, श्री
रंगा, प्रो० एम० जी०
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती बी० राजाबाई आनन्द
राव, श्री जलगाम कोन्डाला
राव, श्री एम० नागेश्वर
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री पट्टाभिराम
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी, श्री जी० एस०
रेड्डी, श्री के० ओबुल
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
साही, श्रीमती कृष्णा
साहू, श्री नारायण
साठे, श्री बसन्त
सेठी, श्री अर्जुन
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी०

**गलती से विपक्ष में मतदान किया

शनमुगम, श्री पी०	तिवारी, प्रो० के0 के०
शान्ताराम, श्री	ठाकुर, श्री शिव कुमार सिंह
शर्मा, श्री चिरंजी लाल	थुगोन, श्री पी० के०
शर्मा, श्री काली चरण	टुडू, श्री मन मोहन
शर्मा, श्री प्रताप भानु	वायरले, श्री मधुसूदन
शिव शंकर, श्री पी०	वर्मा, श्री जय राम
शुक्ला, श्री विद्या चरण	वेंकटरामन, श्री आर०
सिदनाल, श्री एस० बी०	वेंकटसुब्बया, श्री पी०
सिंह, श्री धर्म राज	वर्मा, श्रीमती ऊषा
सिंह, श्रीमती माधुरी	विजयराघवन, श्री बी० एस०
सोरन, श्री हरिहर	विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
स्पैरो, श्री आर० एस०	व्यास, श्री गिरधारी लाल
स्टीफन, श्री सी० एस०	यादव, श्री आर० एन०
सुन्दर सिंह, श्री	यादव श्री राम सिंह
स्वामी, श्री के० ए०	जैल सिंह, श्री
स्वामीनाथन, श्री आर० वी०	**जायनल अबेदिन, श्री
टन्डन, श्री प्रभनारायण	जैनुल बशर, श्री

**गलती से विपक्ष में मतदान किया

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि अध्यधीन मतविभाजन का परिणाम * * इस प्रकार है :—

पक्ष में : 42 विपक्ष में 138 अतः प्रस्ताव-सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से अन्यून बहुमत से अस्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

---

* * निम्न सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया।

पक्ष में : श्री झारखंडे राय, श्री एम० एम० लारेंस, श्री अनंत पाठक, श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती, प्रो० रूप चन्द पाल, श्री अबेदिन जायनल तथा श्री के० ए० राजन।

विपक्ष में : श्री चितुरी सुब्बा राव, श्री ए० ए० रहीम, श्री केदार पांडे, श्री के० राजामल्लू श्री बृज मोहन मोहन्ती, श्री सतीश प्रसाद सिंह, श्री आर० वाई घोरपांडे, श्री जगन्नाथ कौशल, श्री धर्मदास शास्त्री, श्री शंकर राव पाटिल, श्री रामेश्वर निखरा, श्री तपेश्वर सिंह, श्री राम कुमार मीना, श्री बनवारी लाल मीना, श्री ए० एम वेलू, श्री बीरबल, श्री चन्दू लाल चन्द्राकर।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अष्टम अनुसूची का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि मैं श्री चित्त बसु को अपना विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए कहूं इसके लिए हम चर्चा का समय निर्धारित कर लें, क्या इसके लिए दो घंटे का समय पर्याप्त होगा ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्रीमान, मेरे विधेयक का उद्देश्य बहुत ही सरल है । यह संविधान के अनुच्छेद 347 के अन्तरर्गत आता है । आठवीं अनुसूची के अनुसार 15 राष्ट्रीय भाषायें हैं । ये भाषायें हैं; असमियां, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी मलयालम, मराठी, उड़िया पंजाबी, संस्कृत, सिन्धी, तमिल, तेलगू तथा उर्दू । मेरे विधेयक का उद्देश्य आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को जोड़ने का है ।

नेपाली भाषा भी भारतीय भाषा ही है । नेपाली लिपि भी निश्चय ही भारतीय ही है और आधुनिक हिन्दी तथा आधुनिक नेपाली दोनों के लिए ही नागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है । बंगाली तथा नेपाली यह दोनों ही भाषाएं एक दूसरे के बहुत निकट है । भारत में 2 करोड़ से 3 करोड़ तक लोग ऐसे हैं, जो नेपाली भाषा बोलते हैं । भारतीय संविधान के परिपेक्ष्य में उन लोगों को अपनी भाषा तथा संस्कृति के विकास का सुअवसर प्रदान किया जाना चाहिये । इसके वास्तविक आंकड़े और भी अधिक हो सकते हैं क्योंकि यह भाषा हिमालय के निचले क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बोली जाती है । वास्तविकता यह है कि नेपाली भाषा का उपयोग सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र में मातृभाषा के रूप में किया जाता है ।

इसलिए यह उपयुक्त ही होगा यदि इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाये ।

श्रीमान जी, मेरे विधेयक का यही उद्देश्य है । हमारे संविधान के अनुच्छेद 351 के द्वारा राष्ट्रीय भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की व्यवस्था की गयी है । नेपाली एक ऐसी भाषा है जो हिन्दी को समृद्ध कर सकती है । नेपाली हमारे देश में हिन्दी को विकसित करने और समृद्ध करने में काफी हद तक योगदान दे सकती है ।

जैसा कि आप जानते हैं इस विषय से संबंधित बहुत सी रिपोर्टें हैं मै इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय प्रोफेसर सुनीति चटर्जी को उद्धृत करना चाहता हूं । उन्होंने कहा "अन्य भारतीय भाषाओं को अर्थात सिन्धी और नेपाली को उनके बोलने वालों की इच्छाओं और उनके महत्व को देखते हुए आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना है" सिन्धी को 1967 में आठवीं अनुसूची की भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया । मैं नहीं जानता कि किन कारणों से

संविधान के अनुच्छेद 351 के अन्तर्गत नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अगले सत्र में अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब हम हल्दिया स्थित शिपयार्ड पर आधे घंटे की चर्चा को लेते हैं । श्री ज्योतिर्मय बसु ।

आधे घंटे की चर्चा

हल्दिया में शिपयार्ड के बारे में

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। यह एक स्पष्ट और ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने पूर्वी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना को जानबूझ कर बेकार कर दिया है । यह परियोजना हमारे बेरोजगार युवकों, हमारे उद्योग और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक थी । श्री शर्मा ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि सरकार द्वारा हल्दिया शिपयार्ड संबंधी एक प्रौद्योगिकी आर्थिक सम्बन्धी कार्यकारी दल की स्थापना की गई थी जिसे तकनीकी और अधिक पहलुओं पर विचार करना था । विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा हल्दिया स्थान का प्रस्ताव तकनीकी कार्यकारी दल के प्रतिवेदन के आधार पर किया गया था । प्रारम्भिक प्रतिवेदन आदि को तैयार करने के लिए सलाहकारों को नियुक्त किया गया। मैं यहां प्रलेखों पर आधारित प्रमाण से यह सिद्ध करूंगा कि भारत सरकार ने हल्दिया शिपयार्ड परियोजना को बेकार करने के प्रयास के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया और श्री शर्मा को मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता क्योंकि उस समय वह मंत्री नहीं थे परन्तु उन पर सभा को कहानी बताने का कठिन कार्य करना है । अब स्थितियां क्या हैं ? यदि आप असंशोधित वादविवाद के पृष्ठ 496 को देखें तो आपको बिल्कुल बदतर भूमि की स्थिति का पता चलेगा जिसके परिणामस्वरूप सिविल इंजीनियरिंग कार्य कठिनाई से होगा और वहां भारी वर्षा आदि होगी, आदि । मैं अब आपको बावेजा समिति के प्रतिवेदन से यह दिखाता हूं कि स्थिति क्या है। यहां जो कुछ बताया गया है वह निराधार और मन गढ़न्त है । प्रतिवेदन के पृष्ठ 37 पर कहा गया है :–

> "सैटेलाइट पोर्ट की स्थापना हेतु हल्दिया को सबसे संतोषजनक स्थल के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि वहां अपेक्षित गहराई थी और न्यूनतम तलकर्षण था।"

एक बन्दरगाह, एक डाकयार्ड के लिए यह एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है । उन्होंने भारी वर्षा की बात की है । मेरे पास वार्षिक वर्षा से सम्बन्धित मौसम विज्ञान विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन है । गंगा के साथ लगते पश्चिम बंगाल में वार्षिक वर्षा 1310.5 मिलीमीटर, उड़ीसा में 1233 मिलीमीटर, गुजरात में 1132 मिलीमीटर, सौराष्ट्र और कच्छ में 1477.9, कोंकण में 2816.6 मिलीमीटर, तटीय कर्नाटक में 2971.6 मिलीमीटर है । भारी वर्षा का क्या अर्थ है, यह मुझे अभी माननीय मंत्री से सीखना है । वे विद्वान पुरुष हैं, मैं मानता हूं । अतः नौकरशाही द्वारा या किराये पर बेकार कर देने वालों द्वारा जो भारी वर्षा की बातें कही गई हैं, वह गढ़ी हुई बात के अलावा कुछ नहीं वह पूरी तरह झूठ है ।

मैं प्रतिवेदन के एक अन्य भाग को लेता हूं। पृष्ठ 4969 पर हल्दिया के निकट शिपयार्ड स्थापित करने के लिए स्थान न देने के कारण दिए गए हैं जो कि ब्रिटेन के सलाहकार ए० बी० पेलाडार और यूगोस्लाविया की एक फर्म ने दिए हैं। में यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसी गैर-सरकारी विदेशी कम्पनियों पर कब से अधिक विश्वास करना आरम्भ कर दिया है। जिनको किसी कारण से किसी काम करने के लिये खरीदा जा सकता है। उनसे किसी भी प्रकार का प्रतिवेदन लिखवाया जा सकता है कोई भी राय प्राप्त की जा सकती है और इस क्षेत्र के वरिष्ठतम व्यक्ति की अध्यक्षता में बनी समिति के प्रतिवेदन का उल्लंघन किया जा सकता है और उसकी उपेक्षा की जा सकती है।

मैं अब प्रतिवेदन के बारे में कहूंगा कि यह बावेजा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तावना है जिसे मैं आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखूंगा जो भारत सरकार के नौवहन मंत्रालय की एक उच्चशक्ति प्राप्त समिति द्वारा तैयार किया गया। यह प्रतिवेदन 2-7-1971, दिनांक का है। किन परिस्थितियों में यह पेश की गई। पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास के लिए तात्कालिक उपायों की आवश्यकता के संदर्भ में हल्दिया में सरकारी क्षेत्र एक शिपयार्ड स्थापित करने का सुझाव दिया गया। यह परियोजना एक ऐसे केन्द्र बिन्दू के रूप में कार्य करेगी जिसके आधार पर इस क्षेत्र के विकास की काफी सीमा तक एक योजना बनाई जा सकती है। इसमें इंजीनियरिंग उद्योग को काफी सीमा तक कार्यभार उपलब्ध हो पायेगा। और इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल की बेरोजगारी की गम्भीर समस्या को कुछ राहत मिलेगी। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए हल्दिया में शिपयार्ड की स्थापना के प्रश्न पर पूरी तरह विचार करने के लिए एक कार्यकारी दल की स्थापना करने का निर्णय किया गया है। इस कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे : पोतों की मांग का अनुमान तैयार करना ; किस किस्म की मांग की संभावना हो सकती है; वर्तमान पोत निर्माण की क्षमता और इसकी मांग की पूर्ति की पर्याप्तता, अतिरिक्त शिपयार्ड, स्थान, निर्माण कार्य के संभावित शुरू किये जाने वाले कार्य, अपेक्षित तथा उपलब्ध सुविधाओं की आवश्यकता, अतः, सभाव्यता तथा व्यापक वित्तीय कठिनाइयों के सम्बन्ध में सिफारिश की गयी है। यह सब कुछ प्रतिवेदन में लिखा हुआ है।

इस कार्यकारी दल में नौवहन और परिवहन मंत्रालय, वित्त, वाणिज्य, औद्योगिक विकास, योजना आयोग, पश्चिम बंगाल सरकार, सरकारी क्षेत्र के तीन शिपयार्ड अर्थात हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता पोर्ट कमीशनर सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के प्रतिनिधि शामिल किये गये थे।

इस को रद्द करके सरकार ने अपने क्षेत्रों के निपुण अपने व्यक्तियों की निंदा की है। उसने लन्दन से सलाहकार मंगवाये जिन्हें वह कुछ हजार पौंड के बदले खरीद सकती थी और अपने लाभ के लिए प्रतिवेदन लिख सकती थी। उन्होंने इसे एकदम रद्द कर दिया। क्या यह इन अधिकारियों का अपमान नहीं है ? मैंने विवरण दे दिये हैं।

श्री जी० सी० नवेजा, संयुक्त सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, श्री एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव औद्योगिक विकास मंत्रालय, श्री टी० के० सारंगन, निदेशक,

परिवहन, वाणिज्य मंत्रालय संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, उप वित्त अधिकारी, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग संयुक्त निदेशक, परिवहन, योजना आयोग श्री पी० सी० मित्रा, उपाध्यक्ष, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट आदि ।

ये सर्वोत्तम उपलब्ध व्यक्ति थे । इनमें से 12 लाए गए परन्तु इन पर विश्वास नहीं किया जा सका क्योंकि प्रतिवेदन दिल्ली में बैठे तत्कालीन शासकों के अनुकूल नहीं थी । मैं नहीं बता सकता । परंतु एक दिन मैं आपको बता सकूंगा कि इसके पीछे क्या कारण थे और कौन-कौन इसके पीछे पड़े थे । मैं इस बारे में कार्य कर रहा हूं । मैं थोड़ा समय और लूंगा परंतु मैं सभा के समक्ष इसकी रूपरेखा रख सकूंगा । समिति ने कहा है :—

इस स्थिति में उप-दल में श्री एस० कस्तूरी, प्रमुख परियोजना अधिकारी कोचीन शिपयार्ड, सर्वश्री एम० जी० कुट्टी, टी० आर० शेषाद्रि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को शामिल करने विचार किया गया । इस उप दल के अध्यक्ष श्री एम० के० विश्वास थे जिनकी सहायता पोत प्रबन्ध संस्थान के निदेशक, डा० एस० के० भट्टाचार्य और प्रमुख हाइड्रोलिक इंजीनियर डा० एम० के० भट्टाचार्य कर रहे थे । वह संयुक्त राष्ट्र संघ के काम से पर इन्डोनेशिया गये हैं उन्हें ऋण के रूप में लिया गया है । जहां तक भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का सम्बन्ध है, वस्तुओं की मात्रानुसार, पत्तन अनुसार तथा 1979 तक भारतीय विदेश व्यापार का देशवार परियोजना अध्ययन समय पर पूरा न हो सका क्योंकि परियोजना केवल अक्तूबर, 1972 में ही आरम्भ की गई थी । यह काम बहुत ही जल्दी किया जाना था । इस बीच इस दल ने नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा तथा योजना आयोग में पहले ही किए गए मूल्यांकन के आधार पर तथा पांचवीं योजना की नौवहन टन मार की आवश्यकता के आधार अध्ययन किया । परियोजना कितनी महत्वपूर्ण हैं ? परियोजना की कितनी आवश्यकता है ? फिर भी प्रत्याशित कदम उठाये गए । उन्हें बुलाया गया और उन्होंने इसे रद्द किया तथा इन अधिकारियों की अच्छा काम करने पर भी बेइज्जती की गई ।

उनके अनुसार भारत में नौवहन और जहाज निर्माण उद्योग को सरकार की ओर से उपेक्षा के कारण प्राथमिक रूप से धक्का लगा और दूसरी बात यह है कि समुद्रीय प्रौद्योगिकी में देश की प्रगति की गति न बनाये रखने के कारण धक्का लगा ।

1973 में भारत का टनभार विश्व के कुल टनभार की तुलना में केवल 1 प्रतिशत था और विश्व के जहाज निर्माण करने वाले राष्ट्रों में भारत का स्थान 16 वां था । इसके बावजूद भी इसे रद्द किया गया और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है । यह श्री शर्मा की जिम्मेदारी है कि वह हमें बतायें कि यह किसने किया और क्यों किया ?

कहा गया है कि इस समय देश में तीन शिपयार्ड हैं । पहला नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अधीन है और शेष दो रक्षा मंत्रालय के अधीन हैं । उन्हें कतिपय विशेष किस्म के जहाज बनाने के लिए बनाया गया है । हाल ही में शिपयार्ड ने एक गोदी पूरी की जिससे उनसे बनाये गये जहाजों को सूखा गोदी और निरीक्षण के लिए और बाहर के जहाजों की बड़े पैमाने पर मरम्मत के लिए कलकत्ता भेजने की आवश्यकता कम हो जायेगी । उन्होंने इस पर विस्तार से कार्यवाही की है ।

6 बज कर 14 मिनट मध्याह्न पश्चात्

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्ययन दल ने अध्याय 3 में स्थिति इस प्रकार बताई है कि पांचवीं योजना अवधि में जहाज के टनभार का अधिग्रहण 22.5 लाख जी. आर. टी. जिसमें तेल पोत, भारी, मालवाहक, अनेमी पोत, जहाज टंकी वाले जहाज, लाइनर जहाज, माल वाहक जहाज आदि शामिल हैं जिनका 5 लाख जी. आर. टी. का टन भार इस प्रकार है :

इसका अर्थ यह हुआ कि पांचवीं योजना में 17 5 लाख जी. आर. पी. की कुल कमी विदेशी शिपयार्डों से खरीद कर पूरी की जानी है । इसके बावजूद भी उन्होंने जहाज निर्माण कार्य शुरू नहीं किया ।

पांचवीं योजना अवधि के बाद 8 से 10 लाख जी. आर. टी. की वार्षिक मांग के मुकाबले विकास के लिए स्वीकृत कार्यक्रम पर आधारित चार शिपयार्डों की उपलब्ध वार्षिक क्षमता केवल 2 लाख जी. आर. टी. है । इस प्रकार मांग पूर्ति से 8 से 9 लाख टन प्रति वर्ष बढ़ जायेगी । शिपयार्डों में उपलब्ध विस्तार की सम्भावना का पूरा-पूरा उपयोग करने के बाद भी वार्षिक क्षमता केवल 4.75 लाख जी. आर. टी. बैठती है । इससे प्रतिवर्ष 3.25 से 6.25 लाख जी, आर. टी. की कमी बनी रहेगी । अतः दल ने सिफारिश की है कि जहाज निर्माण की नई क्षमता की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए जिससे यह कमी पूरी की जा सके ।

उन्होंने स्पष्ट भाषा में कहा है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें एक ही शिपयार्ड तक सीमित नहीं रहना चाहिए । उन्होंने कहा है कि देश दो नये शिपयार्ड भी ले सकता है किन्तु इस सारी बात की पूरी तरह उपेक्षा की गई । हम केवल हल्दिया के लिए जोर नहीं दे रहे हैं । पारादीप में भी जो कि इसी प्रकार का उचित स्थान है, एक शिपयार्ड होना चाहिए ।

पृष्ठ 29 पर उन्होंने 'स्थान के लिए मूल सिद्धान्त, 'स्थान निर्धारण.....' जैसे पूरे विवरण दिये हैं । पृष्ठ 30 पर उन्होंने वह सब कुछ दिया है जो श्री शर्मा ने विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा हैं । पृष्ठ 30 पर पैरा 7-4 में उन्होंने कहा :

"स्थल के चयन में निम्नलिखित बातों पर विचार किया जायेगा : —

(क) पानी के निकट सर्वोच्च लहर से ऊपर उचित ऊंचाई पर खुली जमीन की उपलब्धि ।

(ख) मिट्टी काफी मजबूत हो जिससे नीव डालने, खम्बे गाड़ने और ढांचे खड़े करने का न्यूनतम खर्च हो और जो भारी बजन वहन कर सकें ।" आदि ।

अतः उन्होंने कहा "मिट्टी काफी मजबूत हो ।" आपसे, श्री शर्मा जिन्होंने कहा यह बिल्कुल झूठ कहा है । मैं इस बारे में विस्तार से नहीं कहूंगा । किन्तु उन्होंने स्पष्ट भाषा में कहा है कि हल्दिया शिपयार्ड के लिए सबसे अच्छा उपलब्ध स्थान है और यह प्राथमिकता प्राप्त परियोजना है जिसे एक सरकारी तंत्र ने स्वीकृत किया है उन्होंने पृष्ठ 32 और 33 में अन्त में इस प्रकार कहा ।

"कार्यकारी दल ने ध्यानपूर्वक विचार किया है कि क्या हल्दिया या इसके पड़ोस में तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से शिपयार्ड बनाया जा सकता है। इसका ऊत्तर निम्नलिखित कारणों से हां में दिया गया :—

एक) अब तक बने सभी इस्पात मिलों से यह व्यवहारतः उचित दूरी पर है। इनमें टिस्को, इस्को, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई शामिल हैं। इस प्रकार आधार भूत कच्चा माल, अर्थात् जहाज निर्माण के लिए अच्छी किस्म के इस्पात को शिपयार्ड तक पहुंचाने के लिए कम से कम दूरी तय करनी पड़ेगी।

(दो) कलकत्ता और इसकी जमशेदपुर तथा रांची तक पार्श्व भूमि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इंजीनियरी के भारी, मध्यम और छोटे उद्योग पूरी तरह से स्थापित हैं।

(तीन) हल्दिया पत्तन का, कलकत्ता के उपग्रह गहरे जल पत्तन के रूप में, पूर्वी क्षेत्र के निर्यात व्यापार के बड़े पत्तन के रूप में विकास किये जाने पर आवश्यक परिवहन जांच का पूरी तरह से विकास किया जाना है।

(चार) इसके पूर्ण विकसित भारी, मध्यम और छोटे इंजीनियरी उद्योगों की लम्बी परम्परा के साथ इस्पात गढ़ाई, जुड़ाई, रिगिंग, खड़ा करने, जुड़ाने आदि जैसे काम के लिए कुशल मजदूर बिल्कुल निकट पार्श्वभूमि में उपलब्ध हैं तथा इसी प्रकार आवश्यक प्रबन्ध सम्बन्धी कुशलता भी उपलब्ध है।

(पांच) पश्चिम बंगाल की सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसी भी शिपयार्ड की बिजली और ताजे पानी की आवश्यकता पूरी की जायेगी जैसा कि पत्तन परियोजना के लिए किया गया है।

(छः) हल्दिया एक अन्तिम बन्दरगाह होगा। इस बन्दरगाह पर आने वाले जहाजों में खनिज ले जाने वाले, कोयलाबाही, भारी सामान ले जाने वाले, कच्चा माल लाने वाले.....", आदि जहाज शामिल होंगे। यद्यपि उन्होंने माना है कि कठिनाइयां हैं, उन्होंने कतिपय आंकड़े दिये हैं किन्तु उन्होंने स्वयं इसे रद्द किया है। श्री शर्मा, आप अलेंडोर एण्ड कम्पनी की बात कर रहे थे। यह लंदन की एक बदमाश कम्पनी है। मैं इन कम्पनियों को जानता हूं। वे साहब कंपनी पर बहुत विश्वास कर रहे हैं।

पृष्ठ 34 पर कहा गया है :

> "इस सम्बन्ध में कार्यकारी दल ने इस तथ्य को नोट किया कि यु० के० शिपयार्ड मिशन ने डायमंड हार्बर और जियोंनखाली स्थलों की 1958 में जांच की थी। यू. के. मिशन ने डायमंड हार्बर को उपयुक्त न होने के कारण अस्वीकृत किया किन्तु जिलोनखाली को उन स्थलों में संख्या 5 पर रखा जिन पर सरकार द्वारा आगे विचार करने योग्य समझा गया है।"

हल्दिया के बारे में इसमें कुछ भी विरोध में नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया है :

> "आवश्यक आधार मूल ढांचे की सुविधाओं का विकास किया गया है। गत 15 वर्षों में काफी नई प्रशिक्षण कार्य किया गया है।"

अतः हल्दिया में शिपयार्ड बनाने का एक ठोस मामला बनता है ।

पृष्ठ 47 पर, अन्त में (पैरा 1) में उन्होंने कहा :

"विश्व के मानकों के अनुसार पच्चीस वर्षों में भारतीय नौवहन का विकास अन्य राष्ट्रीय बेड़ों के टनभार के विकास की तुलना में इतना अधिक नहीं कहा जा सकता है । उन बहुत से कारणों में जिनसे नौवहन का विकास रुका है, सबसे महत्वपूर्ण कारण देश की जहाज निर्माण उद्योग की बहुत कम क्षमता है ।"

पृष्ठ 50 पैरा 12.3 में यह कहा गया है :

"उपर्युक्त निष्कर्षों से यह स्पष्ट हो जायेगा कि कार्यकारी दल ने उसे सौंपे गये विषयों से उत्पन्न होने प्रश्नों पर बारीकी से तथा विशेष रूप से अपनी पूरी क्षमता से विचार किया है । इन निष्कर्षों के आधार पर दल ने सिफारिश की है कि :

(i) पांचवीं योजना के दौरान कम से कम एक अतिरिक्त शिपयार्ड और यहां तक कि दो शिपयार्ड बनाने का स्पष्ट मामला है ।"

85 पृष्ठ पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि हल्दिया इस प्रकार के पोत-कारखाने के लिये बहुत ही उपयुक्त स्थल हो सकता है । तथा उसका इस उद्देश्य के लिए चयन किया जा सकता है ।

मैं माननीय शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह कृपा पूर्वक सदन को विश्वास में रखते हुए हमें यह बतायेंगे कि इस प्रतिवेदन को किसने दबाया है? इसका शीघ्र ही कार्यान्वियन क्यों नहीं किया गया? उस पर कार्य आरम्भ क्यों नहीं किया गया? यदि आप प्रास्ताबना और विचारांथ विषय पढ़े, तो आपको पता चलेगा कि उसमें शीघ्र कार्यवाही करने की व्यवस्था पर बल दिया गया है । यू. के. से सलाहकारों को किसने निमन्त्रण दिया था और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई और उन्हें किस आयोग के लिये बुलाया गया था । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सदन को तथा पूरे उत्तरी भारत को आश्वासन दें कि बवेजा समिति की सिफारिशें लागू की जायें और इसके लिये हम आपके बहुत ही आभारी होंगे ।

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री ए० पी० शर्मा) : जब मेरे मित्र, श्री ज्योतिर्मय बसु ने यह चर्चा उठाई तो मैंने सोचा था कि यह चर्चा हल्दिया पत्तन के बारे में है । किन्तु सारी चर्चा के दौरान जो इस सदन में हुई है, उन्होंने बवेजा समिति पर ही चर्चा की है । उन्होंने केवल इसी पर चर्चा की है । शायद वह यह बात भूल गये हैं कि चर्चा बवेजा समिति के बारे में नहीं है ।

महोदय, निसन्देह इस समिति को पश्चिम बंगाल सरकार तथा औद्योगिक विकास मन्त्रालय के कहने पर गठित किया गया था ।

हाल्दिया में पोत-कारखाना लगाने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये जुलाई, 1971 में नौवहन मन्त्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव श्री जी० सी० बवेजा की अध्यक्षता में कार्यकारी ग्रुप की स्थापना की गई थी । जब बवेजा समिति बनाई गई थी तो उसके सामने यह प्रश्न था । समिति ने हल्दिया के पास अन्य स्थानों की स्थिति के बारे में भी अध्ययन किया और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया । जब तक बवेजा समिति ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार

को दिया इसी बीच सरकार को अनेक-अनेक समुद्री राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुये और इसलिये उन राज्यों के इन अनुरोधों पर विचार करने के लिये एक अन्य समिति का गठन किया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किस तारीख को ?

श्री ए० पी० शर्मा : मैं सभी तथ्य आपको बताऊंगा। कृपया धीरज रखिये। अतः मई, 1973 में मन्त्रालय में तत्कालीन विकास सलाहकार ब्रिगेडियर नरूला के अध्यक्षता में एक तकनीकी-आर्थिक कार्यकारी ग्रुप बनाया गया जिसे हल्दिया सहित अनेक स्थानों के बारे में अध्ययन करना था। अतः सबसे पहले बवेजा समिति ने हल्दिया का ही अध्ययन किया था। ब्रिगेडियर नरूला की अध्यक्षता में कार्यकारी ग्रुप 1973 में बनाया गया था तब तक बवेजा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत हो चुका था। वह प्रतिवेदन दिसम्बर, 1973 में प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात तीन विदेशी सलाहकार परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये नियुक्त किये गये। श्री ज्योतिर्मय बसु ने पूछा है कि विदेशी सलाहकार नियुक्त करने का विचार किसका था। मेरा विचार है कि श्री बसु ऐसी कई बातें बता सकते हैं जो वह मेरे से बेहतर जानते हैं। किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि यह सलाहकार .....

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐपलडोर को किसने नियुक्त किया ?

श्री ए० पी० शर्मा : आप केवल ऐपलडोर के बारे में ही चिन्तित क्यों है ? तीन सलाहकार नियुक्त किये गये थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्योंकि आपने अपने उत्तर में केवल दो पार्टियों का ही उल्लेख किया है।

श्री ए० पी० शर्मा : विदेशी सलाहकारों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि हल्दिया के अलावा कुछ अन्य स्थान है जो पोत-कारखाना स्थापित करने के लिये अधिक युक्त रहेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐपलडोर को क्या फीस दी गई ?

श्री ए० पी० शर्मा : यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी बातों का उत्तर दूं तो कृपया आप मेरी बात धीरज से सुनें। साथ ही मैं ऐसी बात भी बताना चाहता हूं जिसे सुनना शायद आप पसन्द न करें। विदेशी सलाहकार के प्रतिवेदन का मई 1975 में इस मन्त्रालय द्वारा स्थापित ग्रुप द्वारा मूल्यांकन किया गया था जिन्होंने पश्चिम तट पर स्थित हजीरा और पूर्वी तट पर स्थित पारादीप का उल्लेख किया था। श्री ज्योतिर्मय बसु हल्दिया संबंधी प्रस्ताव के रद्द किये जाने के सम्बन्ध में बात कर रहे थे क्योंकि वह पूर्वी तट पर स्थित है। बाद में उन्होंने अपने वक्तव्य को सुधार लिया, जैसाकि मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने पारादीप का भी उल्लेख किया था ..... (व्यवधान) इस समय मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस मन्त्रालय में नया आया हूं। अतः मैं यह नहीं जानता कि किसने हल्दिया को इसके लिये चुने जाने में बाधा डाली और किस उद्देश्य से ऐसा किया। इसे श्री ज्योतिर्मय बसु ही अच्छी तरह बता सकते हैं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं सदन के सामने आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं।

मूल्यांकन ग्रूप ने यह निष्कर्ष निकाला था कि पूर्वी तट ही ऐसा स्थान है जहां प्रस्तावित दो प्रकार के पोत-कारखानों की स्थापना करना अच्छा रहेगा। मूल्यांकन ग्रुप ने हल्दिया को निम्नलिखित बातों के कारण ठीक स्थान नहीं समझा। क्या आप इन बातों के बारे में जानते हैं ? मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता था। कुछ दिन हुए मैंने जब ताजे प्रतिवेदन का उल्लेख किया था जब मैं इस प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहा था और मैंने सदन में चार कारणों का उल्लेख किया था।

श्री ज्योतिर्मय वसु : मेरे पास आंकडे हैं।

श्री ए० पी० शर्मा : मेरे पास वर्षा सम्बन्धी आकडे भी हैं और श्री बसु की सन्तुष्टि के लिए मैं उनका उल्लेख करना चाहता हूं।.....(व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिये। इस पुस्तक से आपको कोई सहायता नहीं मिलेगी। मैं आपके सामने आंकडे प्रस्तुत कर रहा हूं। सम्बन्ध आंकडे यह हैं : पारादीप 1,400, हजीरा 1,2000 तथा हल्दिया 2,200।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किस वर्ष के हैं ?

श्री ए० पी० शर्मा : यह डिबेटिंग मंच नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किन्तु कौन सा वर्ष है।

(व्यवधान)

श्री ए० पी० शर्मा : महोदय, मैं श्री बसु से अनुरोध करता हूं कि वह मेरी बात को सुनें जैसे कि मैंने उनकी बात सुनी है। अतः जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, इस समय मैं आपको बता सकता हूं कि कोई भी किसी भी परियोजना को ठप्प करने में रुचि नहीं रखता है। हमें कुछ तकनीकी प्रतिवेदनों के अनुसार चलना होगा और इन प्रतिवेदनों के अनुसार, जैसाकि मैंने सदन में पहले बताया है, 'पारादीप' स्थान को इस उद्देश्य के लिए सबसे अधिक उचित पाया गया है और इस सम्बन्ध में दूसरा स्थान हजीरा है। इस सम्बन्ध में निवेश सम्बन्धी निर्णय वित्तीय कठिनाइयों तथा अन्य वरीयताओं को ध्यान में रख कर लिया जायेगा। जहां तक हल्दिया और अन्य स्थानों का प्रश्न है, वर्तमान स्थिति यही है। अतः मेरे मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु को यह पता चलेगा कि बनेजा समिति प्रतिवेदन के अलावा अन्य प्रतिवेदन भी हैं और मैंने कुछ दिन पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए यह स्पष्ट कह दिया था कि जबकि मैं ताजे प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहा था श्री बसु 1973 में प्रस्तुत प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहे हैं। वह कभी भी ताजा स्थिति से अवगत नहीं होते। वह हमेशा पीछे रहते हैं। (व्यवधान) वह हमेशा पुराने सिद्धान्तों को दोहराते रहते हैं। (व्यवधान)

महोदय, यह पश्चिम बंगाल का प्रश्न नहीं है, यह भारत का प्रश्न है .....(व्यवधान)। श्री ज्योतिर्मय बसु के पास कभी अन्तिम सूचना नहीं होती। वह हर बात में हमेशा पीछे रहते है। वह हमेशा पुराने सिद्धान्तों को दोहराते है। इसलिए ही वह प्रस्ताव के ठप्प किये जाने की बात कर रहे हैं (व्यवधान)।

मैं अपने मित्रों श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री ज्योतिर्मय बसु तथा अन्य माननीय सदस्यों को जो इस समस्या में रुचि ले रहे हैं, यह बताना चाहता हूं कि श्री बसु पहले की तरह पोत-कारखाने और पोत मुरम्मत कारखाने में स्पष्ट अन्तर नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक पोत मुरम्मत

कारखाने का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि मैसर्ज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स जोकि रक्षा मन्त्रालय का सरकारी उपक्रम है, के द्वारा एक ब्यौरेवार परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है । इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 3 वर्ष लगेंगे । इस प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है । जहां तक हल्दिया का सम्बन्ध है स्थिति यह है ।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, (व्यवधान) मुझे अधिकार है, सवाल पूछने का । आप घबराइये नहीं, मैं भाषण देने वाला नहीं हूं क्योंकि मेरी जानकारी बहुत कम है । (व्यवधान) हल्दिया में पारादीप में शिपयार्ड का निर्माण किया जाए, इन दोनों का महत्व अपने-अपने स्थान पर बहुत ही ज्यादा है, खास तौर पर उन इलाकों के विकास के लिए दोनों ही जगह ये होने चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि दो दो कमेटियां सरकार ने, एक ही सरकार ने बनाई, ऐसा क्यों करना पड़ा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि दोनों कमेटियों को अलग-अलग रिपोर्टस तैयार करने में कितना समय खर्च करना पडा और कितना पैसा खर्च करना पडा ? ऐसा करने का औचित्य क्या है और जनता के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग करने का आपको अधिकार क्या था ?

साथ ही हल्दिया और पारादीप दोनों जगह शिपयार्ड का निर्माण किया जाए, इस में कौन कौन सी कठिनाइयां है और दोनों जगह आप क्यों नहीं बनाना चाहते हैं ? दोनों जगह बनाने में क्या कठिनाइयां हैं और सरकार उन कठिनाइयों पर काबू पाने की स्थिति में क्यों नहीं है ?

श्री कृष्णचन्द्र हल्दर (दुर्गापुर) : कलकत्ता और हल्दिया पत्तन एक दूसरे के नजदीक है । सिंचाई मन्त्री ने हमें इस सदन में आश्वासन दिया था कि वह कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों की बेहतरी के लिए गन्दी के दौरान 40,000 क्यूसेक्स पानी देना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय इस प्रश्न की संगति क्या है ?

श्री कृष्णचन्द्र हल्दर : इसका सम्बन्ध है ।

माननीय मन्त्री ने यह स्वीकार किया है कि बवेजा समिति गठित की गई थी । श्री ज्योतिर्मय बसु ने बताया है कि सरकार ने उनके प्रतिवेदन को दबा दिया था और एक अन्य समिति का गठन किया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि उस प्रतिवेदन को प्रकाशित क्यों नहीं किया गया, उसे दबाया क्यों गया ? हमने श्री बसु से ही उस समिति की सिफारिशों के बारे में कुछ पता चला है । मैं सरकार से उन सिफारिशों के बारे में पूरी सूचना चाहता हूं ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत जैसे विशाल देश में न केवल तीन बल्कि छः पोत-कारखानोंकी आवश्यकता है । अतः परादीप और हल्दिया दोनों में उनका निर्माण किया जा सकता है । यद्यपि दोनों पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं वह भारत के अंग हैं और हम पूर्वी क्षेत्र ही नहीं समूचे भारत के बारे में सोच रहे है । किन्तु हमें पोत मुरम्मत कारखाने और पोत निर्माण कारखाने में अन्तर को जानना चाहिए । अतः मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करेंगे और हल्दिया में पोत कारखाने की स्थापना करेंगे और अगर हां, तो कब तक ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मन्त्री महोदय ने उनके प्रतिवेदनों का जिक्र किया है। मेरे विचार से बाद की रिपोर्टों में कोई विशेषता नहीं है। दोनों रिपोर्टें एक दूसरे से भिन्न हैं। क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या सरकार इस मामले पर एक बार और ध्यान देगी और यह पता लगायेगी कि केवल विदेशी रिपोर्टों के आधार चलने के बजाए, हल्दिया में शिप यार्ड बनाने की मांग को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों रिपोर्टों में से कौन सी स्वीकार्य है, तकनीकी समिति ने कौन सी रिपोर्ट स्वीकार की है और दूसरे यदि शिपयार्ड के लिए अभी स्वीकृति न दी जाये और इसके बारे में निर्णय करने में कुछ समय लगे तो क्या मंत्री महोदय इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि शिपयार्ड के लिए सरकार ने हल्दिया बन्दरगाह में जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। शिपयार्ड की मांग को त्यागे बिना जहाज मुरम्मत यार्ड के लिए शीघ्र निर्णय लेना राष्ट्रीय हित में ही होगा। मंत्रालय द्वारा गठित एक अध्ययन दल द्वारा हल्दिया में जहाज मुरम्मत यार्ड बनाने की सिफारिश की गई है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इन्जीनियर्स लिमिटेड हमारी इस क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठा सम्पन्न फर्म हैं और हमें उन पर गर्व है। उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम इन्जीनियर्स इंडिया लिमिटेड को सौंपा और रिपोर्ट आ गयी है और हमारे विचार में वे जहाज निर्माण यार्ड स्थापित करने के पक्ष में है। यदि सरकार ने हर प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया है तो क्या केन्द्रीय सरकार यथाशीघ्र निर्णय लेगी ताकि काम शुरू किया जा सके।

श्री निरेन घोष : मैं मन्त्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछूंगा। क्या हल्दिया के खाके में शिप-यार्ड परियोजना शामिल नहीं थी ? ब्रिटिश तथा युगोस्लावेकिया के सलाहकारों ने इस बारे में क्या सलाह दी थी ? इसे छिपा दिया गया है। इसे प्रकाशित करके जनता के सामने नहीं रखा गया है।

उसके बाद बावेजा समिति की रिपोर्ट आई। क्या यह सच नहीं है कि कुछ लोगों ने भारत सरकार पर दूसरी समिति गठित करने के लिये दबाव डाला ताकि बावेजा समिति रिपोर्ट को निष्फल सिद्ध किया जा सके और ऐसी रिपोर्ट तैयार करवायी जा सके जो उनके हित में हो। यह 20 करोड़ की जनसंख्या वाले समूचे पूर्वी भारत के लोगों के हितों पर कुठाराघात ही नहीं बल्कि षड्यंत्र भी है, क्योंकि इससे पूर्वी क्षेत्र के 20 करोड़ लोगों को लाभ होता है। क्या यह सच नहीं है कि जहाज निर्माण यार्ड की स्वीकृति पहली सरकार ने दी थी और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार एक योजना स्वीकृत की गयी जिसके अन्तर्गत आयल रिग तटदूर प्लेटफार्म बनाने की भी योजना थी और अब जब कि ये यह कहते हैं कि यह सरकार के विचाराधीन है, तो क्या ये भूतपूर्व सरकार के निर्णय के विपरीत नहीं चल रहे हैं ?

श्री ए० पी० शर्मा : अध्यक्ष महोदय श्री रामावतार शास्त्री ने यह पूछा कि यह जो दूसरी कमेटी थी, इसके गठन करने का कारण क्या था ? मैंने श्री ज्योतिर्मय बसु को जवाब देते हुए बताया कि बवेजा कमेटी की रिपोर्ट जब हम लोगों के पास आई, उस वक्त करीब-करीब जो दूसरे मेरी टाइम स्टेट थे, उनकी भी रिक्वैस्ट आई कि हमारी जगहों की भी जांच की जाये कि वह पोर्ट के लिये सूटेबल हैं या नहीं, इसलिये ब्रिगेडियर नरूला कमेटी सैट-अप हुई।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने पूछा था।

श्री ए० पी० शर्मा : आपने यही पूछा था कि दूसरी कमेटी सैट-अप करने का कारण क्या था। मैंने आपको बताया कि पहली कमेटी की रिपोर्ट के साथ-साथ जो दूसरी कमेटी सैट-अप हुई उसका कारण यह था कि मेरी टाइम स्टेट की रिक्वैस्ट आई थी, उसी के आधार पर दूसरी कमेटी सैट-अप हुई थी। पहली रिक्वैस्ट वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट की थी और इन्डस्ट्रीयल डैवलपमैंट मिनिस्ट्री की थी जिसके आधार पर बवेजा कमेटी की स्थापना हुई थी। इसलिये यह दो कमेटी सैट-अप हुई।

जहां तक यह प्रश्न है कि इन पर कितना खर्चा हुआ और कितना समय लगा, तो समय की बावत तो सुन लिया, खर्च का हिसाब मेरे पास इस समय नहीं है, यह मैं सदन को बतला दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : लिखकर भिजवा दीजिये।

श्री ए० पी० शर्मा : शास्त्री जी को लिखकर भेज दूंगा।

जहां तक श्री हाल्दर का सम्बन्ध है, उन्होंने आरोप लगाया है कि बावेजा समिति रिपोर्ट को दबाया गया। यदि बावेजा समिति रिपोर्ट को दबाया गया या छिपाया गया तो यह रिपोर्ट मेरे मित्र के हाथ में कैसे होती ? यह क खुला दस्तावेज है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक गोपनीय दस्तावेज है। इसकी चोरी करनी पड़ी। (व्यवधान)

श्री ए० पी० शर्मा : किसी की चीज को नहीं दबाया गया। बावेजा समिति रिपोर्ट एक गोपनीय दस्तावेज नहीं है। यह एक खुला दस्तावेज है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसे देने से कई बार इनकार किया गया। मुझे अपनी मास्टर चाबी का उपयोग करके इसे बाहर निकलना पड़ा।

श्री ए० पी० शर्मा : मैं अपने अच्छे मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु को बताना चाहता हूं कि यदि उन्हें बावेजा समिति की रिपोर्ट नहीं मिल सकी तो इसका कारण उनकी ही मित्र सरकार थी। यदि सत्ता पर आते ही वे मुझसे कहते तो मैं उन्हें आसानी से दे देता।

मैं श्री हाल्दर को बताना चाहता हूं कि किसी भी तथ्य को छिपाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। बावेजा समिति रिपोर्ट एक खुला दस्तावेज है। वे इसे पुनः पढ़ सकते हैं। वे इसे मेरे सेक्शन या श्री बसु के द्वारा ले जा सकते हैं और पढ़कर मुझे बता सकते हैं कि कौन-कौन से तथ्यों को छिपाया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी का दृष्टिकोण अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक उचित है। उन्होंने ठीक बात को पकड़ा है। प्रश्न हाल्दिया की उपेक्षा करने तथा किसी अन्य स्थान की उपेक्षा करने का नहीं है। प्रश्न तो प्रथम प्राथमिकता दिये जाने स्थानों के तुलनात्मक गुणों का है। वह प्रतिवेदन के अनुसार है। हाल्दिया को एक अच्छा स्थान घोषित किया गया है और इसी-लिये हम हाल्दिया या हरिया के बारे में बात कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे दिल में हाल्दिया के बारे में कोई बात है। मैं कहता हूं कि श्री सोमनाथ चटर्जी का दृष्टिकोण

इन मित्रों की अपेक्षा अधिक उचित है। इन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है। मैं पहले ही आश्वासन दे चुका हूं कि रक्षा उत्पादन मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम मैसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है। परियोजना के पूरा होने में लगभग तीन वर्ष लगेंगे। "लगभग तीन वर्ष" अनुमानित समय है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जरूरी तौर पर इसी कार्यक्रम का पालन किया जायेगा। यदि इसे पहले पूरा किया जा सकता है तो इसे पहले ही पूरा किया जायेगा। इस बारे में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अंतिम निर्णय कब लेंगे ?

श्री ए० पी० शर्मा : हम उस बात को ध्यान में रखेंगे। समय को घटाया जा सकता है। दूसरे, यह कई अन्य बातों पर भी निर्भर करता है। यह केवल हमारे ही हाथ में नहीं है ..... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : विशेषज्ञों ने वहां जाकर जमीन देखी। जमीन इस परियोजना के लिये सुरक्षित निर्धारित रखा गया है। हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया गया है। अतः मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप इस महीने में उचित निर्णय ले लें।

श्री चित्त बसु : हम जानना चाहते है कि क्या इसके लिये स्वीकृति दी जा चुकी है और क्या जहाज मरम्मत परियोजना, जिसकी रिपोर्ट आपको मिल चुकी है, के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है।

श्री ए० पी० शर्मा : मैं इसे दोहरा सकता हूं। मैसर्ज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स, जो एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है। इस बारे में अगली कार्यवाही की जा रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अगली बार कलकत्ता कब जा रहे हैं? आप वहां घोषणा करें। मैं आपको आमंत्रित करूंगा।

श्री ए० पी० शर्मा : श्री निरैन घोष भी श्री ज्योतिर्मय बसु की तरह मेरे एक पुराने मित्र हैं। मुझे खेद है कि इन्हें हर चीज में लाबी दीखती है क्योंकि ये स्वयं लाबी करने में विशेषज्ञ हैं। मैं इन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि मैंने किसी भी प्रकार की लाबी नहीं की है। मुझ पर किसी भी लाबी का दबाव नहीं पड़ सकता। जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, कोई भी लाबी इस पर अपना दबाव नहीं डाल सकती। अतः मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि विशेषज्ञों की तकनीकी समिति के प्रतिवेदन के कारण ही हाल्दिया परियोजना पर पहली प्राथमिकता के आधार पर विचार नहीं किया गया है।

श्री निरेन घोष : इन्होंने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।

सदस्य की गिरफ्तारी के समाचार के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री देविन्द्र सिंह गारचा, संसद सदस्य को हिरासत में ले लिया गया है। क्या कारण है ? वे इस सभा के सदस्य हैं ... (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : क्या आपके पास इस बारे कोई सूचना है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम पता करेंगे ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : क्या आपके पास इस बारे में कोई सूचना है ?
अध्यक्ष महोदय : अभी तक कोई सूचना नहीं है । मैं पता लगा रहा हूँ ।
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : क्या आपके पास कोई सूचना है ?
अध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूँ । मैं पता लगा रहा हूँ ।
श्री भीष्मनारायण सिंह ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

बिहार पंचायत राज (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं बिहार राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत बिहार सरकार के अध्यादेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) बिहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित बिहार पंचायत समितियां और जिला परिषदें (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 38) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) बिहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित बिहार पंचायत निर्वाचन नियम और मतदाताओं की अनुपूरक सूचियां (विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1980 (हिन्दी संस्करण)

(88) मद 1 (2) में उल्लिखित अध्यादेश का अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 794/80]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित होती है ।

6 बजकर 55 मिनट म० प०

तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई ।

मुद्रण : सबीना प्रिंटिंग प्रेस, फरीदाबाद